शुक्रवार, 4 दिसम्बर 1981

13 अग्रहायण 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 10, शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1981/13 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों से मौखिक उत्तर :	1—25
तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 183 और 185 से 189	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	25—205
तारांकित प्रश्न संख्या 184, 190 से 192, 195 से 198 और 200 से 202	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2077 से 2126, 2128 से 2166, 2168 से 2253, 2255 से 2292 और 2294 से 2309	
स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में	206—212
सभापटल पर रखे गये पत्र	212—215
विधेयक पर अनुमति	215—216
सदस्य की गिरफ्तारी	216
(श्री फूलचन्द वर्मा)	216
विधि आयोग के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य	216—218
श्री पी० शिवशंकर	216
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	218—239
देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, बिजली की कमी	218
श्री चित्त बसु	218
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	218
श्री जैनल बशर	231
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत	236
सभा का कार्य	239—243

*किसी नाम पर अंकित † यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
दंड विधि (संशोधन विधेयक	244
राज्य सभा के एक सदस्य को संयुक्त समिति में नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	244
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	244
इकतीसवां प्रतिवेदन	244
पश्चिम बगाल में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में संकल्प	245—251
श्री चित्त बसु	246
कुतुब मीनार में दुःखद घटना के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु और कई लोगों के घायल हो जाने के बारे में वक्तव्य।	251—252
श्री जैल सिंह	251

लोक सभा

शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1981/13 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 181

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, अब्दुल मजीद नाम के एक मुललमान को अलीगढ़ में पुलिस ने पीट-पीट कर मार दिया है । इससे टेंशन है ।

अध्यक्ष महोदय : आदमी मरा है, कोई भी एक आदमी मरे, वह आदमी है । इट इज सो सिम्पल । वहां पुलिस है, सरकार है, विधान सभा है । वहां की पुलिस का फर्ज बनता है कि वह इस बारे में कार्यवाही करे । वहां सरकार भी बैठी है ।

श्री मनीराम बागड़ी : पुलिस वर्सिज मुसलमानों में टेंशन न बढ़े ।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी आदमी हो, मैं यह समझता हूं कि वह आदमी है । श्री पी० नामग्याल ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली से लेह बरास्ता श्रीनगर का विमान किराया

*181. **श्री पी० नामग्याल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स का दिल्ली से लेह तक बरास्ता चन्डीगढ़, यात्री किराया 794 रु० है जबकि दिल्ली से लेह तक बरास्ता श्रीनगर किराया 921 रु० है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य मार्गों पर उसी प्रकार की उड़ानों का किराया वही है और कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिए जाते है, और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली से लेह बरास्ता श्रीनगर, का किराया घटा कर इस असंगति को दूर करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) : जी, नहीं ।

(ग) : ऊपर भाग (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पी० नामग्याल : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है । दिल्ली से श्रीनगर का विमान भाड़ा 523 रुपया है । चाहे आप बरास्ता चण्डीगढ़, जम्मू से श्रीनगर जायें अथवा दिल्ली से सीधे श्रीनगर जायें बाडी वही है जबकि उसी विमान का किराया दिल्ली से लेह तक बरास्ता श्रीनगर 921 रु० जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है और बरास्ता चण्डीगढ़ किराया 794 रुपया है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि यह अन्तर क्यों है ।

अध्यक्ष महोदय : वे लेह के हैं । मंत्री महोदय उनकी तसल्ली कराएं ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : श्रीमान, दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से लेह की दूरी दिल्ली से चण्डीगढ़ और चण्डीगढ़ से लेह की दूरी से अधिक है । अतः यह स्वाभाविक है कि किराया भी अधिक है ।

श्री पी० नामग्याल : श्रीमान, मेरा प्रश्न यही है कि जबकि श्रीनगर से बरास्ता चण्डीगढ़ दूरी दिल्ली से सीधे श्रीनगर की दूरी से अधिक है तथा बीच में चण्डीगढ़ तथा जम्मू दो जगह-जगह रुकता भी है, फिर भी किराया बराबर है । इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन दो रास्तों से लेह तक उड़ान में किराये में अंतर क्यों है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं फिर दोहराता हूं । दिल्ली-श्रीनगर, श्रीनगर लेह की दूरी 1078 किलोमीटर है जबकि दिल्ली-चण्डीगढ़-लेह की दूरी 680 किलोमीटर है । चूंकि दूरी अधिक है अतः किराया भी अधिक है । माननीय मित्र के संतोष के लिए मैंने इस मामले पर अपने विभाग में भी तर्क किया है तथा मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि हम निकट रास्ते से एक और सेवा शुरू करने की सोच रहे हैं ताकि जिस कठिनाई को वह अनुभव कर रहे हैं वह दूर हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : तब तक के लिए उन्हें छोटे मार्ग से यात्रा करने का परामर्श दीजिए ।

श्री पी० नामग्याल : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दिल्ली श्रीनगर की वायु मार्ग से दूरी 419 है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं समझता हूं कि यह पूरा हो गया ।

श्री पी० नामग्याल : नहीं, श्रीमान, क्योंकि इसमें बहुत सी असंगतियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली से श्रीनगर का उड़ान समय एक घटा दस मिनट है तथा किराया 523 रुपया है । मैं दिल्ली चंड़ीगढ़ की दूरी नहीं जानता परन्तु उसका उड़ान समय लगभग उतना ही है । परन्तु श्रीनगर और लेह का किराया 398 है जबकि दिल्ली चण्डीगढ़ का किराया 216 रुपया है । अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक मांग पर ध्यान देते हुए क्या वह विमान भाड़े को कम करेंगे । इस बात पर ध्यान देते हुए कि लद्दाख वर्ष में 7 महीने देश के अन्य भागों से कटा रहता है तथा उन्हें अन्य विकल्प के अभाव में पूरी तरह विमान यात्रा पर निर्भर रहना पड़ता है, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मार्ग पर किराया कम करें ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : प्रथमतः मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा कि भाड़े का निर्धारण

क्षेत्रवार होता है, तथा इस क्षेत्र अर्थात चण्डीगढ़ लेह क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के लिए रियायत पहले से विद्यमान है अतः मैं नहीं समझता कि हम किराया घटा पायेंगे।

प्रो० ए० जी० रंगा : श्रीमान, यह न केवल दूरी तथा सामान्य कार्यकरण क्यों तथा उसी प्रकार के किसी अन्य मामले की बात नहीं है परन्तु जैसे कि हम उत्तर-पूर्वी राज्यों को विमान भाड़ों के लिए राज-सहायता देते रहे हैं वैसी ही सहायता इस क्षेत्र में भी आवश्यक है। श्रीमान, यदि मेरा वश चले तो मैं यात्रा को निशुल्क कर दूं। लेह इतना दुर्गम स्थल है तथा अधिकाधिक लोगों, वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दें।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : श्रीमान, मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय नागरिकों के लिए पहले ही रियायत है, परन्तु उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की तुलना में मैं निश्चय ही इस बात पर ध्यान दूंगा कि क्या उक्त रियायत इस क्षेत्र को भी दी जा सकती है।

श्री संतोष मोहन देव : श्रीमान, मेरा अनुपूरक प्रश्न मेरे मित्र श्री नामग्याल के अनुपूरक प्रश्न का अनूपूरक है।

लेह तक उड़ान में 45-50 मिनट लगते हैं। वहां न तो मिठाईयां वितरित की जाती हैं न ही नाश्ता दिया जाता क्योंकि यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह हमें आश्वासन दें कि इस मार्ग पर कम से कम मिठाईयां तो वितरित की जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : आपको अधिक मिठाईयों की आवश्यकता नहीं। आपको अपना वजन कम करने की आवश्यकता है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जैसा कि लेह के माननीय सदस्य ने बताया कि उड़ान समय केवल 30 मिनट है—इन 30 मिनटों में जो कुछ भी दिया जा सकता है, उसे देने की चेष्टा की जायेगी। मैं नहीं जानता कि वास्तव में वह क्या चाहते हैं। परन्तु यह इस पर ध्यान देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वह इस आम धारणा को स्वीकार करेंगे कि अंतिम लक्ष्य स्थल का ही महत्व है, मार्ग का नहीं। उदाहरणार्थ आप इस सभा को ही लें कुछ व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होने पर आते हैं तथा कुछ निर्वाचित होकर आते हैं। परन्तु सभी को वही वेतन, वही अधिकार वही विशेषाधिकार प्राप्त है? क्या वह यात्रा के बारे में भी वही सिद्धान्त स्वीकार करेंगे।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मेरे मित्र भी एक महत्वपूर्ण विभाग अर्थात रेलवे के मंत्री रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनसे पूछें कि क्या उन्होंने उस समय इसे स्वीकार किया था।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : नहीं, वही मैं कह रहा था। मैं नहीं जानता कि क्या उन्होंने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया था, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, परन्तु फिर भी मैंने

कहा है कि मैं प्रश्न का अध्ययन करूंगा तथा लेह को उत्तर-पूर्व क्षेत्र के समान जो कुछ भी रियायत दे पाऊँगा उसे दूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं रेलवे में भूतलक्षी प्रभाव से सुधार करने को तैयार हूं ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : हम जब कर नहीं पाते, तभी हम ऐसी बातें करते हैं ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के चेयरमैन को बदलना

*182. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** :

श्री नारायण चौबे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के चेयरमैन को उनकी नियुक्ति के थोड़े समय पश्चात् ही उनके पदभार से मुक्त कर दिया गया था और श्री समर पुजावन को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, और

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के कार्यकरण में पहले कुछ कमियों का पता लगा था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने श्री के० सी० खन्ना को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) के अध्यक्ष पद से हाटकर उन्हीं शर्तों पर खनिज विकास बोर्ड (मिनरल डेवलपमेंट बोर्ड) का अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया था । सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिश पर सेल के अध्यक्ष पद पर श्री एस० समरपुंगवन को नियुक्त किया गया है । ऐसा प्रशासनिक कारणों से किया गया है ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री के० सी० खन्ना कुदरेमुख आयरन प्रोजेक्ट के भी चेयरमैन थे और सेल का भी चेयरमैन बनाया गया, यानी दोनों के वह चेयरमैन थे । अगर उनमें योग्यता नहीं थी तो दोनों सस्थानों के चेयरमैन बनने का प्रश्न ही नहीं उठता था । पता नहीं क्या कारण है कि 4-5 महीने के बाद ही उन्हें उस पद से हटा दिया गया, यानी सेल के चेयरमैन पद से हटा दिया गया, और एक छोटे बोर्ड में उनको भेज दिया गया । इस कार्यवाही का कोई कारण मंत्री जी ने नहीं बताया कि क्या उनमें कोई डेफीशियेंसी थी ? और क्या अभी भी वह कुदरेमुख प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं कि नहीं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे नहीं हटाया । मैंने उन्हें बदला है तथा मैंने यह कभी नहीं कहा कि किसी कमी के कारण उन्हें बदला गया है । प्रशासनिक रूप से यह आवश्यक समझा गया कि उनकी सेवाओं को और अच्छे रूप में उपयोग में लाया जाये । कुदरेमुख के चेयरमैन के पद के बारे में जब श्री खन्ना 'सेल' के चेयरमैन थे, तभी कुदरेमुख के लिए नये चेयरमैन नियुक्त कर दिए गये थे ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : श्री समर पुंगवन को जो बोकारो स्टील प्लान्ट में चेयरमैन थे, उनकी प्रशासनिक कमजोरियों के कारण वहां से हटा कर के···

अध्यक्ष महोदय : यह इनका काम है, मंत्री जी को करने दीजिये ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जब सवाल ऐडमिट किया है तो उसका जवाब देना ही चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होना चाहिए था ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि बोकारो स्टील प्लान्ट के जब वह चेयरमैन थे उससे छोटे प्लान्ट आई० आई० एस० को०, बर्नपुर के वह चेयरमैन बनाये गये और वहां से फिर उनको हटाकर यहां सेल का चेयरमैन बनाया गया । प्रशासनिक कमजोरियों के रहते हुए बोकारो में उन्होंने घाटा डाला था उसके बावजूद भी उनको सेल का चेयरमैन बनाया गया था। क्या ऐसा किसी राजनीतिक प्रभाव के कारण तो नहीं हुआ था, रूस का दबाव तो नहीं था ? क्योंकि उनकी पत्नी रूस की हैं और उनको अभी तक भारतीय नागरिकता मिली है कि नहीं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : इसमें कोई राजनीतिक दबाव या वैसी कोई बात नहीं है । माननीय सदस्य भली प्रकार जानते हैं कि हम व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते हैं और यदि कोई व्यक्ति बोकारी का चेयरमैन है तो उसे किसी अन्य इस्पात संयंत्र में भेजा जा सकता है । बेहतर प्रबन्ध तथा प्रशासनिक अनुभव के बेहतर उपयोग की दृष्टि से जब भी ऐसा आवश्यक समझते हैं, हम बदली करते हैं । इन पदों के लिए चयय की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। सरकारी प्रतिष्ठानों संबंधी चयन बोर्ड व्यक्तियों से या साक्षात्कार लेता है । उक्त बोर्ड अपनी सिफारिशें देता है । उन सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल की नियुक्तियों सम्बन्धी समिति कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करती है । इस बारे में भी वही प्रक्रिया अपनायी गई । रूस अथवा किसी अन्य देश के दबाव का कोई प्रश्न नहीं है । वह इस्पात उद्योग से संबद्ध रहे हैं तथा प्रसिद्ध ओद्योगिकी विद् रहे हैं ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : उनकी पत्नी को भारतीय नागरिकता मिली या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हुआ । क्या इसका कोई प्रभाव पड़ा है ?

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यय में वृद्धि

*183. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यय तथा जमा राशियों पर दिये गये ब्याज में हुई वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थी ;

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्ययों में हुई भारी वृद्धि तथा लाभ की वृद्धि की दर में हुई कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) अन्य बैंकों के लाभ की वृद्धि दर क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने इन बैंकों के लाभ की वृद्धि दर में हुई कमी के कारणों की जांच की है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क)से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

1979 की तुलना में 1980 में कुल व्यय के बैंक-समूह-वार आंकड़े नीचे दिए गए है:—

(लाख रुपये)

	1979	1980
भारतीय स्टेट बैंक समूह	99703 (25.90)	131021 (31.41)
14-राष्ट्रीयकृत बैंक	175658 (24.29)	221182 (25.91)
1980 में राष्ट्रीयकृत छः बैंक	20579 (29.11)	25752 (25.13)
अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	15603 (24.80)	19971 (27.99)

1979 की तुलना में 1980 में जमाओं और उधारों पर अदा किया गया ब्याज निम्नलिखित है :—

लाख रुपये

	1979	1980
भारतीय स्टेट बैंक समूह	62241 (26.79)	84216 (35.31)
14-राष्ट्रीयकृत बैंक	117707 (25.45)	151296 (28.53)
1980 में राष्ट्रीयकृत छः बैंक	12614 (30.39)	16010 (26.92)
अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	9048 (24.97)	11664 (28.91)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

1980 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की कुल आय 82812 लाख रुपये (+27.53%) तक बढ़ गए जबकि पिछले वर्ष में यह वृद्धि 60187 लाख रुपये (25.01%) थी। सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा अर्जित ब्याज और छूट पिछले वर्ष के 54173 लाख रुपये (+25.65%) के मुकाबले 76157 लाख रुपये (+28.70%) तक बढ़ गया। सितम्बर 1979 में उधार दर ढांचे में किया गया वृद्धि का संशोधन इन आंकड़ों में आंशिक रूप में देखा जा सकता है। 1980 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के व्यय में वृद्धि 82015 लाख रुपये (+27.71%) की राशि की थी जो पिछले वर्ष के 59490 लाख रुपये (+25.16%) से अधिक

थी। 1980 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की जमाओं, उधारों आदि में 58960 लाख रुपये (+30.61%) रुपये की वृद्धि पिछले वर्ष के 39975 लाख रुपये (+26.19%) से ज्यादा थी।

बैंकों के कारबार (जमाओं और अग्रिमों) की मात्रा बढ़ गई है और उन्होंने अधिक संख्या में शाखाएं भी खोली हैं। इसलिए वर्ष 1980 के दौरान कुल व्यय और जमाओं उधार आदि पर अदा किया गया ब्याज, अधिक है।

जबकि, समग्र रूप से, 1980 में सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने लाभों में, पिछले वर्ष की तुलना में, 786 लाख रुपये की वृद्धि को बनाए रख सके, लाभों की विकास दर में 1979 के 17.18% के मुकाबले 1980 में 16.34% की कमी हुई। यद्यपि वाणिज्यिक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे अपने परिचालनों पर लाभ कमाएं तथापि उन्हें उन सरकारी नीतियों की सफलता पर अधिक जोर देना होता है जिनका उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना होता है। फिर भी उन्हें अपने ऋण कार्यक्रमों में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों की सीमा में रहते हुए उन्हें समय-समय पर अपनी उत्पादकता, कार्य निष्पादन, और कार्यक्षमता को सुधारने तथा अपव्ययों को कम करने की सलाह दी जाती है।

श्री एस० बी० सिदनाल : मंत्री महोदय ने ये कारण नहीं बताये हैं कि इन बैंकों में अधिक ब्याज का भुगतान क्यों किया गया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बैंक के ऋण भार के कारण नहीं बताये हैं, जिसका कारण कम आय होना माना गया है और जो कुछ भी आय हुई, वह मुद्रास्फीति के कारण थी।

श्री मगन भाई बरोट : इनके कारण ये हैं कि जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है हम ने उनके लिए कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित की हुई हैं। 100 प्रतिशत में से 43 प्रतिशत नकद आरक्षण अनुपात और सांविधिक नकदी के लिए है और अग्रिम राशियों का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए है। शेष 60 प्रतिशत में से निर्यात के लिए कटौती की जाती है जिसके लिए कुछ निर्धारण किया हुआ है, मुश्किल से 30 प्रतिशत शेष बच जाता है जो इस प्रकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम राशियों के लिए उपलब्ध होता है। ब्याज की विभेदी दर योजना, होता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम योजना कमजोर वर्गों सम्बन्धी योजना और छोटे उद्योगों संबंधी योजना के लिए निश्चित कर लेने के बाद सम्भाव्य आय की अपेक्षा कम आय होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं के विस्तार से, अर्थात ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में जाने से, व्यय बढ़ जाता है। जमा राशियों पर ब्याज दरें भी बढ़ गई हैं, अर्थात बचत खातों या जमाराशियों के 80 प्रतिशत पर ब्याज दरों में वृद्धि हो गई है। इन सभी बातों को देखते हुए व्यय अधिक होने तथा आय कम होने की अपेक्षा करना अनिवार्य है।

श्री एस० बी० सिदनाल : भविष्य में इस प्रकार के व्ययों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के समक्ष क्या प्रस्ताव है ? क्या इसका कारण केवल नयी शाखाओं को स्थापित करना ही है, अथवा

यह ऋण भार या राज्य सरकारों को दी गई आरोपित धनराशियों और अन्य डूबे हुए ऋणों की ऊंची दर के कारण भी हैं ?

श्री मगन भाई बरोट : हमने नीति के मापदण्ड दिये हुए हैं जिनका बैंकों को पालन करना होता है और बैंकों को समय-समय पर उत्पादकता, कार्यनिष्पादन, कार्यक्षमता को सुधारते तथा सभी प्रकार की फिजूल खर्ची को कम करने के लिए परामर्श दिया गया है। हम इन तरीकों से व्यय में कमी करना चाहते हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है मंत्री महोदय ने इस व्यय वृद्धि के कारण बता दिये हैं। संगत कारण हैं। मैं इनसे इंकार नहीं करता हूं किन्तु अन्य कारण भी हो सकते जिनका मंत्री महोदय को पता लगा होगा, अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंकों में चल रहा कुप्रबन्ध है। ऋणों की वसूली नहीं हो रही है। भारी राशियों को वसूल नहीं किया गया है और ऐसी शिकायतें हैं कि प्रबन्धक अर्थात जिन्हें बैंकों का प्रभार सौंपा जाता है व्यापार करते हैं और निजी उपयोग के लिए तथा अपने संबंधियों के उपयोग के लिए बैंक राशियों और जमा राशियों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करायेंगे ? यह एक गम्भीर मामला है।

श्री आर० वेंकटरामन् : ये सामान्य आरोप हैं। हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई प्रबन्धक बैंक के धन से निजी व्यापार कर रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी होऊंगा यदि वे किसी शाखा प्रबन्धक द्वारा किये गये गलत कार्यों के बारे में मुझे सूचना दे सकेंगे।

श्री रतनसिंह राजदा : क्या आप कृपा करके जांच करेंगे ? हमें जानकारी देगें।

श्री आर० वेंकटरामन् : हर स्थान पर जांच कराना कठिन है। वास्तव में अनिवार्य रूप से यह प्रश्न किसी प्रकार की जानकारी पर आधारित होना चाहिए था। जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी माननीय सदस्य के पास है, यदि उसे वह मुझे दे देंगे, तो मैं इसकी जांच करूंगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास के लिए नार्वे से सहायता

*185. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत को सहायता देने पर सहमत हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो नार्वे की सहायता की राशि तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) जी हां। नार्वे से प्राप्त होने वाली सहायता का एक भाग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर ही लगाया जाता है।

(ख) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नार्वे की सहायता, जो विशेषज्ञों की सेवाओं, उपकरणों तथा भारतीय राष्ट्रिकों को प्रशिक्षणार्थ दी जाने वाली अध्येतावृत्तियों के रूप

में प्राप्त होती है, मुख्य रूप से समुद्र विज्ञान, भू-भौतिकी सर्वेक्षणों तथा औद्योगिक ट्राइबोलोजी के क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है। इन क्षेत्रों के लिए 1976-77 से आज तक प्राप्त सहायता का अनुमानित मूल्य लगभग 334 लाख नार्वेजियम क्रोनर (5.21 करोड़ रुपये) होगा।

श्रीमती संयोगिता राणे : अध्यक्ष महोदय, नार्वे के साथ विज्ञान एवं टेकनालोजी में सहयोग के लिए काफी गुंजाइश है। नार्वे में हमारे देश के लिए पर्याप्त सद्भावना अर्थात् गुडविल है। नार्वे हमारे देश को मछली उद्योग, बीज तैयार करने, कागज-गूदा, बिजली उत्पादन, वातावारण के प्रदूषण को रोकने आदि के कार्य में वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता काफी अंश में कर सकता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या भारत और नार्वे में विज्ञान और टेक्नालोजी में विकास के लिए किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्या ऐसे विषयों की सूची तैयार की गई हैं, जिनमें हमें नार्वे के सहयोग की आवश्यकता है? नार्वे मदद के रूप में हमारे देश को कितनी रकम देगा और क्या वह सहायता ब्याज से मुक्त होगी अथवा नहीं?

श्री आर० वेंकटरामन् : महोदय, माननीय सदस्या ने ठीक कहा है। नार्वे और भारत के बीच सहयोग की काफी गुंजाइश है और वास्तव में हमें बहुत ही हितकर सहयोग मिल रहा है। मानवीय सदस्य कुछ आंकड़ों को प्राप्त करना चाहते थे। मैं ये आंकडे दे सकता हूं। हमें 1981 वर्ष के लिए 16.53 करोड़ रुपये तथा 1982, 1983, 1984 और 1985 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 17.16 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। नार्वे द्वारा दी गयी सहायता चार वर्षों की अवधि के लिए है और इसे चार वर्षों के दौरान प्रयुक्त किया जा सकता है वर्ष के भीतर इसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है वे तीन क्षेत्र, जिनमें इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, मत्स्यपालन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी है। हम पहले ही नार्वे के सहयोग से गोआ में एक समुद्रविज्ञान संस्थान की स्थापना कर चुके हैं। और पग उठाये जा रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इतनी छोटी धन राशि क्यों चाहते हैं।

श्रीमती संयोगिता राणे : क्या यह सहायता ब्याज मुक्त है?

श्री आर० वेंकटरामन् : मुझे खेद है, मैं यहां पकड़ में आ गया हूं। मेरे विचार में मैं यह उत्तर नहीं दे पाऊंगा कि क्या यह सहायता ब्याज मुक्त है। यह एक ऐसी सहायता है जिसे बहुत ही रियायती दरों पर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्या को बाद में सूचित कर सकते हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्या द्वारा पूछे गए प्रश्न को ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या इस बात के कारण भारत में जहाज निर्माण करने के उद्योग के लिए नार्वे से सहायता की मांग करना वांछनीय नहीं होगा कि हमें जहाज निर्माण उद्योग में कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है और हमारे यहां इसकी अधिक गुंजाइश है? क्या मैं मंत्री महोदय से यह भी जान सकता हूं कि क्या नार्वे से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं?

श्री आर० वेंकटरामन् : प्रक्रिया यह है कि हमारी नार्वे के साथ बात चीत होती है। उसके मंत्री यहां आते हैं और हमारी उन विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में चर्चा होती है जिनमें हम सहयोग कर सकते हैं। हम उस राशि की ओर ध्यान देते हैं जो हमें उपलब्ध की जायेगी और हम उस राशि को सर्वोत्तम उपलब्ध क्षेत्रों में उपयोग में लाने का प्रयास करते हैं। यदि हम उस राशि का उपयोग एक विशेष क्षेत्र के लिए कर देते हैं जहां भारी राशि खर्च ही जायेगी तो हम उस राशि को अन्य क्षेत्रों के लिए उपयोग नहीं कर पायेंगे। हमारा विचार है कि जहाज निर्माण की अपेक्षा मत्स्यपालन के संबंध में नार्वे से सहायता लेना अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए हमने इसके लिए ही सहायता माँगी है।

महोदय, मुझे सूचना मिली है। नार्वे से सहायता अनुदान के रूप में है, इस पर कोई ब्याज देय नहीं है।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : मंत्री महोदय ने जो राशि बतलाई हैं उसमें मैं जानना चाहता हूं कि कितनी राशि उपकरणों के लिए खर्च की गई, कितनी राशि छात्रवृत्ति के लिए दी गई और भविष्य के लिए जो योजना है उसमें कितनी राशि उपकरणों के लिए है और कितनी राशि छात्रवृत्ति के लिए है।

श्री आर० वेंकटरामन् : यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी राशि उपकरणों पर व्यय की जायेगी और कितनी राशि दूसरी बातों के लिए खर्च की जायेगी क्योंकि यह प्रत्येक योजना पर निर्भर होगा। प्रत्येक मामले में हमें इसका हिसाब लगाना होगा।

अप्राप्य ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन/महाप्रबन्धकों और प्रबन्धकों का प्राधिकार

*186. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्राप्य ऋण की धनराशि को बट्टे खाते डालने के लिए चेयरमैन/महाप्रबन्धकों और प्रबन्धकों या सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्य अधिकारियों को किस नियम के अन्तर्गत प्राधिकृत किया जाता है ;

(ख) प्रत्येक अधिकारी को अधिकतम कितनी धनराशि तथा किन परिस्थितियों में बट्टे खाते डालने का प्राधिकार है और उन आधिकारियों के पदनाम क्या हैं ;

(ग) क्या अप्राप्य ऋण को बट्टे खाते डालने में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने इन मामलों में क्या कार्यवाही की है ;

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण-I

अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों/ महाप्रबन्धकों और प्रबन्धकों के प्राधिकार के बारे में विवरण

(क) और (ख) बैंकों द्वारा कोई ऋण बट्टे खाते तभी डाले जाते हैं जब बैंक इस प्रकार के खातों की व्यापक जांच पड़ताल करने के बाद तथा वसूली के सम्बन्ध में सभी उपाय करने के बाद, जिनमें जमानत, गारंटीदाता तथा जहां आवश्यक हो, वहाँ कानूनी कार्रवाइयों का सहारा लेना शामिल है, यह महसूस करते है कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है और ऋणों की वसूली के लिए और अधिक व्यय करना बेकार है अथवा इससे और अतिरिक्त हानियां होंगी। अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने की शक्तियां आमतौर पर निदेशक मण्डल के पास होती हैं। इस सम्बन्ध में शक्तियाँ प्रत्यायोजित (डेलीगेट) करने का प्राधिकार बैंककारी कम्पनियाँ (अधिग्रहण तथा उपक्रमों का अंतरण अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 7 और 9 से प्रोद्भूत होता है। उन बैंकों के सम्बन्ध में जहां बट्टे खाते डालने की शक्तियां बोर्डों द्वारा प्रत्यायोजित की गई हैं, ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जब भारतीय रिजर्व बैंक को भ्रष्टाचार के अरोप की विशेष शिकायतें मिलती हैं तब उन शिकायतों की जाँच पड़ताल की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इस सम्बन्ध में ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा।

विवरण-2

(क) बैंक आफ इण्डिया

(1) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य कार्यालय समिति	रुपये 25,000/-
(2) कार्यपालक निदेशक	रुपये 15,000/-
(3) महाप्रबन्धक	रुपये 10,000/-
(4) उप महाप्रबन्धक	रुपये 7,500/-
(5) जोनल प्रबन्धक/सहायक महा प्रबन्धक	रुपये 5,000/-
(6) मुख्य प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/ उप क्षेत्रीय प्रबन्धक	रुपये 2,500/-

(ख) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक

अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक	रुपये 1,000/-

(ग) इण्डियन ओवरसीज बैंक

अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निदेशक	रुपये 10,000/-

(घ) सिन्डीकेट बैंक

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक	रुपये 1,000/-

(ङ) इलाहाबाद बैंक		
(1) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक	रुपये	1,000/-
(2) महाप्रबन्धक	रुपये	5,00/-
(च) बैंक आफ महाराष्ट्र		
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक	रुपये	1,000/-
(छ) न्यू बैंक आफ इन्डिया		
(1) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक	रुपये	5,000/-
(2) महा प्रबन्धक	रुपये	3,000/-
(3) संयुक्त महा प्रबन्धक	रुपये	1,500/-
(4) उप महा प्रबन्धक	रुपये	1,000/-
(ज) आन्ध्र बैंक		
कस्टोडियन	रुपये	2,000/-

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो यह कहना चाहता हूं कि मैंने सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में ब्यौरा माँगा था लेकिन इसमें केवल 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों का जिक्र किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इन्डिया, सेन्ट्रल बैंक, बैंक आफ़ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब सिंध बैंक—इन बैंकों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बतलाया गया है। जिन 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में ब्यौरा दिया गया है उसमें भी जो बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन हैं उनको तो 25 हजार का ऋण माफ करने का अधिकार दिया गया है जबकि सेन्ट्रल बैंक वालों को केवल 1000 का अधिकार है। इसी तरह से किसी को 2000 का अधिकार है, किसी को 500 का अधिकार है और किसी को 25,000 का अधिकार है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह अधिकार किस प्रकार से बांटा गया है ? क्या आप अपनी शक्ति से भिन्न भिन्न अधिकार भिन्न-भिन्न बैंकों को देते रहते हैं ?

श्री मगन भाई बरोट : जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है ये बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अधिनियम 1970 तथा 1980 के अन्तर्गत आते हैं। धारा 7 (2) के प्रावधान के अन्तर्गत बैंक का आप अधीक्षण, निर्देशन, प्रबन्ध कार्य तथा अन्य कार्य निदेशक बोर्ड करता है, जो ऐसी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसके लिए बैंक अधिकृत हो अतः इस अधिनियम के अधीन, ये शक्तियाँ बोर्ड की अपनी हैं, जहाँ तक कुछ बैंकों का सम्बन्ध है नियम तथा विनियम बनाने की बजाये वे अपनी ही संघ-नियमावली पर निर्भर करते हैं जिसके अन्तर्गत बोर्ड में कुछ शक्तियां नीहित हैं लेकिन जो आंकड़े दिये गये वे प्रत्येक बैंक के बारे में हैं, जिसने उन्हें निर्धारित किया है लेकिन जहाँ तक बैंक आफ इन्डिया का सम्बन्ध है, आज तक भी इसके लिये स्वीकृति नहीं दी गयी है। अतः इन परिस्थितियों में, ये सब शक्तियां बोर्ड में ही नीहित हैं।

श्री आर० वेंकटरामन् : 25000 रुपये की रकम स्वीकृत है ; दूसरी स्वीकृत नहीं है।

श्री मगन भाई बरोट : 25,000 रुपये स्वीकृत हैं, दूसरी रकम स्वीकृत नहीं है । अत: बोर्ड की शक्तियां ये हैं और जिस सीमा तक ये शक्तियां हैं, उसी सीमा तक इन्हें प्रत्यायोजित किया गया है।

श्री धर्मदास शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि इसके बावजूद किसी बैंक को कम और किसी बैंक को ज्यादा का अधिकार क्यों है ? जब सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं तो सभी के पास एक जैसा ही अधिकार रहना चाहिए । भले ही बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के पास यह अधिकार हो लेकिन सभी बैंकों में यह एक जैसा ही होना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि सन् 1977-78, 1978 79 और 1979-80 में जबकि जनता रेजीम था, उस समय की मेरी ऐसी सूचना है कि बैंक आफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, न्यू बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में, कुछ ऐसी पार्टियां थीं जिनको विशेष छूट दी गई थी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह मामले मंत्री महोदय की नोटिस में आए हैं या नहीं ? और अगर उनकी नोटिस में आए हैं तो किन कारणों से उनको छोड़ दिया गया है ? इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय बतलाने का कष्ट करें।

श्री आर० वेंकटरामन् : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि किसी बैंक का निदेशक बोर्ड पर निर्भर करता है कि वह बट्टे खाते में डालने सम्बन्धी शक्तियां प्रत्यायोजित करे ऐसे प्रत्येक मामले में निदेशक बोर्ड ने अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की हैं। किसी एक बैंक के निदेशक बोर्ड ने 1000 रुपये तक के ऋण को बट्टे खाते में डालने की शक्तियों को प्रत्यायोजित करना ठीक समझा है । किसी अन्य बैंक में 25,000 रुपये तक के ऋण को बट्टे खाते में डालने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है । अत: सरकार समान नियम निर्धारित नहीं करती । इन्हें निर्धारित करना बैंकों के अपने ही क्षेत्राधिकार में है। सरकार उसी दशा में हस्तक्षेप करती है जब पता चले कि प्रत्यायोजन बहुत अधिक राशि का है। एक मामले में बोर्ड एक बड़ी राशि को बट्टे खाते में डालने की शक्तियां प्रत्यायोजित करना चाहता था लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप किया और कहा कि बट्टे खाते में डालने के लिये उन्हें अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं करनी चाहिये ।

साथ ही मेरे मित्र ने किसी एक बैंक के बारे में प्रश्न पूछा है, यदि उनके पास कोई सूचना है, तो मैं चाहूंगा कि वे मुझे विश्वास लेकर लिखें । मेरे लिये उस बारे में जांच करना आसान हो जायेगा यदि ऐसे प्रश्न सार्वजनिक रूप से पूछे जायें तो जांच करना बहुत मुश्किल हो जाता है । मैं उनसे अपील करूंगा कि वे मुझे सूचना भेजें चूंकि मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचना, जो भी उनके पास हो, जांच के लिये, मुझे भेजने के लिये कहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रश्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने सम्बन्धी भ्रष्टचार के बारे में है ।

प्रश्न के (ग), (घ) और (ङ) भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है :

"जब भारतीय रिजर्व बैंक को भ्रष्टाचार के आरोप की विशेष शिकायतें मिलती हैं तब उन शिकायतों की जांच पड़ताल की जाती है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है । इस सम्बन्ध में ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा"

मैं ब्यौरा नहीं चाहता । लेकिन इन्होंने 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक की शक्तियों का जिक्र किया है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया गया और ये कितनी राशि को सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री आर० वेंकटरामन् : भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में केवल एक मामला लाया गया जिसमें एक व्यक्ति द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था । इस मामले की रिजर्व बैंक जाँच कर रहा है । इसलिये इस समय सभी तथ्यों को बताना जनहित में नहीं होगा । लेकिन मैं सभा को आश्वाशन दे सकता हूं कि जब भी जांच पूरी हो जायेगी और इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो मैं स्वयं ही जांच के परिणामों को सभा पटल पर रखूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अशोध्य ऋणों की जांच और छानबीन लेखा-परीक्षा के समय होती है, क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंक लेखा-परीक्षित लेखों को तैयार तथा प्रस्तुत करने के मामले में बहुत पीछे हैं ? क्या हमें वे बता सकेंगे कि सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने अपने अन्तिम लेखा-परीक्षित लेखे कब प्रस्तुत किये ?

श्री आर० वेंकटरामन् : मैं किसी विशेष बैंक के बारे में उस समय तक नहीं बता सकता जब तक कि इस बारे में निश्चित प्रश्न न पूछा जाये । वे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को परिपत्र भेज रहे हैं कि आन्तरिक लेखों का पूरा किये जाने के बाद यथाशीघ्र लेखा परीक्षा विभाग को भेजा जाये ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वे इस मामले में पीछे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन् : मुझे यह मालूम नहीं कि पीछे रहने से इनका क्या तात्पर्य है । आम तौर पर लेखा वर्ष के समाप्त होने के बाद, लेखा-परिक्षा के लिये लगभग छः महीने लगते हैं । अगले एक वर्ष या 7 या 8 महीनों के अन्दर...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तीन वर्ष ?

श्री आर० वेंकटरामन् : आप मुझे वह सूचना दे सकते हैं, तीन वर्षों के अन्दर आपकी अवधि भी शामिल है ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1980-81 के समाप्त हुए वर्ष में कितने रुपये के बैड-डैट्स राइट-ऑफ किए गए ?

अध्यक्ष महोदय : यह सारा इस वक्त कैसे बतायेंगे ।

श्री मगन भाई बरोट : इसका कोई पता नहीं ।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एमाउन्ट राइट-ऑफ हुए हैं, उसमें से 10 हजार रुपये के नीचे कितने लोग हैं और दस हजार रुपये के ऊपर कितने लोगों के राइट-ऑफ हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी इस वक्त नहीं बताया जा सकता है ।

श्री मगन भाई बरोट : प्रश्न चेयरमैन को शक्तियाँ का प्रत्यायोजन करने के बारे में है । बट्टे-खाते में डालने सम्बन्धी कई मामले हो सकते हैं ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति

*187. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम को तेजी से लागू करने के लिए योजनाएँ बनाने के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए कृषि मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय दिए गये हैं ; और

(घ) इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है ।

विवरण

अक्टूबर 1980 में सरकार ने देश के सभी खण्डों को व्याप्त करने के लिये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आई० आर० डी० पी० का विस्तार करने का निर्णय किया था । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नाम की एक संस्था भी स्थापित की गई थी । इस कार्यक्रम का उद्देश्य है—निर्धारित लक्ष्य समूहों में शामिल परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना और ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन के पर्याप्त अतिरिक्त अवसर पैदा करना । लक्ष्य समूहों में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब से गरीब व्यक्ति अर्थात् छोटे और सीमांतिक किसान, कृषक और गैर कृषक मजदूर, ग्रामीण कारीगर और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति शामिल हैं ।

इस कार्यक्रम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में बजट आबंटन 1500 करोड़ रुपये के हैं । इस कार्यक्रम के लिये 300 करोड़ रुपये के संस्थागत ऋण की परिकल्पना है ।

2. आई० आर० डी० पी० योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये राज्य अभिकरणों और बैंकों के बीच, विशेष रूप से जिला स्तर पर बेहतर और अधिक प्रभावी समन्वय की आवश्यकता के ध्यान में रखते हुए 21 नवम्बर, 1981 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। राज्य सरकारों, कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण, वित्त तथा गृह मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने आयोजना आयोग तथा कृषि वित्त निगम के प्रतिनिधियों सहित इस बैठक में भाग लिया।

3. इस बैठक में आम राय यह थी कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये ऋणकर्ताओं और अर्थक्षम हो सकने वाले व्यवसायों एवं गतिविधियों के निर्धारण, पूंजीगत परिसम्पत्तियों और आवश्यक उपादानों की व्यवस्था और हाट-व्यवस्था की सुविधाओं को संगठित करने के मामलों में अधिक गम्भीर तथा निरन्तर प्रयास की आवश्यकता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अतीत और भविष्य से संबंधों की स्थापना की भी अधिक आवश्यकता होगी।

4. बैंकों और राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई कि वे जिला योजनाओं में शामिल की गई स्कीमों और कार्यक्रमों को ऋण योजनाओं से समन्वित कर दें तथा संस्थागत ऋण से समर्थित होने वाली अर्थक्षम योजनाएं विकसित करने की वर्तमान व्यवस्थाओं को सक्रिय बना दें।

5. बैंकों और राज्य सरकारों को जिन मुख्य मुद्दों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे नीचे दिये जा रहे हैं :-

(क) ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में और बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों के शाखा जाल को और विस्तृत करना होगा।

(ख) बैंकों और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बीच बेहतर समन्वय लाने के लिए प्रशासकीय और प्रक्रिया विषयक व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। जिला परामर्शदात्री समितियां, राज्य अभिकरण में और बैंकों के बीच निकटतर समन्वय स्थापित करने की स्थिति में होनी चाहियें। कार्य-निष्पादन का निरन्तर अध्ययन और समीक्षा की जानी चाहिये जिसके लिये तर्कसंगत अवधि के भीतर आंकड़े उपलब्ध हो जाने चाहियें,

(ग) लाभप्राप्तकर्ताओं के निर्धारण और उनके लाभ के लिये अर्थक्षम योजनाओं की तैयारी का काम हाथ में लिया जाना चाहिये और इसमें यद्यपि राज्य अभिकरणों की भूमिका मुख्य होगी, बैंकों को भी इस काम में सहायता करनी चाहिये और उन्हें विभिन्न स्तरों पर इससे सम्बद्ध रहना चाहिए। ऋणों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों के विधायन का कार्य फैला हुआ होना चाहिए और आवेदनों के समूहीकरण (बंचिंग) से बचना चाहिए।

(घ) बैंकों की ऋण देने की प्रक्रियाओं में एक प्रकार की एकरूपता लाई जानी चाहिए और इसके लिए आवश्यक हो तो आवेदन फार्मों, प्रलेखों आदि में एकरूपता लानी चाहिए। ऋण के आवेदनों पर शीघ्रता से काईवाई की जानी चाहिए और ऋणकर्ताओं को इस दिशा में सभी मदद दी जानी

(ङ) जमानत/दृष्टिबंधन के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश का बैंक मर्मचारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और जोर कार्यक्रम की अर्थक्षमता पर होना चाहिए न कि ऋणकर्ता की ऋणक्षमता पर। ऋण मंजूर करने के लिए कैम्प आयोजित किए जा सकते हैं और निधियों के समुचित और सामयिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के कर्मचारियों को ऋणकर्ताओं से निकट सम्पर्क रखना चाहिए।

(च) निर्धन से निर्धन, विशेष रूप से अनु० जाति और अनु० जनजाति के लोगों को सहायता देने पर विशेष जोर देना जरूरी है। विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन ऋण में अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के यथासम्भव अधिक से अधिक लोगों को व्याप्त किया जाना चाहिए।

(छ) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋणों की वसूली का वातावरण दूषित न हो क्योंकि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋण देने वाली संस्थाओं के पास उपलब्ध धन-राशि को फिर से ऋण देने के लिए उपलब्धि का चक्र बराबर बना रहे। जहां कहीं ऋण की शीघ्र वसूली के लिए उपयुक्त विधान या तो अपर्याप्त है अथवा है ही नहीं वहां राज्य सरकारों द्वारा ऐसे उपयुक्त विधान तैयार करने पर विचार किया जाना जरूरी है।

6. सभी सम्बन्धितों ने वर्तमान संरचनात्मक, संगठनात्मक, प्रशासकीय और प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थाओं के समरूपण और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया और यह निर्णय किया गया कि सभी सम्बन्धित व्यक्ति सभी स्तरों पर इस दिशा में आवश्यक कदम उठायेंगे, ताकि उस गरीबी विरोधी कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो सके जिसके प्रति सरकार वचनबद्ध है। समन्वित ग्रामीण विकास (आई० आर० डी०) कार्यक्रम की निरन्तर समीक्षा की जाएगी और स्थिति की माँग के अनुरूप सभी सुधारात्मक उपाय किए जायेंगे।

श्री पी० के० कोडियन : मंत्री महोदय ने एक लम्बा विवरण दिया है। छठी पंच वर्षीय योजना में शामिल की गयी यह एक महत्वपूर्ण योजना है और विवरण में कहा गया है कि केन्द्र से इस योजना के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और 3000 करोड़ रुपये के संस्थागत ऋण के लिये व्यवस्था की गयी है और योजना दो वर्ष पहले चालू की गयी थी। लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इस योजना के बारे में पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने, जो इस योजना से अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले, साईकल रिक्शा तथा सूअर पालन के व्यवसाय के लोगों की सहायतार्थ अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। लेकिन बैंकों ने कई योजनायें तथाकथित ऋणदासता के आधार पर अस्वीकृत की हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या निर्णय लिया गया है कि ग़रीबी स्तर से नीचे रहने वाले लोगों को उन योजनाओं के लाभ से इस आधार पर वंचित न किया जाये, उनकी ऋण अदायगी करने की क्षमता संतोषप्रद नहीं है। उस स्थिति में तो इस देश का कोई भी गरीब व्यक्ति, विशेष कर गरीबों में भी गरीब व्यक्ति भी···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए । विस्तार में न जाइये ।

श्री पी० के० कोडियन : ऋणक्षमता की यह बहुत महत्वपूर्ण बात है । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दिए जा रहे ऋण के लिए जमानत देनी पड़ती है । इस स्थिति में देश के अन्दर किसी भी गरीब व्यक्ति को ऋण नहीं दिया जा सकता । अतः इस शर्त को समाप्त करने तथा इस योजना के अन्तर्गत गरीब लोगों की वास्तविक रूप से सहायता करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री मगनभाई बरोट : माननीय सदस्य मेरे उत्तर से भी सहमत होंगे । जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, उन्होंने भी इस समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सहयोग देना शुरू कर दिया है जिसका अर्थ यह है कि 1985 तक हम क्षेत्रों का पता लगा लेंगे, राज्य एजेन्सियां, डी०आर०डी० ए० तथा केन्द्रीय सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की राज सहायता प्रदान की है । बैंक 3000 करोड़ की सहायता प्रदान करेंगे । लक्ष्य यह है कि केवल गरीब लोगों में से ही—यह योजना गरीबों में भी गरीब के लिए है—प्रति वर्ष प्रति विकास खंड में 600 परिवारों का पता लगाया जायेगा । देश को ऐसे 5000 विकास खंडों में बांटा गया है । अतः 600 परिवार प्रति ब्लाक प्रति वर्ष के हिसाब से 5000 ब्लाकों में 5 वर्षों के अन्दर 10 लाख 50 हजार लोग लाभान्वित होंगे । जहां तक 1500 करोड़ रुपये कि राशि का सम्बन्ध है, वह राज सहायता के रूप में होगी और उसकी दुगनी राशि बैंकों से ऋण के रूप में होगी । इसमें कई श्रेणियाँ हैं—अनुसूचित जातियां 33 प्रतिशत,आदिवासी 50 प्रतिशत और कमजोर वर्गों को 25 प्रतिशत लाभ प्राप्त है । सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । बैठक में यह विचार किया गया कि इस कार्यक्रम को जल्दी और शीघ्रता से कैसे लागू किया जाए और निर्धारित समय में इसे कैसे पूरा किया जाए । मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि बैंक के कार्यकारी अधिकारियों और राज्य के मुख्य सचिवों के बीच इस कार्यक्रम को शीघ्रता से लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम पूरा हो जाए, सहमति हो गई थी ।

श्री पी० के० कोडियन: इन्होंने केवल योजना के बारे में बताया है । योजना यद्यपि दो वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थी फिर भी इसमें कोई प्रगति क्यों नहीं हुई है उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया है ? क्या वह इसका उत्तर देंगे ?

श्री मगन भाई बरोट : मैं यह बता रहा हूं कि योजना लागू की जा रही है । प्रखण्डों का निर्धारण कर लिया गया है । डी० आर० डी० ए०, की स्थापना कर दी गई है । बैंक और राज्य इसे प्रखण्ड-वार लागू करने की तैयार कर रहे हैं । अतः सम्पूर्ण भारत में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है ।

श्री पी० के० कोडियन : वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है कि योजना को लागू करने के लिए डी० आर० डी० ए० की स्थापना की गई है । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इन जिला विकास अभिकरणों में किनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है क्योंकि निर्धनों का पता लगाना इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है । निर्धनों का पता लगाने में राज्य सरकार को प्रमुख भूमिका निभानी होती है और इसमें यह उपबन्ध कर दिया गया है कि किनका पता लगाया जाना है और इस योजना का लाभ उठाने वाले कौन हैं । उन्हें कुछ नहीं कहना है । क्या बटाईदार संघ अथवा कृषि मजदूर

संगठन, ग्रामीण कारीगर संघ जैसे गरीब लोगों का कोई संगठन है ? क्या इस विकास अभिकरण में इन्हें भी सहयोजित किया गया है और आधारभूत सुविधाएं क्या हैं ? इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत सुविधाएं कहां हैं ? मान लीजिए आप सहायता दे रहे हैं और निर्धन लोगों को किसी चीज का उत्पादन करने के लिए कहा जाता है तो इसके विपणन आदि की सुविधा कहां हैं ?

श्री मगन भाई बरोट : मैंने जैसा कि कहा है—तीन अभिकरण हैं। (व्यवधान)

यह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम है और बैंक भी इसमें भागीदार हैं। प्रत्येक जिले में डी०आर०डी०ए० नाम की एक एजेंसी है। बैंकों के सहयोग और समर्थन से इसे इन पारिवारों का पता लगाना है। हमें राज्य की एजेंसियों पर विश्वास करना पड़ता है तथा उन पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्व अधिकारियों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में भी उनका सीधा संबंध होता है। इस मामले में वे लाभदायक हैं। वे अब तक लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रमों पर कार्य करती रही हैं। इन सभी एजेंसियों की सेवाएं हमें उपउब्ध हैं। इन सभी के सहयोग से इनमें जीवन फूंकने के लिए और इनके कार्यों में तीव्रता लाने के लिए और कार्यक्रम को प्रभावकारी बनाने हेतु बैंक के कार्यकारी अधिकारियों और राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया, ताकि कठिनाइयों का पता लगाया जाए, इन पर विचार किया जाए और उन्हें दूर किया जाए।

श्री माधवराव सिन्धिया : ग्रामीण वित्त पोषण से ग्रामीण विकास करना राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक प्रमुख प्राथमिकता है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अनुभव से पता चलता है कि कई मामलों में इस सहायता का अभाव रहा है। यह जरूरी नहीं है कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों का कम होना और भ्रमण के लिए गाड़ियों की कमी होना है। वहां पर इस स्थिति का मुझे ज्ञान है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के गुना जिले में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ग्रामीण शाखाओं में कर्मचारियों की कम संख्या के कारण बाधा पड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि गांवों का दौरा किया जाए। परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्ति की जटिल विधि के कारण, कई मामलों में कर्मचारी कम होते हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों का अच्छी तरह दौरा करना असम्भव है। इसके अतिरिक्त अधिकांश अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अधिकारियों को अथवा जिला स्तर एक समिति को कम से कम अस्थायी आधार पर नियुक्ति या भर्ती करने का अधिकार देने पर विचार करेंगे ? इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका और भी सार्थक हो जाएगी। क्या वह प्रत्येक ग्रामीण शाखा को कम से कम एक मोटर साइकिल देने पर विचार करेंगे, ताकि व्यक्ति ग्रामीण इलाकों का दौरा कर सके और ऋण आवेदन पत्रों पर कार्यवाही कर सके ?

श्री मगन भाई बरोट : माननीय सदस्य ने कठिनाइयों को सही बताया है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह प्रायः कई अन्य सदस्यों का अनुभव भी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और मुख्य सचिवों की बैठक में इन मुद्दों पर समुचित विचार किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ

कार्यक्रम को शीघ्रता से तथा समय पर क्रियान्वित करने में हो रही कठिनाइयों की भी चर्चा की गई और बैंक अधिकारियों को समन्वय के अभाव की समस्या को दूर करने तथा परस्पर सहमति रखने का सुझाव भी दिया गया।

श्री माधव राव सिन्धिया : क्या कुछ विशिष्ट सुझाव भी दिए गए ? यदि हाँ, तो कृपया उन्हें विस्तार से कीजिए।

श्री मगन भाई बरोट : एक सुझाव यह भी दिया गया है कि जब कभी कर्मचारियों की वजह से कठिनाई उत्पन्न हो तो बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण कार्यक्रम को किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचे।

श्री माधव राव सिन्धिया : पिछले दो या तीन वर्षों से यही सब हो रहा है। जब तक आप नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं करते तब तक ऐसा करना बहुत कठिन होगा। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से स्नातक व्यक्ति मिल जाते हैं। उन्हें कम से कम मुझे यह आश्वासन तो देना चाहिए कि वह यह विशिष्ट कदम उठायेंगे। मैं जानना हूं कि कर्मचारियों की कमी की वजह से गुना में काम का कितना हर्जा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें आश्वासन देंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन् : महोदय इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पूरा करने में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी प्रखण्डों में कर दिया गया है। क्या कोई ऐसी एजेंसी या कोई ऐसा तरीका है जिसके अन्तर्गत, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संदर्भ में बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की गई हो अथवा किए जाने का विचार हो ? क्योंकि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सम्पूर्ण सफलता बैंकों और ग्रामीण बैंकों पर निर्भर है।

श्री मगन भाई बरोट : यदि मैं यह कहूं कि जहाँ तक भारतीय रिजर्व बैंक का संबंध है इसने इस संबंध में बहुत सावधानी बरती है। हाल ही में इसने एक नई नियंत्रण पद्धतियां आरम्भ की हैं जैसा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के मामले में आँकड़ों की पुनरीक्षा आदि।

हम यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरत रहे हैं कि बैंकों का दृष्टिकोण सहयोगपूर्ण हो और भारतीय रिजर्व बैंक उन पर यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रख रहा है कि बैंक अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह जानना चाहता था कि क्या बैंकों के कार्यकरण पर निगरानी रखने का इस समय कोई तरीका है ? यदि नहीं, तो क्या आप किसी निगरानी एजेंसी पर विचार कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन् : रिजर्व बैंक उनके कार्यकरण की निगरानी करता है। यह

डी० आर० आई० तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जांच कर रहा है। रिजर्व बैंक यह काम कर रहा है। उससे अधिक और क्या किया जा सकता है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे विश्वास है कि समस्त सभा और सरकार यह मानती है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह इस देश के गरीब से गरीब आदमी के लिए है। हम उस पर विवाद नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम तो यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को किस प्रकार लागू किया जा रहा है और क्या इसे संतोषजनक रूप से लागू किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि सभा के किसी भी माननीय सदस्य को यह अनुभव हो कि यह कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से लागू किया जा रहा है क्योंकि किसी भी रिक्शा खींचने वाले, रिक्शा वाले, किसी ठेले वाले को इससे ऋण नहीं मिलेगा। जमानत प्रणाली जो कि अभी भी चालू है, वह इस समग्र कार्यक्रम को बेकार बना रही है। महोदय, मुख्य उत्तर के एक वाक्य को पढ़ने की क्या मैं आपसे विनय कर सकता हूं? इसमें कहा गया है, "कार्यक्रम की सफलता निश्चित करने के लिए पिछले और अगले सम्पर्क सुनिश्चित करने की महती आवश्यकता पड़ेगी।" इसका क्या अर्थ है? इसे कौन समझ सकता है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आवश्यकताएं हैं और आप उनको ऋण कब देंगे? यही असली मुद्दा है। आप हमारी उपेक्षा कर सकते हैं, हमारी सिफारिशों की उपेक्षा कर सकते हैं, संसद सदस्यों और विधायकों की उपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप हमें नहीं चाहते हैं परन्तु जहां तक आपके दल के सांसदों और विधायकों का सम्बन्ध है, उनकी सिफारिशों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः मेरा मंत्री महोदय से पुरजोर निवेदन है कि वे यह देखें कि जमानत की इस प्रणाली को किसी न किसी आधार पर माफ कर दिया जाए।

श्री आर० वेंकटरामन् : मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उन्हें बहुत चाहता हूं। यह सच है कि हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों के बीच अन्तर है। कोई भी ईमानदारी से यह नहीं कह सकता है कि हमने एक कार्यक्रम के रूप में जो भी किया उसमें पूर्णरूप से सफलता प्राप्त की है। उस स्थिति में, हमारे करने के लिए कुछ भी बच नहीं रहेगा। कई बार जांच-पड़ताल और पुनः जांच-पड़ताल कर हम इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में जो एक ऐसा कदम मेरे प्रतिष्ठित सहकर्मी श्री मगनभाई बरोट ने उठाया है और वह यह था कि उन्होंने बैंक अध्यक्षों, आई० आर० डी० आई० के अध्यक्षों तथा राज्यों के मुख्य-सचिवों की एक बैठक यह सुनिश्चित करने के लिए बुलाई कि कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से लागू किया जाए। स्वयं सम्मेलन को इसी उद्देश्य से बुलाया गया था क्योंकि हमने यह अनुभव किया था कि कार्यक्रम को लागू करने में कुछ कमी रही है। हमने यह सम्मेलन उन पर सरकार के कार्यक्रम यथासम्भव पूरी तरह से क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए बुलाया गया था। हमने सभा को बार-बार बताया है कि जहां तक गरीब से गरीब तथा कमजोर वर्गों का सम्बन्ध है, उत्पादक उद्यम के लिए उपयोग किये जाने वाली 100 रुपये तक की राशि के ऋण के लिए उनसे किसी प्रकार की जमानत की मांग नहीं की जानी चाहिए···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उनको सही ढंग से सूचित नहीं किया जाता है ।

श्री आर० वेंकटरामन् : मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसे शत-प्रतिशत लागू नहीं किया जाता है । इसीलिए तो हम भी नियंत्रण कर रहे हैं, बैठकें बुला रहे हैं तथा बैंकों से पूछताछ कर रहे हैं और उनसे यह पता लगा रहे हैं कि इन कार्यक्रमों को लागू करने में क्या कठिनाइयां हैं । ऐसी बात नहीं है कि सरकार इसे लागू करने के लिए उत्सुक नहीं है । मैं अड़चनें तो नहीं कहूंगा किन्तु बैंकों की सेवाओं में कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं जो पूर्णतया इस कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि आप यह अवश्य मानते हैं कि आप उसको पहचानते हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन् : यह सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास रहेगा कि कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू किया जाए ।

जीवन बीमा निगम के कारोबार की वृद्धि दर

*188. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बीमा निगम के कार्यकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार के एक पुनरीक्षण में बताया गया है कि इसके कारोबार में उपयुक्त दर से वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कारोबार में वृद्धि दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए है

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) : जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(ख) जीवन बीमा निगम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति के निष्कर्ष हैं :—

(1) वर्ष 1973-74 के बाद से जीवन बीमा निगम के व्यक्तिगत बीमा कारबार की वृद्धि की दर गिर गई है ।

(2) जीवन बीमा निगम द्वारा परम्परागत व्यक्तिगत बीमा आयोजनाओं की बिक्री के माध्यम से जन संख्या के उस भाग पर ध्यान केन्द्रित करने के परिणामस्वरुप, जिसकी आय नियमित है और जिसमें बचत करने की क्षमता है, केवल 10 प्रतिशत बीमा योग्य पुरुषों को मृत्यु संबंधी बीमा कवच प्रदान कराया गया है । इस प्रकार जनसंख्या के उस बड़े भाग को छोड़ दिया गया है जिसकी आय नियमित नहीं है और जिसकी बचत करने की क्षमता कम है ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के रोजगार में लगे लोगों में बीमाधारियों की संख्या बहुत कम है ।

(ग) कारबार के विकास में सुधार करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं :—

(1) कारबार का विकास करने के लिए मूलभूत ढांचे में सुधार करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है । मुफस्सिल स्थानों पर नए कार्यालय खोले जा रहे हैं और उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही हैं जहां अभी तक निगम का कोई कार्यालय नहीं था ।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सुव्यवस्थित ढंग से कारबार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण वृत्तिका एजेंट (रूरल केरियर एजेंटस) नियुक्त करने की योजना शुरू की गई है ।

(3) किसानों और ऐसे अन्य लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनकी आय घटती बढ़ती रहती है, हाल में जन रक्षा पालिसी के नाम से एक नई बीमा आयोजना शुरू की गई है ।

(4) समिति की सिफारिशों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी इलाकों के असंगठित क्षेत्र के लोगों को जीवन बीमा कवच उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक सावधि बीमा (गुप टर्मइन्स्योरेंस) को बढ़ावा देना एक मुख्य आधार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, जीवन बीमा निगम ने देश में एक नाम अर्जित किया है : "भोले-भाले लोगों को लूटने वाला निगम ।" यह उत्तर ही इसका औचित्य प्रकट करता है । प्रश्न यह था कि क्या इसके कारोवार में उचित दर से वृद्धि नहीं हुई है और इसका उत्तर है कि जी, हां । और फिर विवरण में कहा गया है :

"वर्ष 1973-74 के बाद से जीवन बीमा निगम के व्यक्तिगत बीमा कारबार की वृद्धि की दर गिर गई है ।"

यह असफलता की पूर्ण स्वीकृति है या पूर्ण असफलता की स्वीकृति है जो भी आप कहना चाहें ।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्वीकार की गई असफलता के अतिरिक्त, यह सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नये पालिसी-धारकों का प्रतिशत भी—जो बहुत महत्वपूर्ण है—काफी घट गया है—मेरे पास आंकड़े हैं परन्तु में चाहता हूं कि सरकार ये आंकड़े दे—और इसको सुधारने के लिए जो तथाकथित जन रक्षा पालिसी चालू की गई है उसके मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

श्री मगनभाई बरोट : माननीय सदस्य ने एक विशेषण का प्रयोग किया है और यह मुझे उस अवधि का उल्लेख करने के लिए बाध्य कर सकता है जिसमें इस प्रकार की टिप्पणी को सही ठहराया जा सकता है । इस सेक्षियान समिति ने जीवन बीमा निगम के कारोबार की वृद्धि में उतार और चढ़ाव के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । मैं उस प्रतिवेदन की केवल पंक्तिया पढ़कर सुनाता हूं ।

"वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान प्रचलन में जो पालिसियां थी उनकी संख्या में तीव्र वृद्धि हुई परन्तु गत तीन वर्षो में 1977, 1978 और 1979 में वृद्धि दर

में फिर गिरावट आई । 21 वर्षों की सम्पूर्ण अवधि में यह निम्नतम स्तर तक पहुंच गई ।" जहां तक जीवन बीमा निगम की कार्य निष्पत्ति में कमी का सम्बन्ध है, यह हमको 21 वर्ष की विरासत के रूप में मिली हैं —यह वह अवधि थी जब इसे निम्नतम स्तर तक लाया गया था—और निस्सन्देह हम आशा करते हैं कि हम इसे ऊपर ले आयेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्योंकि 1973-74 और 1976-77 के वर्षों के बीच जो अव्यस्था की गई थी यह उसी के कारण है । 1977 और 1979 के बीच हमने जो कुछ किया था उसका कुछ देर बाद सुधार दृष्टिगोचर होगा ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि चूंकि जीवन बीमा निगम का कुछ विस्तार अनुपात में पहले ही बहुत अधिक है, जो लगभग 25% है—तथा अन्तर्राष्ट्रीय तुलना में यह बहुत ही ऊंचा है, सरकार जीवन बीमा निगम को 4 या 5 भागों में बांटने के अपने प्रस्ताव छोड़ देगी ।

श्री मगन भाई बरोट : प्रश्न ही नहीं उठता । मैं तो माननीय सदस्य के कथन में सुधार कर सकता हूं कि हमने वास्तव में एक बिगड़ी हुई दशा में सुधार किया है जब कि यह हमें विरासत में मिली थी ।

माननीय सदस्य का मूल्यांकन कितना गलत है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप जीवन बीमा निगम का विभाजन करने जा रहे हैं या नहीं ।

श्री मगन भाई बरोट : प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जीवन बीमा निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए, क्या जीवन बीमा निगम को तोड़कर टुकड़े करने का कोई प्रस्ताव है ? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : डा० सुब्रह्मण्यम इस सभा के सदस्य रहे हैं और उन्होंने बजट भाषण सुना है । उन्होंने वह बजट वक्तव्य भी सुना है जिसमें मैंने कहा था कि जीवन बीमा निगम को विभाजित किया जायेगा । यदि उन्होंने कुछ और ही सुना है तो इसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको मेरा बचाव करना चाहिये । समय बहुत कम है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुल विस्तार अनुपात में बहुत अधिक है और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए क्या आप उस पर पुनर्विचार करेंगे ।

श्री आर० वेंकटरामन् : पुनर्विचारण का प्रश्न ही नहीं उठता है । मैंने अपने बजट भाषण में एक वक्तव्य दिया था, मैं उसी पर अटल हूं । **(व्यवधान)**

श्री जेवियर अरावकल : अब दर नीची है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस जीवन बीमा निगम का विभाजन करने की बजाय, सरकार इसकी विकास की दर बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठा रही है।

श्री मगनभाई बरोट : मैं रिकार्ड को ठीक करता हूं। हमने कहा था कि समिति ने स्वयं यह बात कही थी :

> "तथापि, 1979-80 में, प्रचलित पालसियों की संख्या में पुनः तेजी से वृद्धि हुई। यह वृद्धि पिछले छह वर्षों में सबसे अधिक थी।"

1980 के तत्काल बाद हमने कार्य आरम्भ कर दिया और हम ग्रामीण क्षेत्रों में जन रक्षा पालिसी आदि अनेक प्रकार की पालिसियों देने आदि जैसे सभी कदम उठा रहे हैं। हम उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम गैर-सगठित क्षेत्रों आदि के विकास के लिए उन्हें बीमा के अंतर्गत लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और अधिकाधिक पालिसी-धारकों को इस योजना के अंतर्गत लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम व्यय में भी यथासम्भव कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं।

तस्करी विरोधी उपाय

*189. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर के महीने में नेपाल, बंगलादेश और बर्मा से लगी भारत की भूमि सीमा के साथ-साथ तस्करी विरोधी उपाय मजबूत किए गये हैं ;

(ख) क्या 20 अक्तूबर, 1981 को सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं और पूर्वी क्षेत्र में राज्य सरकारों की सम्बद्ध एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों के सम्मेलन में तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करने का एक द्रुत कार्यक्रम स्वीकार किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो कार्यवाही करने के द्रुत कार्यक्रम का मुख्य ब्यौरा क्या है तथा इस द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति से कितना लाभ हुआ है ; और

(घ) क्या इस प्रकार के कार्यक्रम देश के अन्य भागों में भी आरम्भ किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) एक विवरण सदन-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क), (ख) और (ग) जी, हां।

नेपाल, बंगलादेश और बर्मा का भू-सीमाओं के साथ के अक्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क, राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों का एक सम्मेलन 20 अक्तूबर 1981 को पटना में हुआ था ताकि इस क्षेत्र में तस्करी में अपनाये जाने वाले तरीकों की समीक्षा की जा सके और समुचित उपचारी उपाय किए जा सकें। इस सम्मेलन में, पूर्वी सीमाओं के क्षेत्र के साथ-

साथ होनेवाली तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक जोरदार कार्यक्रम तैयार किया गया था। प्रस्तावित उपायों में ये उपाय भी शामिल हैं। इन सीमाओं के साथ-साथ तस्करी करने वाले बड़े-बड़े गिरोहों का पता लगाने के लिए गुप्तचर्या संबंधी कार्य का लक्ष्य निर्धारित करना, इस तरह के गिरोहों के सदस्यों पर विदेशी-मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के उपबन्धों को सख्ती से लागू करना और इस क्षेत्र में तस्करी को रोकने हेतु सीमा शुल्क, राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के बीच अपेक्षाकृत अधिक ताल-मेल बैठाना।

इस जोरदार कार्यक्रम को लागू करने पर प्राप्त हुए परिणामों का मूल्यांकन समुचित समय पर किया जायेगा।

(घ) बीस सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, सरकार ने तस्करी को रोकने के लिए वर्ष 1980 में एक कार्य-योजना तैयार की थी। कार्य-योजना के अनुसरण में तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों में अर्थात् पश्चिमी समुद्री तट और भारत-पाक सीमा पर निवारक एवं गुप्तचर्या तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए इन कार्यक्रमों को शुरू किया जा चुका है।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं एक विशेष प्रश्न पूछूँगा और मंत्री महोदय से उसका स्पष्ट उत्तर चाहूंगा। आपात्काल के दौरान, सरकार ने पेशेवर तस्करों की एक सूची तैयार की थी और अब, 1978-79 के दौरान, उन संदिग्ध व्यक्तियों के नाम उसमें से निकाल दिये गये हैं। अब सरकार ने तस्करी से निवटने के लिए कार्यवाही हेतु एक योजना तैयार की है। क्या उस योजना में पुनः ऐसी सूची तैयार करना, ऐसे तस्करों को पुनः गिरफ्तार करना और सम्पत्तियों को दोबारा जब्त करना शामिल है ?

श्री सवाईसिंह सिसोदिया : वास्तव में, इस प्रश्न से यह अनुपूरक प्रश्न पैदा नहीं होता है। फिर भी मैं उत्तर दूंगा। हमारे दल के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है कि तस्करों के विरुद्ध सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ की जाएं और तरस्करों तथा काला बाजारी को रोकने के लिए भी अन्य सभी आवश्यक उपाय किए जाएँ। अतः यह प्रश्न पैदा नहीं होता है कि हम उन लोगों पर निगरानी नहीं रख रहे हैं। हम उन पर नजर रखे हुए हैं और यदि वे कोई अपराध करते हैं या कानून का उल्लंघन करते हैं, चाहे वे कोई भी हों, चाहे वे लोग हों जिन्हें उस समय छोड़ दिया गया था, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जयपुर नगर को डूबने से बचाया जाना

*184 **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में हुई भारी वर्षा के कारण जयपुर में भारी क्षति तथा नगर के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी भर गया था ;

(ख) क्या भारत सरकार का विचार मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों से परामर्श करके, प्राकृतिक जल-प्रवाह मार्गों का आयोजन करने तथा भविष्य में इस नगर को डूबने से बचाने के लिए और नगर के सौन्दर्य की रक्षा करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । भारत सरकार को राजस्थान सरकार से अपने प्राकृतिक जलप्रवाह मार्गों का आयोजन करने तथा नगर को भविष्य में बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए मौसम विज्ञान के विशेषज्ञों से सहायतार्थ कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है । यदि राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो भारत सरकार इस पर विचार करेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"इंडियन सर्जीकल ड्रेसिंग बैंड इन आस्ट्रेलिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

*190 **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1981 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "इंडियन सर्जीकल ड्रेसिंग बैंड इन आस्ट्रेलिया" (आस्ट्रेलिया में भारतीय सर्जीकल ड्रेसिंग पर प्रतिबन्ध) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आस्ट्रेलिया के फैडरल और स्टेट स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है क्योंकि भारत, ताइवान और थाईलैंड में बनी सर्जीकल ड्रैसिंग्स में जीवाणु पाये गये हैं जिससे घाव में भयानक छूत लग सकती है ;

(ग) क्या दूषित वस्तुओं में रोलर पट्टियाँ, एब्जारबेंट गोंज, लिंट, वुंड ड्रैसिंग्स, तिकोनी पट्टियाँ, एब्जोरवेंट काटन-वूल और एक्सरे डिटैक्टेबल स्वैच आदि सम्मिलित होने का समाचार है ;

(घ) क्या राष्ट्रीय जैव मानक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किये गये थे ;

(ङ) यदि भाग (क) से (घ) तक का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उपर्युक्त प्रत्येक मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) क्या भारतीय निर्यातकर्ता फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो क्या ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार 31 अक्तूबर, 1981 के इंडियन एक्सप्रैस में "इंडियन सर्जीकल ड्रैसिंग बैंड इन आस्ट्रेलिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार से अवगत है ।

2. सितम्बर, 1981 के आरम्भ में आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों ने भारत से निर्यातित सर्जीकल पट्टियों की कुछ खेपों में दूषण का पता लगाया और नेशनल बायोलोजिकल स्टैंडर्स लेबोरेटरी, आस्ट्रेलिया में परीक्षण किए गए। चूंकि सर्जीकल ड्रैसिंग गम्भीर घाव संक्रमण पैदा करने वाले समझे गए, अतः आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों ने सभी सन्देहास्पद ड्रैसिंगों को वापस मंगवाने और नष्ट करने के उपाय किये। संयुक्त प्रैस वक्तव्य में आस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडलीय और राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों ने उपभोक्ताओं को चेतावनी दी कि प्राथमिक चिकित्सा किटों ने पैक की गई या प्रतिस्थापन स्टाक के रूप में अलग से बेची गई घाव की कुछ ड्रैसिंग प्रदूषित हैं और उनको जला दिया जाना चाहिए।

3. अक्तूबर, 1981 के उत्तरार्ध में भारत, ताइवान और थाइलैंड में विनिर्मित सर्जीकल ड्रैसिंग की कुछ और खेपें बैक्टेरिया में प्रदूषित पाई गई। प्रदूषित उत्पादों में शामिल थीं रोलर बैंडेज, एब्जोर्वेंट गैज, लिन्ट, घाव की ड्रैसिंग, तिकौनी पट्टियां, एब्जोर्वेंट काटन वूल और एक्स-रे डिटेक्टेबल स्वान।

4. सरकार देश में बनने वाली सर्जीकल पट्टियों की स्टरिलिटी सहित उनकी क्वालिटी बनाए रखने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में इसको सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध हैं। पश्चिम बंगाल औषधि नियन्त्रण प्राधिकारियों ने प्रश्नाधीन ड्रैसिंग के उत्पादक और निर्यातक दोनों के स्थानों से लिए गए सर्जीकल ड्रैसिंग के नमूनों की जांच की है। उनसे प्राप्त प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्टों से पता चलता है कि उनमें से कुछ नमूने स्टैराइल नहीं थे। औषधि नियन्त्रण (भारत) के कार्यालय ने निदेशक औषधि नियन्त्रण, पश्चिम बंगाल को यह सुझाव लिख कर भेजा है कि अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत खराब मदों के निर्यातकों और उत्पादक दोनों के खिलाफ निवारक कार्यवाही की जाए।

5. जब तक जाँच पूरी नहीं होती तब तक के लिए फर्म के निर्यात रोक दिए गए हैं और सम्बन्धित प्राधिकारियों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

6. आयात व निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय ने निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1977 में वह संशोधन किया है कि भविष्य में भारत से सभी सर्जीकल ड्रैसिंग के निर्यात की तभी अनुमति दी जाएगी जब यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया जाए कि सर्जीकल ड्रैसिंग का प्रत्येक बैच स्टेराइल क्वालिटी का है और उसकी जाँच कर ली गई है तथा उसे स्टेंडर्ड क्वालिटी का पाया गया है। यह प्रमाणपत्र औषधि तथा प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के पैरा 15 (क) के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त संस्था का होगा।

मध्य प्रदेश तथा अन्य नगरों के लिए वायुदूत विमान सेवा आरम्भ करना

*191. **श्री कमल नाथ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** वायुदूत सेवा द्वारा अधिक नगरों के जोड़े जाने के बारे में दिनांक, 21 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत विमान सेवा को पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर 23 नगरों के लिए शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा ;

(ख) अन्ततः इस सेवा के अन्तर्गत कितने नगर आ जायेंगे ; और

(ग) इसके अन्तर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के नगरों का ब्यौरा क्या है तथा वहां उक्त सेवा आरम्भ होने के लिए कौन-कौन सी तारीखें निश्चित की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वायुदूत सेवाओं का भारत के अन्य भागों में चरणवद्ध प्रकार से विस्तार किया जा रहा है। गिड़वानी समिति ने तीसरी विमान सेवा से जोड़ने के लिए अधिक आबादी वाले 50 शहर निर्धारित किए हैं जबकि ब्रेगेंजा ने ऐसे 46 स्थानों का सुझाव दिया था। इस सेवा से अन्ततः जोड़े जाने वाले नगरों की संख्या के बारे में सरकार यथासमय अन्तिम निर्णय लेगी।

(ग) प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में वायुदूत सेवाओं का बिलासपुर और जगदलपुर के लिए परिचालन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। परन्तु यह उपयुक्त प्रकार के विमान तथा इन स्थानों पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

खोपड़ा और नारियल के तेल का आयात

*192. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार** :

श्री ई० बालानन्दन : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खोपड़ा और नारियल के तेल का आयात करने की अनुमति देने में सरकार की कार्यवाही का केरल के नारियल उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खोपड़ा और नारियल के तेल के आयात की अनुमति न देकर दृढ़ रवैया अपनाने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं कि खोपड़ा और के तेल के आयात का केरल के उपज कर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) इन मदों का आयात इस समय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है। मार्गीकरण अभिकरण ने आयात नहीं किया आयात करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव भी नहीं है। तथापि, ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन निर्यात उत्पादन के लिए इन मदों के सीमित अयात किए जा सकते हैं।

खनन उद्योग के विकास के लिए उगांडा को सहायता

*195. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उगांडा सरकार ने अपने खनन उद्योग के विकास के लिए सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। युगांडा के सहकारिता और विपणन मंत्री के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल और भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्वी क्षेत्र) के बीच नवम्बर, 1981 के प्रथम सप्ताह में हुई अधिकारी स्तर की बातचीत में युगांडा पक्ष ने अपने लौह अयस्क और फास्फेट के विकास हेतु सहायता लेने में रुचि दिखाई है। यह सहमति हुई है कि एक तकनीकी दल शीघ्र युगांडा भेजा जाए जो इस बात की प्रारम्भिक जांच पड़ताल करे कि युगांडा को अपने लौह अयस्क और फास्फेट का विकास करने हेतु किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी।

जोधपुर और राजकोट का दर्जा बढ़ाना

*196. **श्री अशोक गहलोत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में जोधपुर और गुजरात में राजकोट को बी-2 श्रेणी का दर्जा देने के लिए तत्काल जनगणना के आंकड़े मंगाये हैं और क्या जनगणना विभाग से आंकड़े प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) निकट भविष्य में पूरे देश में, श्रेणीवार, कितने शहरों का दर्जा बढ़ाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस प्रकार की घोषणा कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जोधपुर के मामले में 1971 की जनगणना के बाद, जोधपुर नगर पालिका के साथ जोड़े गए कुछ नए क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर उसका दर्जा बी-2 श्रेणी के रूप में बढ़ाने की मांग की गई थी। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से इन नए क्षेत्रों की 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या संबंधी आंकड़े माँगे गए हैं। और इस सूचना के प्राप्त होने पर इस मामले की जांच की जाएगी। चूंकि अब 1981 की जनगणना पूरी हो चुकी है इसलिए जोधपुर का बी-2 श्रेणी के रूप में दर्जा बढ़ाने के मामले पर भी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से 1981 की जनगणना रिपोर्ट के अन्तिम आंकड़े प्राप्त होने के बाद, यदि ये आंकड़े शीघ्र प्राप्त हो जाएं तो, विचार किया जा सकता है।

राजकोट को असामान्यरूप से अधिक खर्चीला माना गया है और इसलिए वहां काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1-8-1979 से बी-2 श्रेणी की दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की अदायगी स्वीकार्य की गई है। मकान किराये भत्ते की अदायगी के लिए इसका बी-2 श्रेणी के रूप में दर्जा बढ़ाए जाने के प्रश्न पर भी भारत के महा-पंजीयक और जनगणना आयुक्त से 1981 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग) जब तक 1981 की जनगणना के अन्तिम आंकड़े प्राप्त नहीं हो जाते तब तक इस संबंध में किसी प्रकार का निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

जयपुर के लिए "एयरबस" सेवा

*197. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स की योजना देश के कुछ अन्य नगरों के लिए "एयरबस" सेवा शुरू करने की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या जयपुर के लिए भी "एयरबस" सेवा शुरू की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स की 1982-83 में एक और केन्द्र, अर्थात् गोहाटी तक, एयरबस सेवा का विस्तार करने की योजना है। जयपुर के लिए एयरबस सेवा का परिचालन करने की कोई योजना नहीं है।

आयकर विभाग की मान्यताप्राप्त यूनियनों/एसोसियेशनों की ओर से जे० सी० एम० और सी० ए० में पृथक प्रतिनिधित्व के लिए अभ्यावेदन

*198 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जे० सी० एम० और सी० ए० की योजना के अन्तर्गत कार्यरत वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद् के चेयरमैन को आयकर विभाग की चार मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों की ओर से परिषद् में उन्हें पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में दिनांक 22 जुलाई, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने जे० सी० एम० और सी० ए० की योजना के अन्तर्गत गठित विभागीय परिषद् में पृथक प्रतिनिधित्व देने के बारे में निर्णय ले लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय का सूचना सम्बन्धित मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों को भेज दी गई हैं और यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी हां ।

(ख) ये चारों संघ स्थानीय संघ हैं, जो अधिकार क्षेत्र स्तर पर अपने-अपने आयकर आयुक्तों के अधीन के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं । ये स्थानीय संघ अखिल भारतीय स्वरूप के मामलों को नहीं उठा सकते और इसलिये इन्हें मंत्रालय स्तर पर विभागीय परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता ।

(ग) ये चारों संघ आल इण्डिया इन्कमटैक्स इम्प्लाइज फेडरेशन से सम्बद्ध हैं, जिसे सरकार ने अभी मान्यता प्रदान नहीं की है । इन संघों के प्रतिनिधि जब 21 जुलाई 1981 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के अध्यक्ष से मिले थे, तो उन्होंने विभागीय परिषद में एक स्थान देने के प्रश्न के सम्बन्ध में बातचीत की थी । अध्यक्ष ने उन्हें सूचित किया कि आल इण्डिया इन्कमटैक्स इम्प्लाइज फैडरेशन को तदर्थ आधार पर मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और विभागीय परिषद् में उसे एक स्थान देने का प्रश्न तभी उठेगा जब उस फैडरेशन को तदर्थ मान्यता प्रदान करने के प्रश्न का फैसला हो जाता है ।

*200. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को गुड़ का निर्यात किया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुड़ के मूल्य नीचे गिर गए हैं जिससे उत्पादकों को घाटा हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गुड़ के निर्यात पर 1-4-81 से रोक लगी हुई है ।

(ख) गुड़ की कीमत में मौसमी गिरावट आई है ।

इस्पात मंत्रालय के सचिव तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के चेयरमैन के पदों का विलय

*201 **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक उच्च स्तरीय कार्यकारी दल ने सुझाया है कि इस्पात मंत्रालय के सचिव तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के चेयरमैन के पदों को पूर्ण रूप से मिला कर एक कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पांच क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने तथा सुचारु बनाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी विशेषज्ञों को कार्यवाही समिति ने इस कार्यकारी दल का गठन किया था ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही समिति ने केन्द्र सरकार को सभी क्षेत्रों के संबंध में प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिए थे ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार इसकी सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार कर रही है और इन सिफारिशों में से अब तक कितनी सिफारिशों को स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय उन कार्यदलों से है जो श्री मुहम्मद फजल को अध्यक्षता में गठित सरकारी उद्यमों संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाए गए हैं। ये समिति को उन सरकारी उद्यमों के विभिन्न प्रबंधकीय पहलुओं के बारे में सलाह देंगे जिनके अध्ययन का कार्य सरकार ने उसे सौंपा है। ये कार्यदल अपनी रिपोर्टें समिति को प्रस्तुत करते हैं, सरकार को नहीं। किन्तु समिति सरकार को अपनी सिफारिशें देते समय अपना स्वयं निर्णय करती हैं। विशेषज्ञ समिति ने इस्पात क्षेत्र के बारे में अपनी रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) सरकारी उद्यमों संबंधी विशेषज्ञ समिति सिवाए (क) इस्पात क्षेत्र के उद्यम, (ख) इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लि० और (ग) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के सभी क्षेत्रों/उद्यमों के बारे में रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) सरकार ने विशेषज्ञ समिति को उर्वरक और कोयला क्षेत्र संबंधी रिपोर्टों पर विचार किया है। समिति ने कोयला क्षेत्र के उद्यमों के बारे में जो 31 प्रमुख सिफारिशें की हैं, उनमें से 24 सिफारिशें पूर्णतः स्वीकृत या कुछ संशोधनों सहित स्वीकार कर ली गई हैं। उर्वरक क्षेत्र के विषय में 56 में से 47 सिफारिशें पूर्णतः स्वीकार अथवा कुछ संशोंधनों सहित स्वीकार की गई हैं। स्वीकृत सिफारिशें सामान्य प्रक्रिया के अनुसार लागू की जा रही हैं।

सोवियत संघ द्वारा श्रम प्रधान उद्योगों के उत्पादों का आयात

*202. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वस्त्र, चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुओं आदि के जैसे श्रम प्रधान उद्योगों के उत्पादों का आयात करने के लिए सोवियत सरकार से उच्च स्तर पर कोई संकेत प्राप्त हुआ है ; और

(ख) निर्माताओं द्वारा इन वस्तुओं का यथासंभव शीघ्र निर्यात किये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) दीर्घावधि आधार पर सूती कपड़े के निर्यात की संभाव्यताओं के संबंध में सोवियत सरकार ने अनौपचारिक रूप से भारत सरकार को बताया है। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

मान्यता प्राप्त निधियों के लेखों की आयकर आयुक्तों द्वारा जांच

2077. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाश** : क्या वित्त मंत्री भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 17 सितम्बर, 1980 की अनुदेश संख्या 1357 पत्र सं० 215/11/78 आई० टी० (ए2) के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक लेखा समिति 1980-81 (सातवीं लोक सभा) के इक्कीसवें प्रतिवेदन 1980 को जिसे 30 मार्च, 1981 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था के पृष्ठ 13 और 14 पर दिये आदेश ग,घ और ङ से संबंधित अनुदेशों पर संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : निरीक्षण निदेशक (आयकर तथा लेखा-परीक्षा) को, जो पुनर्निवेशन रिपोर्टों को देखता है, आयकर आयुक्तों से अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर वित्तीय वर्ष 1979-80 से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :—

	1979-80
(1) वर्ष के प्रारंभ में विद्यमान स्थिति के अनुसार मौजूद निधियों की संख्या (इसमें मान्यताप्राप्त भविष्य निधियाँ, अनुमोदित निवर्तन निधियां तथा अनुमोदित आनुतोषिक निधियां सम्मिलित हैं)।	4,138
(2) जिन निधियों में निरीक्षण किया गया, उनकी संख्या	467
(3) जिन निधियों में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी, उनकी संख्या	454
(4) जिन निधियों में त्रुटि पायी गयी, उनकी संख्या	13
(5) उपर्युक्त (4) में से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें कार्यवाही शुरू की गई है।	8
(6) उपर्युक्त (5) में से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मान्यता/अनुमोदन वापस लिया गया है।	3

एडवर्ड मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स का कार्यकरण

2078. **आचार्य भगवान देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र निगम की ब्यावर, जिला अजमेर में स्थित दोनों मिलें—एडवर्ड मिल्स और महालक्ष्मी मिल्स में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है और पिछले कुछ सालों से ये घाटे में चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन सालों के लिये इन मिलों का उत्पादत लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन अलग-अलग कितना रहा ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन मिलों को हुए लाभ या घाटे का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन मिलों का निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन करने के और घाटे के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मिलों द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य तथा उपलब्ध वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

(आंकड़े लाख किग्रा० / मीटरों में)

वर्ष	मार्किट यार्न (किग्रा०)		(कपड़ा मीटरों में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. एडवर्ड मिल्स				
1978-79	6.13	1.26	95.40	101.13
1979-80	3.98	2.72	119.38	83.08
1980-81	8.52	2.86	131.86	67.69
2. महालक्ष्मी मिल्स				
1978-79	1.04	0.15	87.70	75.32
1979-80	0.29	0.90	98.43	63.74
1980-81	5.45	0.89	96.79	57.34

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मिलों द्वारा उठाए गए घाटे निम्नोक्त प्रकार हैं :

(लाख रु० में)

	1978-79	1979-80	1980-81 (अनन्तिम)
1. एडवर्ड मिल्स	32.84	41.58	72.45
2. महालक्ष्मी मिल्स	48.02	43.35	68.55

(घ) उत्पादन लक्ष्य न प्राप्त करने तथा इन मिलों द्वारा उठाए गए घाटों के मुख्य कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :

1. पुरानी तथा अप्रचलित मशीनरी ;
2. अलाभकारी आकार ;
3. अधिक श्रमिक ;
4. सीवर पावर की कमी के कारण लगाई गई क्षमता का कम प्रयोग ; तथा
5. निविष्ट साधनों की अधिक लागत, खास कर रूई ।

इस्पात की मांग और उत्पादन

2079. **श्री गुलाम मुहम्मद खान** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के लिये इस्पात की अनुमानित मांग और उत्पादन कितना है,

(ख) क्या यह सच है कि घटिया इस्पात के उत्पादन के कारण इस्पात उद्योग की स्थिति दयनीय है,

(ग) : क्या यह भी सच है कि उत्तर और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों के औद्योगिक और अन्य इस्पात उपभोक्ताओं को इस्पात का पर्याप्त उत्पादन होने और परिवहन की कठिनाइयों के कारण पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है, और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चालू वर्ष के दौरान इस्पात की मांग 105 लाख टन होने का अनुमान है। इस वर्ष के दौरान इस्पात का उत्पादन लगभग 90 लाख टन होने की सम्भावना है।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) और (घ) पिछले वर्ष की तुलना में गत तीन वर्षों और इस वर्ष (अप्रैल-सितम्बर, 1981) के दौरान उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र को इस्पात सामग्री की सप्लाई में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।

केन्द्रीय लेखे के विभागीयकरण पर खर्च

2080. **श्री अजय विश्वास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा केन्द्रीय लेखों के विभागीयकरण को उपयोगिता के किन ठोस आधारों पर स्वीकार किया गया है और इस कारण खर्च में यदि कोई वृद्धि हुई है तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया : सरकार द्वारा यह मान लिया गया था कि संघीय लेखाओं के विभागीयकरण के सम्बन्ध में नई पद्धति की विशिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए व्यय में कुछ वृद्धि होना आनिवार्य है, उक्त पद्धति में निम्नलिखित विशिष्ट बातों की परिकल्पना की गई है :—

(1) अपेक्षाकृत अच्छे वित्तीय नियंयण और कार्य निष्पादन मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए लेखाकरण सभी स्तरों पर प्रबन्ध का सहायक होगा ;

(2) विभागीयकृत लेखा कार्यालयों द्वारा मासिक और वार्षिक लेखाओं का संकलन अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से किया जाएगा और इस प्रकार सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों को लेखाकरण सम्बन्धी सूचना की समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा ;

(3) अधिक संख्या में वेतन और लेखा कार्यालयों की स्थापना से कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों का तेजी से निपटान होगा जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों में अपेक्षाकृत अधिक संतोष होगा और

(4) लेखाकरण सम्बन्धी कार्य विधियों और वित्तीय नियमों तथा विनियमों के अनुपालन को

सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक प्रभावी आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन की स्थापना की जाएगी।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा आन्तरिक और वाह्य पुनगर्ठन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों का फालतू होना

2081. **श्री रेणु पद दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आंतरिक और वाह्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कर्मचारी फालतू हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने कर्मचारी फालतू हो गए हैं ; और

(ग) इस प्रकार फालतू हुए कर्मचारियों का उपयोग भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग द्वारा किस प्रकार किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सीमा-शुल्क निकासी-कार्य संचालन को सुचारु बनाने हेतु उपाय

2082. **श्री सन्त कुमार मण्डल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पालम जैसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा गुड़गांव, नई दिल्ली स्थित माल निकासी भांडागार पर सीमा-शुल्क कर्मचारियों तथा सेवा-निवृत्त सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क अधिकारियों के विचौलिए ग्राहकों से सांठगांठ करके सीमा-शुल्क माल की निकासी के सरल बनाने में उनकी मदद करते हैं ; और

(ख) सीमा-शुल्क माल की निकासी कार्य संचालन को सुचारू बनाने के लिए उनका क्या ठोस उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) भारत सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर अथवा गुड़गांव रोड स्थित आयात कार्गो भाण्डागार में सीमाशुल्क अधिकारियों के दलाल और बिचौलिये तथा सीम-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कुछ सेवा-निवृत्त अधिकारी ग्राहकों को सीमाशुल्क निकासी करवाने में कुछ प्रतिफल लेकर सहायता करने का प्रलोभन देते हैं। तथापि, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कुछेक सेवा-निवृत्त अधिकारी जो निर्यात/आयात एजेंसियों के कर्मचारी हैं, अपने मालिकों की ओर से सीमाशुल्क निकासी का काम देखने के लिए उपयुक्त संप्राधिकार-पत्र के अधीन आयात कार्गो भाण्डागार जाते रहते हैं।

(ख) यदि कोई इस प्रकार की हेराफेरी किए जाने का पता चलता है, तो समय-समय पर ऐसे प्रशासनिक और अन्य उपाय किए जाते रहते हैं, जो हेराफेरी को रोकने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।

मंगलौर के नये बन्दरगाह के नजदीक तट पर होटल/रेस्टोरेन्ट खोलने का अनुरोध

2083. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के व्यापार और उद्योग मंडल ने केन्द्र सरकार से मंगलौर के नये बन्दरगाह के नजदीक तट पर एक होटल/रेस्टोरेन्ट के निर्माण के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :(क) और (ख) जुलाई 1981 में भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक की मंगलौर यात्रा के दौरान कनारा के व्यापार और उद्योग मंडल ने मंगलौर क्षेत्र में पर्यटन के विकास के बारे में कुछ सुझाव दिए थे, जिनमें पर्यटक अभिरुचि के सभी केन्द्रों पर होटलों/पर्यटक ग्रहों की स्थापना शामिल है। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए पहले से ही निश्चित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, फिलहाल केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत मंगलौर पोर्ट पर एक होटल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अपंग महिलाओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिया जाना

2084. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपंग महिलाओं को राष्ट्रीयकृत बैंक इसलिए ऋण नहीं देते कि विवाह के बाद वे अपने पति के साथ रहने के लिए वह स्थान छोड़ कर चली जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे निदेश/नियम बने हैं ; और

(ग) अपंग पुरुषों की तरह अपंग महिलाओं को भी बिना दिक्कत और परेशानी के ऋण दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बैंको को कोई ऐसा निर्देश नहीं जारी किया गया है जिसमें उन्हें विकलांग महिलाओं को ऋण स्वीकृत करने में रोक लगाई गयी हो। इसके विपरीत, बैंकों से कहा गया है कि वे विकलांग व्यक्तियों को उदार शर्तों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करें। सामान्यतः, बैंक, ऋणकर्काओं में लिंग के आधार पर तब तक कोई भेद नहीं करते जब तक कि कोई स्कीम विशेष रूप से महिलाओं के वास्ते अनुपयुक्त न समझी जाए। इस सम्बन्ध में अभी तक न तो सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है न भारतीय रिजर्व बैंक को। भेदभाव के ऐसे विशिष्ट मामलों को जाँच और उपचार के वास्ते सरकार की जानकारी में लाया जा सकता है।

बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 में संशोधन

2085. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के प्रस्तावित संशोधन पर अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) लोक सभा में संशोधन विधेयक कब तक पेश किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) संशोधन को अंतिम रूप देने के वास्ते आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बैंककारी विधियाँ (संशोधन) विधेयक को यथाशीघ्र प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की जाएगी।

उड्डयन क्लबों को धन का आवंटन

2086. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने फ्लाइंग क्लब हैं ;

(ख) क्या इन क्लबों को केन्द्र से वित्तीय आवंटन मिल रहा है ;

(ग) क्या उड़ीसा में किसी ऐसे क्लबों को धन दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो अब तक (वर्षवार) उनके मंत्रालय ने उड़ीसा में फ्लाइंग क्लबों को कितनी धनराशि आवंटित की है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) देश में 25 फ्लाइंग क्लब/संस्थान हैं जिनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) : जी, हाँ।

(ग) से (ङ) : जी, हां। उड़ीसा में, भुवनेश्वर में एक सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका संचालन उड़ीसा सरकार द्वारा विभागीय संस्था के रूप में किया जाता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस संस्थान को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता निम्न प्रकार है :—

वर्ष	दी गई आर्थिक सहायता (रुपयों में)
1976-77	53,604
1977-78	भुगतान 1978-79 में हुआ
1978-79	87,851
1979-80	38,851
1980-81	—

विवरण

भारत में सिविल फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों की सूची

क्रम सं०	क्लब का नाम	स्थान
1.	आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब	हैदराबाद
2.	आसाम फ्लाइंग क्लब	गौहाटी
3.	अमृतसर एविएशम क्लब	अमृतसर
4.	बम्बई फ्लाइंग क्लब	बम्बई
5.	बनस्थली विद्यापीठ फ्लाइंग एण्ड ग्लाइडिंग क्लब	बनस्थली विद्यापीठ
6.	कोयम्बतूर फ्लाइंग क्लव	कोयम्बतूर
7.	को-आपरेटिव हिन्द फ्लाइंग क्लब लिमिटेड,	लखनऊ (कानपुर तथा वाराणसी में शाखा)
8.	दिल्ली फ्लाइंग क्लव लि०	नई दिल्ली
9,	ईस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग एण्ड ग्लाइडिंग क्लब	रायपुर
10.	गुजरात फ्लाइंग क्लव	बड़ौदा (सूरत में शाखा)
11.	हिसार एविएशन क्लव	हिसार
12.	केरल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर	त्रिवेन्द्रम्
13.	करनाल एविएशन क्लब	करनाल
14.	जमशेदपुर को-आपरेटिव फ्लाइंग क्लब	जमशेदपुर
15.	लुधियाना एविएशन क्लब	लुधियाना
16.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लव लि०	इंदौर (भोपाल में शाखा)
17.	मद्रस फ्लाइंग क्लब लि०	मद्रास
18.	नार्दन इंडिया फ्लाइंग क्लब	जालन्धर छावनी
19.	नागपुर फ्लाइंग क्लब लि०	नागपुर
20.	पटियाला एविएशन क्लब	पटियाला
21.	बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट	पटना (मुजफ्फरपुर में शाखा)
22.	गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	भुवनेश्वर
23.	राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल	जयपुर

24. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल	बंगलौर
25. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	कलकत्ता

टिप्पणी : क्रम सं० 21 से 25 तक के संस्थान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभागीय संस्थानों के रूप में चलाये जा रहे हैं।

इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर वर्क्स का आधुनिकीकरण करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का प्रस्ताव

2087. **श्री आनन्द पाठक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर वर्क्स के आधुनिकीकरण के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव पेश किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अभी तक स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

हवाई अड्डों के पास बूचड़खाने/गोश्त की दुकानें

2088. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बूचड़खानों, गोश्त की दुकानों और हड्डियों के ढेरों को हवाई अड्डों से 10 कि० मी० व्यास के क्षेत्र से हटाने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ताकि पक्षियों का हवाई जहाजों से टकराना रोका जा सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में ऐसे हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहाँ 10 कि० मी० व्यास के भीरत बूचड़खाने, गोश्त की दुकानें और हड्डियों के ढेर हैं और उन्हें हटाने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खनिज और धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) के मंडलीय कार्यालय को नाल्दा से जोदा ले जाना

2089 **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज और धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) के एक मंडलीय कार्यालय की नाल्दा से उड़ीसा में जोदा ले जाये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या जोदा में इस कार्यालय के भवनों के निर्माण के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो कार्यालय के भवनों के निर्माण और कार्यालय को स्थानान्तरित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के नाल्दा स्थित मंडल कार्यालय को वारबिल में स्थानान्तरित करने का विचार है (न कि जोदा में)। ऐसा प्रस्ताव है कि जोदा एक क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में होगा जिसमें उसके प्रशासकीय भाग सहित रिहायशी स्थान भी होगा।

जोदा में अपेक्षित जमीन प्राप्त कर ली गई है। वारबिल में अपेक्षित जमीन का चयन कर लिया गया है और उसको प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। स्थल योजना तथा भवन के लिये अनुमान तैयार किये जा रहें हैं।

आयकर अधिनियम की धारा/269-घ के अधीन जारी किए गए नोटिस

2090. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री आयकर अधिनियम की धारा 269-घ के अधीन जारी किए गए नोटिसों के बारे में 4 सितम्बर 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2941 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269-घ के अधीन जारी किए गए 16,606 नोटिसों में से पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केवल सात सम्पत्तियाँ ही अभिगृहीत की गईं ;

(ख) इस बात के क्या कारण हैं कि सरकार द्वारा अभिगृहीत सात सम्पत्तियों का भी, जिनके लिए 14,75,076 रुपये का कुल मुआबजा अदा किया गया है, अभी तक निपटान नहीं किया गया है ;

(ग) आयकर अधिनियम की धारा 269-घ के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान और 1981 में अब तक प्रत्येक राज्य में (नगर-वार) जारी किए गए नोटिसों पर की गई कार्रवाई की प्रगति क्या है; और

(घ) इन नोटिसों पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा और इस बारे में क्या प्रक्रिया निर्धारित है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) प्रारम्भ में ही यह कहा जा

सकता है कि 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान (अतारांकित प्रश्न सं० 2941 के भाग (ख) के सन्दर्भ में दिए गए उत्तर के अनुसार) वस्तुतः अधिग्रहीत 7 सम्पत्तियों और इसी अवधि के दौरान (अतारांकित प्रश्न सं० 2941 के भाग (क) के सन्दर्भ में दिए गए उत्तर के अनुसार) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-घ के अन्तर्गत जारी किए गए 16,606 नोटिसों के बीच कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है। वस्तुतः अधिग्रहीत सम्पत्तियों का सम्बन्ध पूर्ववर्ती वर्षों में आरम्भ की गई कार्यवाही से हो सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-घ के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिसों की तुलना वस्तुतः अधिग्रहीत सम्पत्तियों की अपेक्षाकृत कम संख्या का कारण अधिग्रहण कार्यवाही का अन्तर्निहित स्वरूप ही है। अधिग्रहण आदेश एक अर्द्ध-न्यायिक आदेश है और वह कुछ ऐसी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही जारी किया जा सकता है जिनमें काफी समय लगता है। जिन पार्टियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना होता है उन्हें सुनवायी का उपयुक्त अवसर दिया जाना होता है। सुनवायी के दौरान सामान्यतः कानून और तथ्यों से सम्बन्धित विवादास्पद प्रश्न उठाये जाते हैं। अधिकांश मामलों में अधिग्रहण आदेशों के खिलाफ अपील की जाती है और वे तभी अन्तिम होते हैं जब उनकी पुष्टि हो जाती है और आगे कोई अपील विचाराधीन नहीं हो।

(ख) वस्तुतः अधिग्रहीत सम्पत्तियों के प्रबन्ध तथा निपटान से सम्बन्धित कार्य निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऐसी व्यावहारिक कठिनाईयों के अतिरिक्त जो अधिग्रहीत सम्पत्तियों के निपटान के मामले में हो सकती हैं, इन सम्पत्तियों के निपटान के प्रश्न का निर्णय इस विषय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर किया जाना होता है।

(ग) तथा (घ) अधिग्रहण की कार्यवाहियाँ, (जैसा कि भाग (क) के उत्तर में भी उल्लिखित है) स्वभावतः लम्बी खिंचती हैं तथा श्रमसाध्य होती हैं और लम्बे समय तक अनिर्णीत पड़ी रह सकती है। विभाग द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करने के पश्चात नोटिस की प्रतियाँ अन्तरणकर्ताओं/अन्तरितियों को तथा सम्पत्ति में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी तामील करनी होती है। सक्षम प्राधिकारी को कार्यवाही से सम्बन्धित सभी पार्टियों को सुनवायी का अवसर देना पड़ता है तथा उनसे समस्त विवरण और सूचना उपलब्ध करनी होती है। कार्यवाहियों के दौरान सम्पत्ति के स्वत्वाधिकार तथा मूल्यांकन से सम्बन्धित जटिल प्रश्न उत्पन्न होते हैं। नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके स्थिति की जांच करनी होती है। कई मामले मूल्यांकन कक्ष को भेजे जाने होते हैं तथा यह प्रक्रिया भी अपना समय लेती है। कुछ मामलों में सम्बन्धित पार्टियों उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकायें दायर करती हैं।

2. उपर्युक्त पैरा 1 में जो कुछ बताया गया है उसे ध्यान में रखते हुए, किसी कार्यवाही विशेष को पूरा करने में लगने वाले सही समय का पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है। यह बात प्रत्येक मामले के स्वरूप और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

3. ऐसे कोई स्रोत प्रलेख (रिकार्ड) उपलब्ध नहीं हैं जिनसे किसी वर्ष के दौरान जारी

किए गए नोटिसों से सम्बन्धित दैनंदिन कार्यवाहियों की प्रगति का पता लगाया जा सके अथवा उसे संकलित किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, सारे देश में फैले क्षेत्रीय अधिकारियों को लिखा जाना होगा जिन्हें उसके पश्चात, प्रत्येक फाइल देखनी होगी। सभी 16,606 फाइलों की (वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान जारी किए गए नोटिसों के बारे में) छानबीन से संबंधित कार्य बहुत बड़ा और समय लगने वाला है और उससे प्राप्त होने वाले परिणाम वाँछित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होंगे। यदि माननीय सदस्य चाहें तो किन्हीं भी विशिष्ट मामलों से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत की जा सकती है।

कच्चे लोहे का आयात

2091. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अर्थात 1981-82 के पहले 6 महीनों में कितने कच्चे लोहे का आयात किया गया,

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान भारत में कितनी मात्रा का निर्माण किया,

(ग) उपरोक्त अवधि में हमारी मांग क्या थी, और

(घ) सरकार द्वारा कच्चे लोहे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि हमें इ के आयात पर निर्भर न होना पडे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 4 सितम्बर, 1981 तक कच्चे लोहे का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता था। इस अवधि में किए गए आयता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1981 तक देश में कच्चे लोहे का उत्पादन 671,000 टन हुआ था। वर्ष 1981-82 के लिए कुल मांग 16.8 लाख टन आंकी गई है।

(घ) अक्तूबर-नवम्बर से कच्चे लोहे के उत्पादन में वृद्धि हुई है। आशा है कि आने वाले महीनों में भी वृद्धि का यह रुख बना रहेगा।

काफी का उत्पादन एवं निर्यात

2092. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी मात्रा में काफी का निर्यात किया गया और कितनी मात्रा आन्तरिक बाजारों में बिक्री के लिये रिलीज की गई ; और

(ग) क्या काफी के निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशों में कोई मार्किट अनुसंधान सर्वेक्षण करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में काफी का कुल उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है :

1978-79	110488 मे० टन
1979-80	149700 मे० टन
1980-81	180500 मे० टन (संशोधित प्राक्कलन)

(ख) आन्तरिक बाजार के लिये रिलीज की गई तथा निर्यातित काफी की सम्बन्धित मात्राएं नीचे दी गई हैं :

वर्ष	निर्यात	आन्तरिक रिलीज
	(मे० टन)	
1978-79	66428	46581
1979-80	61959	49091
1980-81	89018	48923

(ग) काफी के निर्यात बढ़ाने के लिए काफी बोर्ड द्वारा निम्नोक्त बाजार अध्ययन की कार्य क्रमों की प्रस्थापना की गई :

(1) मध्य पूर्व देशों में बाजार सर्वेक्षण ।

(2) ई० एफ० टी० ए० देशों में काफी के बारे में बाजार अध्ययन ।

(3) नार्वे, हालैंड, प० जर्मनी, फ्रांस तथा स्विटजरलैंड में भावी बाजार अध्ययन ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण का विभिन्न कम्पनियों में विभाजन का प्रस्ताव

2093. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :
डा० कृपा सिन्धु भोई :
श्री के०पी० सिंह देव : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को इस आधार पर विभिन्न कम्पनियों में बांटने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि उक्त संस्थान प्रबन्ध की दृष्टि से बहुत बड़ा संस्थान बन गया है, और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : (क) और (ख) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अमृतसर हवाई अड्डे पर इन्टेग्रेटिड एयरकार्गो टर्मिनल

2094. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर में इन्टेग्रेटिड एयर कार्गो टर्मिनल की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है और वहां पर किस प्रकार के कार्गो के लिये व्यवस्था होगी :

(ख) क्या भूमि समर्थन सुविधाएं सीमा शुल्क निकासी और विदेशों के लिये बुकिंग जैसी आधारभूत ढांचे की व्यवस्था की जा चुकी है :

(ग) एयर-इंडिया द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान कब से आरंभ की जानी है और उड़ानों के आने तथा जाने के रूट क्या तय किये जायेंगे और एयर इंडिया की यूरोप और ब्रिटेन के लिये उड़ानों का अन्तराल क्या होगा ; और

(घ) क्या किसी अन्य विमान सेवा के अमृतसर हवाई अड्डे द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विमान अड्डे के रूप में काम आरंभ करने के पश्चात् वहां से अपनी सेवाएं आरंभ करने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) अमृतसर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स ने पहले ही 23-11-81 से कार्य करना शुरू कर दिया है । हेंडल किया जाने वाला कार्गो निम्न प्रकार का है :—

(क) अफगानिस्तान उत्पादित वस्तुओं का तथा अफगानिस्तान से आयातित सामान का उतारना ; तथा

(ख) निम्नलिखित निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को लादना, अर्थात्

(1) भारतीय उत्पादित वस्तुएं तथा अफगानिस्तान के लिए निर्यात किया जाने वाला सामान (2) चाय (3) कार्पेट (4) सभी प्रकार की हौजरी, सूती तथा ऊनी कपड़े, सिल्क तथा सेल्यूलोसिक टेक्सटाइल (5) खेल का सामान (6) चमड़े की बनी वस्तुएं (7) कैमिकल्स-ऑर्गेनिक व इनार्गेनिक (8) इंजीनियरी का सामान अर्थात् हाथ औजार, मशीन औजार, साइकल पुर्जे आटो पुर्जे आदि (9) प्रासैस्ड फूड (10) हथकर्घा वस्तुएं (11) दवाएं (12) टायर और ट्यूब ।

इस एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर निर्यात की जाने वाली कुछ आडेंटीफाइड आइटमों के लिए सीमाशुल्क क्लीयरेंस सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीमाशुल्क कलेक्टर, चण्डीगढ़ ने पहले ही अधिसूचना जारी करदी थी ।

(ख) जी, हां । तथापि एयर इंडिया अपनी अनुसूचित यात्री उड़ानों को हैंडल करने के लिए ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों का एक सैट जनवरी, 1982 में स्थापित करेगी ।

(ग) एयर इंडिया का अमृतसर और बरमिंघम के बीच जनवरी, 1982 से 707 विमान द्वारा सप्ताह में दो सेवाएं परिचालित करने का प्रस्ताव है । उड़ान का मार्ग बम्बई-दिल्ली-अमृतसर-मास्को-लंदन-बरमिंघम तथा वापसी होगा । बरमिंघम के लिये अमृतसर से उड़ानें स्थानीय समय के अनुसार 11.45 बजे मंगलवार तथा इतवार को होंगी तथा बर्मिंघम से वापसी उड़ानें बुधवार और सोमवार को स्थानीय समय के अनुसार 10.45 बजे अमृतसर पहुंचेगी ।

(घ) इस बारे में किसी अन्य एयरलाइन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि एरियाना अफगान एयरलाइन्स फिलहाल सप्ताह में एक उड़ान काबुल-अमृतसर-काबुल सैक्टर पर परिचालित कर रही है । इसके अतिरिक्त वह इस मार्ग पर प्रति सप्ताह एक भारवाही सेवा का परिचालन भी कर रही है ।

टिस्को के बोर्ड पर नाम निर्देशित सरकारी निदेशक

2095. **श्री ए०के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "टिस्को" के बोर्ड पर नाम निर्देशक किए गए सरकारी निदेशकों के नाम क्या हैं और 1 नवम्बर, 1981 के दिन काम करने वाले निदेशकों के नाम क्या हैं तथा पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ख) टिस्को बोर्ड में सरकारी निदेशकों में पिछले 2 वर्षों में क्या परिवर्तन किये गये ;

(ग) गत 2 वर्षों में बोर्ड की बैठकों की तारीखें क्या हैं और सरकारी निदेशक किन-किन में उपस्थित हुए ;

(घ) क्या सरकार ने कभी टिस्कों के लेखों की लेखा परीक्षा की है और क्या बोर्ड में सरकारी निदेशकों ने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कभी जांच की है ;

(ङ) क्या पिछले 2 वर्षों में कोई अनियमितता पाई गई ; और

(च) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : 1 नवम्बर, 1981 को टिस्को के निदेशक-मम्डल में शामिल निदेशकों के नाम विवरण में दिये गये हैं । सरकार द्वारा केवल इस्पात विभाग के सचिव श्री ए०एस० गिल को निदेशक-मण्डल में निदेशक नामित किया गया है ।

(ख) पिछले दो वर्षों में टिस्को के निदेशक-मण्डल में सरकारी निदेशकों में हुए परिवर्तन इस प्रकार हैं :—

क्र० सं०	नाम	निदेशक मण्डल में शामिल होने की तारीख	निदेशक का पद छोड़ने की तारीख
1.	श्री मंतोष सोंधी	25-5-1977	6-6-80 लेकिन वे वित्तीय संस्थाओं द्वारा मनोनीत किये गये सदस्य के रूप में 15-2-81 को निदेशक मण्डल में पुनः शामिल हो गए
2.	श्री एम. सभाद्दार	4-7-1980	19-8-1981
3.	श्री ए. एस. गिल	27-8-1981	निदेशक के पद चल रहे हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों में टिस्को के निदेशक-मंडल की 19 बैठकें हुई हैं, जिनमें से तीन बैठकों में सरकारी निदेशक उपस्थित थे।

(घ) से (च) : देश के "प्रथम 20 बड़े औद्योगिक घरानों" से संबंधित कम्पनियों की जांच योजना के अन्तर्गत सामान्य तौर पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209-ए के अधीन 1975-76 में कम्पनी की लेखा पुस्तकों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की गई थी। लेकिन सरकारी निदेशकों को जांच की रिपोर्ट पढ़ने का कोई अवसर नहीं मिला।

दूसरी बार मार्च, 1979 में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कम्पनी की जांच करने के लिए पुनः आदेश दिया गया था। जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

1 नवम्बर, 1981 को टिस्को के निदेशकों के नाम

1. श्री जे० आर० डी० टाटा
2. श्री एन० ए० पालखीवाला
3. श्री आर० एच० मोदी
4. श्री केशव महिन्द्र
5. श्री एम० पी० वधावन
6. श्री अकबर हैदरी
7. श्री एस० ए० सावावाला
8. श्री आर० एन० टाटा
9. श्री एच० सी० सरीन
10. श्री एन० एन० वाडिया
11. श्री जे० आर० जोशी
12. श्री मंतोष सोंधी
13. श्री ए० एस० गिल
14. श्री ए० के० बोस
15. श्री एस० आर० सुब्बारमण
16. डा० जे० जे० ईरानी
17. श्री के० सी० मेहरा

इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की रक्षित रिफ्रेक्टरीज

2096. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार रिफ्रेक्टरीज को इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की रक्षित रिफ्रेक्टरीज बनाने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को कोई आदेश जारी किया है कि बर्न रिफ्रेक्टरीज को क्रयादेश भेजे जायें ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खानमंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी): (क) सम्भवत माननीय सदस्य का संकेत बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड (बी० एस० सी० एल०) की उप्मसह इकाइयों की ओर है। सरकार ने बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की चार उप्मसह इकाइयों को 'इस्को' की रक्षित इकाइयाँ बनाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ) जून, 1978 में इस्को को उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए सलाह दी गई थी ताकि बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी लि० की उप्मसह इकाइयों से खरीद अधिकाधिक की जा सके यदि वे इकाइयां मूल्य, प्रेषण और क्वालिटी संबंधी मापदण्ड पूरा करें।

आयात बिल

2097. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश का वर्षवार आयात बिल क्या था ;

(ख) आयात बिल में कमी लाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) आयात बिल में कमी किन वस्तुओं के द्वारा लाई जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) गत तीन वर्षों में सीमा शुल्क के आँकड़े के अनुसार भारत के अयातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहा है ;

वर्ष	करोड़ रु०
1978-79	6814,80
1979-80	9021,75
1980-81*	12434,58

* अनन्तिम।

(ख) तथा (ग) पी०ओ०एल०, उर्वरक, अलौह धातुओं, इस्पात, सीमेंट, खाद्य तेल आदि जैसे आवश्यक आयतों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने से आयात बिल की वृद्धि में रोक लगाने की संभावना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलना

2098. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों की हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलने के बारे में 3 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6334 के उत्तर (अनुबंध 1) के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बैंकों द्वारा 26 स्थानों में से (जैसा कि उत्तर में बताया गया है) हिमाचल प्रदेश में जिला-वार किस-किस स्थान पर शाखाएं खोली गई हैं और सम्बद्ध बैंकों के नाम क्या हैं ;

(ख) शेष शाखाएं कब तक खोल दी जायेंगी ;

(ग) अनुबन्ध 11 में उल्लिखित स्थानों में से किन-किन स्थानों पर इस बीच बैंक की शाखाएं खोली जा चुकी हैं ; और

(घ) शेष शाखाएं कब तक खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) 26 केन्द्रों में से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा खोलने के लिए अलग-अलग बैंकों को 14 केन्द्रों का आवंटन पहले ही कर दिया गया है । 4 केन्द्रों के सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सम्बद्ध लीड बैंकों को सलाह दी है कि वे शाखा खोलने की संभाव्यता की जांच करें । हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिन केन्द्रों की सिफारिश की भी उनमें से शेष बचे 8 केन्द्र या तो निकट के केन्द्रों पर कार्यरत बैंक शाखाओं द्वारा व्याप्त थे अथवा आवश्यक आधारभूत ढांचे की सुविधाओं से वंचित पाये गए थे । तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार से वैकल्पिक केन्द्र सुझाव का अनुरोध किया है ।

उन 14 केन्द्रों के ब्यौरे जिनके लिए आवंटन कर दिया गया है वे विवरण में दिये गए हैं। बैंकों को इन स्थानों पर त्वरित रूप से शाखाएं खोलने की सलाह दी गई है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में 14 केन्द्रों के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

केन्द्र का नाम	जिला	आवंटित बैंक का नाम	आवंटन की तारीख
1. खड़वायन	उना	पंजाब नेशनल बैंक	1-10-81
2. गेहरबिन	विलासपुर	यूनाइटेड कामर्शियल बैंक	1-10-81
3. मण्डल	शिमला	—तदेव—	1-10-81
4. चनहट्टी	शिमला	पंजाब नेशनल बैंक	1-10-81
5. खोलीघाट	शिमला	भारतीय स्टेट बैंक	1-10-81
6. कुतहार	सोलन	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1-10-81
7. पोमेहर	सोलन	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1-10-81
8. साधुपुल	सोलन	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1-10-81

9. भूमपाल	हमीरपुर	पंजाब नेशनल बैंक	1-10-81
10. काँगू	हमीरपुर	भारतीय स्टेट बैंक	1-10-81
11. गेलोर	हमीरपुर	पंजाब नेशनल बैंक	1-10-81
12. तापड़ी	किन्नौर	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	4-6-81
13. शावर	कुल्लु	हिमाचल ग्रामीण बैंक	20-11-81
14. बडोह	कोगड़ा	—तदेव—	5.11-81

पटसन उद्योग की लाभप्रदता

2099. **श्री सुबोध सेन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग की लाभप्रदता के बारे में इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखते हुए इस बात पर विचार किया है कि मिलें बन्द क्यों नहीं हो रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि एक ओर पटसन मिलें निर्धनतम हो रही हैं परन्तु मिल मालिक नहीं ;

(ग) क्या उनको पता है कि सभी मिलें न्यूनतम मूल्य से कम 40-50 रु० क्विंटल मूल्य पर पटसन खरीद रही हैं और लाभप्रदता के आंकड़े न्यूनतम मूल्य पर आधारित हैं और पटसन आयुक्त द्वारा इन आंकड़ों के आधार पर उद्योग की सहायता की सिफारिश की जा रही है ;

(घ) क्या पटसन आयुक्त ने इस बात को मानने से पूर्व की मिलों की नकदी सम्बन्धी स्थिति चिन्ताजनक है, विभिन्न पटसन मिलों के 1980 के तुलनपत्रों की जांच की है ; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) इस समय बाजार की मंदी की दशाओं के कारण पटसन उद्योग कठिन स्थिति में है। तथापि, 1979 तथा 1980 के आरम्भ में उद्योग की व्यापारिक दशा लाभकारी थी। अतः उद्योग में चक्रीय प्रतिकूल परिस्थिति का जो एक अस्थाई स्थिति है सामना करने की शक्ति है।

(ख) इस बात के प्रमाणस्वरूप सरकार के पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

(ग) व्यावहारिक रूप से सभी मामलों में, मिलों द्वारा पटसन की खरीद की संविदाओं के दस्तावेजों से पता चलता है कि मिलों द्वारा कानूनी न्यूनतम कीमत अदा की गई है। सामान्य रूप में मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों से पटसन की कीमतें निश्चित होती हैं। इस वर्ष भारी मात्रा में में कच्चे पटसन की सप्लाई के कारण पटसन उपजकर्ताओं की सौदा करने की स्थिति कमजोर है। सरकार ने निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में पटसन माल के अनेक निर्यातों पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता दी, यह सहायता मिलों में उत्पादन लागत को इमदाद देने के लिए नहीं दी है बल्कि अधिक भाड़ा

बाजार संवर्धन की उच्चतर लागत तथा अधिक करों और शुल्कों के कारण, जो सामान्यतः शुल्क वापसी के जरिए वापस नहीं किए जाते, प्रतियोगी देशों के निर्यातकों की तुलना में निर्यातकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अनुभव की जाने वाली प्रतियोगिता सम्बन्धी हानियों को निष्प्रभावी करने के लिए दी ।

(घ) पटसन आयुक्त का कार्यालय पटसन उद्योग की आर्थिक दशा पर टिप्पणी करने से पहले विभिन्न पटसन मिल कम्पनियों के प्रकाशित तुलनपत्रों की जांच करता रहा है ।

(ङ) पटसन उद्योग को वर्तमान मंदी की स्थिति से उभारने के लिए निम्नोक्त प्रोत्साहन उपाय किए गए हैं :

(1) बाजार स्थिरता के उपाय के रूप में जब टाइम ब्रिजिंग आपरेशन के तौर पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा, रखी जाने वाली मांग पर डी.जी.एस एण्ड डी. की मार्फत ई० सी० अधिनियम के अन्तर्गत वी ट्विल बोरों की एक लाख गांठों की अधिप्राप्ति, जिसका समायोजन भविष्य में उसकी मांग के आधार पर किया जाएगा ।

(2) निर्यात संवर्धन के उपाय के रूप में पटसन माल की लगभग सभी निर्यात योग्य वस्तुओं के, जिन में पटसन के कालीन के अस्तर का कपड़ा शामिल है, निर्यातों पर एफ ओ. बी. मूल्य पर 1 सितम्बर, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक नकद मुआवजा देना ।

(3) सीमेंट उद्योग को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे पुराने पटसन बोरों का प्रयोग 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दें । दूसरे शब्दों में, भविष्य में सीमेंट की पैकिंग के लिए 90 प्रतिशत नये पटसन बोरे प्रयोग में लाने होंगे ।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे कच्चे पटसन के लिए कीमत समर्थन कार्य के रूप में भारतीय पटसन निगम से 4 सप्ताह की खपत और नवम्बर, 1981 से लेकर जनवरी, 1982 तक के चरम मौसम के दौरान 2 सप्ताह की अतिरिक्त खपत सहित 14 सप्ताह की खपत तक कच्चे पटसन की खरीद के लिए पटसन मिलों को अतिरिक्त ऋण दें । बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे नवम्बर तथा दिसम्बर में की जाने वाली कच्चे पटसन की खरीद के लिए मार्जिन को घटाकर 10 प्रतिशत तथा जनवरी 1982 में की जाने वाली खरीद के लिए मार्जिन को घटाकर 15 प्रतिशत करने पर भी विचार करें ।

(5) मिलों द्वारा पटसन की खरीद की समीक्षा करने के लिए पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में एक मानीटरिंग तथा समीक्षा समिति स्थापित की गई है ।

(6) पटसन वस्त्रों पर कार्यदल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक शक्ति सम्पन्न समिति स्थापित की गई है ।

अनुभाग अधिकारियों को अग्रिम कार्मिक वेतन वृद्धि

2100. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** अनुभाग अधिकारियों को अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि के बारे में 18 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4336 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभाग अधिकारियों को दो अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धियां देने और अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय में श्रेणी एक अधिकारियों के रूप में दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में अब तक कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दोनों पदों अर्थात (1) अनुभाग अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धियों की मंजूरी ; और (2) उनका श्रेणी एक के अधिकारियों के रूप में दर्जा बढ़ाए जाने के संबंध में अन्तिम निर्णय लेना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद (जे० सी०एम०) के कर्मचारी पक्ष के कुछ नामांकन प्राप्त नहीं हुए थे और परिषद को पुनर्गठित नहीं किया जा सका । इसलिए मामला अभी तक कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद (जे० सी० एम०) में अनिर्णीत पड़ा है ।

उड़ीसा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को सहायता

2101. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए उपलब्ध किए गए आधार ढांचे का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार इस आधार ढांचे को इन राज्यों में पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग में पुरी (उड़ीसा) में एक यूथ होस्टल का निर्माण किया है । विभाग का सिमलीपाल (उड़ीसा) में एक वन गृह के निर्माण का प्रस्ताव है । भारतीय यात्री आवास विकास समिति का पर्यटन विभाग के सक्रिय सहयोग से पुरी में यात्रिका (धर्मशाला) का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है ।

भारत पर्यटन विकास निगम का भुवनेश्वर में एक होटल कलिंग अशोक है, कोणार्क में एक यात्री गृह है और भुवनेश्वर में एक परिवहन यूनिट है ।

कोणार्क में पर्यटक सुविधाओं का विनियमित ढंग से विकास सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कोणार्क का एक मास्टर प्लान (भूमि-उपयोग योजना) तैयार की है ।

भारत पर्यटन विकास निगम का उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में पुरी और कोणार्क में एक-एक होटल का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। यदि व्यवहार्यता अध्ययन सन्तोषजनक रहा तो भारत पर्यटन विकास निगम का भुवनेश्वर में होटल कलिंग अशोक का विस्तार करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने आधारिक संरचना संबंधी भावी विकास के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उड़ीसा में दो यात्रा परिपथ भी निर्धारित किए हैं। केन्द्रीय व पर्यटन विभाग का बिहार के अंतर्गत पटना अथवा राजगीर में एक यूथ होस्टल का निर्माण करने का, बक्सर में एक पर्यटक गांव कम्पलैक्स और बेतला में वन गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारतीय यात्री आवास विकास समिति का केन्द्रीय पर्यटन विभाग के सक्रिय सहयोग से बक्सर में एक यात्रिका (धर्मशाला) बनाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बौद्धगया, राजगीर और नालन्दा की मास्टर प्लानें (भूमि-उपयोग योजना) तैयार की हैं। बौद्धगया में सुविधाओं के विकास के लिए 19.54 लाख रुपए की लागत से 21.56 एकड़ भूमि एक्वायर की गयी है। राजगीर और नालन्दा में क्रमशः एक पर्यटक बंगला और कैफेटेरिया प्रस्तावित है।

भारत पर्यटन विकास निगम का बौद्धगया में एक यात्री गृह और पटना में होटल पाटली पुत्र आशोक है। इसका पटना में एक परिवहन यूनिट भी है। भारत पर्यटन विकास निगम का बौद्धगया में स्थित अपने यात्री गृह का विस्तार करने का और रांची में एक नए होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बिहार में आधारिक संरचना संबंधी भावी विकास के लिए राज्य सरकार के परामर्श से तीन यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने नैनीताल में एक यूथ होस्टल का निर्माण किया है। इसका दुधवा नेशनल पार्क में भी एक वन गृह का निर्माण करने का प्रस्ताव है। ट्रेकिंग कार्यक्रमों के विकास के लिए ट्रेकिंग उपस्करों की खरीद के वास्ते, विशेष रूप से युवाओं के लिए, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को 6.26 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए हैं।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती की मास्टर प्लानें (भूमि-उपयोग योजनाएं) तैयार की हैं और फतहपुर सीकरी, ब्रजभूमि क्षेत्र और पिपरवाह की मास्टर प्लानें तैयार की जा रही हैं। कुशीनगर और श्रावस्ती की माइको-प्लानिंग तैयार की जा रही है। मास्टर प्लानों और विस्तृत माइको-प्लानिंग के आधार पर अवस्थानुसार ढंग से पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

भारत पर्यटन विकास निगम का वाराणसी अशोक और कुशीनगर में यात्रीगृह है और आगरा में होटल मुमताज अशोक की प्रबन्ध व्यवस्था चला रहा है। इसके आगरा में दो रेस्तरां और कोसी में एक रेस्तरां है। यह आगरा और वाराणसी में दो परिवहन यूनिट भी चला रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम का उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में गोरखपुर नैनीताल में एक होटल के निर्माण का भी प्रस्ताव है। यह केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने भावी विकास के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उत्तर प्रदेश में तीन यात्रा परिपथ

निर्धारित किए हैं। जापान से बौद्धतीर्थ यातायात के संवर्धन के लिए भारतीय होटल निगम, जो कि एयर-इंडिया की एक सहायक संस्था है, मैसर्स होक्के क्लब आफ जापान के सहयोग से कुशीनगर और राजगीर में जापानी ढंग के एक-एक होटल का निर्माण कर रहा है।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग के वाराणसी और आगरा में अपने पर्यटक सूचना कार्यालय हैं। राज्यों के पर्यटन निदेशालयों के भी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर अपने पर्यटक ब्यूरो हैं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सूचना और संवर्धन के लिए उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश पर निम्नलिखित साहित्य भी प्रकाशित है :

फोल्डर और निर्देशिकाएं

1. दिस इस इंडिया
2. डिस्कवर इंडिया
3. डिस्कवर कलकत्ता एण्ड दी ईस्ट
4. बुद्धिस्ट श्राइन्स
5. वाराणसी बौद्धगया
6. हैरिटेज आफ डांस
7. वाइल्ड लाईफ
8. फेयर्स एण्ड फेस्टीवल्स
9. पुरी-भुवनेश्वर-कोणार्क
10. ए लैंड फार दी यंग
11. आऊट डोर्स/प्लेग्राउंड्स इन दी सन
12. बीच हालिडे
13. साड़ी फोल्डर
14. हिमालयान हालिडे
15. डिस्कवर दिल्ली एण्ड नार्थ
16. आगरा एण्ड ताज
17. शापर्स पैराडाइज
18. बौद्धगया-राजगीर-नालन्दा
19. पटना-वैशाली
20. न्यूजियम्स एण्ड आर्ट गैलरीज
21. कंडेक्टेड साइटसीइंग टूअर्स
22. मैप आफ इंडिया
23. वाराणसी-बौद्धगया रोड-रूट मैप।

पोस्टर

1. मधुबनी पेंटिंग
2. बाइल्डलाईफ
3. रथयात्रा-पुरी
4. कोणार्क स्कलपचर-ड्रगर
5. ताज
6. फतहपुर सीकरी
7. बाथिका घाट-वाराणसी

फिल्म

1. हालिडे इन इंडिया
2. ग्लिंपसेज आफ इंडिया
3. इन दी फुटस्टेप्स आफ बुद्धा
4. ग्लिंपसेज आफ ईस्टर्न इंडिया
5. कोणार्क
6. डेस्टिनेशन कलकत्ता
7. इंडिया ए लैंड फार आल सीजन्स
8. इमेजेस आफ इंडिया
9. सन-सर्फ सैंड

पर्यटकों को पर्यटक अभिरुचि के स्थान दिखाने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग के आगरा में 60 और वाराणसी में 29 अनुमोदित पर्यटक गाइड हैं।

स्वागत और सूचना सुविधाओं की व्यवस्था की समय-समय पर जैसे ही जरूरत बढ़ती है, उनकी पुनरीक्षा की जाती है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग लखनऊ, पटना और भुवनेश्वर जैसी, राज्यों की राजधानियों में पर्यटक कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है। अन्य पर्यटक केन्द्रों पर प्रशिक्षित गाइड उपलब्ध कराने के लिए भी केन्द्रीय पर्यटन विभाग अपने क्षेत्र कार्यालयों के परामर्श से एक स्कीम तैयार कर रहा है। इसके अलावा, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य पर एक ब्रोशर निकालने का प्रस्ताव है।

वित्तपोषी संस्थाओं द्वारा मोहन ओटमन को दिये गए ऋण

2102. **विश्व नाथ शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वित्तपोषी संस्थाओं (जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औदयोगिक विकास बैंक और आई० सी० आइ० सी० आई०) द्वारा मोहन ओटमन को कितने ऋण दिये गये ;

(ख) कितने ब्याज तथा देय किस्तों की अदायगी अभी तय नहीं की गई और क्या कार्यवाही करने का विचार है, ऋण एवं ब्याज अदायगी अनुसूची को कितनी वार बदला गया है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) संचयी हानियां क्या हैं और क्या कोई ऐसी संभावना है कि ऋणों की वापस अदायगी नहीं हो सकेगी, यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही होने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय जीवन बीमा निगम ने मोहन ओर्टमन एण्ड हर्ब्स्ट लिमिटेड को कुल 127.36 लाख रुपये तथा 11.46 लाख डयसमार्क के विदेशी मुद्रा ऋण दिए हैं।

(ख) इस कम्पनी ने क्रमश: 21.37 लाख रुपये के ब्याज की अदायगी तथा एक लाख रुपये की मूल रकम की वापसी अदायगी करने में व्यतिक्रम किया है। कम्पनी को लगातार नकदी हानियां होते रहने के कारण मूल रकम की वापसी अदायगी का कार्यक्रम दो वार संशोधित किया गया है और ब्याज की अदायगी को आस्थगित किया गया था। ये संस्थाएं अपनी प्राप्य रकमों को शीघ्र बेबाकी के लिए कम्पनी के साथ आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं।

(ग) 31 मार्च, 1981 को स्थिति के अनुसार मोहन ओर्टमन एण्ड हर्ब्स्ट लिमिटेड को एकत्रित हानियों की रकम 97.25 लाख रुपये थी। इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधिक ऋणों के सम्बन्ध में कम्पनी की स्थिर परिसम्पत्तियों को दृष्टिवन्धक रखकर पर्याप्त जमानत ली जाती है। 31 मार्च, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान मोहन ओर्टमन एण्ड हर्ब्स्ट लिमिटेड के कार्यचालन में हुए सुधार को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं को इस बात की आशंका नहीं है कि कम्पनी द्वारा उन्हें देय बकाया राशियों की वापसी अदायगी उसके द्वारा नहीं की जाएगी।

लीड बैंक, स्टेट बैंक गोरखपुर द्वारा की गई प्रगति

2103. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीड बैंक, स्टेट बैंक, गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कितनी प्रगति प्राप्त की गई ;

(ख) बैंक द्वारा उक्त अवधि में कोर सैक्टर तथा समाज के कमजोर वर्गों को कितने ऋण दिपे गये ;

(ग) इस अवधि के दौरान दिये गये ऋणों में से पांच लाख रु० से अधिक, एक लाख रु० से पांच लाख रु० तक के, और 25 हजार रुपये से एक लाख रु० तक के ऋणों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार गोरखपुर में बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ताकि

बैंकिंग गतिविधियों को विस्तार किया जा सके और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों की द्रुत गति से प्रगति सुनिश्चित हो सके ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट): (क) और (ख) : माननीय सदस्य संभवतः, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जहां कि भारतीय स्टेट बैंक का लीड दायित्व है, इस बैंक द्वारा की गई प्रगति की जानकारी चाहते हैं।

बैंक की शाखाओं में वृद्धि और इसके समग्र अग्रिमों और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को इसके अग्रिमों से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दिये गये हैं :—

गोरखपुर जिले में भारतीय स्टेट बैंक

	जून 1969	अक्टूबर 1981
शाखाओं की संख्या	3×	40
समग्र अग्रिम (लाख रुपये) जिसमें से :	309	1798
(1) कृषि (लाख रुपये)	4	863
(2) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (लाख रुपये)	2	206

×इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक के 9 उप-कार्यालय भी थे जिन्हें बाद में सम्पूर्ण शाखा में बदल दिया गया।

(ग) सितम्बर 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, गोरखपुर जिले में भारतीय स्टेट बैंक के ऋणों का वितरण इस प्रकार था :

लिमिट्स का आकार	लेखों की संख्या
25,000 रुपये तक	47199
25,000 रुपये और एक लाख रुपये के बीच	12617
एक लाख और पाँच लाख रुपये के बीच	50
पाँच लाख रुपये से अधिक	12

(घ) वाराणसी में भारतीय स्टेट बैंक का एक क्षेत्रीय कार्यालय है जो गोरखपुर जिले और वाराणसी खण्डों (बस्ती जिले के अलावा) की शाखाओं को देखता है। गोरखपुर और देवरियों जिलों के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा गोरखपुर जिले के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कलकत्ता में भू-विज्ञानी प्रशिक्षु के रूप में साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार

2104. **श्री जमील्लुरंहमान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कलकत्ता में कितने उम्मीदवारों को "भू-विज्ञानी प्रशिक्षु" के रूप में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय भूविज्ञानी परीक्षा, 1980 के लिखित भाग में उत्तीर्ण 244 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। 372 उम्मीदवार भूविज्ञानी परीक्षा, 1981 में उत्तीर्ण हुए हैं। इन उम्मीदवारों के साक्षात्कार 21 दिसम्बर, 1981 से प्रारम्भ होंगे। आयोग द्वारा ये साक्षात्कार दिल्ली में किए जाते हैं, कलकत्ता में नहीं।

बनावटी बादलों से बनावटी वर्षा

2105. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी भाग में बनावटी बादलों से बनावटी वर्षा लाने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रयास किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या कोई अन्य देश इस कार्यक्रम से सफल हुआ है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

आल इण्डिया इन्कम टैक्स एम्पलाइज फेडरेशन से अभ्यावेदन

2106. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या वित्त मंत्री आल इंडिया इन्कम टैक्स इम्पलाइज फेडरेशन से प्राप्त ज्ञापन के बारे में 21-3-1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1409 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आल इंडिया इन्कम टैक्स एम्पलाइज फेडरेशन से अध्यावेदन क्रमांक ए० आई० आई० टी० ई० एफ०/विविध (1)/ 79-80 दिनांक 10 जुलाई, 1979 संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन तथा उसके संलग्नकों का विषय/ब्यौरे क्या हैं ?

(ग) क्या बोर्ड ने गृह मंत्रालय से प्राप्त स्पष्टीकरण के बावजूद उपरोक्त फेडरेशन से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को मिसिल में रख दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो बोर्ड किन परिस्थितियों के अन्तर्गत सरकारी अनुदेशों का पालन नहीं कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) जी, हां।

विषय/ब्यौरे अनुबंध 1 तथा 2 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-305/81]

(ग) तथा (घ) आल इण्डिया इन्कम टैक्ट एम्पलाइज फैडरेशन एक मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। चूंकि इस फैडरेशन ने सामान्यत: कर्मचारियों के आमहित के ऐसे मामले उठाये हैं जो इन्कम टैक्स इम्पलाइज फैडरेशन द्वारा, जो कि एक मान्यता प्राप्त संस्था है, पहले ही उठाए जा चुके हैं, अत; गैर मान्यताप्राप्त आल इण्डिया इन्कम टैक्स इम्पलाइज फैडरेशन के अभ्यावेदनों पर कोई अलग से कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

असम चाय निगम के अधीन चाय बागानों में व्याप्त भ्रष्टाचार

2107. **श्री डी० एम० पुते गोडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम चाय निगम के अधीन 19 चाय बागानों में भ्रष्टाचार व्याप्त है ;

(ख) क्या मशीनरी के खरीद के मामले में कलकत्ता की कुछ फर्मों के प्रति दिखाए गए पक्षपात सहित अनेक प्रशासकीय अनियमितताएं सामने आई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त अनियमितताओं के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है ; और

(ङ) मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिनेमाघरों द्वारा प्रत्यक्ष करों का अपवंचन

2108. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आनन्द बाजार पत्रिका "सण्डे" दिनाक 11 अक्तूबर, 1981 में "थियेटर्स इन यू० पी० ईवेड टैक्स" उत्तर प्रदेश में सिनेमाघरों द्वारा कर का अपवंचन शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जहां तक कि सिनेमाघरों द्वारा प्रत्यक्ष करों के अपवंचन की बात है, क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कर अपवंचन करने वालों के विरुद्ध तेज अभियान आरम्भ करके कर अपवंचन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) उक्त लेख में, उत्तर प्रदेश में सिनेमाघरों द्वारा मनोरंजन कर की चोरी के बारे में उल्लेख है जो कि राज्य सरकार का विषय है । तथापि, आयकर प्राधिकारियों ने मनोरंजन कर प्राधिकारियों से कहा है कि टिक्टों की नाजायज बिक्री के जिस मामले का उन्हें पता चले उसके बारे में वे सूचना भेजें ताकि जहां कहीं आवश्यक हो प्रत्यक्ष कर कानूनों के अधीन यथापेक्षित कार्यवाही की जा सके ।

वर्ष 1981-82 के दौरान चीनी का आयात

2109. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान चीनी का कितना आयात किया जायेगा ; और

(ख) चीनी निर्यातकों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) अगस्त से अक्तूबर, 1981 के दौरान 2,14,650 मे० टन चीनी का आयात किया गया है ।

(ख) देश में चीनी का एकमात्र निर्यातक राज्य व्यापार निगम है क्योंकि चीनी का निर्यात इसकी मार्फत सरणीबद्ध है ।

आदिवासी क्षेत्रों में टसर उगाये जाने की योजना

2110. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने आदिवासी कल्याण के उपाय के रूप में देश के आदिवासी क्षेत्रों में 8 करोड़ रु० के निवेश से टसर उगाये जाने की एक योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक भी इस परियोजना के लिये दो करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा की उपयोजना का ब्यौरा अर्थात प्रस्तावित परिव्यय क्या है, ये पेड़ किन क्षेत्रों में लगाये जाएंगे और उद्योग कहाँ लगाये जाएंगे तथा इसके फलस्वरूप रोजगार की कितनी संभावनाएं होंगी ; और

(घ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हाँ । देश के आदिवासी क्षेत्रों में अन्तः राज्य टसर परियोजना पर परियोजना योजना अवधि के दौरान निवेश परिव्यय 10.50 करोड़ रु० है ।

(ख) जी नहीं । रेशम के क्षेत्र में विपक्षीय करार के अन्तर्गत स्विटजरलैंड सरकार से 2.50 करोड़ रु० की सहायता मिलने की आशा है ।

(ग) अन्तः राज्य टसर परियोजना के अन्तर्गत, परियोजना अवधि के दौरान उड़ीस के लिये 1.60 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 हैक्टार को अर्जुन टसर बागान के अन्तर्गत लाया जाएगा जिसमें मथुर गंज, क्याझर, सुन्दरगढ़, डेनकनाल के जिलों और राज्य के कटक जिलों को कवर किया जाएगा और इन क्षेत्रों में 1000 टसर उगाने वाले आदिवासी परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा ।

(घ) परियोजना दो भागों में कार्यान्वित की जाएगी, 1981-82, 1983-84 पहला भाग होगा । इसकी समीक्षा पर आधारित दूसरा भाग 1984-85, 1985-86 के दौरान लिया जाएगा ।

नारियल के तेल का आयात

2111. **श्री के० लकप्पा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान नारियल के तेल का कितना आयात किया गया है ; और किन किन देशों से आयात किया गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) वर्ष 1981 के लिये आयात आँकड़े अभी संकलित नहीं किये गये हैं ।

वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान चीनी का आयात

2112. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में चीनी का अनुमानित कितना आयात किया जाएगा और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आयातित चीनी का वितरण राज्यों को किस प्रकार किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) 1982-83 तथा 1983-84 में चीनी आयात करने की फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है । इसके परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान आयातित चीनी के वितरण का प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल को ढलाईघरों के लिए ढलवा लोहे का कम आवंटन

2113. **श्री निरेन घोष** :

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में ढलाई घरों की संख्या काफी ज्यादा है ;

(ख) देश में राज्य-वार कुल कितने ढलाई घर हैं, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में ढलाई घरों की संख्या सबसे ज्यादा होने के बावजूद पश्चिम बंगाल को उसके ढलाई घरों के लिए कम ढलवा लोहा मिल रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्यों को, जहाँ पश्चिम बंगाल ढलाई घरों की संख्या से काफी कम है, ज्यादा ढलवा लोहा मिल रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(च) राज्यों को ढलवा लोहे का आवंटन किस आधार पर किया जाता है ; और

(छ) इस भेदभाव को दूर करने तथा एक न्यायोचित नीति अपनाये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (छ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वस्त्र उद्योग की रुग्णता

2114. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वस्त्र उद्योग को गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; जिस कारण यह रुग्ण उद्योग में बदलता जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने देश में वस्त्र उद्योग की रुग्णता के मुख्य कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बाधाओं को दूर करने तथा इस उद्योग को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं । किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) वस्त्र उद्योग समय समय पर कुछ समस्याओं का सामना करता रहा है । अलग-अलग मामलों में समय-समय पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर संकटग्रस्तता का पता लगाया जाता है, जो कि प्रत्येक मामले में विद्यमान कुल परिस्थितियों पर निर्भर करता है । संकटग्रस्त एककों को पुनः चालू करने के लिए किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं : अधिग्रहण करना, किसी स्वस्थ एकक के साथ विलय करना तथा प्रबन्ध में परिवर्तन करना ।

"इस्को" की राशन दुकान के मैनेजर के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच

2115. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने "इस्को" की राशन दुकान के मैनेजर के विरुद कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) के साथ पठित 5 (1) (ई) के अन्तर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कलकत्ता ने 10-8-1981 को इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के प्रबन्धक (सहकारिता व राशनिंग) के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

उज्जैन में विनोद तथा विमल टैक्सटाइल मिल्स को वित्तीय सहायता

2116. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन, मध्य प्रदेश में विनोद तथा विमल टैक्सटाइल मिलों को चलाने के लिए सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मिल का अधिग्रहण करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) उज्जैन में विनोद तथा विमल मिल्स के परिचालन सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख नहीं हैं।

अफीम का अनबिका भंडार

2117. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अफीम के अनबिके भण्डार पड़े हैं ; और यदि हां, तो विभिन्न राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश में 31 अक्तूबर 1981 को अफीम का कितना अनबिका भण्डार पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या पोस्त केप्सूलों से सीधे अफीम निकालने की नई तकनीक के कारण इसके विश्व मण्डी मूल्यों में काफी गिरावट आ गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस दिशा में भारत में कोई प्रयोग किए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो अफीम के अनबिके भण्डारों को बेचने तथा किसानों को घाटे से बचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) अफीम का भण्डार गाजीपुर (उ०प्र०) तथा नीमच (म०प्र०) स्थित सरकारी अफीम कारखानों में रखा जाता है। 31-10-1981 को (अफीम) के भण्डार की स्थिति इस प्रकार थी :—

	मीटरी टनों में 900 गाड़ता पर
सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	1504
सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	1022
	2526

(ख) विश्व में स्वापकों का उत्पादन तथा पूर्ति मांग के मुकाबले अत्यधिक बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन कच्ची सामग्रियों के भाव तेजी से गिरे हैं।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अफीम का निर्यात-मूल्य काफी घटा दिया गया है तथा क्रेताओं को अफीम और अधिक खरीदने के लिए प्रोत्साहन छूट देने की पेशकश की गई है।

वर्तमान नियमों के अनुसार किसानों द्वारा उत्पादित सारी अफीम सरकार खरीद लेती है। अतः सरकार के पास बचे अनबिके स्टाक के लिए किसानों को किसी प्रकार का घाटा नहीं होने दिया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में सलूर जूट फैक्टरी के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण

2118. **श्री वी० किशोर चन्द्र एल० देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले में सलूर जूट फैक्टरी जो विशेष रूप से आदिवासी तथा पिछड़े लोगों के लिए है, के लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया है ; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने संशोधित प्रस्ताव भेजे हैं, यदि नहीं, तो इस फैक्टरी को आदिवासी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक उनके औद्योगिक लाइसेंस का सम्बन्ध है ए० पी० फाइबर्स लि०, विजय-

नगरम ने कोई संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। पुरानी पटसन मिल मशीनरी के आयात के लिए उनका संशोधित आवेदनपत्र सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रपाड़ा उड़ीसा में जूट मिल

2119. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रपाड़ा, उड़ीसा में एक जूट मिल की स्थापना के लिए उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम को औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) केन्द्रपाड़ा, उड़ीसा में एक जूट मिल स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिये उड़ीसा औद्योगिक विकास निगक के आवेदनपत्र पर 17-3-81 को लाइसेंसिंग समिति में विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया था। उड़ीसा ओद्योगिक विकास निगम ने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आवेदन पत्र दिया है। इस मामले पर पुनर्विचार किया गया और आवेदनपत्र को मई, 1981 में अस्वीकार कर दिया गया।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास निकल का रक्षित भण्डार

2120. **श्री जगदीश टाइटलर**: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकल, जो शत-प्रतिशत आयातित धातु है और जिसके आवंटन हेतु खनिज तथा धातु व्यापार निगम एकत्र वितरक एजेंट है, खुले बाजार में "काले बाजार" मूल्यों पर कैसे उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि छः महीने की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खनिज तथा धातु व्यापार के पास पर्याप्त रक्षित भण्डार कहा जाता है, यह भण्डार भी कम हो गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इससे उत्पन्न स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : प्राइमरी निकल का आयात खनिज व धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत है। वास्तविक प्रयोक्ता विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समय समय पर निकल का आयात सीधे भी करते हैं।

(ख) तथा (ग) खनिज व धातु व्यापार निगम निकल का बफर स्टाक नहीं रखता है। वास्तविक प्रयोक्ताओं की पंजीकृत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित माल रखा जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की भर्ती

2121. **श्री आर० आर० भोले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक केन्द्रीय भर्ती एजेंसी के प्रभाव में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके कारण काफी धन व्यय होता है तथा साक्षात्कार आदि आयोजित करने के लिए वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के समय की भी बर्बादी होती है ;

(ख) क्या बैंकिंग उद्योग के लिए बनाए गए भर्ती बोर्डों की पद्धति पर इन उपक्रमों के लिए एक केन्द्रीय भर्ती एजेंसी बनाए जाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कृषि से लेकर विमानन और इस्पात से पर्यटन तक विभिन्न कार्यक्षेत्र हैं। इन उद्यमों को अपनी सामूहिक कार्य-योजनाओं को ध्यान में रखकर अपनी जन-शक्ति तथा भर्ती सम्बन्धी योजना बनानी पड़ती हैं। इन उद्यमों के समुचित कार्यचालन के उद्देश्य से उन्हें उपयुक्त स्वायत्तता भी प्रदान की गई है। यही कारण है कि सरकारी उद्यम अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती कर सकते हैं। अतः बैंकिंग सेवा आयोग के पैटर्न पर केन्द्रीय भर्ती एजेंसी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह भी निश्चित नहीं है कि केन्द्रीय भर्ती से वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के समय की अवश्य ही बचत होगी या भर्ती सम्बन्धी खर्च में कमी होगी।

इण्डियन एयरलाइन्स में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली

2122. **श्री रसीद मसूद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इण्डियन एयरलाइन्स में कम्प्यूटर से आरक्षण प्रणाली का प्रस्ताव पहली बार कब किया गया था और इसे कब मंजूरी दी गई थी ;

(ख) इस निर्णय को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) इस निर्णय के क्रियान्वयन में विलम्ब के फलस्वरूप इसकी लागत में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इन्डियन एयरलाइन्स के लिए कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली का प्रस्ताव पहले पहल 1972 के आरम्भ में किया गया था।

(ख) प्रारम्भ में इन्डियन एयरलाइन्स की भी आवश्यकता पूरी करने के लिये एयर इंडिया की ही उपलब्ध कम्प्यूटर क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव था। बाद में इस प्रस्ताव को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया। इन्डियन एयरलाइन्स के लिये एक अलग कम्प्यूटर प्रणाली का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) यदि लागत में कोई वृद्धि होती है तो अभी इस स्टेज पर उसका अनुमान लगा सकना कठिन है।

मुद्रास्फीति के सम्बन्ध में सरकार का दावा

2123. **श्री चित्त बसु :**
श्री माधवराव सिन्धिया :
श्रीमती किशोरी सिन्हा :
श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अक्तूबर को प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि पिछले वर्ष के दौरान मूल्यों में 17 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 1980-81 में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार के इस दावे से कि मुद्रास्फीति में वृद्धि दो अंकों से घटकर एक अंक में हो गई है, से भिन्न नहीं है ?

वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरामन् : (क) और (ख) वार्षिक मुद्रास्फीति की एक अंकीय दर थोक मूल्य सूचकांक (1970-71-100) में हुई घटबढ़ की बिन्दु प्रति बिन्दु तुलना पर आधारित है जो मुद्रास्फीति की दर में अल्पावधि में हुई घटबढ़ के परिवीक्षण की अपेक्षाकृत अधिक अच्छा सकेतक है। अगस्त 1981 के अन्त से यह वार्षिक दर 10 प्रतिशत से नीचे हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़े, मार्च 1981 के अन्त तक के सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए हैं, और वे इस वर्ष के 12 महीनों के औसत की पिछले वर्ष के महीनों के साथ की गई तुलनाओं पर आधारित हैं।

ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना

2124. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री चिन्तामणी जैना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य क्षेत्र का ग्रामीण तथा अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ;

(ख) क्या बैंकों की ऋण देने सम्बन्धी नीतियों, पद्धतियों तथा तरीकों में सुधार करने के

लिए, जिससे कि छोटे ऋण लेनदारों विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों के लोगों में ऋण के प्रसार को बढ़ाया जा सके, कोई प्रयास किए गए हैं ; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर उड़ीसा राज्य में बैंकों के कार्यक्षेत्र के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) 30 जून, 1981 की स्थिति के अनुसार देश में वाणिज्यिक बैंकों के शाखाजाल में 35507 शाखाएं थीं जिनमें से 17650 ग्रामीण केन्द्रों में तथा 8426 अर्ध-शहरी केन्द्रों में थीं । उड़ीसा में, इस तारीख की स्थिति के अनुसार बैंक शाखाओं की कुल संख्या 968 थी जिनमें से 666 ग्रामीण केन्द्रों तथा 177 अर्ध-शहरी केन्द्रों में थीं ।

रेशम के धागे के मूल्य में वृद्धि

2125. **श्री टी० आर० शमन्ना :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि हाल के महीनों में रेशम के धागे के मूल्य में असाधारण वृद्धि हुई है और बुनकर तथा उपभोक्ताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का बुनकरों तथा उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत देने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ताकि वे उचित मूल्य पर रेशम प्राप्त कर सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां ।

(ख) बुनकरों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से 250 मे० टन कच्चा रेशम आयात करने का विनिश्चय किया है । साथ ही साथ स्वदेशी कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ।

विशेष घटक योजना (स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

2126. **श्री राम अवध** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विशेष घटक योजना के अन्तर्गत सरकारी बैंकों से समेकित ऋण लेने के लिए मंजूरी सम्बन्धी निर्धारित शर्तों के कारण, ऋण लेने में काफी कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण प्राप्त करने वाले सदस्य को उसी समिति का सदस्य होना चाहिए तथा उसे एक ऐसे व्यक्ति की जमानत देनी होती है, जो इस समिति का भी सदस्य हो और उसकी दायिता भी नहीं होनी चाहिए ;

(ग) क्या ऋण लेने वाले व्यक्ति के पास गिरवी रखने के प्रयोजन होने थोड़ी भूमि भी होनी चाहिए ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऋण दिए जाने के लिए निर्धारित इन शर्तों को समाप्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) विशेष घटक योजना में यह परिकल्पना की गई है कि विकासात्मक कार्यों से सम्बन्धित सरकार के सभी विभाग अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अपनी विभाज्य आयोजनागत स्कीमों से एक विशेष परिव्यय निर्धारित करें और अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए तदनुसार वास्तविक लक्ष्य भी निश्चित करें। एकीकृत ग्रामीण विकास के विशिष्ट कार्यक्रम के अन्दर, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे के छः सौ व्यक्तियों को लाभ पहुंचना है, यह निर्णय दिया गया है कि सहायता के लिए जिन लाभ प्राप्तकर्ताओं को चुना जाए उनमें से 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। वर्ष 1979-80 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए दी गई ऋण राशि 85 करोड़ रुपये थी जो 1980-81 में बढ़ कर 124 करोड़ रुपये हो गई। इसमें से इन दो वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश का अंश क्रमशः 15.3 करोड़ रुपये और 22.3 करोड़ रुपये था। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में यदि कोई शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई जायेंगी तो उनकी जांच की जाएगी।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपेक्षाकृत कम रकमों के ऋणों के लिए जमानत सम्बन्धी रियायती मानदण्ड रखने के बारे में अगस्त 1979 में वाणिज्यिक बैंकों के नाम विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों के अनुसार, 5 हजार रुपये तक के फसल ऋणों और इकोनोमिक यूनिट की लागत तक अथवा 5 हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हों, के सावधिक ऋणों के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा कोई बन्धक जमानत नहीं मांगी जायेगी। इस रकम से अधिक रकम के मामले में भी बन्धक अथवा पार्श्विक जमानत ली जाए अथवा नहीं यह निर्णय बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सहकारी ऋण व्यवस्था से ऋण प्राप्त करने के लिए ऋणकर्ता को विभिन्न राज्यों में विद्यमान सहकारी समितियां अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सहकारी समिति का सदस्य बनना पड़ता है। ऋणों के सम्बन्ध में सहकारी ऋण समितियों द्वारा विनिर्धारित जमानत का स्वरूप ऋण के स्वरूप तथा अन्तर्ग्रस्त राशि पर भी निर्भर होता है। भूमि विकास बैंकों से लिए जाने वाले दीर्घावधिक ऋणों के मामले को छोड़ कर आमतौर पर जमीन को जमानत के रूप में बन्धक रखने के लिए जोर नहीं दिया जाता।

विदेशी मुद्रा की धनराशि

2128. **श्री माधव राव सिंधिया** :
श्री उत्तम राठोड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा की धनराशि की नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) स्थिति में सुधार के लिए क्या नवीनतम कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 20 नवम्बर, 1981 को 3442.46 करोड़ रुपये की राशि थी।

(ख) सरकार विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में सुधार करने और उसे सुखद स्तर पर बनाए रखने के लिए कई कदम उठा रही है ताकि देश के आयात बिल के खर्च को पूरा किया जा सके। भारत सरकार विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा के जितने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोत उपलब्ध होंगे, उनका उपयोग करेगी। भारत सरकार ने हाल में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ 5 अरब एस० डी० आर० के ऋण की एक विस्तारित व्यवस्था की है, जो तीन वर्ष की अवधि में उपलब्ध होगा जहां जरूरी समझा जाएगा, वहां निर्यात ऋणों का और उपयुक्त मामलों में वाणिज्यिक उधारों का सहारा भी लिया जाएगा लेकिन साथ ही यह बात सुनिश्चित करली जाएगी कि देश का ऋण परिशोधन संबंधी दायित्व विवेकपूर्ण सीमाओं के अन्दर-अन्दर रहे। इसके अलावा, सरकार देश में उत्पादन के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने और देश में उपलब्ध क्षमता का बेहतर उपयोग करने के लिए भी कदम उठा रही है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उत्पादन के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता का विस्तार भी किया जा रहा है। देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के काम में तेजी लाने, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करने और निर्यात में वृद्धि करने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि देश आयात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए रकम अदा कर सके। ऐसी विभिन्न योजनाएं भी स्वीकार की गई हैं जिनके अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को कानूनी तरीके से अधिक रकम भेजने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं।

गुजरात में कम्पनियों पर आय-कर विभाग के छापे

2129. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत गुजरात में आय कर अपवंचन करने वाली कम्पनियों पर जनवरी, 1980 और अगस्त, 1981 के बीच आयकर विभाग ने कितने छापे मारे ;

(ख) आयकर अपवंचन करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनसे कितना काला धन वसूल किया गया ; और

(ग) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस कार्य के लिए कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) श्रीमन्, आयकर विभाग ने जनवरी, 1981 से अगस्त, 1981 के दौरान सूरत में किसी कम्पनी के मामले में कोई तलाशी नहीं ली। तथापि, इस अवधि के दौरान अन्य मामलों में 25 तलाशियां ली गई थीं इन तलाशियों के दौरान

लगभग 16.62 लाख रु० मूल्य की प्रथम दृष्ट्या लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए सहायता हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजनाएं

2130. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने काफी संख्या में कुछ परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए योजनाएं तैयार की हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस प्रकार लागू किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सम्भवत: आशय समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम से है जिसे 2-10-1980 से देश के सभी विकास कार्यों पर लागू कर दिया गया है और जिसे सहकारी बैंकों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कार्यन्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादक कार्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना और योजना अवधि में, प्रत्येक खंड में निर्धारित किए गए 3000 सबसे गरीबी परिवारों के आय के स्तर को 600 रुपये प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाना है। यह सहायता अर्थक्षम कार्यकलापों को शुरू करने के वास्ते, उक्त क्षेत्र में उपलब्ध सम्भावनाओं पर आधारित होगी। छठी आयोजना में सरकार द्वारा सभी खण्डों में 1500 करोड़ रुपये की राज सहायत (सब्सिडी) की व्यवस्था की गई है तथा इस कार्यक्रम के वास्ते, आयोजना अवधि के दौरान 3000 करोड़ रु० के संस्थागत वित्त की आवश्यकता होगी।

भिलाई इस्पात संयंत्र में श्रमिक विरोधी नीतियां

2131. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रबन्ध समिति श्रमिक विरोधी नीतियों का अनुसरण कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में "हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाईज यूनियन" भिलाई का 24 सितम्बर, 1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने प्राधिकारियों की इन श्रमिक विरोधी नीतियों को रोकने तथा प्रबन्ध समिति और श्रमिकों के बीच संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धक श्रमिक विरोधी नीतियों का अनुसरण का रहे हैं।

(ख) और (ग) इस्पात और खान मंत्री को संसद-सदस्य श्री समर मुखर्जी का दिनांक 15

अक्तूबर, 1981 का एक पत्र मिला था जिसके साथ उन्होंने हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाईज यूनियन द्वारा 24.9.81 को भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्ध-निदेशक को लिखे एक पत्र की प्रतिलिपि भेजी थी जिसमें पावर प्लांट के क्रेन चालक श्री सूरत सिंह नार को नार को तंग करने, सताने और उनके विरुद्ध अनुचित श्रमिक प्रक्रिया अपनाने का आरोप लगाया गया था। कारखाने के प्रबन्धकों ने इस आरोप की जांच की है और इसे गलत पाया है।

पक्षियों की टक्कर से इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों का अप्रयुक्त बन जाना

2132. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बालकृष्ण बासनिक :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष में 30 नवम्बर तक पक्षियों की टक्कर से इंडियन एयर लाइन्स के कितने विमान अप्रयुक्त हुए और यह टक्कर किन-किन स्थानों पर हुई ;

(ख) इन वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी ; और

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने हवाई अड्डों पर पक्षियों की टक्कर की आशंका दूर करने के क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) संबंधित सूचना देने वाला एक **विवरण** संलग्न हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ;

(ग) पक्षियों के खतरे को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. ऐसे कीड़ों की आबादी को कम करने के लिए, जो पक्षियों के लिए भोजन का काम करते हैं, नियमित रूप से कीट-नाशक दवाएं छिड़कना ;

2. विमानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे सभी क्षेत्रों से मृत कीड़ों को हटाने के लिए नियमित रूप से झाड़ू लगाना ;

3. ऐसी झाड़ियों को समाप्त करना जहां पक्षी सामान्यत: घोंसले बनाते हैं ;

4. ऐसे कूड़े-कचरे तथा अन्त खाद्य पदार्थों को हटाना, जिनसे पक्षी आकृष्ट होते हैं ;

5. पक्षियों को डराने के लिए रन-वे के शील्डर स्ट्रिप्स पर रंगीन रिबनों का प्रयोग ;

6. पक्षियों के जमघट को तितर-बितर करने के लिए पटाखों तथा तमंचों का प्रयोग ;

7. पक्षियों को डराने वाले कारतूस आयात किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1978, 1979, 1980 तथा 1981 (14 नवम्बर, 1981 तक) के दौरान पक्षियों के टकराने के परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स के क्षतिग्रस्त हुए विमानों की संख्या तथा उन स्थानों को दर्शाने वाला विवरण जहाँ उनका परिचालन बन्द किया गया :—

क्रम संख्या	स्टेशन	1978	1979	1980	1981	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	बम्बई	12	6	19	9	46
2.	कलकत्ता	8	14	8	8	38
3.	दिल्ली	15	22	29	24	90
4.	मद्रास	6	4	15	9	34
5.	आगरा	2	—	2	3	7
6.	अहमदाबाद	3	3	2	3	11
7.	अमृतसर	1	2	1	1	5
8.	बड़ोदा	1	2	—	1	4
9.	बेलगाँव	1	—	—	—	1
10.	औरंगाबाद	1	2	1	1	5
11.	बागडोगरा	1	—	—	—	1
12.	बंगलौर	3	1	4	3	11
13.	चावुआ	1	1	—	—	2
14.	चण्डीगढ़	1	1	2	3	7
15.	कोचीन	4	4	10	2	20
16.	भुवनेश्वर	—	2	—	1	3
17.	भोपाल	—	3	—	—	3
18.	कोयम्बटूर	—	2	—	—	2
19.	गौहाटी	2	—	—	2	4
20.	हैदराबाद	6	6	10	12	34
21.	इन्दौर	—	2	2	1	5

1	2	3	4	5	6	7
22.	इम्फाल	—	—	—	1	1
23.	जबलपुर	—	1	—	—	1
24.	जयपुर	2	1	2	3	8
25.	जोधपुर	2	—	1	—	3
26.	जम्मू	1	2	1	2	6
27.	ग्वालियर	—	4	1	—	5
28.	जोरहाट	—	1	2	—	3
29.	कानपुर (चकेरी)	1	—	—	1	2
30.	लीलाबाडी	—	—	—	1	1
31.	लखनऊ	1	—	3	—	4
32.	मदुरे	2	—	1	1	4
33.	मंगलौर	1	—	—	—	1
34.	खजुराहो	—	1	—	—	1
35.	नागपुर	—	3	1	1	5
36.	पटना	2	1	1	4	8
37.	पूना	1	—	—	—	1
38.	पोरबन्दर	1	—	—	—	1
39.	राजकोट	—	1	—	—	1
क. 39.	रांची	—	—	—	1	1
40.	श्रीनगर	—	3	3	5	11
41.	तिरुपती	—	—	—	1	1
42.	त्रिची	—	—	1	—	1
43.	त्रिवेन्द्रम	5	7	7	5	24
44.	उदयपुर	1	1	—	1	3
45.	वाराणसी	3	1	3	2	9
46.	विजयवाड़ा	1	—	—	—	1
47.	कोलम्बो	—	2	—	1	3
48.	काठमांडू	—	2	—	1	3
49.	स्टेशन नॉट रिर्पोटिड	8	4	2	1	15
	कुल	100	113	135	114	462

उड़ीसा में भारतीय पर्यटन विकास निगम की परियोजनाएं

2133. **श्री रायबिहारी डहेरा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम, उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की गई हैं ;

(ख) उड़ीसा में कितने पर्यटकों के लिए होटलों में आवास सुविधा उपलब्ध है ;

(ग) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक इस राज्य के सबसे अधिक आकर्षक केन्द्रों का दौरा नहीं कर पाते ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित परियोजनाओं का परिचालन कर रहा है :

यूनिट का नाम	स्टार श्रेणी	क्षमता	
		कमरे	बैड
होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	3 ×	38	76
कोणार्क में यात्री गृह	1 ×	4	14

भुवनेश्वर में परिवहन यूनिट : 7 वाहन जिनमें 1 लग्जरी कार, 4 एम्बैसेडर कारें और 2 बड़ी कोचें हैं ।

(ख) उड़ीसा की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर, और कोणार्क के यात्री गृह में 90 बैड्स का होटल आवास उपलब्ध है ।

(ग) उड़ीसा राज्य के विभिन्न केन्द्रों की पर्यटक संभाव्यता के महत्व को उपयुक्त मान्यता दी जाती है । भारत की यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि राज्य/स्थान-वार आधार पर। 1976-77 में किए गए विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में से 1.16% विदेशी पर्यटकों ने पुरी की यात्रा की और 0.77% विदेशी पर्यटकों ने भुवनेश्वर की यात्रा की । इस आधार पर, पिछले 3 वर्षों के दौरान पुरी और भुवनेश्वर की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की अनुमानित संख्या नीचे दी गयी है :—

	1978	1979	1980
पुरी	8,680	8,870	9,280
भुवनेश्वर	5,760	5,890	6,160

(घ) राज्य सरकार के परामर्श से 20 केन्द्रों को कवर करते हुए दो यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा भिजवाए गए संशोधित ब्लू प्रिंट के आधार पर धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में परियोजनाओं के विकास को शुरू किया जाएगा।

नैनीताल आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी

2134. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैनीताल, उत्तर प्रदेश में झील में जल प्रदूषण के कारण जिसके पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस पहाड़ी स्थल पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पर्यटकों के आवागमन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने, इसके लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 3 वर्षों में नैनीताल आने वाले पर्यटकों की संख्या निम्न-लिखित है।

1979	4,87,711	
1980	4,79,770	16 प्रतिशत कम
1981	4,51,094	6.5 प्रतिशत अधिक
(अक्तूबर तक)		(पिछले वर्ष की इसी अवधि में)

राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि नैनीताल झील का पानी अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया है। पानी की जांच जल संस्थान कुमाऊं विश्वविद्यालय और जल प्रदूषण बोर्ड द्वारा की जाती है। कुमाऊं मण्डल, नैनीताल, के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित नैनीताल लेक हाई पावर कमेटी द्वारा नियंत्रण संबंधी आवश्यक उपायों की समीक्षा की जाती है।

विदेशी ऋण

2135. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1980 में और सितम्बर, 1981 तक सभी स्रोतों से वर्ष-वार कुल कितना विदेशी ऋण लिया है ;

(ख) सरकार ने पिछले तीन वर्षों में विदेशी ऋणों पर प्रति वर्ष कुल कितने ब्याज की अदायगी की है ; और

(ग) देश द्वारा कुल कितना ऋण चुकाया जाना है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) भारत सरकार द्वारा कैलेंडर वर्ष 1980 में

और जनवरी-सितम्बर 1981 तक सभी स्रोतों से लिए गए विदेशी ऋणों की कुल राशि क्रमश: 1564.01 करोड़ रुपये और 1072.00 करोड़ रुपये थी ।

(ख) भारत सरकार ने 1978-79,1979-80 तथा 1980-81 के दौरान विदेशी ऋणों पर ब्याज के रूप में कुल मिलाकर क्रमश: 245.65 करोड़ रुपये 255.33 करोड़ रुपये तथा 252.24 करोड़ रुपये की अदायगी की ।

(ग) 31-10-1981 को सरकारी खाते के ऋणों की चुकाई जाने वाली कुल राशि 14812.15 करोड़ रुपये की थी ।

पटसन उद्योग की अड़चनें दूर करना

2136. **श्री चितामणि जैना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ हुई एक बैठक में देश के पटसन उद्योग की अड़चनों को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उठाए जाने वाले उन कदमों का ब्यौरा क्या है और क्या ये कदम सारे देश में लागू होंगे या केवल पश्चिम बंगाल में ही ; और

(ग) इन कदमों को सभी पटसन उत्पादक राज्यों को परिचालित करने के लिए केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है और राज्य द्वारा इन्हें लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां, दिनांक 20 सितम्बर, 1981 को मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल के कार्यालय कक्ष में एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें पटसन उद्योग की समस्याओं तथा कच्चे पटसन की कीमतों में कथित गिरावट पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय पटसन मिल्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे ।

(ख) मिलों द्वारा हर हफ्ते कच्चे पटसन की खरीदारियों की समीक्षा करने और कच्चे पटसन की अधिप्राप्तियों के मिलों के आवधिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में एक मानिटरिंग तथा समीक्षा समिति स्थापित की गई थी । सरकार द्वारा पहले ही शुरू किए गए और आगे के उपायों पर भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया ।

(1) एक ऐसे मांगपत्र के आधार पर डी. जी. एस. एण्ड डी. के जरिए ई० सी० अधिनियम के अधीन बी ट्विल्स की एक लाख गाँठों की अधिप्राप्ति जिसे बाजार स्थिरता के एक उपाय के रूप में भावी आवश्यकताओं के आधार पर समंजित किए जाने के लिए 'वन टाइम ब्रिजिंग आप्रेशन' के रूप में भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखा जाना होगा ।

(2) एक निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में 1-9-81 से 31-3-82 तक पटसन कालीन अस्तर सहित पटसन माल की लगभग सभी निर्यात योग्य मदों के निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य पर नकद मुआवजा सहायता ।

(3) पुराने पटसन बैगों का प्रयोग 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत तक करने के बारे में सीमेंट उद्योग को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में, भविष्य में सीमेंट की पैकिंग के लिए 96 प्रतिशत नए पटसन बैगों का इस्तेमाल किया जाना होगा।

(4) कच्चे पटसन के कीमत समर्थन संचालन के एक उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया कि वे पटसन मिलों को 14 सप्ताहों तक, जिनमें भारतीय पटसन निगम से 4 सप्ताहों की खपत और नवम्बर, 1981 से जनवरी 1982 के चरम मौसम के दौरान अतिरिक्त दो सप्ताहों की खपत शामिल है, कच्चा पटसन खरीदने के लिए अतिरिक्त ऋण उपलब्ध करायें।

(ग) उपर्युक्त उपाय पूरे भारत में लागू होंगे। पटसन आयुक्त तथा भारतीय पटसन निगम ने पटसन उपजकर्ता राज्यों की राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये रखा। आरम्भ किए गए इन उपायों के बारे में समाचार पत्रों में काफी प्रचार किया जा चुका है और संसद के दोनों सदनों में भी इस पर काफी विचार विमर्श किया जा चुका था और साथ ही प्रैस को भी सूचित कर दिया गया था।

आयकर विभाग में संगणक प्रणाली

2137. **श्री सोमजी भाई डामोर :**

डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर कर्मचारी संघ को यह आश्वासन दिया गया था कि आय कर विभाग में संगणक प्रणाली शुरू नहीं की जाएगी ;

(ख) क्या आश्वासन के बावजूद आय-कर विभाग ने संगठन तथा प्रबन्ध सेवा निदेशालय (आयकर) के प्रशासनिक नियंत्रण में संगणक प्रणाली लागू करने के लिए फिर कार्यवाही शुरू कर दी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसे प्रयोजन के लिए डी०आई०(सिस्टम) का पद बनाया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसा कार्य करने के लिए सरकार की क्या मजबूरी है जो सामान्यतया आम श्रमिकों तथा विशेष रूप से आय कर विभाग के कर्मचारियों के हित में नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) आयकर विभाग में कार्य के सीमित क्षेत्रों में संगणक प्रणाली पुनः आरम्भ करने के एक प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त प्रस्ताव में, ऐसे कार्य-क्षेत्र ही परिकल्पित किए गए हैं, जिन्हें किसी भी दस्ती-प्रणाली द्वारा कारगर ढंग से तथा शीघ्रतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकता, तथा इससे किसी भी

रूप में कर्मचारियों की छंटनी, रोजगार की सम्भावनाओं में कमी तथा परिणामी बेरोजगारी नहीं होगी ।

विदेशों में पर्यटन क्षमताओं का उपयोग

2138. **श्री डी० पी० जदेना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अपनी पर्यटन क्षमता का पूर्णतया उपयोग नहीं कर सका है ;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या है ; और

(ग) पर्यटकों को अधिक सुविधायें देने तथा विदेशों में हमारी पर्यटन क्षमता को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार किस कार्यवाही पर विचार कर रही है जिससे भारत में अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं, जैसा कि विवरण-1 के रूप में संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख विवरण-2 के रूप में संलग्न विवरण में किया गया है ।

विवरण-1

1970-1980 के दौरान विश्व भर के कुल पर्यटक आगमनों में भारत का शेयर दर्शाने वाली निम्नलिखित सारिणी से यह पता चलेगा कि पिछले दशक में भारत विश्व की टूरिस्ट जनरेटिंग मार्केटों की पर्यटन संभाव्यता का उपयोग करने में सफल रहा है ।

वर्ष	विश्व पर्यटक आगमन (मिलियन में)	प्रतिशतता अन्तर	भारत में पर्यटक आगमन	प्रतिशतता अन्तर	विश्व यातायात में भारता का अंशदान
1970	168.4	9.3	280,821	14.8	0.17
1971	181.5	7.8	300,995	7.2	0.17
1972	184.3	1.5	342,950	13.9	0.19
1973	191.3	3.8	409,895	19.5	0.21
1974	196.7	2.8	423,161	3.2	0.22
1975	206.9	5.2	465,275	10.0	0.22

1	2	3	4	5	6
1976	227.0	9.7	533,951	14.8	0.24
1977	243.6	7.3	640,422	19.9	0.26
1978	259.4	6.5	747,995	16.8	0.29
1979	270.0 (स०अ०)	4.0	764,781	2·2	0.28
1980	285.0 (प्रा०अ०)	5.6	800,150	4.6	0.23

स० अ०--संशोधित अनुमान

प्रा० अ०--प्रारम्भिक अनुमान

उपर्युक्त से यह पता चलेगा कि 1970-80 के दौरान विश्व पर्यटन में रिकार्ड की गयी 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की अनुमानित अभिवृद्धि के मुकाबले भारत में पर्यटन आगमन में 11 प्रतिशत की वार्षिक कम्पाउन्ड अभिवृद्धि दर दर्ज की गई।

विवरण-2

भारत में पर्यटन के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला विवरण

भारत के लिए पर्यटक यातायात के विकास और संवर्धन के वास्ते सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :—

इस समय विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय समाचार-पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, दूर-दर्शन और रेडियो पर विज्ञापन द्वारा, अपने-अपने कार्यक्षेत्र के यात्रा अभिकर्ताओं और एयरलाइनों के स्टाफ के लिए सेल्स सेमिनारों के आयोजन द्वारा, सूचना दे कर और पर्यटक प्रचार साहित्य वितरित करके, संवर्धनात्मक फिल्मों का आयोजन करके, इंडिया इवनिंग्स का आयोजन करके और मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेकर प्रचार और संवर्धन का कार्य करते हैं। इसके अलावा, विभाग का विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, फोटोग्राफरों टीवी/फिल्म निर्माताओं को देश की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करने का भी एक कार्यक्रम है ताकि भारत के लिए पर्यटक यातायात का संवर्धन किया जा सके।

"आपरेशन स्कीम" के अन्तर्गत, जिसकी शुरुआत 1968 से हुई, एयर इंडिया ने पर्यटन विभाग के सथा मिल कर विदेशों के लिए एक अधिक तेज मार्केट अभिमुखी संवर्धनात्मक नीति का सूत्रपात किया। इस स्कीम से विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों को उच्चतर स्तर पर प्रतियोगितात्मक मार्केट में प्रभावी रूप से काम करने के लिये अपेक्षित फलेक्सिविलीटी मिल गई है।

पर्यटक आधारित संरचना के पूर्णतः एकीकृत और सघन विकास के लिए यात्रा परिपथों की संकल्पना को अपनाया गया था। पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टरों में उपलब्ध सभी संसा-

धनों को एकत्र करते हुए सेलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए 61 यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं जिनमें 441 केन्द्र शामिल हैं।

इंडियन एयरलाइंस ने भी अपने फ्लीट में विस्तार करने का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। इस समय उनके फ्लीट में 8 एयर बसें, 19 बोइंग-737 और 20 टरबोप्रोप्स हैं। उनके फ्लीट में 1981 के अन्त तक चार बोइंग-737 और 1982 तक दो एयर बसें और चार बोइंग-737 शामिल किए जाएंगे। इंडियन एयरलाइंस का निकट भविष्य में रीयल टाइम कम्प्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

भारत में विभिन्न हवाई अड्डों पर पर्यटकों के लिए और अधिक सुख-सुविधाएं/सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के वास्ते भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा सलाहकार समितियाँ स्थापित की गई हैं।

पर्यटन विभाग के अनुरोध पर टूरिस्ट बैगेज नियमों में भी कुछ ढील दी गयी है और कस्टम क्लियररेंस आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दो चेनल सिस्टम पहले ही चालू कर दिए गए हैं।

एयर-इंडिया ने भी विस्तार कार्यक्रम को हाथ में लिया है। इस वर्ष उन्होंने आस्ट्रेलिया के लिए अपनी फ्रिक्वेंसी को डबल करके सप्ताह में दो बार सेवा प्रारंभ की है। इस वर्ष के शुरू में सैलिस्बरी के लिए एक नयी सेवा का उद्घाटन किया गया था। सरकार चार्टर ट्रैफिक के संवर्धन के लिए भी अब उदार रवैया अपना रही है। पर्यटकों को भारत लाने के लिए चार्टर ट्रैफिक के विकास हेतु सही दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से एक चार्टर-समिति गठित की गयी है। एयर इंडिया द्वारा बौद्ध तीर्थ यातायात के संवर्धन के लिए जो एक बड़ा कदम उठाया गया है वह होक्के क्लब आफ जापान के साथ एयर इंडिया की एक सहायक संस्था भारतीय होटल निगम द्वारा एक संयुक्त उद्यम परियोजना का शुरू किया जाना है।

गत वर्ष नागर विमानन के क्षेत्र में प्राप्त महत्वपूर्ण बातों में से एक थी वायुदूत सेवाओं, थर्ड लेवल एयरलाइन, का उद्घाटन इस वर्ष जनवरी से वायुदूत ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दीं और 8 स्टेशनों को कवर करती हैं। सरकार वायुदूत की सेवाओं को देश के अन्य भागों के 23 और केन्द्रों के लिए विस्तरित करने पर विचार कर रही है। इन सेवाओं से स्वदेशी पर्यटन बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।

देश के विभिन्न भागों में कई नए होटलों के निर्माण का कार्यक्रम है जिससे आवास की कमी में राहत मिलेगी। इस समस विभाग की अनुमोदित सूची में 363 कार्यरत होटल हैं जिनमें 22,300 कमरे हैं। देश में 151 और होटल परियोजनाओं की योजना है जिससे वर्तमान क्षमता में 12,196 कमरों की वृद्धि हो जाएगी और अगले दो या तीन वर्षों में 34,495 कमरे उपलब्ध हो सकेंगे। एशियाई खेलों के लिए राजधानी के लिए दस नई होटल परियोजनाएं अनुमोदित की गयीं हैं जिससे दिल्ली के होटल क्षमता में 3555 अतिरिक्त कमरों की वृद्धि हो जाएगी।

स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भारत सरकार के पर्यटक कार्यालय खोले गए हैं ।

निर्यात-आयात बैंक

2139. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार प्रस्तावि भारतीय निर्यात-आयात बैंक कब स्थापित करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके प्रबंधकीय स्टाक तथा अन्य स्टाक को एक चार्ट देने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र से बैंकों से विशेषज्ञ लाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति का तरीका तथा अन्य सेवा शर्तें तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) शीघ्र ही ।

(ख) से (घ) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के अनुसरण में उक्त बैंक इन मामलों पर स्वयं निर्णय करेगा ।

गौहाटी में वायुदूत के लिए स्टाफ और कार्यालय

2140. **श्री के० मालन्ना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 नवम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "एन० ई० वायुदूत न मेन शो" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सेवा के चालू होने के नौ महीने पश्चात् भी न तो स्थायी स्टाफ नियुक्त किया गया है और न ही गौहाटी में कोई कार्यालय खोला गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) क्योंकि वायुदूत सेवाओं का परिचालन इंडियन एलरलाइन्स से पट्टे पर लिये गये एक एफ-27 विमान से किया जा रहा है तथा गौहाटी में सेवाओं का संचालन इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किया जा रहा है इसलिये गौहाटी कार्यालय के लिये कोई स्थायी स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन और नागर विमानन को बढ़ावा देने की राज्यवार योजनाएं

2141.**श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन और नागर विमानन को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजनाएं तैयार की गई हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में जिलाबार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श से निर्धारित किए गए 441 केन्द्रों सहित 61 यात्रा परिपथों की संकल्पना के आधार पर एकीकृत ढंग से पर्यटन आधारिक संरचना के विकास की योजना बनाई गई है। इन स्कीमों को केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में अवस्थानुसार ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा बशर्ते छठी और सातवीं योजना अवधियों के दौरान संसाधन उपलब्ध हों और पारस्परिक प्राथमिकताएं अनुकूल हों। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय पर्यटन सेक्टर में 72 करोड़ रुपये और राज्य सेक्टर में 115.46 करोड़ रुपये की धनराशियाँ आवंटित की गई हैं।

(ख) स्कीमों को जिलेबार आधार पर प्रारम्भ नहीं किया जाता, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने वाले केन्द्रों के महत्व, उनकी लोकप्रियता और पर्यटन सम्बन्धी सम्भावनाओं को दृष्टि में रखकर ही ऐसा किया जाता है।

सिविलियन डाक्टरों को एयरो-मेडीकल प्रशिक्षण

2142. **श्री के राममूर्ति** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग के पास सिविलियन डाक्टरों को एयरों-मेडीकल प्रशिक्षण देने की सुविधाएं नहीं है ;

(ख) क्या नागर विमानन संगठन द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम के लिये भारतीय वायुसेना और बंगलौर स्थित विमानन औषध-संस्थान ने सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सहायता देने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ग) सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, भारतीय वायु सेना तथा बंगलौर के वैमानिक औषध

संस्थान द्वारा पेश की गयी सुविधाओं से लाभ उठाने के लिये, नागर विमानन विभाग में, कोई सिविलियन डाक्टर नहीं है ।

केन्द्रीय कर्मचारियों को 'स्कूटर एडवांस'

2143. **श्री हरीशकुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूटर एडवांस अब भी 3000 रुपये तक सीमित है जब कि स्कूटर की कीमत लगभग 8,000 रुपये हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 'स्कूटर एडवांस' को बढ़ाकर स्कूटर की वास्तविक कीमत के बराबर करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को भी एडवांस की पूरी धनराशि मंजूर करने का है जिन्होंने 10 वर्ष पहले यह एडवांस पूरा या पुराने स्कूटर को बेचने पर प्राप्त धनराशि कम करने के बाद लिया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) अग्रिम की राशि जो कि पहली बार मंजूर की जा सकती है 3,500 रुपये अथवा कर्मचारी के 10 महीने के वेतन अथवा मोटर साईकल/स्कूटर की प्रत्याशित कीमत इसमें जो भी कम हो, तक सीमित रखी जाती है । दूसरे और बाद के मौकों पर अग्रिम की राशि खरीदे जाने वाले स्कूटर की कीमत की उस राशि तक सीमित रहेगी, जो ब्याज सहित बकाया रहे अग्रिम की अदायगी करने के बाद सरकारी कर्मचारी के पास रहे बिक्री मूल्य को घटाकर, शेष रहती हो, किन्तु यह रकम अधिक से अधिक 2750 रुपये अथवा कर्मचारी के 8 महीने के वेतन के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, होगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) निधियों की उपलब्धता की कठिनाई के कारण इस स्थिति में किसी प्रकार की वृद्धि के सम्बन्ध में विचार करना सम्भव नहीं है ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं । सरकार कर्मचारियों को स्कूटर खरीदने के लिए केवल कुछ सहायता ही देती है क्योंकि कर्मचारियों को उन्हें मुख्य रूप से अपनी बचतों से ही खरीदना होता है ।

भारतीय पटसन निगम से पटसन की खरीद

2144. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा पटसन मिलों से कहा गया है कि वह वर्ष 1980-81 में पटसन का माल तब खरीदेगा जब वे भारतीय पटसन निगम से कच्चा पटसन खरीदें तो उन मिलों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ;

(ख) क्या सरकार की मुआवजे के रूप में नगद धनराशि के रूप में समर्थन देने की कोई योजना है वशर्ते कि वे कच्चा पटसन भारतीय पटसन निगम से या उसके माध्यम से खरीदे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वे इस पर निकट भविष्य में विचार करना चाहते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) गारन्टी शुदा भुगतान शर्तों के आधार पर कानूनी न्यूनतम कीमतों पर भारतीय पटसन निगम से निम्न ग्रेड के पटसन और मेस्टा की खरीद को, पटसन मिलों को बी ट्विल बोरों के लिए उत्पादन आर्डरों की रिलीज के कोटे के साथ सम्बद्ध करने के प्रति पटसन मिलों की प्रतिक्रिया 1980-81 के दौरान उत्साहवर्धक ही है। भारतीय पटसन निगम को यह सम्भव हो सका कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों को कच्चे पटसन की लगभग 4.69 गाँठें बेचने के लिए पक्का सौदा कर सके जबकि उस अवधि के दौरान बी ट्विल का उत्पादन आबंटन 2.15 लाख गाँठें था।

(ख) तथा (ग) मिलों द्वारा प्राप्त की गई नकद मुआवजा सहायता की राशि से यह आशा की जाती है कि उत्पादन लागत और घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में गैर-लाभकारी बिक्री कीमतों के बीच अन्तर के सन्दर्भ में उनकी नकदी सम्बन्धी स्थिति में सुधार होगा। यदि नकद मुआवजा सहायता देने के लिए यह शर्त रखी जाए कि भारतीय पटसन निगम से कच्चे पटसन की खरीद की जाये तो उससे उनकी नकद की स्थिति पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि नकद मुआवजा सहायता इस शर्त पर दी जाये कि वे भारतीय पटसन निगम से और उसकी मार्फत कच्चे पटसन की खरीद करें।

गुजरात के समुद्र तट पर तस्करी

2145. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के समुद्र तट पर तस्करी की गतिविधियों में अचानक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) पिछले 10 महीनों में कितने मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों

अनुसार गुजरात का समुद्र तट तस्करी के लिए सुगम्य है। परन्तु इन रिपोर्टों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि इस क्षेत्र में किसी बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है।

(ख) पश्चिमी समुद्रतट पर, जिसमें गुजरात का समुद्र तट भी शामिल है, कार्यरत सीमा-शुल्क विभाग के निवारक और गुप्त सूचना तंत्र को मजबूत बना दिया गया है। तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिए इस क्षेत्र में तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने समुद्र में, समुद्री तट तथा सड़क पर गश्त बढ़ा दी है।

(ग) जनवरी से अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान, गुजरात में तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने लगभग 263 लाख रुपये मूल्य का माल पकड़ा है।

मिश्रित इस्पात संयंत्र का द्वितीय चरण विस्तार कार्यक्रम

2146. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिश्रित इस्पात संयंत्र का द्वितीय चरण विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(ख) कितने नये व्यक्ति भर्ती किए गए हैं, तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अनुमोदित समय-सूची के अनुसार दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात संयंत्र के द्वितीय चरण का विस्तार कार्य जनवरी, 1985 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ख) परामर्शदाता के अनुमान के अनुसार लगभग 600 व्यक्तियों को, जिसमें कार्यपालक तथा गैर-कार्यपालक, दोनों शामिल हैं, को नियुक्त किया जा सकता है। यह केवल एक अनुमान है और परिचालन अवधि में कार्य की वास्तविक स्थिति अथवा विस्तार योजना में फेर-बदल, यदि कोई आवश्यक हुआ, के दौरान इसमें घट-बढ़ हो सकती है।

भारत के प्रतिकूल व्यापारिक रुख को ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार से माल खरीदने का आग्रह

2147. **श्री टी० दामोदार रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार से यह आग्रह किया गया है कि वह ब्रिटेन के समक्ष भारत के प्रतिकूल व्यापारिक रुख को ठीक करने के लिए, भारत से और अधिक मात्रा में माल खरीदने के लिए ठोस कदम उठाए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आग्रह का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली

में जनवरी 1981 में हुई भारत-ब्रिटेन आर्थिक समिति की पिछली बैठक में तथा साथ ही ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की अप्रैल 1981 में भारत यात्रा के समय भारत-ब्रिटेन व्यापार में बढ़ते हुए असन्तुलन पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई थी और भारत से ब्रिटेन को होने वाले निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया था। ब्रिटेन सरकार तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के सामान्य ढांचे के भीतर भारत के निर्यात संवर्धन प्रयासों में सहायता देने के लिए सहमत हो गई है।

गलीचों के निर्यात को आघात

2148. **श्री जैनुल बशर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान पश्चिम जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों को गलीचों के निर्यात को आघात पहुंचा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) चालू वर्ष के लिए देशवार निर्यात आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितम्बर, 1981 के दौरान कालीनों के कुल निर्यात लगभग 102,19 करोड़ रु० के हुए थे जबकि 1980 की उसी अवधि के दौरान 72.79 करोड़ रु० के निर्यात किए गए थे। चूँकि यूरोपीय देशों को कालीनों के हमारे निर्यात करीब 60 से 70 प्रतिशत तक हैं अतः ऐसी संभावना है कि हमारे निर्यातों में कोई गिरावट नहीं आई है।

दीर्घावधि उपाय के रूप में कालीनों के निर्यातों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कालीनों के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंकिंग सेवायें

2149. **श्री जी० बाई० कृष्णन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बैंकों के, विशेषतया राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-निष्पादन और उनकी बैंकिंग सेवाओं से संतुष्ट हैं ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस तरह की कार्यवाही शुरू करें कि जिला ऋण योजना एक ऐसी अग्रगामी भूमिका अदा करे जिस से ग्रामीण ऋण संरचना कार्य कर सकें ; और

(ग) क्या बैंकिंग उद्योग धन की सप्लाई के सामान्य विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी निदेशों का ठीक-ठीक पालन कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) पिछले लगभग एक दशक में

बैंक रहित तथा कम बैंक वाले क्षेत्रों में और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को मुहैया की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार होता रहा है। फिर भी, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि अभी और अधिक सुधार करने की काफी गुंजाइश है, सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को और उनमें भी कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने की रफ्तार को तेज करें, कार्य प्रणालियों को सरल बनाएं, विलम्ब को कम करें और ग्रहक सेवा विषयक कार्यकारी दल द्वारा सुझाए गए विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करके ग्राहक सेवा में सुधार लाएं।

(ख) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में ऋण एक आवश्यक पहलू है। इसलिए जिला विकास आयोजना में एक जिला ऋण आयोजना शामिल की जानी है। जिला विकास आयोजना को एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना होगा जिसके इर्द-गिर्द ग्रामीण ऋण व्यवस्था का संचालन किया जा सके।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के प्रसार को युक्तिसंगत सीमाओं के अन्दर रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करता है। इन उपायों में नकदी प्रारक्षित अनुपात, सांविधिक नकदी अनुपात, पुनर्वित्त सुविधाओं की मात्रा, पुनर्वित्त पर ब्याज़ दर और विभिन्न प्रकार के अग्रिमों आदि पर ब्याज दरों के विनिर्धारण शामिल हैं। कुल मिलाकर बैंक इन विनिर्धारणों का अनुपालन करते हैं।

स्वदेश में धन भेजना

2150. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1981 से सितम्बर, 1981 तक विदेशों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजी गई और विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों ने कुल कितनी राशि स्वदेश भेजी ; और

(ख) हमने उपरोक्त अवधि के दौरान पेट्रोलियम, पदार्थों के आयात पर कितनी धन राशि खर्च की।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन्): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अप्रैल, 1981 से सितम्बर, 1981 तक की अवधि में सकल निर्यात भिन्न प्राप्तियों के तुरंत और अनन्तिम अनुमानों के आंकड़े 2214.64 करोड़ रुपए के हैं।

उपर्युक्त आंकड़े आवक प्रेषणाओं के सम्बद्ध चार शीर्षों अर्थात् 1. परिवार भरण पोषण 2. अनिवासियों की बचतें 3. प्रवासी अन्तरण और 4. मनीआर्डर प्राप्तियों के अतिरिक्त जहाजी प्राप्तियों, बीमा प्राप्तियों, लाभांश प्राप्तियों, पर्यटन प्राप्तियों, आदि के अन्तर्गत प्राधिकृत डीलरों की मार्फत प्राप्त होने वाली सकल निर्यात भिन्न प्राप्तियों की द्योतक है।

केवल विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों से प्राप्त होने वाली रकम के संबंध में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत डीलरों के लिए 10000 रुपये और उससे कम रकम की प्रेषणाओं का भारतीय रिजर्व बैंक को ब्यौरा भेजना जरूरी नहीं है।

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 1981 के दौरान आयातित कच्चे (क्रूड) तेल और पैट्रोलियम पदार्थों का बीमा और भाड़ा सहित कुल अनन्तिम मूल्य 2472.30 करोड़ रुपए है ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए आचार-संहिता

2151. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ निपटने के लिए भारत से सहायता मांगी है ;

(ख) क्या इस बारे में एक चीनी प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा किया है ;

(ग) क्या इन दोनों देशों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए कोई आचार-संहिता तैयार की है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) तथा (ख) यद्यपि चीन सरकार ने सीधे कोई सहायता नहीं मांगी है तथापि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों के तत्वावधान में दो शिष्टमण्डल देश में आ चुके हैं और आशा है कि तीसरा शिष्टमण्डल दिसम्बर में आएगा । ये शिष्टमण्डल, भारत में विदेशी सहयोग तथा पूंजी निवेश के विनियमन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और कानूनों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए आए थे ।

(ग) : जी, नहीं ।

(घ) : यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की संचार व्यवस्थाओं में सुधार

2152. **डा० सरदीश राय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की संचार-व्यवस्थाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उन हवाई-अड्डों के नाम क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(घ) उस पर अनुमानत कितनी लागत आयेगी और संचार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) आवश्यक सूचना देने वाले विवरण संलग्न हैं ।

विवरण-1

महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान संचार प्रणाली में प्रस्तावित सुधार

1. अन्तरराष्ट्रीय विमान यातायात के लिये उच्चावृत्ति एयर-ग्राउण्ड संचार व्यवस्था का सुधार

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित हवाई अड्डों पर उच्चावृत्ति एयर-ग्राउण्ड संचार व्यवस्था को सिंगल साइड बैंड परिचालन प्रणाली में बदला जा रहा है :

1. बम्बई
2. कलकत्ता
3. दिल्ली
4. मद्रास तथा
5. त्रिवेन्द्रम्

इस परियोजना के लिए अपेक्षित कुछ उपकरण पहले ही प्राप्त किये जा चुके हैं तथा उन्हें स्थापित किया जा रहा है। बकाया उपकरणों के आदेश दे दिए गए हैं तथा इन उपकरणों के 1982-83 के दौरान प्राप्त हो जाने की आशा है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 200 लाख रु० है।

2. अन्तर्देशीय विमान यातायात के लिये उच्चावृत्ति एयर-ग्राउण्ड संचार व्यवस्था में सुधार

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित हवाई अड्डों पर उच्चावृत्ति एयर-ग्राउण्ड संचार व्यवस्था को सिंगल साइड बैंड परिचालन प्रणाली में बदला जा रहा है।

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. अमृतसर
4. बंगलौर
5. भोपाल
6. भुवनेश्वर
7. बम्बई
8. कलकत्ता
9. कोयम्बटुर
10. दिल्ली
11. गोहाटी
12. हैदराबाद
13. इम्फाल
14. लखनऊ

15. मद्रास
16 मंगलौर
17. मोहमबाडी
18. नागपुर
19. पटना
20. पोर्टब्लेयर
21. सिलचर
22. त्रिवेन्द्रम्
23. वाराणसी
24. विशाखापत्तनम्

इस परियोजना के लिये सरकारी मंजूरी जारी कर दी गयी है तथा अगले कुछ महीनों में उपकरणों के लिये आदेश जारी किए जाने की आशा है। इस परियोजना के 1984-85 तक पूर हो जाने की आशा है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 400 लाख रुपये है।

3. **अति उच्चावृति एयर-ग्राउण्ड संचार व्यवस्था में सुधार**

(क) विस्तारित क्षेत्र अति उच्चावृत्ति संचार व्यवस्था

विस्तारित क्षेत्र अति उच्चावृत्ति एयर-ग्राउण्ड संचार व्यवस्था में मौजूदा पुराने निष्प्रयोजन उपकरण को बदल कर उस के स्थान पर आधुनिक अतिपरिष्कृत उपकरण लेकर और नये स्थानों पर अतिरिक्त उपकरण लगा कर सुधार करने का प्रस्ताव है। इन उपकरणों को निम्नलिखित हवाई अड्डों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

1. अहमदाबाद
2. बम्बई
3. कलकत्ता
4. दिल्ली
5. गौहाटी
6. हैदराबाद
7. मद्रास
8. नागपुर
9. त्रिवेन्द्रम
10. वाराणसी

अधिकांश उपकरणों के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं और उन की सप्लाई 1782-83 में प्रारम्भ हो जाने की आशा है। बम्बई और कलकत्ता हवाई अड्डों पर नये अति उच्चावृत्ति पारेषण स्टेशनों का निर्माण किया जा चुका है और गौहाटी, हैदराबाद, मद्रास और त्रिवेन्द्रम में भी इन के निर्माण का प्रस्ताव है। इस परियोजना के 1984-85 में पूरी कर दिए जाने की आशा है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 470 लाख रुपये है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान सभी अंतरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर अतिउच्चावृत्ति एयर-ग्राउण्ड संचार व्यवस्था उपकरणों को बदल देने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अंतर्गत 100 ट्रांसमीटर/रिसीवर पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं और स्थापित किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं। 75 सेटों के आदेश दिये जा चुके हैं और 143 और सैटों के आदेश शीघ्र दे दिये जाने की आशा है। इस स्कीम के 1984-85 तक पूरा कर दिए जाने की आशा है। कुल अनुमानित लागत 530 लाख रुपये है।

4. "प्वाइण्ट टू प्वाइण्ट" संदेश संचार सुविधाओं में सुधार

बम्बई हवाई अड्डे पर विमानों के आवागमन और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के बारे में संदेशों के संचार में सुधार करने के लिए एक "सौलिड स्टेट" पुश बटन मैसेज स्विचिंग सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। इसके अलावा बम्बई हवाई अड्डे पर एक पूर्णतया स्वचालित "मैसेज स्विचिंग सिस्टस" स्थापित करने का प्रस्ताव है और मद्रास व नागपुर हवाई अड्डों पर "पुश बटन मैसेज स्विचिंग सिस्टम" लगाने का प्रस्ताव है। स्वचालित "मैसेज स्विचिंग सिस्टम" के लिये सरकारी मंजूरी सिद्धान्ततः जारी की जा चुकी है और उपकरण के लिए आदेश अगले कुछ महीनों में दे दिए जाने की आशा है। इस स्कीम पर होने वाला अनुमानित व्यय 360 लाख रुपये है।

विवरण-2

लम्बी दूरी के टेलीप्रिन्टर तथा स्पीच सर्किटों की प्रस्तावित सूची

(क) लैंडलाइन टेलीटाइप सर्किट

क्रम सं०	सर्किट	वार्षिक किराये की अनुमानित लागत	सर्किट को डाक तार विभाग द्वारा आरम्भ करने की संभावित तारीख
1.	अहमदाबाद—जयपुर	0.27 लाख	1983 तक
2.	अहमदाबाद—नागपुर	0.30 ,,	1983 तक
3.	बम्बई—बंगलौर	0.37 ,,	1981 के अन्त तक
4.	बम्बई—राजकोट	0.20 ,,	1983 तक
5.	बंगलौर—त्रिवेन्द्रम	0.23 ,,	1981 के अन्त तक
6.	कलकत्ता—विशाखापट्टनम्	0.35 ,,	1982 तक
7.	कलकत्ता—मद्रास	0.60 ,,	1981 के अन्त तक
8.	कलकत्ता—वाराणसी	0.32 ,,	जुलाई 1982 तक
9.	कलकत्ता—भुवनेश्वर	0.17 ,,	जुलाई 1982 तक
10.	गौहाटी—शिलांग	0.20 ,,	1984 तक 1 भारतीय वायुसेना द्वारा स्वीकार किये जाने की स्थिति में

11. गौहाटी—मोहनबाड़ी	0.16 लाख	1984 तक
12. कलकत्ता—अगरतल्ला	—	भारतीय डाक तार विभाग के अनुसार फिलहाल व्यवहार्य नहीं।
13. लखनऊ—वाराणसी	0.16 ,,	1982 के अन्त तक
14. मद्रास—विशाखापट्नम	0.30 ,,	1983 के अन्त तक
15. मद्रास—कोलम्बो	3.0 ,,	1982 के अन्त तक
16. मद्रास—कुआलालम्पुर	3.0 ,,	1981 नक 1 सर्किट तैयार है तथा स्टाफ के मंजूर कर दिये जाने की स्थिति में परिचालन आरम्भ करेगा।
17. बम्बई—बेलगाँव	0.18 ,,	1982 तक
18. राजकोट—अहमदाबाद	0.15 ,,	1982 तक
19. अगरतला—मोहनबाड़ी	0.23 ,,	1983 के अन्त तक
20. गौहाटी—अगरतल्ला	0.16 ,,	1983 के अन्त तक
21. दिल्ली—श्रीनगर	0.30 ,,	जुलाई 1982 तक
22. वाराणसी—पटना	0.15 ,,	1982 के अन्त तक
23. बंगलौर—मंगलौर	0.15 ,,	1983 तक
24. बम्बई—औरंगाबाद	0.16 ,,	1982 तक
25. कलकत्ता—ढाका	.5 ,,	1982 के अन्त तक
26. देहली—करांची	3.5 ,,	पाकिस्तान के नागर विमानन के महानिदेशक से अनुमोदित प्राप्त होने पर
27. बंगलौर—हैदराबाद	0.23 ,,	1983 तक
योग	18.34 लाख	

कृपया नोट करें—उपर्युक्त हर सर्किट के लिये मशीनों का 10,000/- रुपये तक का औसत वार्षिक किराया सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ख) **डायरेक्ट स्पीच सर्किट**

1. बम्बई—त्रिवेन्द्रम	1.90 लाख	1982 के अन्त तक
2. कलकत्ता—ढाका	6.5 ,,	1982 के अन्त तक
3. देहली—करांची	6.5 ,,	पाकिस्तान के नागर विमानन के महानिदेशक से स्वीकृति प्राप्त होने पर।

4. मद्रास—कोलम्बो	8.5 लाख	1981 के अन्त तक पहले ही परिचालन आरम्भ हो चुका है।
5. मद्रास—कोलालम्पुर	7.0 ,,	
6. मद्रास—नागपुर	1.36 ,,	
योग :	29.76 लाख	

क और ख का योग : 48.10 लाख रुपये।

विवरण-3

पिछले 5 से 8 वर्षों में एम० ए० एस० (रेडियो टेलीग्राफी) सर्किटों से टेलिप्रिंटरों के रूप में बदले गये टेलिप्रिंटरों की सूची

क्रम संख्या

(क) रेडियो टेलीटाइप से लैंडलाइन टेलीटाइप के रूप में

1. बम्बई—कलकत्ता
2. कलकत्ता—गौहाटी
3. बम्बई—कोलम्बो
4. बम्बई—करांची
5. बम्बई—बेहरीन

(ख) एम० ए० एस० से रेडियो टेलीटाइप के रूप में

1. कलकत्ता—ढाका
2. मद्रास— कोलम्बो
3. कलकत्ता—काठमांडू
4. दिल्ली— काठमांडु
5. बम्बई—अदन × × एम० ए० एस० भी स्टैंड बाई के रूप में परिचालन कर रहा है।
6. कलकत्ता—अगरतला

(क) एम० ए० एस० से लैंडलाइन टेलीटाइप के रूप में

1. दिल्ली—जयपुर
2. बम्बई—अहमदाबाद
3. बम्बई—नागपुर
4. कलकत्ता—नागपुर
5. दिल्ली—नागपुर
6. मद्रास—हैदराबाद
7. नागपुर—हैदराबाद
8. नागपुर—मद्रास
9. दिल्ली—वाराणसी

खण्ड मुख्यालयों में बैंकिंग सुविधाएं

2153. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बैंकों में राष्ट्रीयकरण के बारह वर्ष बाद भी देश के 115 खण्ड-मुख्यालयों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन 115 खण्ड-मुख्यालयों में बैंकिंग सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ! और

(घ) वहाँ बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) एक समयबद्ध कार्यक्रम के अधीन, देश के समस्त बैंक विहीन प्रखण्ड मुख्यालयों को बैंक कार्यालय से व्याप्त करने के निर्णय के अनुसरण में, देश में ऐसे प्रखण्ड मुख्यालयों का पता लगाने का कार्य सितम्बर, 1978 में शुरू किया गया था । निर्धारित किए गये ऐसे 669 प्रखण्ड मुख्यालयों में से, 559 प्रखण्ड मुख्यालयों को पास में स्थित प्रखण्ड मुख्यालय को या तो वाणिज्यिक बैंकों के अथवा क्षेत्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यालय द्वारा व्याप्त कर दिया गया है । 110 प्रखण्ड ऐसे हैं जहाँ के मुख्यालयों में अभी बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है । अलबत्ता, इनमें से 79 प्रखण्डों में, प्रखण्ड मुख्यालयों के अलावा, अन्य क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं । इन प्रखण्ड मुख्यालयों में बैंकों द्वारा महसूस की जा रही मुख्य कठिनाइयों में, सभी मौसम की सड़कों जैसी आधारभूत सुविधाओं का न होना और शाखाओं को स्थापित करने के वास्ते उपयुक्त स्थान की अनुपलब्धता जैसी बातें शामिल हैं । इस मामले पर राज्य सरकार और सम्बन्धित बैंकों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

निर्यात में वृद्धि-दर

2154. **श्री बालकृष्ण वासनिक**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के लिए निर्यात के क्या लक्ष्य रखे गये थे और उनमें वस्तुतः कितनी सफलता मिली ;

(ख) क्या यह सच है कि हालांकि वर्ष 1979-80 में निर्यात की वृद्धि-दर में 12-20% की वृद्धि हुई थी, वर्ष 1980-81 में यह वृद्धि-दर केवल 4 प्रतिशत ही रही ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और वर्ष 1981-82 के दौरान और अधिक वृद्धि-दर का सुनिश्चय करने हेतु क्या प्रयास किए गये हैं और वर्ष 1981-82 के दौरान कितनी वृद्धि-दर प्राप्त होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जो अनन्तिम हैं, 1980-81 के दौरान भारत के समग्र निर्यात 6706.69 करोड़ रुपये के हुए। इसकी तुलना में 1980-81 के लिए निर्यात लक्ष्य 7100 करोड़ रुपये का रखा गया था।

(ख) तथा (ग) 1979-80 के लिए निर्यातों की वृद्धि-दर 12.8 प्रतिशत लगाई गई है। यद्यपि 1980-81 के लिए अन्तिम आंकड़ों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है, तथापि ऐसे संकेत हैं कि 1980-81 के दौरान निर्यात, लक्ष्यों से कम रहेंगे। इसके कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में गिरावट, चीनी का निर्यात रोकना, घरेलू मुद्रा स्फीति, विश्व मंदी तथा विकसित देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षणवादी नीति। गाट के अनुमान के अनुसार विश्व व्यापार में 1980 में केवल 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1979 में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। जिन मदों के निर्यात में भारी गिरावट आई वे हैं चीनी, चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएं, मसाले।

निर्यात बढ़ाने के लिए कई निर्यात संवर्धन उपाय शुरू किए गये हैं। इनमें शामिल हैं निर्यात पर लाइसेंसिंग रुकावटों को हटाना, पूरे देश में शत-प्रतिशत निर्यात एककों की तथा ई० एक्स० आई० एम० बैंक की स्थापना, शुल्क वापसी का सरलीकरण व सुव्यवस्थीकरण, निर्यात पर वित्तीय रियायतें आदि। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 2853.84 करोड़ रु० के अनन्तिम आंकड़ों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही अर्थात अप्रैल-सितम्बर 1981 में भारत के समग्र निर्यातों का हिसाब 3326.45 करोड़ रुपये लगाया गया है जिनमें 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एयर इंडिया में विमान-परिचारिकाओं के लिए सेवानिवृति की आयु

2155. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया में विमान परिचारिकाओं के लिए सेवानिवृति की आयु तथा सन्तान को जन्म देने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान नीति को बदलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) से (ग) विमान परिचारिकाओं द्वारा दायर की गई एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से पूर्व एयर इंडिया सेवा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, विमान परिचारिकाओं को, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर अथवा सेवा-काल के 4 वर्ष के अन्दर विवाह कर लेने पर अथवा पहला गर्भ-धारण करने पर जो भी पहले हो, सेवा निवृत्त हो जाना पड़ता था। तथापि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में

दिये गये निर्णय के अनुसार, इन विनियमों में इस आशय का संशोधन किया जा रहा है कि विमान परिचारिकाएं 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अथवा यदि दो बच्चे जीवित हैं तो तीसरी बार गर्भ-धारण करने पर सेवानिवृत्त हो जायेंगी। परन्तु यह शर्त बनी रहेगी कि यदि सेवाकाल के 4 वर्ष के अन्दर ही विवाह कर लिया जाता है तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

गुजरात के समुद्री तट पर सोने की तस्करी

2156. **श्री नरसिंह मकवाना : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के समुद्री तट पर सोने की तस्करी बढ़ जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और क्या इस मामले में स्थानीय पुलिस ने अपना सहयोग दिया है ; और

(ग) यदिन हीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से गुजरात के समुद्री तट के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी किए जाने का कोई संकेत नहीं मिलता है ?

(ख) गुजरात समुद्री-तट सहित पश्चिमी समुद्री तट के साथ-साथ सीमा-शुल्क विभाग के निवारक और गुप्तचर्या तंत्र को मजबूत कर दिया गया है। तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिए इस क्षेत्र में सीमाशुल्क अधिकारियों ने समुद्र में, समुद्र के किनारे पर और सड़कों पर गश्त बढ़ा दी है।

गुजरात में पुलिस अधिकारी तस्करी-निवारण कार्रवाई में सीमा-शुल्क विभाग को अपना सहयोग एवं सहायता देते रहे हैं।

(ग) इसका प्रश्न नहीं उठता है।

माचिस की डिबियों तथा माचिस एककों के नाम के लेबलों पर उत्पादन शुल्क

2157. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इण्डिया टोबेको कम्पनी और मैटल बाक्स द्वारा उत्पादति घर्षण बिन्दुओं वाली गत्ते की डिबियों और उन पर माचिस-एककों के लेबलों पर उत्पादन-शुल्क लगना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इन गत्ते की डिबियों पर उत्पाद-शुल्क वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटकों की रुचि के स्थानों पर प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम की व्यवस्था करना

2158. **श्री अजित कुमार साहा :**
श्री मुकुन्द्र मंडल :
श्री लक्ष्मण मलिक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय नव-विकसित प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा संस्करण स्थापति करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ; और

(ग) यह कार्यक्रम कब शुरू होगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) से (ग) प्रकाश तथा ध्वनि सिस्टम स्थापित करने के लिए पर्यटक अभिरुचि के स्थानों की सूची को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसे यात्रा परिपथ संकल्पना को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। धन-राशि पर निर्भर रहते हुए स्कीमों को अमल में लाने के लिए आधुनिक उपस्करों को उपयोग में लाया जाएगा।

कर्नाटक में हाम्पी का विकास

2159. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व विजय नगर रियासत की राजधानी हाम्पी को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने निर्माण तथा आवास मंत्रालय के नगर व ग्राम आयोजन संगठन को हाम्पी की एक मास्टर प्लान (भूमि-उपयोग योजना) तैयार करने को कहा था, जिसे अधिसूचित किए जाने के लिए राज्य सरकार को भिजवा दिया गया था। मास्टर प्लान में भूमि के उपयोग, पर्यावरण सम्बन्धी आयोजना और पर्यटक सुविधाओं के विकास का, जिनका राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारण किया जाएगा, उल्लेख किया गया है। चालू योजना के दौरान, हाम्पी में एक कैफेटेरिया के

निर्माण का प्रस्ताव है जिसके लिए राज्य सरकार से ब्यौरे भिजवाने के लिए अनुरोध किया गया है।

करों सम्बन्धी कानून

2160. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में करों सम्बन्धी वर्तमान कानून बहुत ही जटिल तथा कष्टप्रद है जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष करों का भार लगातार वेतन भोगी वर्गों पर ही पड़ता है परन्तु बड़े-बड़े और धनिक काश्तकार भ्रष्ट व्यापारी तथा अन्य लोग जो कि कर अपवंचन करने में होशियार होते हैं, इन से बचे रह जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार करों संबंधी कानूनों में संशोधन करने का है और यदि हां, तो कब तक और किस आधार पर ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) सरकार, कर कानूनों के सरलीकरण के प्रश्न पर, निरन्तर विचार कर रही है। हाल ही में सरकार ने, आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग का गठन किया है जो सर्वप्रथम, अन्य विषयों के साथ-साथ, कर-प्रशासन तथा उसे युक्तियुक्त बनाने और उसमें सुधार करने के प्रश्न पर विचार करेगा।

लौह अयस्क का निर्यात

2161. **श्री वित्त महाटा** :

श्री रणजीत सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में लगभग कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जायेगा ;

(ख) वर्ष 1977 से 1981 के दौरान निर्यात किये गये लौह अयस्क की मात्रा के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) भविष्य में लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) 1982-83 में निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क के लक्ष्यों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है।

(ख) 1977-78 से 1980-81 तक लौह अयस्क के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :

वर्ष	मात्रा मिलियन मे० टन में
1977-78	21.82
1978-79	21.45
1979-80	24.88
1980-81	24.43

(ग) लौह अयस्क के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए निर्यात बाजारों को विविधरूपी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

दिल्ली के गांवों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

2162. **श्री सज्जन कुमार :**

श्री कृष्ण चन्द पाण्डे क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के गांवों का विकास करने के प्रयोजन से दिल्ली के कितने तथा किन-किन गाँवों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोली गई ; और

(ख) दिल्ली के गाँवों में और अधिक बैंक शाखायें खोलने की सरकार की योजना क्या है और वर्ष 1981-82 के दौरान किन-किन गाँवों में उक्त शाखायें खोली जायेंगी ;

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट): (क) रिजर्व बैंकों ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 1981 से 30 जून, 1981 की अवधि के दौरान संघीय क्षेत्र दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 8 कार्यालय खोले थे इनके ब्यौरे नीचे लिखे अनुसार हैं :—

बैंक का नाम	**केन्द्र का नाम**
भारतीय स्टेट बैंक	खेड़ा खुर्द
	कापसहेड़ा
	दिल्ली-पल्ला
स्टेट बैंक आफ पटियाला	पूठकलां
	बामनोली
	कोंडली
	करेला
पंजाब नेशनल बैंक	दिल्ली-कुतुबगढ़

(ख) इस समय दिल्ली में 12 और ग्रामीण केन्द्रों में बैंक कार्यालय खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के प्राधिकार-पत्रों के ब्यौरे नीचे लिखे अनुसार हैं :—

बैंक का नाम	**केन्द्र का नाम जिनके लिए लाइसेंस/आवंटन-पत्र प्राप्त हैं ।**
भारतीय स्टेट बैंक	सुलतानपुर
	मूंडिया
	डल्लूपुरा
	टीकरी कलां
	गढ़वाल नगर
सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	मितराऊ
	करकरड़मा
पंजाब नेशनल बैंक	बुराड़ी
	जाटीकाड़ा
स्टेट बैंक आफ पटियाला	पीतमपुरा
ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड	उजवा
	भड़ौला

उन सरकारी औद्योगिक एककों के नाम
जिन पर काम निलम्बित किया गया

2163. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन औद्योगिक एककों के नाम क्या है जिन पर गत पांच वर्षों के दौरान कार्य शुरू तो किया गया परन्तु बाद में निलम्बित कर दिया गया;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक निलम्बित परियोजना पर अब तक कितनी राशि हो चुकी है; और

(ग) निर्माण कार्य शुरू किए जाने के समय प्रत्येक एकक को अनुमानित परियोजना लागत कितनी थी और इस समय उन एककों की अनुमानित परियोजना लागत कितनी है ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री रवाईसिंह सिसोदिया) : (क), (ख), (ग) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

अलमोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

2163 **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अलमोड़ा तथा पिथौगढ़ जिलों के उन गांवों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने का विचार है ?

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 27 नवम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते वाणिज्यिक बैंकों के पास 13 प्राधिकार पत्र विचाराधीन थे । इनके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

जिला	बैंक का नाम	केन्द्रों के नाम जहां कार्यालय खोले जाने हैं
अलमोड़ा	भारतीय स्टेट बैंक ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	मोहन बागवाली पोखर हर्रा गुंटी सरायकेट बामासू ऐरा बसूली-सेरा कुवेलान बसौली खड़ैका खांकर
पिथौरागढ़	भारतीय स्टेट बैंक	पोखरी देवीधूरा

उत्तरी बंगाल में कच्चे पटसन की वसूली पुन: आरम्भ करना

2165. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने उत्तरी बंगाल के उन पांच जिलों में उत्पादकों से कच्चे पटसन की वसूली आरम्भ कर दी है जहाँ लगभग 10 दिन से यह कार्य रोक दिया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक की गई वसूली का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारतीय पटसन निगम ने चालू पटसन मौसम के दौरान 21-11-81 तक पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन को 13.11 लाख गांठों की अधिप्राप्ति की है जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 7.43 लाख गांठों की अधिप्राप्ति की थी ।

वाणिज्यिक बैंकों की नकदी अनुपात में वृद्धि

2166. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 1981 में वाणिज्यिक बैंकों की नकदी अनुदान में और वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसके अपेक्षित परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) अधिक नकदी को अपने पास जुटाने और अत्यधिक ऋण विस्तार को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 1981 से नकदी भण्डार अनुपात को संशोधित करके 7 से बढ़ाकर 8 कर दिया जिसे 26 फरवरी, 1982 तक चार चरणों में क्रियान्वित किया जाना है ।

(ग) इस कदम का पूरा प्रभाव अभी पड़ना बाकी है क्योंकि नकदी भण्डार के अनुपात में वृद्धि नवम्बर, 1981 के अंत से फरवरी, 1982 के अन्त तक की अवधि के बीच की जाती है ।

बसन्तगढ़ (राजस्थान) में हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा तांबा आधारित संयत्र की स्थापना

2168. **श्री विरधाराम फुलवारिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सिरोही जिले में बसन्तगढ़ डेरी क्षेत्र में भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा तांबे पर आधारित एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के कब तक पूरे होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि ऐसी कोई योजना नही है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) राजस्थान के सिरोही जिले में बसन्तगढ़ ताम्र निक्षेप के खनन हेतु हिन्दुस्तान कापर लि० ने राजस्थान सरकार से खनन पट्टा प्राप्त किया है । व्यापक ड्रिलिंग कार्य चल रहा है । ड्रिलिंग कार्य के परिणामों की संवीक्षा के बाद ही आगामी निवेश प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासन अधिकारियों की भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पात्रता

2169. **श्री एम० अरूणाचलम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की सहायक प्रशासन अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को स्नातक से बढ़ाकर चार्टर्ड एकाउटेंट कर दिया है ;

(ख) जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासन अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्नातक (पास कोर्स) उम्मीदवारों को पात्र न समझे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम में पूरे भारत में एक भी उम्मीदवार सहायक प्रशासन अधिकारी (श्रेणी एक) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नत करने के लिए नियमों में ढील देने के बारे में प्रबन्धकों ने क्या कदम उठाये हैं ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं,

(ख) चूंकि जीवन बीमा निगम को मौजूदा मानकों के आधार पर ही पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं, इसलिए उसने सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पात्रता-मानकों में रियायत करना अथवा उनमें ढील देना जरूरी नहीं समझा है ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

बन्दरों की सप्लाई

2170. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधुसंधान कार्यों के लिए बन्दरों की सप्लाई के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस सम्बन्ध में आधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) बन्दरों के निर्यात पर रोक है। अनुसंधान प्रयोजनों के लिए बन्दरों की सप्लाई के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-1981, नई दिल्ली में मण्डपों का पूरा न होना

2171. **श्री आर० पी० यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा मेले के उद्घाटन के समय भारतीय अन्तराष्ट्रीय व्यापार मेला 1981 के लगभग सभी मण्डप अधूरे थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1981 के उद्घाटन के समय सभी मण्डप तैयार थे। तथापि, जर्मन संघीय गणराज्य, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, तैजानिया, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जैसे कुछ मण्डपों में प्रदर्शन कार्य पूरा करने का काम चल रहा था।

कमजोर वर्गों को ऋण के माध्यम से पूंजी देना

2172. **श्री राजेश पाइटल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कमजोर वर्गों को ऋण के माध्यम से पूंजी दिलाने के सरकार के प्रयत्नों से उन लोगों को लाभ नहीं मिल सका है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं क्योंकि उन योजनाओं से लाभ का अनुपात उस धनराशि पर निर्भर करता है जो किसी के पास पूंजी के रूप में पहले ही है ; और

(ख) उन लोगों की सहायता के लिये, जिनके पास इन योजनाओं को आरम्भ करने तथा चलाने के लिये वित्तीय क्षमता के अतिरिक्त अन्य सभी क्षमताएं हैं, सरकार ने अब तक किन उपायों पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट): (क)और(ख) जी, नहीं। सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बहुत सी योजनाएं तैयार की हैं जिनके अधीन लाभप्राप्तकर्ताओं पर इस बात का जोर डाले बिना कि वे अपनी मार्जिन की अंशपूंजी लगायें, कमजोर वर्गों तथा गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तिओं को ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। इनमें ये शामिल है :—(1) विभेदी-ब्याज-दर योजना जिसके अधीन बैंकों द्वारा पात्र ऋणकर्ताओं को बिना किसी मार्जिन के 6500 रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। (2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसके अधीन चुने हुए लाप्राप्तकर्ताओं को परियोजना लागत की 25%से 50%तक की राजसहायता(सब्सिडी) प्राप्त होगी। राज-

सहायता के रूप में दी गई राशि को बैंक-ऋण के प्रयोजन के लिए मार्जिन के तौर पर समझा जाता है। (3) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अनुसूचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति विकास निगमों की योजनाओं के अधीन अनु० जाति तथा अनु० जनजाति वाले छोटे ऋणकर्ता मार्जिन राशि ऋणों को प्राप्त करने के पात्र हैं। (4) बैंकों द्वारा विना किसी मार्जिन के, छोटे तथा सीमांतिक किसानों को 5000/-रुपये तक के कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। (5) बैंकों द्वारा मार्जिन पर जोर दिये बिना ग्रामीण शिल्पकारों तथा छोटे एककों को 25000/- रुपये तक के संमिश्र ऋण स्वीकृत किये जाते हैं।

बैंकों को सलाह दी गई है कि ग्रामीण शिल्पकारों लघु एककों तथा तकनीकी योग्यताप्राप्त उद्यमियों के वित्तपोषण के सम्बन्ध में वे उदार दृष्टिकोण अपनायें और केवल मार्जिन की आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण अर्थक्षम तथा अन्यथा स्वीकार्य परियोजना को अस्वीकार न करें।

स्टेट बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली में अधिकारी ग्रेड-II संवर्ग में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए विशेष परीक्षा

2173. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या वित्त मंत्री स्टेट बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली में क्लैरिकल संवर्ग से अधिकारी ग्रेड-II में पदोन्नति के बारे में 13 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक से यह अनुरोध किया गया है कि अधिकारी ग्रेड-II संवर्ग में पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिये पृथक रूप से विशेष परीक्षा लिये जाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) बैंक द्वारा उक्त परीक्षा के लिए निर्धारित सम्भावित तिथि क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के वास्ते, केवल अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित करने की संभावनाओं की जाँच करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक से कहा गया था। किन्तु अनु० जाति/अनु० जनजाति के ऐसे पात्र उम्मीदवारों की अत्यंत सीमित संख्या को देखते हुए, केवल अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों के लिये एक विशेष परीक्षा आयोजित करना बैंक ने उचित नहीं समझा। बैंक, 20 दिसम्बर, 1981 को एक सामान्य पदोन्नति परीक्षा आयोजित कर रहा है जिसमें, 1979 की परीक्षा में असफल हुए 17 कर्मचारियों समेत लगभग 65 अनु० जाति/अनु० जनजाति कर्मचारियों को भाग लेने का अवसर मिलेगा।

पलासी मालदा बेलूर हुवली के लिए प्रकाश तथा ध्वनि व्यवस्था

2174. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे स्तर की प्रकाश तथा ध्वनि प्रणालियों हेतु चुने गये स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं ;

(ख) इसके कब तक शुरू होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या पलासी, मालदा, बेलुर, हुगली को इस सूची में शामिल किया जाएगा; और

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) देश में छोटे ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शनों को माउण्ट करने के लिए अभी तक कोई अन्तिम सूची तैयार नहीं की गई है। ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन लगाने के लिए पर्यटन केन्द्रों का चयन उन यात्रा परिपथों में से किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ परामर्श करते हुए निर्धारित किया गया है।

"नान एवेलेबिलिटी आफ कंट्रोल्ड क्लाथ"
शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2175. **श्री शिवचरण वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1981 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में 'कन्ट्रोल क्लाथ नाट एवेलेबल' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कन्ट्रोल के कपड़े की किस्म में सुधार करने, और उसकी सरलता से लगातार सप्लाई सुनिश्चत करने तथा आय की सीमा 800 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये करने के लिए क्योंकि रुपये का कई बार अवमूल्यन हुआ है, क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) प्रसंगाधीन समाचार में कुछ प्रकार के कन्ट्रोल के कपड़े की प्राप्यता के साथ-साथ कीमत में वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है। उपभोक्ता कीमतों को सात वर्षों के अन्तराल के बाद संशोधित किया गया है और जिसके दौरान उत्पादन लागत में पर्याप्तता वृद्धि हो गई है। 1974 में विद्यमान उपभोक्ता कीमतों की तुलना में मिल में बने कण्ट्रोल के कपड़े की कीमत में 88 प्र० श० भारत औसत मूल्य वृद्धि हुई है। हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित जनता कपड़े की कीमत को 1 जुलाई 1981 से 15 प्र० श० तक बढ़ा दिया गया है। कन्ट्रौल के कपड़े की संशोधित योजना के अधीन मिल क्षेत्र के उत्पादन कोटे को 400 मिलियन वर्ग मीटर प्रति वर्ष से घटाकर 325 मिलियन वर्ग मीटर कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप विभिन्न राज्यों व संघ क्षेत्रों को मिल में बने कन्ट्रोल के कपड़े के आवंटन में कटौती कर दी गई है। सरकार ने पहले ही उचित आधार पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जनता कपड़ा उपलब्ध कराने का विनिश्चय कर लिया है। उपभोक्ताओं को कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण और पात्रता की कसौटियां तय करने के मामले राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा तय किए जाएंगे। कन्ट्रौल के कपड़े की क्वालिटी के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं हैं।

सरकारी विभागों/उपक्रमों में बोनस का भुगतान

2176. **श्री बी० के० नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों/उपक्रमों में किन श्रेणियों के कर्मचारियों को उत्पादिता के आधार पर वार्षिक बोनस का पूर्णतः भुगतान कर दिया गया है और किन श्रेणियों के कर्मचारियों के बारे में अभी आवश्यक फार्मूला तैयार किया जाना है ;

(ख) क्या उनको पता है कि विलम्ब के कारण श्रमिकों में भारी चिन्ता और असन्तोष बढ़ रहा है ; और

(ग) शेष बोनस का भुगतान कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) कार्य निष्पादन पर आधारित फार्मूलों के अनुसार, उत्पादकता-सम्बद्ध बोनस की अदायगी रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) डाक-तार विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध फैक्ट्रियों आदि और वित्त मंत्रालय के अधीन भारत प्रतिभूति मुद्रणालय और करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड़ के उपयुक्त श्रेणी के कर्मचारियों को की जा रही है । नौसेना गोदियों, आयुध डिपो, ई० एम० ई० निदेशालय के अधीन, स्थिर प्रकार के वर्कशापों और रक्षा मंत्रालय के अधीन वायु सेना डिपो/मरम्मत प्रतिष्ठानों, श्रम मंत्रालय के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कार्य कर रहे जो कर्मचारी उत्पादकता सम्बद्ध बोनस प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें बोनस-भुगतान-विनियमन-फार्मूला बनाये जाने तक केवल तदर्थ बोनस देने की स्वीकृति प्रदान की है । इन संगठनों में इस प्रयोग के आधार पर उत्पादकता को माप सकना आसान नहीं है और विलम्ब होने का यही मुख्य कारण है । फिर भी, शीघ्र ही फार्मूला बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

तमिलनाडु में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स होलीडे (करों से मुक्ति)

2177. **श्री ईरा अनवा रासू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि तमिलनाडु में उत्तर आर्काट जिला और रामनाथपुरम ईस्ट जैसे अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को स्थाई रूप से करों से मुक्त किया जाये जिससे बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में नए उद्योग आरम्भ करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जा सके ; और

(ख) क्या सरकार का विचार पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करके बेरोजगारी को समाप्त करने के उद्देश्य से आयकर नियमों में उपयुक्त सुधार करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) आयकर अधिनियम के मौजूदा उपलन्धों के तहत, तमिलनाडु के उत्तरी आरकोट तथा रामनाथपुरम जैसे जिलों में नव-स्थापित औद्योगिक उपक्रमों से आय प्राप्त करने वाला करदाता. आरम्भिक दस कर-निर्धारित वर्षों

के लिए, ऐसी आय के बीस प्रतिशत की कटौती का पात्र है। ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में कर के स्थायी रियायत की अनुमति देने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचारधीन नहीं है।

(ख) आयकर अधिनियम के मौजूदा उपबन्धों के तहत, करदाता, मूल्य-ह्रास मोक, अतिरिक्त मूल्य ह्रास मोक, पूंजी-निवेश मोक, आंशिक कर-रियायत आदि पाने का, हकदार है जो पूंजी-निवेश को प्रोत्साहित करती हैं।

एक राष्ट्रीयकृत बैंक के मुख्यालय को बिहार में अन्तरित करना

2178. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एक भी मुख्यालय बिहार में स्थित नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार है कि कम से कम एक राष्ट्रीयकृत बैंक का मुख्यालय बिहार में अन्तरित किया जाए जिससे विकास की गतिविधियों के लिए बैंकिंग सैन्टर का सीधे ध्यान दिलाया जा सके, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रायपुर हवाई अड्डे का विकास

2179. **श्री केयूर भूषण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायपुर हवाई अड्डे का विकास कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद बैंक के असहयोग के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि का खर्च न किया जाना।

2180. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विशेष घटक योजना के अतर्गत 1980-81 और 1981-82 में योजना की क्रियान्वित लिए निर्धारित धनराशि खर्च नहीं कर रही क्योंकि इलाहाबाद बैंक ने जो जिले का लीड बैंक है, सहयोग नहीं दिया ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में इस योजना के लिए निर्धारित धनराशि को खर्च करने के लिए सरकार किस कार्यवाही पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) विशेष घटक योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सरकार के सभी विकास विभाग, अपनी विभेदी आयोजना स्कीमों से एक विशिष्ट परिव्यय नियत करते हैं। उत्तर प्रदेश की विशेष घटक योजना में, छठी आयोजना के दौरान, 602.88 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है और 31 विभागों की विभिन्न स्कीमें शामिल हैं। जिले के नाम के न होने से और विशेष घटक योजना के अधीन उस योजना के न होने से, जिसके संबंध में सूचना मांगी गई है, इस प्रश्न का विशिष्ट उत्तर संभव नहीं है। अलबत्ता, यहां यह स्पष्ट किया जा सकता है कि बैंकों की सहायता से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समेत कमजोर वर्गों के कल्याण के वास्ते समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम और अन्य स्कीमों के क्रियान्वयन में आई कठिनाइयों के बारे में, हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई बैठक में चर्चा की गई थी। राज्य सरकारों के उपस्थित प्रतिनिधि और बैंक दोनों इस बात पर सहमत थे कि, इस संबंध में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नीति दिशा-निर्देशों में कोई कमी नहीं है। यह सहमति हुई कि विशिष्ट क्षेत्रों में समन्वय की कमी की वजह से उत्पन्न हुई क्षेत्र स्तर की कठिनाइयों को राज्य और जिलास्तर के मंचों द्वारा आपसी परामर्श और सहयोग से मौजूदा समन्वय का उपयोग करते हुए, बैंकों और जिला प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हल किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात एककों में ढलवा लोहे का उत्पादन

2181. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात एककों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रति माह 1,20,000 टन ढलवां लोहे का उत्पादन करें ;

(ख) क्या यह सच है कि वास्तव उत्पादन उस समय लगभग 75,000 टन प्रति माह है ; और

(ग) यदि हां, तो उस कमी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1981-82 के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों द्वारा विक्रेय कच्चे लोहे के उत्पादन का लक्ष्य 15.6 लाख टन रखा गया है जो औसतन लगभग 1,30,000 टन प्रति मास बैठता है।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1981 के दौरान कच्चे लोहे का वास्तविक उत्पादन 671,700 टन हुआ है जो औसतन लगभग 96,000 टन प्रतिमाश है।

(ग) बोकारो और भिलाई की धमन भट्टियों की पूंजीगत मरम्मत का कार्य चलने के कारण कच्चे लोहे का उत्पादन वर्ष के शुरू के महीनों में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम रहा है। इन भट्टियों के पुनः चालू होने से कच्चे लोहे के उत्पादन में वृद्धि हुई है और सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में अक्तूबर, 1981 में कच्चे लोहे का उत्पादन 141,800 टन हुआ है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक बैंकिंग कम्पनी की स्थापना

2182. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार की अपनी बैंकिंग कम्पनी स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में, जो बहुत समय से भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़ा है, अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, अभी राज्य सरकार के परामर्श से, इस मामले पर विचार कर रहा है ।

"प्राइसेज में टेक जौय आउट आफ फैस्टीवल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2183. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 सितम्बर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस में" प्राइसेज में टेक जौय आउट आफ फैस्टीवल्स शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो मूल्य वृद्धि का त्यौहारों पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या सरकार लगातार मूल्य वृद्धि को रोकने में असफल रही है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) और (ख) अगस्त-सितम्बर 1981 की त्यौहारों की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए कुछ विशेष उपाय शुरू किए गए थे । इन उपायों और पहले से किये जा रहे उपायों के परिणामस्वरूप इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कुल मिलाकर सुविधाजनक रही और मूल्यों पर पड़ रहे दबावों को काबू में रखा गया । थोक मूल्य सूचकांक जो 29 अगस्त 1981 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए 286.6 था, घट कर 26 सितम्बर, 1981 को समाप्त हुए सप्ताह में 284.6 हो गया और 31 अक्टूबर, 1981 को समाप्त हुए सप्ताह में और गिर कर 280.2 हो गया ।

निर्यात मार्ग में बाधाएं

2184. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात के मार्ग की बाधाओं के अध्ययन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्यात सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपाय करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) निर्यातकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हों, का पता लगाने हेतु निर्यातों से सम्बन्धित नीति

एवं प्रक्रियाओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है । भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इस समय निर्यात प्रलेखन तथा सम्बन्धित प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए अध्ययन कर रहा है । उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नतियां

2185. **श्री टी० नागरत्नम्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राष्ट्रीयकृत बैंक तथा स्टेट बैंक समूह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी कर्मचारियों की पदोन्नतियों के संबंध में पिछला बकाया आगे ले जाया जाना, परस्पर अदलाबदली (बैक लाकर, केरी फार्डवर्ड, इन्टर-चेजेबिलिटी) तथा 40-सूत्री रोस्टर प्रणाली को कार्यान्वित कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक किस बैंक ने कार्यान्वित नहीं किया है ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ;

(घ) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) बैंकिंग क्षेत्र में उक्त उपबन्धों संबंधी स्थिति क्या है ; और

(च) क्या उपर्युक्त उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए बहुमत वाले संघ (मैजोरिटी यूनियन) के साथ समझौता अनिवार्य है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ङ) भारतीय स्टेट बैंक, इसके सहायक बैंकों तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सरकार द्वारा अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए निर्धारित प्रतिशतता के मुताबिक पदोन्नति में आरक्षण 1969 में शुरू किया था । सरकार के पास निर्धारित आदर्श रोस्टर (माडल रोस्टर्स) हैं जो कि अनु० जाति/अनु० जनजाति के वास्ते आरक्षित रिक्तियों की संख्या के निर्धारण में मदद करते हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इन माडल रोस्टरों को अपनाने की सलाह दी गई है । एक बैंक को छोड़कर अन्य सभी बैंकों ने इस सम्बन्ध में सरकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को लागू कर दिया है । शेष बचे बैंक को भी इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुपालन की सलाह दी गई है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे पिछले वर्ष की बकाया को आगे ले जाने में परस्पर अदलाबदली सहित आरक्षित रिक्तियों की बकाया को आगे ले जाने के लिए सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वित करें । सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के सिवाय अन्य सभी सरकारी क्षेत्र के 21 बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होंने इन अनुदेशों को कार्यान्वित कर दिया है । बहुमत वाली यूनियन के असहयोगी रुख के कारण सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को पदोन्नति में रिक्तियों की बकाया को आगे ले जाने के सम्बन्ध में सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में कठिनाइयाँ पेश आ रही हैं । इस

बैंक को, कर्मचारी यूनियन के साथ हुए वर्तमान करार में उपयुक्त संशोधन के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है।

(च) क्योंकि बैंकों में लिपिकीय (क्लैरिकल) संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति, प्रबन्धकों तथा बहुमत वाली कर्मचारी यूनियन के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत हुए करारों द्वारा शासित होती है, इसलिए इसमें कर्मचारी यूनियन के साथ हुए वर्तमान करार में संशोधन करके ही कोई परिवर्तन किया जा सकता है।

तमिलनाडु में तूतीकोरिन तथा सेलम में हवाई अड्डे

2186. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतीकोरिन तथा सेलम, जो तमिलनाडु के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक नगर हैं, में हवाई अड्डे बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उज्जैन का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करना

2187. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उज्जैन का केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या सरकार माँमाण्डव, कान्हा आदि पर्यटक केन्द्रों का भी विकास करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से पर्यटन का विकास किया जाए। सुनिश्चित विकास के लिए, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श करके ई।

यात्रा परिपथों को निर्धारित किया गया है जिनमें 441 पर्यटक केन्द्र शामिल हैं । उज्जैन, माण्डु और कान्हा को मध्य प्रदेश राज्य के लिए निर्धारित यात्रा परिपथों में शामिल कर लिया गया है । केन्द्रीय राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में शुरू की जाने वाली विकास सम्बन्धी स्कीमों के ब्लू प्रिंट राज्य सरकार से प्राप्त हो गए हैं और उनकी जाँच की जा रही है । संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर इन स्कीमों को कार्यान्वित किया जाएगा ।

दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में सशस्त्र रक्षक (गार्ड) तैनात करना

2188. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक डकैतियों को ध्यान में रखते हुए बैंकों की शाखाओं में सशस्त्र रक्षक तैनात करना बहुत ही आवश्यक है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं में रक्षक तैनात नहीं किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में उन बैंकों और उनकी शाखाओं का ब्यौरा क्या है जहां सशस्त्र रक्षक तैनात नहीं किये गये हैं ; और

(घ) उनमें तुरन्त सशस्त्र रक्षक तैनात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) सरकार यह सुनिश्चित करने की उत्सुक है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में समुचित सुरक्षा प्रबन्ध हों। अलबत्ता, अधिक लागत अन्तर्ग्रस्त होने को वजह से, बैंक की प्रत्येक शाखा पर सशस्त्र प्रहरी तैनात करना संभव नहीं है । साथ ही जहां सशस्त्र प्रहरी तैनात नहीं हैं, उन शाखाओं से सम्बन्धित सूचना को प्रकट करना भी जनहित में नहीं होगा । बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने सुरक्षा प्रबन्धों की आवधिक समीक्षा करें और उन्हें सुदृढ़ बनायें ।

चीनी की खुली बिक्री पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छूट

2189. **श्री के० माल्लना** :

श्री राम प्यारे पनिका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में गन्ने की शीघ्र पैराई को प्रोत्साहित करने के लिए चीनी की खुली बिक्री और लेवी चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर छूट देने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तृत ब्यौरा और शर्तें नीचे दी गयी हैं:—

(1) 28-10-81 से 30-11-81 तक उत्पादित उस चीनी पर छूट दी गई है जो चीनी वर्ष 1980-81 की संगत अवधि के दौरान उत्पादित चीनी से अधिक हो।

(2) छूट की यह रकम प्रश्नगत चीनी पर देय मूल और विशेष उत्पादन शुल्क से अधिक न हो।

(3) जिन कारखानों में 1980-81 की संगत अवधि के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, वे इस योजना के अंतर्गत छूट पाने के पात्र नहीं हैं।

यह छूट 28-10-81 की अधिसूचना सं० 173/81-के० उ० शु० द्वारा अधिसूचित की गयी थी और इसे 23-11-81 को सदन-पटल पर रख दिया गया था।

विदेशी कम्पनियों की अनावासी पूंजीधारिता

2190. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार विदेशी कम्पनियों को भारतीय कम्पनियां समझा जाएगा जो हमारे देश में अपनी पूंजी को घटाकर 40 प्रतिशत तक कर देंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार का विचार यह है कि विदेशी मुद्रा की भारी कमी को देखते हुए 40 प्रतिशत तक की कमी के कारण भी विदेशी मुद्रा आवर्ती आधार पर भारी मात्रा में बाहर चली जाएगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जनता सरकार की नीति का लाभ उठाते हुए बहुत-सी विदेशी कम्पनियों ने गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों में भी अपने कार्यों का विविधीकरण कर दिया है ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक विदेशी कम्पनी द्वारा हमारे देश में अपनी पूंजी घटाकर 40 प्रतिशत तक करने के पहले और बाद में अपने देशों को कितनी विदेशी मुद्रा भेजी ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) जिन कम्पनियों में अनिवासी सामान्य शेयर पूंजी (इक्विटी) 40 प्रतिशत या उससे कम है, वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की परिधि से बाहर हैं और इस लिए उन कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के प्रयोजनों से "भारतीय कम्पनियां" माना जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा की बाहर निकासी किसी कम्पनी की विदेशी सामान्य शेयर धारिता के अनुपात पर निर्भर नहीं करती बल्कि यह अन्य बहुत-सी बातों पर, जैसे कि कम्पनी की गतिविधि के क्षेत्र, उसकी लाभोपार्जन क्षमता, विदेशी पार्टियों के साथ प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए निष्पादित करारों तथा संघटकों और कच्चे माल आदि के आयात की अनुज्ञेय मात्रा आदि पर निर्भर करती है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस नीति 1973 के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अपने कार्यों का विविधीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाती । किन्तु 40 प्रतिशत या उससे कम विदेशी शेयरों वाली कम्पनियां लाइसेंसिंग तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आदि संबंधी उपेक्षाओं को पूरा करने की शर्त के अधीन अन्य क्षेत्रों में भी अपने कारबार में विविधता ला सकती हैं ।

(घ) ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं तथा उनकी गतिविधियां भी अनेक प्रकार की हैं । इन कम्पनियों के प्रति अपनाए गए रवैये के सम्बन्ध में दिए गए नीति विषयक स्पष्टीकरण को देखते हुए इन तथ्यों तथा आंकड़ों को इकट्ठा करने में जो परिश्रम लगेगा वह उससे प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । परन्तु यदि किसी एक कम्पनी या कुछ कम्पनियों के बारे में जानकारी चाहिए तो वह एकत्रित करके दी जा सकती है ।

महानियंत्रक, रक्षा लेखा, द्वारा, "आल इण्डिया डिफेन्स एकाउण्ट्स एम्पलाईज एसोसिएशन" को कार्यकारी समिति के साथ बातचीत करने से इन्कार किया जाना

2191. **श्री रामावतार शास्त्री** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानियंत्रक, रक्षा लेखा "आल इण्डिया डिफेन्स एकाउण्ट्स एम्पालाईज एसोसिएशन" की कार्यकारी समिति के साथ एक वर्ष से भी अधिक समय से बातचीत करने स इन्कार करता आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चाय उद्योग

2192. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग के लिए विशेष रूप से निर्यात बिक्री के संदर्भ में वर्ष 1981 का मौसम (सीजन) निराशाजनक रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सितम्बर, 1981 के अन्त तक सादा तथा मध्यम चाय की देशीय बिक्री की संभावना भी बहुत अच्छी नहीं थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस उद्योग को उत्पादन सम्बन्धी बढ़ती हुई लागतों तथा मंहगे और अति दुर्लभ आदानों तथा चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों और मूल्यों में हुई वृद्धि को भी हिसाब में लेना था ।

(घ) क्या इस वजह से चाय उद्योग के लिए वर्ष की न्यूनतम आवश्यकताओं की खरीद के लिए पर्याप्त रकम जुटाना मुश्किल हो गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे चाय के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं। जनवरी-अक्तूबर, 1981 के दौरान भारत से चाय के निर्यात अनन्तिम रूप से 199.67 मि० किग्रा० के हुए जबकि गत वर्ष की उसी अवधि में 181.41 मि० किग्रा० के हुए थे।

(ख) प्लेन तथा मीडियम चाय की कीमतें अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, जनवरी, 1981 से सितम्बर, 1981 के दौरान निर्यात तथा घरेलू दोनों बिक्रयों के लिए भारत के विभिन्न नीलामी केन्द्रों में सभी श्रेणियों की चाय के लिए प्राप्त की गई समग्र औसत कीमतें गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान प्राप्त की गई कीमतों से कम रहीं।

(ग) जी हां।

(घ) ऐसा पता चला है कि चाय उद्योग ने उर्वरकों की ऊंची कीमतों, दुर्लभ नकद प्रवाह की स्थिति आदि जैसे अनेक कारणों से इस वर्ष उर्वरकों के प्रयोग में कमी की है।

(ङ) जबकि उर्वरकों के कम प्रयोग से आगे चल कर चाय उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है, चालू वर्ष के प्रथम दस महीनों में भारत ने चाय के उत्पादन में गिरावट मुख्यतः प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण हुई है ?

कच्चे रेशम के मूल्य में वृद्धि

2193. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्चे रेशम की अत्यधिक कमी तथा इसके मूल्य में भारी वृद्धि के बारे में जानकारी है जिसकी वजह से रेशम के उत्पादन में लगे करघों तथा परिवारों के लिए विशेष रूप से तमिलनाडू में संकट उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार करघों के लिए कच्चे माल रेशन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कच्चे रेशम का आयात करने सहित आवश्यक कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से 250 मे० टन कच्चे रेशम का आयात करने का निर्णय लिया है। इसके साथ-साथ घरेलू कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाने हेतु उपाय किये जा रहे हैं।

आल इण्डिया फैडरेशन आफ इन्कमटेक्स गजेटेड सर्विस एसोसियेशन, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया पैम्फलिट

2194. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'आल इण्डिया फेडरेशन आफ इन्कमटेक्स गजेटेड सर्विस

एसोसिएशन', नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए पैम्फलिट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस पैम्फलिट में उल्लिखित मिसिल के खो जाने के सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मिसिल के खो जाने के सम्बन्ध में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ; और

(घ) उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अन्तिम रूप से निपटारा कैसे किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) सरकार ने, आल इण्डिया फैडरेशन आफ इन्कमटेक्स गजेटिड सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा जारी किये पैम्फलेट की एक प्रति देखी है । इस पैम्फलेट में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सभा याचिका समिति की रिपोर्ट से, जो 9 जनवरी, 1976 को राज्य सभा में पेश की गयी थी, उद्धरण उद्धृत किए गए हैं, जिनमें किन्हीं फाइलों के खो जाने का उल्लेख है उसमें उल्लिखित तीन फाइलों में से दो पुरानी फ़ाइलों की पहले ही छंटनी की जा चुकी थी, जबकि तीसरी फाइल, को वरिष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित है, 11 नवम्बर, 1975 को राज्य सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दी गयी थी । इसे देखते हुए, फाइलों के खो जाने की बाबत जिम्मेदारी ठहराने और किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा ।

बैंकों में जमा राशि

2195. **आचार्य भगवान देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 और 1980-81 में बैंकों में वर्ष-बार कितनी जमा राशि राज्यबार प्राप्त हुई ;

(ख) इन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा कितना ऋण वर्षबार प्राथमिक क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को दिया गया ; और

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में बैंकों में जमा राशि और दिये गए ऋणों की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1979 और दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्यबार जमा, अग्रिम (स्वीकृति के अनुसार) और ऋण जमा अनुपात विवरण में दिए गए हैं । दिसम्बर, 1979 और दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक, राजस्थान का ऋण, जमा अनुपात क्रमशः 67.9 प्रतिशत और 67.6 प्रतिशत था जबकि अखिल भारतीय औसत क्रमशः 69.0 प्रतिशत और 66·9 प्रतिशत था ।

(ग) दिसम्बर, 1979 और दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों के अन्तिम आंकड़े इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये)

	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिम	जिसमें से लघु उद्योग	कृषि
1979	6485	2693	2542
1980	7999	3416	3021

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्यवार जमा, अग्रिम और ऋण जमा अनुपात (स्वीकृति के अनुसार ऋण)

(राशि करोड़ रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिसम्बर के अन्त की स्थिति के अनुसार					
	1979			1980		
	जमा	अग्रिम	ऋण जमा अनुपात	जमा	अग्रिम	ऋण जमा अनुपात
1	2	3	4	5	6	7
I. उत्तरी क्षेत्र	6655.91	554.16	83.3	7948.56	5657.29	71.2
1. हरियाणा	526.94	373.55	70.9	653.62	469.10	71.8
2. हिमाचल प्रदेश	169.27	49.23	29.1	206.03	69.21	33.6
3. जम्मू तथा कश्मीर	295.28	97.99	32.2	377.44	117.58	31.1
4. पंजाब	1595.76	671.72	42.1	1952.21	845.17	43.3
5. राजस्थान	688.15	467.11	67.9	842.52	569.18	67.6
6. चण्डीगढ़	261.20	502.88	192.1	266.86	578.75	216.9
7. दिल्ली	3119.61	3384.68	108.5	3649.86	3008.30	82.4

1	2	3	4	5	6	7
II. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
	440.07	163.04	37.0	483.19	195.13	40.4
1. असम	308.68	130.62	42.0	339.97	156.28	46.0
2. मणिपुर	19.93	5.33	26.7	15.53	5.46	35.2
3. मेघालय	47.53	7.02	14.8	49.65	8.18	16.5
4. नागालैंड	15.15	3.68	24.3	19.63	5.02	25.6
5. सिक्किम	5.16	0.17	3.3	4.97	0.23	4.6
6. त्रिपुरा	26.82	14.81	55.2	35.05	17.99	51.3
7. अरुणाचल प्रदेश	8.42	0.85	10.1	9.35	1.09	11.7
8. मिजोरम	8.32	0.56	6.7	9.04	0.88	9.7
III. पूर्वी क्षेत्र						
	5196.58	3023.42	58.2	6130.81	3393.53	55.3
1. बिहार	1286.80	530.62	41.2	1555.62	636.36	40.9
2. उड़ीसा	323.09	188.83	58.4	430.34	253.79	59.0
3. पश्चिम बंगाल	3579.24	2302.10	64.3	4136.03	2501.13	60.5
4. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	7.45	1.87	25.1	8.82	2.25	25.5
मध्य क्षेत्र						
	3836.57	1789.43	46.6	4754.26	2166.67	45.6
1. मध्य प्रदेश	966.79	513.09	53.1	1172.41	653.22	55.7
2. उत्तर प्रदेश	2869.78	1276.34	44.5	3581.85	1513.45	42.2

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम क्षेत्र						
	8480.48	5906.98	69.6	9845.05	7101.99	72.1
1. गुजरात	2204.74	1183.86	53.7	2564.50	1490.62	58.1
2. महाराष्ट्र	6007.91	4610.29	76.7	6956.73	5481.46	78.8
3. दादरा और नागर हवेली	1.17	1.04	88.9	1.32	1.48	112.1
4. गोवा, दमण और दीव	266.66	112.19	42.1	322.50	128.43	39.8
दक्षिणी क्षेत्र						
	6615.60	5129.22	77.5	7833.31	6222.73	79.4
1. आंध्रप्रदेश	1591.60	1171.05	73.6	1862.07	1383.56	74.3
2. कर्नाटक	1598.23	1268.20	79.3	1933.28	1449.25	75.0
3. केरल	1211.27	779.03	64.3	1454.97	982.87	67.5
4. तमिलनाडू	2168.41	1884.46	86.9	2523.27	2373.69	94.1
5. लक्षद्वीप	45.00	0.06	5.5	58.40	0.08	6.6
6. पांडेचेरी	11.09	27.12	60.3	1.22	33.28	57.0
समस्त भारत	31225.21	21558.95	69.0	36995.18	24737.34	66.9

टिप्पणी : 1) 1980 के आँकड़े अनन्तिम हैं।

2) आंकड़े दिसम्बर के अन्त के अन्तिम शुक्रवार से सम्बन्धित हैं।

3) जमा अन्तः बैंक लेन देनों के अलावा हैं।

4) अग्रिमों में फिर से भुनाई गई हुण्डियां शामिल हैं।

5) आंकड़े स्वीकृति के अनुसार हैं और इसलिये अग्रिमों के वास्तविक उपभोग को नहीं दर्शाते हैं।

संघ के लेखों के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप व्यय में वृद्धि

2196. **श्री अजय विश्वास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लेखों का उसी जमानत पर विभागीयकरण क्रियान्वित किया गया है जिस पर लेखा कार्य नियन्त्रक तथा महालेखाकार परीक्षक के कार्यालय के नियन्त्रण में किया जा रहा था ; और

(ख) यदि लागत बढ़ गई है तो व्यय में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) संयुक्त लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालयों में, जो कि लेखाओं के विभागीयकरण से पहले विद्यमान थे, लेखाकरण और लेखा-परीक्षा सम्बन्धी कार्य पर हुई लागत को अलग-अलग रिकार्ड नहीं किया जाता था और इस प्रकार संयुक्त लेखा-परीक्षा और लेखा कार्यालयों में केवल लेखाकरण सम्बन्धी कार्य पर व्यय को निर्धारित करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त विभागीयकृत लेखा कार्यालयों को, आन्तरिक लेखा-परीक्षा, पूर्व-जांच और बिलों की अदायगी, प्रबन्ध लेखाकरण पद्धतियों को लागू करने जैसे कुछ अतिरिक्त क्रियाकलापों को भी सौंप दिया गया है जो कि संयुक्त लेखा-परीक्षा और लेखा कार्यालयों द्वारा नहीं किये जाते थे। अतः भूतपूर्व संयुक्त लेखा-परीक्षा और लेखा कार्यालयों में लेखाकरण सम्बन्धी कार्य पर हुए व्यय की विभागीयकृत लेखाकरण संस्थापना के अन्तर्गत हुए इसी प्रकार के व्यय के साथ तुलना करना सम्भव नहीं है।

इस्पात संयंत्रों द्वारा रेलवे वैगनों की माँग

2197. **श्री रेणु पद दास** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक इस्पात संयंत्र की रेलवे वैगनों की दैनिक मांग अलग-अलग कितनी है ; और

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान इस्पात संयंत्रों को अलग-अलग औसतन कितने वैगन प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) अगस्त-अक्तूबर, 1981 की अवधि में प्रत्येक इस्पात कारखाने की कच्चे माल और विक्रेय सामग्री की ढुलाई के लिए रेल के

वैगनों की औसत दैनिक आवश्यकता नीचे दी गई है :—

इस्पात कारखाना	मुख्य कच्चे माल के लिए वैगनों (चार पहिए वाले) की औसत दैनिक आवश्यकता	माल बाहर भेजने के लिए वैगनों (चार पहिए वाले) की औसत दैनिक आवश्यकता
भिलाई	858	460
दुर्गापुर	519	169
राउरकेला	590	421
बोकारो	1069	358
बर्नपुर (ईस्को)	285	72

(ख) उसी अवधि में वैगनों की संयंत्र-वार औसत दैनिक प्राप्ति नीचे दिखाई गई है :—

इस्पात कारखाना	मुख्य कच्चे माल के लिए वैगनों (चार पहिए वाले) की औसत दैनिक प्राप्ति	माल बाहर भेजने के लिए वैगनों (चार पहिए वाले) की औसत दैनिक प्राप्ति
भिलाई	866	369
दुर्गापुर	258	146
राउरकेला	440	235
बोकारो	577	260
बर्नपुर (ईस्को)	204	60

प्रति टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन पर ईंधन की लागत

2198. **श्री रेणु पद दास** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन पर ईंधन की लागत कितनी है ;

(ख) उसके उत्पादन के लिए प्रत्येक इस्पात संयंत्र में कोयले की खपत कितनी है ; और

(ग) प्रत्येक इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण-व-विस्तार करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) जानकारी इस प्रकार है :—

कारखाना	प्रति टन इस्पात पिण्ड के उत्पादन के लिए सूखे कोककर कोयले की खपत
भिलाई इस्पात कारखाना	1.10 टन
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1.46 टन
राउरकेला इस्पात कारखाना	1.33 टन
बोकारो इस्पात कारखाना	1.25 टन
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (ईस्को)	2.04 टन

(ग) दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला तथा ईस्को के कारखानों का आधुनिकीकरण/विस्तार करने के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

विकसित देशों द्वारा विकासोन्मुख देशों को प्रोत्साहन दिया जाना

2199. **रेणु पद दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल के नेताओं ने इस बात का अनुरोध किया है कि विकसित देशों को ऐसा करना चाहिए जिससे विकासोन्मुख देश उन्हें अधिक निर्यात कर सकें ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ को भारत से निर्यात और आयात की गई मदों की तुलनात्मक सूची तथा उसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों की वहमास में सितम्बर, 1981 में हुई बैठक में यह सहमति हुई कि विकासशील देशों की निर्यात आय को बनाए रखने तथा उसमें सुधार करने के उपायों को इन देशों को दी गई सहायता की मात्रा और शर्तों में सुधार करके पूरा करना चाहिए। तदन्तर राष्ट्रमंडल सरकार के प्रमुखों की मेलबोर्न में हुई बैठक में बढ़ती हुई संरक्षणवाद की प्रवृत्ति पर चिन्ता व्यक्त की गई। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि सरकारों को व्यापार पर टैरिफ तथा गैर-टैरिफ अवरोधों को कम करने के लिए और आगे प्रयत्न करने चाहिए।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ को भारत द्वारा निर्यात की गई तथा वहां से आयात की गई मदों का वार्षिक मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 3016/81]

राज्य सरकारों द्वारा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्य अधिग्रहण करने के लिए अनुमति

2200. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने नियन्त्रण तथा महालेखा परीक्षक से निम्नलिखित कार्य का अधिग्रहण करने अथवा उसे समाप्त करने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति प्राप्त की है ;

(1) राजपत्रित अधिकारियों की वेतन पर्ची ;

(2) सामान्य भविष्य निधिलेखा कार्य ;

(3) पेंशन भुगतान आदेश ;

(4) विदेश सेवा अंशदान की वसूली ;

(5) सरकारी कर्मचारियों के ऋण और पेशगियों के लिये बड़े चिट्ठों का रखा जाना ; और

(ख) ऐसी राज्य सरकारों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में उनके द्वारा की गई विशेष कार्यवाही तारीख सहित क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) प्रश्न के भाग (क) के उप खण्ड (1), (3), (4) और (5) में उल्लिखित कार्य के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश आवश्यक नहीं थे क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा-शर्तें) अधिनियम-1971 की धारा 10 की शर्तों के अधीन, लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्य नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के सांविधिक उत्तरदायित्व में नहीं आते। प्रश्न के भाग (क) के उपखण्ड (2) में उलिलखित कार्य के संबंध में 4 राज्य सरकारों ने (3 ने कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के संबंध में और एक ने सभी कर्मचारियों के संबंध में) कार्य को अपने हाथ में ले लिया और सभी चार मामलों के संबंध में राष्ट्रपति के आवश्यक आदेश जारी किये गये।

राज्य सरकारों के नाम और तारीखें, जिनसे राज्यों ने प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित कार्यों को अपने हाथ में लिया है संलग्न विवरण में दी गयी हैं। जहाँ तक इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये विशेष कदमों का सम्बन्ध है, ये सम्बन्धित राज्य सरकारों का विषय है।

विवरण

भाग (क) में उल्लिखित उन राज्य सरकारों के नाम जिन्होंने नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक से कार्यों को ले लिया है और वह तारीखें जिनसे कार्य लिया गया है नीचे दी गई हैं।

राजपत्रित अधिकारियों के लिए वेतन पर्ची		सामान्य भविष्य निधि लेखाकर		पेंशन अदायगी आदेश		इतर सेवा अंशदानों की वसूलियां		सरकारी कर्मचारियों की अग्रिम	
राज्व सरकार का नाम	तारीख जिससे कार्य को ले लिया गया	राज्य सरकार का नाम	तारीख जिससे कार्य ले लिया गया	राज्य सरकार का नाम	तारीख जिससे कार्य ले लिया गया	राज्य सरकार का नाम	तारीख जिससे कार्य ले लिया गया	राज्य सरकार का नाम	तारीख जिससे कार्य ले लिया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	(1) 1-1-75× (2) 1-5-76√	मध्य प्रदेश	1979-80 (4/79 लेखाओं से	आन्ध्र प्रदेश	(1) 1-1-77@ (2) 1-6-79/// (3) 1-5-00 ० (4) 1-10-81†	राजस्थान	1-1-81	बिहार	1-4-76
								हिमाचल प्रदेश	1-4-76
								जम्मू और काश्मीर	1-4-74
हरियाणा	1-9-76							केरल	1-4-74
पंजाब	1-7-76	राजस्थान	1-10-79					मध्य प्रदेश	1-1-79
				गुजरात	29-1-76				
मध्य प्रदेश	(1) 1-8-76 (2) 1-10-76···	पंजाब	1978-79 (4/78 लेखाओं से)	राजस्थान	1-12-79			महाराष्ट्र	1-4-74
आन्ध्र प्रदेश	1-1-77	उत्तर प्रदेश	1-9-78					मणिपुर	1-4-74
हिमाचल प्रदेश	1-4-77								
जम्मू और काश्मीर	1-5-77							त्रिपुरा	1-4-74
पश्चिम बंगाल	(1) 1-11-77= (2) 1-2-78÷							नागालैंड	1-4-74

अरुणाचल प्रदेश 1-9-78				उड़ीसा 1-4-75
उड़ीसा 1-12-79				तमिलनाडु 1-4-75
मिजोरम 1-5-80				उत्तरप्रदेश 1-4-79
उत्तर प्रदेश (1) 1-9-74 ()				गुजरात 1-4-77
(2) 1-11-79⌐				
तमिलनाडु (1) 1-12-73//				०० आन्ध्र प्रदेश 1-4-75
(2) 1-4-78*				
जोड़ :— 13 राज्य	4 राज्य	3 राज्य	1 राज्य	14 राज्य

× 700-1200 रुपये के वेतनमान तक

√ 700-1200 रुपये के वेतनमान से ऊपर

··· 20 विशिष्ट विभागों का

= शेष विभागों का

÷ जिलों में

() कलकत्ता में

⌐ 1200 रुपये के अधिकतम वेतनमान तक

// 1200 रुपये से ऊपर वेतनमान का अधिकतम (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आदि को छोड़कर)

* वेतनमान का अधिकतम लेकिन 1000 रुपये से ऊपर नहीं

@ 1000 रुपये नीचे संशोधित वेतनमान का न्यूनतम

/// चारों विभागों में चतुर्थ श्रेणी और अन्य श्रेणियां।

० 87 विभागों के चतुर्थ श्रेणी अन्य निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारी।

† हैदराबाद, कृष्णा और कुन्नर के जिलों में शिक्षकों की कुछ श्रेणियां।

०० सचियालय विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

प्रथम पांच बड़े औद्योगिक घरानों के निदेशकों/कार्यकारी अधिकारियों/ तकनीकी कार्मिकों को जारी की गई विदेशी मुद्रा

2201. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 तथा 1981-82 (31 अक्टूबर, 1981 तक) के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, नयी दिल्ली और बम्बई द्वारा प्रथम पांच बड़े औद्योगिक घरानों के निदेशकों/कार्यकारी अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों को उनके विदेशी दौरों के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा जारी की गई ;

(ख) क्या इस विदेशी मुद्रा के अलावा उन्हें विदेश में रह रहे अपने मालिकों का भी स्थानीय आतिथ्य प्राप्त होता है और क्या विदेशी मुद्रा जारी करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित मामलों में नई दिल्ली और बम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक से 'पी' फार्म स्वीकृति मिल जाने के बाद इन औद्योगिक घरानों द्वारा हवाई जहाज का टिकट खरीदते समय इस अवधि के दौरान भारत में भारतीय मुद्रा में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(घ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ये घराने उपरोक्त बैंक की विदेशी मुद्रा नियन्त्रण शाखा पर गहरा प्रभाव रखते हैं और यदि हां, तो उनका इन दौरों पर नियन्त्रण रखकर किस प्रकार कड़ा वित्तीय नियन्त्रण लागू करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) वर्ष 1980-81 (28 फरवरी, 1981 तक) के दौरान प्रथम पांच बड़े औद्योगिक घरानों के निदेशकों/कार्यकारी अधिकारियों को उनके विदेशी दौरों के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा के बारे में तत्काल उपलब्ध सूचना **संलग्न विवरण** में दी गई है ।

(ख) भारत में विदेशी मुद्रा जारी करते समय जिन बहुत सी बातों पर ध्यान दिया जाता है उनमें से एक यह भी है कि दौरा करने वाले व्यक्ति को विदेश में कितना स्थानीय आतिथ्य प्राप्त है ।

(ग) 7 अगस्त, 1978 से यह नियम लागू हो गया है कि भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को विदेश यात्रा के प्रयोजन से यात्रा टिकटों की बुकिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की अब आवश्यकता नहीं है चाहे यात्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा परमिट के विरुद्ध हो या नहीं । अतः भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में औद्योगिक घरानों द्वारा हवाई टिकटों की खरीद पर रुपयों में अदा की गई राशियों के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार के ध्यान में ऐसा कोई विशिष्ट मामला नहीं लाया गया है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर विस्तृत अनुदेश जारी किए जाते हैं जिनमें व्यापारिक कार्यकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित होते हैं। प्रत्येक आवेदन-पत्र की सयुक्त नियन्त्रक द्वारा, जो निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है प्रत्यक्ष देख-रेख के अधीन सावधानी पूर्वक जाँच की जाती है।

विवरण

वर्ष 1980-81 (28 फरवरी, 1981 तक) के दौरान पहले पांच बड़े औद्योगिक घरानों के निदेशकों/कार्यकारी अधिकारियों को उनकी विदेश यात्राओं के लिए जारी की गई विदेशी मुद्रा का विवरण

रुपये

समूह		वर्ष 1980-81 (फरवरी, 1981 तक)
1. टाटा	तदर्थ	55,08,409
	खुली छूट	73,50,000
	जोड़ :—	128,58,409
2. बिड़ला	तदर्थ	54,26,295
	खुलीं छूट	39,50,000
	जोड़ :—	93,76,295
3. मफ्तलाल	तदर्थ	9,21,581
	खुली छूट	17,40,000
	जोड़ :—	26,61,581
4. जे० के० सिंघानिया	तदर्थ	10,97,956
	खुली छूट	10,75,000
	जोड़ :—	21,72,956
5. थोपर	तदर्थ	14,61,498
	खुली छूट	24,98,000
	जोड़ :—	39,59,498

पश्चिम बंगाल में पटसन का उत्पादन और भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदा गया पटसन

2202. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू मौसम (सीजन) में पश्चिम बंगाल में अनुमानतः कितना पटसन पैदा हुआ ;

(ख) भारतीय पटसन निगम ने अब तक कितना पटसन खरीद लिया है ; और

(ग) भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन न उठाए जाने की स्थिति में उत्पादों द्वारा कच्चे पटसन की मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पटसन विकास निदेशालय के प्राक्कलनों के अनुसार चालू मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में पटसन तथा मेस्टा का उत्पादन लगभग 40.70 लाख गांठें हुआ है ।

(ख) 21-11-81 तक चालू मौसम के दौरान भारतीय पटसन निगम व सहकारी संस्थाओं ने पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन की 8.51 लाख गांठें खरीदी हैं ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

कच्चे पटसन के कीमत समर्थन का उत्तरदायित्व भारतीय पटसन निगम तथा उसके सहकारी अभिकरणों पर है । भारतीय पटसन निगम के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए पटसन आयुक्त द्वारा पटसन मिलों को कच्चे पटसन की खरीदारियां बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं । पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में एक मानिटरिंग समिति, पटसन मिलों द्वारा की गई खरीदारियों की साप्ताहिक समीक्षा करती है और मिलों द्वारा पूरे किए जाने वाले आवधिक लक्ष्य निर्धारित करती है । पटसन आयुक्त को मिल खरीदारियों के स्टाक विवरण लेने के लिए मिलों की खरीदारियों का निरीक्षण करने की सलाह दी गई है ।

इसके अलावा, नवम्बर तथा दिसम्बर की चरम मौसम अवधि के दो सप्ताहों को मिलाकर कच्चे पटसन की 16 सप्ताहों की स्टाक आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए पटसन मिलों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने की भारतीय रिजर्व बैंक की योजना को जारी रखा जा रहा है । भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष नवम्बर तथा दिसम्बर के चरम पटसन मौसम के दौरान ऋण मार्जिन में 25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक और जनवरी 1982 के दौरान 15 प्रतिशत तक ढील दे दी है ताकि मिलें कच्चे पटसन की अधिक खरीदारियां कर सकें ।

यह भी उल्लेखनीय है कि विशेष ग्रेडों व किस्मों को छोड़ कर, जिनके लिए एन. जे. एम. सी. मिलों को उन्हें बाजार से खरीदने से पहले भारतीय पटसन निगम से क्लियरेन्स प्राप्त करनी होती है, एन. जे. एम. सी. मिलों की कच्चे पटसन की कुल आवश्यकताएं भारतीय पटसन निगम के स्टाक से पूरी की जा रही हैं ।

कृत्रिम रेशे की बिक्री के संवर्द्धन के लिए सिंगापुर में आयोजित सेमिनार

2203. **श्री सनत कुमार मंडल** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में किसी बम्बई स्थित प्रतिष्ठान द्वारा कृत्रिम रेशे की बिक्री के संवर्धन पर सिंगापुर में कोई सेमिनार आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी अधिकारियों और विभिन्न सरकारी उद्यमों और व्यापार के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ; जिन्होंने इस सेमिनार में भाग लिया ;

(ग) इस सेमिनार को आयोजित करने पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई और उनके मंत्रालय की सिफारिश पर गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों तथा सरकार की ओर से भाग लेने वालों के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ; और

(घ) यह सेमिनार भारत में क्यों नहीं आयोजित किया जा सका तथा सरकारी दृष्टिकोण से इसकी क्या उपलब्धियां हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं। तथापि, कैम टैक फाउंडेशन बम्बई ने रसायनों, उर्वरकों, संश्लिष्ट रेशों, इंजीनियरी तथा परामर्श उद्योगों के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता और क्षमता के संवर्धन के लिए सिंगापुर में 22 अक्तूबर, 1981 को "इंडिया योर पार्टनर फार बोग्रेस" नामक सेमिनार का आयोजत किया था।

(ख) सेमिनार का उद्घाटन केन्द्रीय सरकार के उद्योग तथा श्रम मंत्री श्री एन. डी. तिवारी ने किया। वाणिज्य मंत्रालय के अपर सचिव श्री सी. वेंकटरामन ने सेमिनार की अध्यक्षता की और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार की नीति पर प्रकाश डाला। लोक उपक्रमों तथा व्यापार के अन्य अधिकारियों का ब्यौरा इस प्रकार है।

— श्री प्रांत पोथेन, प्रबंध निदेशक
इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइजर्स कोआपरेटिव/
कृषक भारती कोआपरेटिव लि०

— डा० एस० वर्धराजन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
इंजीनियर्स इंडिया लि०

— श्री दीन दयाल, कार्यकारी निदेशक,
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०

— डा० पी० के० नारायणस्वामी,
अधयक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
दि फर्टीलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०

— श्री के० एस० शर्मा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
दि फर्टीलाइजर (पी० एण्ड डी०) इंडिया लि०

— श्री बी० एस० कक्कड़; प्रबंध निदेशक,
नेशनल फर्टीलाइजर्स लि०
— श्री आर० के० भल्ला, प्रबंध निदेशक,
साइमन कार्नस इंडिया लि०
— श्री सीताराम सिंघानिया, प्रेजीडेंट
जे० के० सिंथेटिक्स लि०
— श्री जी० पंडित, प्रबंधक पर्यावरण प्रभाग,
थर्मेक्स प्रा० लि०
— श्री एम० फुतेहती, प्रबंध निदेशक,
डायनाक्राफ्ट मशीन कं० लि०

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से कहा गया है कि वे विदेशी मुद्रा में अमरीकी डालर 15.805 के बराबर की धन राशि रिलीज करें ताकि फाउंडेशन सेमिनार आयोजित कर सके। भाग लेने वाले संगठनों ने अपने प्रतिनिधियों की यात्रा के लिए नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य विदेशी मुद्रा अलग-अलग प्राप्त कर ली थी।

(घ) सेमिनार सिंगापुर में आयोजित किया गया ताकि उसे कैम एशिया 1981 सम्मेलन के साथ साथ किया जा सके जो वहाँ किया जा रहा था। भारत के साथ व्यापार अनुबंधों और संयुक्त उद्यमों में रुचि रखने वाले कई मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन वहां उपस्थित थे और सिंगापुर में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भेंट करने का उनको अवसर प्रदान करने का यह उपयुक्त अवसर था।

रसायनों/उर्वरकों/मानव निर्मित रेशों की प्रौद्योगिकी और संयंत्र के उपस्करों के क्षेत्रों में भारतीय उद्योगों द्वारा की गई प्रगति की रूप रेखा दृश्य श्रव्य प्रस्तुतिकरण और अपने-अपने क्षेत्रों में विख्यात भारतीय टेकनोक्रेटों के भाषणों द्वारा प्रस्तुत की गई। सिंगापुर, मलयेशिया, इंडोनेशिया जापान, अमरीका और ब्रिटेन जैसे विभिन्न देशों के लगभग 40 संगठनों के प्रतिनिधियों ने सेमिनार में भाग लिया और निम्नलिखित के क्षेत्र पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान किया।

1. प्रौद्योगिकी का अंतरण
2. परियोजना प्रबंध तथा संविदा सेवाओं की सप्लाई
3. रासायनिक संयंत्रों तथा उपस्करों की सप्लाई
4. अपने भारतीय प्रति-पक्षियों के साथ संयुक्त उद्योगों में भागीदारी।

पश्चिमी जर्मनी के सार्थ समूह में "मासेसमैन डीमाग" द्वारा विजयनगर में इस्पात संयंत्र का स्थापित किया जाना

2204. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी के सार्थ समूह "मासेसमैन डीमाग" ने कर्नाटक में विजयनगर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने विजयनगर में एक इस्पात कारखाना लगाने के बारे में अभी तक औपचारिक रूप से प्रस्ताव नहीं मांगे हैं, परन्तु कुछ फर्मों ने इस परियोजना में अभिरुचि दिखाई है। पश्चिम जर्मनी के मैन्समैन डेमाग ने, जिसने पारादीप परियोजना के लिए टेंडर दिया था, कहा है कि पारादीप परियोजना के बारे में उनकी पेशकश में उचित संशोधनों के साथ विजयनगर परियोजना के लिए भी विचार किया जाए। इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं के सन्दर्भ में यह कोई विस्तृत पेशकश नहीं है।

ब्रिटिश एयरवेज द्वारा एयर इण्डिया को दिया गया नोटिस

2205. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरवेज ने अप्रैल से अपनी पूल साझेदारी समाप्त करने की इच्छा को नोटिस एयर इण्डिया को दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटिश एयरवेज ने, अप्रैल, 1982 से पूल-व्यवस्था समाप्त कर देने के लिए, एयर इण्डिया को 25-9-81 को, नोटिस दिया। इस नोटिस में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि अक्तूबर, 1981 में होने वाली अन्तर-सरकारी बातचीत में यदि कोई सन्तोषजनक हल निकल आता है तो ब्रिटिश एयरवेज इस नोटिस को वापिस ले लेगी। अन्तर-सरकारी बातचीत में अन्य विषयों के अलावा, पूल-व्यवस्था के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। भारत सरकार का यह मत था कि एयर इन्डिया तथा ब्रिटिश एयरवेज के बीच पूल-व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिए और इसे समाप्त किया जाना राष्ट्रीय हित में होगा। तदनुसार, एयरलाइनों के बीच पूल-व्यवस्था 31 मार्च, 1982 को समाप्त कर दी जायेगी।

चीन द्वारा इस्पात की खरीद

2206. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने हमारे देश से इस्पात खरदीने में रुचि दर्शायी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मंत्रालय के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पुर्तगाल में पर्यटन उद्योग को तैयार करना

2207. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान पुर्तगाल के विदेश मंत्री ने अपने देश में पर्यटन उद्योग कायम करने के लिए भारत की सहायता मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत में पर्यटन उद्योग कायम करने के लिए पुर्तगीज सहायता का प्रश्न पुर्तगाल के विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में की गई यात्रा के दौरान किए गए विचार-विमर्श में नहीं उठा था । तथापि विदेश मंत्री ने यह उल्लेख किया था कि भारत की यात्रा करने और विशेष रूप से गोवा की यात्रा करने के बारे में पुर्तगाल के लोग रुचि रखते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में "गर्ल गाइड"

2208. **श्रीमती संयोगिता राणे** :

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कितनी लड़कियों ने भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में "गर्ल गाइड" के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन किया और कितनी लड़कियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया ; और

(ख) "गर्ल गाइड" का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) कुल 678 प्रत्याशियों ने "गर्ल गाइड" के पदों के लिए आवेदन किया और आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक संवीक्षा करने के बाद 503 प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया ।

(ख) चयन समुचित रूप से गठित चयन समिति द्वारा किया गया था, जिसमें भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण तथा वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे ।

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का पालन किया जाना

2209. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें मार्च, 1981 में श्रीमती ए० आर० भट्ट, अध्यक्ष, इण्डियन

काउंसिल आफ स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज पूना (महाराष्ट्र) से लघु उद्योगों के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के पालन किये जाने के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन में भारतीय रिजर्व बैंक के किन अनुदेशों को हवाला दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने यह जांच की थी कि वाणिज्यिक बैंकों के दैनिक कार्यकरण में इन अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या वाणिज्य बैंक इन का अनुपालन करने के लिये बाध्य नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में, लघु उद्योगों के बिलों के भुगतान में देरी की समस्या सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक के तारीख 31-8-78 के परिपत्र संख्या डी० बी० ओ० डी० सं० सी० ए० एस० (कोड) बी० सी०-113/27-78 का हवाला दिया गया है।

2. आई० एफ० डी० संख्या जी० डी० 525/जी० डी० 28 तारीख 3-10-78-लघु रुग्ण एककों के लेखों के पोषण के लिए लघु उद्योगों के वास्ते ऋण गारंटी योजना।

3. डी० बी० ओ० डी० संख्या सी० ए० एस०/बी० सी० 64/सी० 446 (एम० आई० यू०) क्यू०-78 तारीख 12-5-78-रुग्ण औद्योगिक लघु एकक।

4. डी० बी० ओ० डी० संख्या बी० पी० बी० सी० 94/सी० 446 (क)-78 तारीख 20-7-78-लघु उद्योगों की बैंक ऋण सम्बन्धी समस्याओं की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति (हाई पावर्ड कमेटी) का प्रतिवेदन।

(ग) और (घ) बैंक सामान्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन न करने के विशेष मामलों को जब उनके ध्यान में लाया जाता है तो उनकी जांच की जाती है।

विदेशी मुद्रा का भण्डार और भुगतान सन्तुलन

2210. **श्री अशोक गहलौत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष के प्रथक पाँच महीनों में भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में काफी हद तक कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रति मास किस हद तक कमी आई और गत पांच वर्षों की तुलना में यह कितनी अधिक या कम है ;

(ग) क्या सरकार का विचार भुगतान सन्तुलन बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाने का हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) अप्रैल-अगस्त 1981 के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार (सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) में 984.53 करोड़ रुपये की कमी हुई।

(ख) चालू वर्ष तथा पिछले पांच वर्षों (अप्रैल से अगस्त) के दौरान विदेशी मुद्रा भण्डार में हर महीने हुए परिवर्तनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
अप्रैल	(—)156.32	(+)347.95	(+)192.95	(+)276.89	(—)309.27	(—)211.74
मई	(+)259.68	(+)265.77	(—) 69.97	(—) 89.97	(+) 35.82	(—)110.78
जून	(+)156.12	(+)105.25	(—)104.25	(—) 60.57	(—)115.31	(—)172.98
जुलाई	(+)193.85	(—)142.67	(—)138.24	(—) 12.32	(—)192.41	(—)256.98
अगस्त	(+)137.88	(+)115.06	(+)194.30	(+)151.83	(+)663.20†	(—)232.65

† अगस्त 1980 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि तथा प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा से 815.35 करोड़ रुपए के बराबर की विदेशी नुद्रा की राशि निकाली गई थी ।

पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए समेकित योजना

2211. **श्री अशोक गहलौत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या देश में पर्यटन स्थलों का विकास करने की एक समेकित योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो देश में उन स्थलों के क्या नाम हैं जिनका विकास करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) विकास कार्यक्रम में किन कार्यों को शामिल किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उन पर कब तक कार्य शुरू किया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श करके पर्यटन के विकास के लिए

एक विस्तृत स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम में केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों के अन्तर्गत संसाधनों को एकत्र करते हुए 441 केन्द्रों को कवर करते हुए 61 यात्रा परिपथों को सुनियोजित और एकीकृत ढंग से विकसित करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी०-3017/81]

(ग) और (घ) यह प्रस्तावित विकास कार्य छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करेगा और इन स्कीमों को केन्द्रीय और राज्य सेक्टरों के अन्तर्गत विद्यमान सुविधाओं, धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए शुरू किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

उड़ीसा में भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विस्तार

2212. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास भुवनेश्वर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और उसका विस्तार किये जाने का एक प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में कितना समय लगाने की संभावना है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भुवनेश्वर हवाई अड्डे के विकास और आधुनिकी-करण के लिए छठी पंच-वर्षीय योजना में 121 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत से ऐसी स्कीमें सम्मिलित की गई हैं, जैसे टर्मिनल भवन का विस्तार अथवा परिवर्तन, तेज प्रकाश वाली धावनपथ बत्तियों, श्रेणी-i एप्रोच लाइटों और विजुअल एप्रोच स्लोप इंडिकेटर आदि जैसे द्राष्टिक अवतरण उपकरणों की व्यवस्था, अग्नि-शमन सुविधाओं में वृद्धि, वायु-भू संचार व्यवस्था में सुधार और दूरी-मापक उपकरणों की व्यवस्था, इत्यादि/इन निर्माण-कार्यों के छठी योजना की अवधि में ही पूरे हो जाने की संभावना है।

मारीशस के वित्त मंत्री से बातचीत

2213. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अक्टूबर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में मारीशस के वित्त मंत्री से हुई बातचीत का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : 28 अक्टूबर, 1981 को मारीशस के वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में विश्व की आर्थिक स्थिति में हाल में हुई घटनाओं की समीक्षा की गई। भारत

और मारीशस आर्थिक विकास के क्षेत्र में किस सीमा तक परस्पर सहयोग कर सकते हैं इसके सहित द्विपक्षीय हितों के विविध मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया ।

कच्चे लोहे (पिग आयरना) का निर्यात

2214. **श्री अनादि चरण दास :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार देश से कच्चे लोहे का निर्यात किये जाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जो इस समय कच्चे लोहे का आयात कर रहे हैं ;

(ग) वे हमारे देश से प्रतिवर्ष कुल कितने टन कच्चे लोहे का आयात करते हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में पाकिस्तान को भी कच्चे लोहे का निर्यात करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो पाकिस्तान को कुल कितने टन कच्चे लोहे का निर्यात किये जाने का विचार है ; और

(च) शिपमेन्ट शुरू होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

बाँसपानी, उड़ीसा में माल जमा करने के यार्ड का निर्माण

2215. **श्री हरिहर सोरन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा के बांसपानी (बांसपानी बरबिल सेक्टर) में सामान जमा करने के एक यार्ड बनाने का प्रस्ताव है ।

(ख) क्या इस प्रकार के प्रस्ताव को चालू वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व क्रियान्वित किया जायेगा, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कच्चे लोहे की आवश्यकता

2216. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे लोहे की औसतन वार्षिक माँग क्या है,

(ख) क्या सरकार को देश में ढलवाँ लोहे के पाइपों के निर्माण के लिये कच्चे लोहे की कमी की जानकारी है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देशीय मांग पूरी करने के लिये इस प्रकार के सामान का आयात बढ़ाने का है, और

(घ) पहले आयात किए गए कच्चे लोहे के बारे में ब्यौरा क्या है और कच्चे लोहे की कुल कितनी अतिरिक्त मात्रा का आयात किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1981-82 के लिए कच्चे लोहे की माँग का अनुमान 16.8 लाख टन लगाया गया है ।

(ख) और (ग) जी, हां ।

(घ) 4 सितम्बर, 1981 तक कच्चे लोहे का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता था और इसके आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इसके बाद इसका आयात स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेट की मार्फत किया जा रहा है जो अगले कुछ महीनों में दो लाख टन कच्चे लोहे का आयात करेगी । देश में कच्चे लोहे के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है । इस प्रकार कच्चे लोहे की उपलब्धि की स्थिति में सुधार हो रहा है ।

रक्षा लेखा विभाग के लेखा परीक्षकों को सिक्किम प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाना

2217. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में सेना के असैनिक कर्मचारियों को सिक्किम प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो रक्षा लेखा विभाग के लेखा परीक्षकों को, जो वहां पर तैनात हैं, इस प्रकार का भुगतान क्यों नहीं किया जाता है ;

(ग) क्या भुगतान के इस प्रकार के निर्णय में सामान्यतः विलम्ब हो जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी हाँ । 1-1-1979 से ।

(ख) रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को भी 1-1-1979 से सिक्किम प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किया गया है।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा असैनिकों के लिए जारी किए गए आदेश रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों को अपने आप लागू नहीं होते इसलिए सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए पृथक मंजूरी जारी करनी होती है।

कलकत्ता और भूटान के बीच इण्डियन एयरलाइन्स की "एवरो" विमान सेवा

2218. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने कलकत्ता और भूटान के बीच "एवरो" विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब शुरू होगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्तित पुष्पों के निर्यात की सम्भावना का पता लगाने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का यूरोप का दौरा

2219. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुष्पोत्पादन की मदों के विषय में एक वाणिज्यिक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत से कर्तित पुष्पों का निर्यात किए जाने की सम्भावना का पता लगाने के लिए यूरोप का दौरा किया ;

(ख) क्या इस दौरे के दौरान कर्तित पुष्पों के निर्यात का कोई सौदा तय किया था ;

(ग) यदि हां, तो निर्यात की मदें क्या हैं और आयात करने वाले देशों के क्या नाम हैं ; और

(घ) क्या भारत में निर्यात के लिए पुष्पोत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम की सम्भावना पर भी चर्चा की गई थी ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हाँ। एक प्रतिनिधि मंडल ने सोवियत रूस, जर्मनी और नीदरलैंड का दौरा किया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां। प्रतिनिधि मंडल द्वारा इस विषय पर भी बातचीत की गई थी।

अमृतसर में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल

2220. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के बाद इस नगर में एक होटल का निर्माण करने का कोई निर्णय भारतीय पर्यटन विकास निगम ने लिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य रूपरेखा क्या है और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अमृतसर में जहां पर भविष्य में काफी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है भारतीय पर्यटन विकास निगम का एक होटल बनाने की सम्भावना पर वे अब विचार करेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) से(ग) भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्तर्गत अमृतसर में एक होटल के निर्माण की किसी भी योजना की परिकल्पना नहीं की गई है अत: फिलहाल अमृतसर में एक आई. टी. डी. सी. होटल बनाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पंजाब में वायुदूत विमान सेवा से जोड़े जाने वाले स्थान

2221. **श्री रघुनन्द लाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर इस समय वायुदूत विमान सेवा चल रही है ;

(ख) इसके किन नए स्थानों, विशेष कर पंजाब में, पर शुरू होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या इस नई विमान सेवा के प्रचार और बिक्री-संवर्धन के लिए कोई मूलभूत ढांचा बनाया गया है; और यदि हां, तो वह क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) वायुदूत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित मार्गों पर परिचालन कर रही है :—

गौहाटी/बारापानी
गौहाटी/रूपसी
गौहाटी/कमालपुर/अगरतला
गौहाटी/कैलाश शहर/अगरतला
डिब्रुगढ़/तेजू

(ख) वायुदूत सेवाओं का एक चरणबद्ध क्रम से देश के अन्य भागों में भी विस्तार किया जा रहा है। जिन 23 स्थानों को पहले चरण में वायुदूत सेवा से जोड़ा जा रहा है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पंजाब में लुधियाना उन स्थानों में से एक है जिन्हें पहले चरण में वायुदूत सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रचार तथा बिक्री की वृद्धि के लिए आधारभूत उपादानों की व्यवस्था का प्रश्न इन सेवाओं को प्रारम्भ करने के समय उठाया जायेगा।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बाहर वायुदूत सेवाओं से जोड़े जाने के लिए अनुमोदित किए गए स्थानों की सूची

आंध्र प्रदेश	...	कुडडापा
		राजामुंदरी
		वारंगिल
बिहार	...	जमशेदपुर
		गया
		मुजफ्फरपुर
		पूर्णिया
कर्नाटक	...	रायचूर
		हुबली
केरल	...	कालीकट
मध्य प्रदेश	...	बिलासपुर
		जगदलपुर
महाराष्ट्र	...	नादेड
उड़ीसा	...	रुरकेला
पंजाब	...	लुधियाना
राजस्थान	...	कोटा
		बीकानेर
		जैसलमेर
तमिलनाडु	...	तंजावुर
उत्तर प्रदेश	...	देहरादून
		गाजीपुर
		पन्तनगर
		राय बरेली

सूखे मेवों का आयात

2222. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के सूखे मेवों की कितनी मात्रा का आयात किया जा रहा है और उनकी कीमत क्या है, उनका आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है, यह आयात किस माध्यम से किया जाता है और चालू वर्ष के दौरान प्राइवेट व्यापार का हिस्सा कितना था ;

(ख) क्या स्थानीय बाजारों में सूखे मेवों के दाम आसमान छू रहे हैं ; और

(ग) ओ० जी०एल० और व्यापारियों को लाइसेंस जारी करके विभिन्न प्रकार के सूखे मेवों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उनकी कीमत क्या थी और राज्य व्यापार निगम ने कितनी राज सहायता दी तथा जनता में बिक्री के लिए इन्हें किस प्रकार रिलीज किया जाता है ;

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) कच्चे काजू के आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) और भारतीय काजू निगम को, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है निर्यात सदन/व्यापार सदन भी नीति के अनुसार आर० ई० पी०/अतिरिक्त लाइसेंसों के आधार पर इस मद का आयात कर सकते हैं।

भारतीय जलयानों से खजूर (गीले या सूखे) के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है। मेवों के आयातकों को मेवे के उनके लाइसेंसों के मूल्य के 10 प्रतिशत के भीतर स्थल मार्ग से भी आयात की अनुमति दी जाती है।

मेवों की अन्य मदों के आयात की अनुमति व्यापारियों को निर्धारित अवधि में उनके गत आयात के अनुसार जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर दी जाती है।

चालू वर्ष के लिए आयात आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं। साथ ही, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा वास्तविक आयात के कोई अलग से आंकड़े भी नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सरकार को इस बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है।

(ग) 1978-79, 1979-80 और 1980-81 (अगस्त 1980 तक) के दौरान आयात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एन०टी०-3018/81]. खुले सामान्य लाइसेंस और व्यापारियों तथा सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों को जारी किए गए लाइसेंसो के अन्तर्गत आयातों के सम्बन्ध में आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। साथ ही, आयातित माल की बिक्री या वितरण के तरीके का भी उल्लेख नहीं किया जाता है।

लेखा परीक्षा कार्यालय से संघीय लेखों को अलग करने पर लेखा परीक्षा कर्मचारियों को विकल्प दिया जाना

2223. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघीय लेखों को लेखा कार्यालयों से 1976 में अलग करते समय लेखा परीक्षा कार्यालयों के कर्मचारियों को कोई विकल्प दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कथित अवसर का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं दिया गया था तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या विकल्प के अवसर से लेखा परीक्षा कार्यालय के कर्मचारियों को कोई नुकसान हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो कथित नुकसान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) लेखा-विभागीयकरण योजना के अधीन कार्मिकों (राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों) का स्थानान्तरण, संघीय लेखों का विभागीयकरण (कार्मिकों का स्थानान्तरण) अधिनियम, 1976 के खण्ड 2(2) के अधीन गठित की गई। सलाहकार समितियों की सलाह पर उस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किया गया था। उस अधिनियम में लेखा-पक्ष की ओर स्थानान्तरण के लिए कर्मचारियों से विकल्प लेने की परिकल्पना नहीं की गई थी। लेकिन समितियों की सलाह पर स्थानान्तरित किए जाने वाले कर्मचारियों को इस प्रस्ताव संबंधी आदेश के जारी किये जाने की तारीख से निर्दिष्ट अवधि अर्थात् 10 दिन के भीतर अपनी अनिच्छा व्यक्त करने का अवसर दिया गया था। किन्तु सरकार को जिन मामलों में स्थानान्तरण के लिए अनिच्छा व्यक्त की गई हों, वहां सरकारी हित में किसी कर्मचारी को स्थानान्तरित करने के लिए उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लेखों के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा कार्यालयों/ विभाग लेखा कर्मचारियों में पदोन्नतियां

2224. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखों के विभागीयकरण के कारण प्रभावित लेखापरीक्षा कार्यालयों/विभाग/लेखा कार्यालयों में भिन्न-भिन्न संवर्गों के वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति नहीं की गई जब कि उनसे कनिष्ट अधिकारियों को अन्य विंग में पदोन्नत कर दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति का कभी कोई अध्ययन किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस बात के क्या कारण हैं कि प्रभावित कर्मचारियों को ये प्रतिकूल परिणाम भोगने के लिए छोड़ दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) संघीय लेखाओं के विभागीयकरण के परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा से लेखाओं के अलग होने के बाद सिविल मंत्रालयों

के लेखा कर्मचारियों के लिए अलग संवर्ग बनाए गए जो कि लेखा परीक्षा पक्ष में बनाए गए संवर्गों से बिलकुल पृथक हैं। दोनों पक्षों में कर्मचारियों के पदोन्नति के अक्षरों की तुलना करना न तो सम्भव है और न ही उचित है, क्योंकि यह विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है ? लेखा पक्ष में कर्मचारियों की संख्या सरकार के लेन-देन संबंधी कार्य की मात्रा पर तथा सरकार के उन कार्य-कलापों पर निर्भर करती है जिनके लिए लेखा-संबंधी कार्य में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। लेखा-परीक्षा पक्ष में यह संख्या नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा उन्हें नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों और सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, यथा निर्धारित लेखा परीक्षा की मात्रा के संदर्भ में कार्य-भार पर और राज्य लेखाओं से सम्बन्धित कार्य की मात्रा पर निर्भर करती है।

भारतीय शिष्ट मंडल की लिस्वन यात्रा

2225. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चस्तरीय भारतीय शिष्ट मंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए इस वर्ष 9 नवम्बर को लिस्वन की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) भारत पुर्तगाली संयुक्त समिति की पहली बैठक लिस्वन में 10-11 नवम्बर, 1981 को हुई थी। इससे पहले 9 नवम्बर, 1981 को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल परिसंघ व पुर्तगाली वाणिज्य मंडल द्वारा संयुक्त रूप से एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। इनमें भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल लिस्वन गया था :

इन बैठकों में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने व संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया।

तथापि इस पर सहमति की गई कि पुर्तगाली वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ अपने-अपने देशों में ऐसी सभी सम्भावनाओं की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए केन्द्रीय स्थलों के रूप में कार्य करेंगे।

एक उच्चस्तरीय पुर्तगाली प्रतिनिधि मण्डल ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला देखने तथा भारतीय व्यापारियों व उद्योगों के साथ बातचीत करने के लिए भारत का दौरा किया।

सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी

2226. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 नवम्बर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कमिटमेट टु वर्कर्स मैनेजमेंट रिइंटरेटेड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) सरकार क्षेत्र के कितने प्रतिष्ठानों में प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारी बना लिया गया ;

(ग) योजना की प्रगति में यदि कोई शिथिलता है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई हैं/करने का विचार है ताकि अधिक औद्योगिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 100 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों ने निर्माणशाला एवं कारखाने के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी अपना ली है ;

(ग) इस योजना को भलीभांति लागू न करने के कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं :

(1) प्रबन्धकों का पैतृक रवैया ।

(2) इस योजना, जो सामान्यतः कार्य सम्बद्ध मामलों तक ही सीमित है के विचार क्षेत्र से "हित सम्बद्ध" मामलों को अलग रखना ।

(3) इस योजना को लागू करने के लिए अपेक्षित सांस्कृतिक एवं प्रवृत्तिमूलक परिवर्तनों के अभाव के कारण भागीदार मन्चों से अक्सर सौदेबाजी और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना, और

(4) अन्तर एवं आंतरिक श्रमिक संघों की प्रतिद्वन्द्विता ।

(घ) सरकार का विचार है कि इस योजना को अत्यन्त व्यापक और व्यावहारिक रूप से भलीभांति लागू करने के लिए अधिकाधिक निर्देशन एवं समर्थन आवश्यक होगा । इस योजना को अक्षरशः एवं तात्विक दृष्टि से अपनाने के लिए संगठनों को तैयार करने का अनवरत प्रयास करना पड़ेगा । इसके लिए शैक्षिक प्रयास भी अपेक्षित होगा । श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीयस्तर पर इसके सुधारात्मक उपायों सम्बन्धी समस्यायें निर्धारित करने और विचार-विमर्श करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है ।

केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण

2227. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, केन्द्रीय सरकार को कितना-कितना ऋण दिया ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : माँगी गई सूचना नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष	केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक से निवल ऋण
1978-79	2093
1979-80	2637
1980-81	3551*
1981-82 (30 अक्टूबर तक)	1732

*अनन्तिम

इन आंकड़ों में भारतीय रिजर्व बैंक को बेची गई राजकोषीय हुण्डियां और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया अभिदान शामिल है ।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार से धनराशि लेने के लिये भारतीय कम्पनियों को अनुमति

2228. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ ने सरकार के समक्ष इस बात का समर्थन किया है कि वह भारतीय कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार से धनराशि लेने की अनुमति दे ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) तथा (ख) भारत सरकार को, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साधन जुटाने के लिए यूरो-डालर तथा पेट्रो-डालर मण्डियों से मध्यावधि ऋण उपलब्ध किए जाने का भी सुझाव दिया गया है । सरकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार से उधार लेने के प्रस्तावों पर परियोजना के स्वरूप तथा उसकी वित्त व्यवस्था करने के सर्वोत्तम तरीके को ध्यान में रखकर

विचार करती है । इस प्रकार के निर्णय चयनात्मक आधार पर लिये जाते रहेंगे ।

अनुसूचित बैंकों की जमा राशियों का धीमी गति से बढ़ना

2229. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अक्तूबर को समाप्त हुए सप्ताह में पिछले सप्ताह की तुलना में सभी अनुसूचित बैंकों की जमाराशियां धीमी गति से बढ़ीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा सावधि जमा में धीमी गति से वृद्धि के कारण हुआ था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत दो सप्ताहों के दौरान रिजर्व बैंक के पास बेलेन्स इतन अनिश्चित था कि उससे अनुसूचित बैंकों की समग्र अनिश्तिता का पता चलता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि रिजर्व बैंक के पास धनराशि और बेलेन्स में भारी कमी हो कर वह 4641 करोड़ रुपये रह गया जो गत सप्ताह की तुलना में 116 करोड़ रुपये कम था ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या थे और अक्तूबर के पूरे महीने तथा नवम्बर में भी क्या स्थिति थी और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । 9 अक्टूबर, 1981 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सावधि जमाओं में 82 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि इससे पिछले सप्ताह में इसमें 18 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी ।

(ग) से (ङ) अक्टूबर, 1981 के दौरान रिजर्व बैंक के पास जमा-राशियों मे 41 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई तथा 13 नवम्बर, 1981 को समाप्त हुए दो सप्ताहों के दौरान इनमें और 26 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई ।

रिजर्व बैंक के पास जमा राशियों में शुक्रवार से शुक्रवार की स्थिति में हुए उतार-चढ़ाव असामान्य नहीं हैं तथा यह सामान्य बैंकिंग प्रवृत्तियों का लक्षण है और इस प्रकार किन्हीं विशेष प्रयासों की आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

उत्पादन शुल्क के भुगतान सम्बन्धी गारंटी देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानदंडों का कठोर किया जाना ।

2230. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने आवश्यक वस्तुओं के सभी आयातकर्ताओं द्वारा उत्पादन-शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में गारण्टी देने के लिए मानदण्ड कठोर कर दिये हैं ;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को हाल ही में निदेश जारी किए हैं कि वे ऐसी गारण्टी तब ही दें जब वे आयातकर्ताओं से कम से कम 50 प्रतिशत गारण्टी-राशि के बराबर नकद राशि प्राप्त कर लें ;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इससे किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 सितम्बर, 1981 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे किसी आयातकर्ता की ओर से अथवा उसके खाते सीमा शुल्क और, अथवा आयात शुल्क, अथवा आवश्यक वस्तुओं के आयात के संबंध में देय अन्य शुल्कों की अदायगी की गारण्टी करते हुए कोई गारण्टी तब तक जारी न करें जब तक कि वे इस प्रकार की गारण्टी जारी करने के लिए उस गारण्टी के अधीन देय राशि के कम से कम आधे के बराबर नकद मार्जिन न प्राप्त कर लें।

(ग) बैंकों को यह स्पष्ट कर दिया है कि इस निर्देश के प्रयोजन के वास्ते, "आवश्यक वस्तुएं" शब्दों का अर्थ में खाद्य तेल, चीनी और ऐसी अन्य वस्तुएं शामिल होंगी जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।

(घ) इस निर्देश से आयातकर्ताओं द्वारा आयातित आवश्यक वस्तुओं की सट्टेबाजी के उद्देश्य से जमा-खोरी की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा।

सलेम इस्पात संयंत्र

2231. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री जनार्दन पुजारी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सलेम इस्पात संयंत्र का विचार अपने कार्यकरण में सुधार करने के लिए दो पहलू वाली नीति स्वीकार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त संयंत्र सितम्बर में चालू किया गया था और परिचालन की इस छोटी सी अवधि में इसकी सक्षमता एच. आर. कोइलों पर 3.25 प्रतिशत आयात शुल्क होने के कारण खतरे में पड़ गई ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 100 टन अन्तिम उत्पादों की औसत उत्पादन लागत इस समय संयुक्त संयंत्र समिति के 5600 रुपये के विक्रय मूल्य की तुलना में 8300 रुपये बनती है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने इस मामले को सरकार के साथ उठाया है और आयात शुल्क में कमी करने के लिए तर्क दिया है ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे स्वीकार किया है ; यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क), से (ग) और (ङ) और (च) सेलम इस्पात कारखाने में 13-9-1981 से उत्पादन होना आरम्भ हो गया है । इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पना की गई थी कि आयातित सामग्री अर्थात् आयातित हाट वैन्डो (वेदाग इस्पात के गर्म बेलिन क्वायलों) पर सीमा-शुल्क 70 प्रतिशत (जमा अधिभार 5 प्रतिशत) लगेगा, लेकिन आयातित कच्चे माल पर अब सीमा-शुल्क 300 प्रतिशत जमा 25 प्रतिशत अधिभार है। सीमा-शुल्क की ऊंची दर के कारण इस परियोजना की अर्थ-क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । आयात-शुल्क में कमी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इसके साथ-साथ देश में ही कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए गए हैं और इस उद्देश्य के लिए सरकार ने दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने का विस्तार करने की स्वीकृति दे दी है । इस योजना के पूर्ण हो जाने पर सेलम इस्पात कारखाने के लिए कच्ची सामग्री आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

(घ) वेदाग इस्पात के उत्पादों का मूल्य निश्चित करना संयुक्त संयंत्र समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं है । उत्पादन लागत उत्पादों की मात्रा तथा क्वालिटी और आयातित कच्ची सामग्री पर लगे आयात-शुल्क पर निर्भर करती है । 325 प्रतिशत के यथा-मूल्य सीमा-शुल्क के आधार पर लागत 83,000 रुपए (न कि 8300 रुपए) प्रतिटन तक हो सकती है । वेदाग इस्पात की ठंडी बेलित चादरों के बाजार मूल्य में काफी अन्तर है जो चांदरों/क्वायलों आदि की क्वालिटी, साइज, सतह की फिजिक और परिमाप पर निर्भर करता है । प्रत्येक इकाई इनका मूल्य मांग और उत्पाद की लोकप्रियता के आधार पर निश्चित करती है ।

मकान किराये भत्ते के भुगतान के लिए शहरों का वर्गीकरण

2232. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त मंत्री** शिमला और शिलांग में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के बारे में 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 की जगनणना कार्यों के लिए महारजिष्ट्रार, जनगणना से (हिल स्टेशनों सहित) 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणी के शहरों के लिए जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त हो गए हैं और क्या उस आधार पर शहरों को कोई नया वर्गीकरण किया गया है जिन से मकान किराया भत्ता के भुगतान की दरों में परिणामी परिवर्तन हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1981 की जनगणना पर आधारित उक्त वर्गीकरण से पहले और बाद में 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणी के शहरों के नाम क्या हैं और मकान किराया भत्ते की दरें क्या-क्या ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त वर्गीकरण कब तक किए जाने की संभावना है और उनमें कौन से परिणामी परिवर्तन किए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) 1981 की जनगणना के अंतिम आंकड़े अभी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से प्राप्त नहीं हुए हैं। नगरों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के प्रश्न पर 1981 की जनगणना के अंतिम आंकड़े प्राप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

अतिरिक्त हिल स्टेशनों पर मकान किराया भत्ता की मंजूरी

2233. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मंत्री हिमाचल प्रदेश राज्य में अतिरिक्त हिल स्टेशनों पर मकान किराया भत्ता की मंजूरी के बारे में 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8679 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त हिल स्टेशनों पर मकान किराया भत्ता की मंजूरी के मामले पर विचार किया है और कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय का स्वरूप क्या है ;

(ग) मकान किराया भत्ता के भुगतान के लिए किन-किन अतिरिक्त हिल स्टेशनों का चयन किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और इस पर किस सम्भावित तारीख तक निर्णय किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए पर्वतीय स्थानों सहित नगरों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के प्रश्न पर 1981 की जनगणना के अंतिम आकड़ों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा इनकी अभी भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त से प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा श्रीलंका से निष्पादित की जाने वाली संयुक्त होटल परियोजना

2234. **श्री एस०बी० सिदनाल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा श्रीलंका में संयुक्त रूप से कोई संयुक्त होटल परियोजना निष्पादित की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त उपक्रम में कितना पूंजी-निवेश किया जाएगा तथा इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड कलकत्ता को मैसर्स एल फुत्ताएन आफ दुबई (यू.ए.ई.) और श्रीलंका के श्री मोहसिन एच० एस्युफैल्ली के सहयोग से श्रीलंका में एक संयुक्त उद्यम होटल स्थापित करने के

लिए 21-2-81 को अनुमति दी गयी है। परियोजना के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

	श्री लंका लाख रुपयों में
परियोजना की कुल लागत	1,962,00
कुल इक्विटी	603.92
आई० टी० सी० की इक्विटी (12 प्रतिशत)	72.57
विदेशी सहयोग (88 प्रतिशत)	531.35

"जिओलोजिस्ट ट्रैनीज" के रूप में की गई नियुक्ति

2235. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में "जिओलोजिस्ट ट्रैनीज" के रूप में कुल कितने व्यक्तियों का चयन और नियुक्ति की गई ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सूची क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूविज्ञानी (कनिष्ठ) और सहायक भूविज्ञानी पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है, जो इसके लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन करता है। 1980 में परीक्षा परिणामों और साक्षात्कार के आधार पर आयोग ने 112 उम्मीदवारों की भूविज्ञानी (कनिष्ठ) और 8 उम्मीदवारों की सहायक भूविज्ञानी के पदों पर नियुक्ति की सिफारिश की। इन उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश विभिन्न औपचारिकताओं जैसे स्वास्थ्य परीक्षा आदि पूरी करने के बाद भेजे जाएंगे। चुने गए उम्मीदवारों की सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3019/81]**

इस साल हुई भूविज्ञानी परीक्षा परिणाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लिया जाना

2236. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य की वित्त व्यवस्था कई वर्षों तक तो सामान्यत: सुसंचालित रही और राज्य ने भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट नहीं लिया था ;

(ख) क्या उपरोक्त स्थिति अब बदल गई है और महाराष्ट्र को गत कुछ महीनों में अभूतपूर्व ढंग से ओवरड्राफ्ट लेने पड़े ;

(ग) क्या इस स्थिति के लिए प्राकृतिक आपदाओं जैसे कोई विशेष कारण उत्तरदायी हैं ;

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा निजी धर्मार्थ ट्रस्टों को चन्दा दिये जाने जैसे कामों पर धनराशि विवेक से खर्च न किये जाने के किन्हीं ज्वलन्त उदाहरणों पर ध्यान दिया है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को उसके काम करने के ढंग में सुधार करने के लिए क्या सलाह दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों के ओवरड्राफ्ट उनकी दैनिक नकद स्थिति को दर्शाते हैं और उनकी मात्रा में दिन-प्रतिदिन परिवर्तन होना रहता है। ओवरड्राफ्ट या तो राज्यों के बजट में संरचनात्मक असन्तुलनों के कारण होते हैं या राज्यों के नकद प्रवाह में अस्थायी असमानताओं के कारण होते हैं। महाराष्ट्र सरकार को गत कुछ महीनों में खाद्य सामग्री, चीनी खाद्य तेल आदि के अपेक्षाकृत अधिक स्टाक रखने के संबंध में उसके द्वारा किए गए प्रयास में हुई अस्थायी कठिनाइयों के कारण ही ओवराड्राफ्ट लेना पड़ा और यह उसके बजट में किसी संरचनात्मक असन्तुलन के कारण नहीं हुआ। उसकी स्थिति पिछले कई वर्षों के समान सन्तोषजनक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कुछ सप्ताह पहले जब योजना आयोग में चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार के संसाधनों का पुनः मूल्यांकन किया गया तो यह देखने में आया कि राज्य के अपने बजट में न तो कोई गम्भीर संरचनात्मक असन्तुलन था और न ही कोई ऐसा संकेत था कि राज्य की वित्त-व्यवस्था का अविवेकी ढंग से प्रबन्ध किया गया है।

(ङ) योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के साथ विचार विमर्श किया और इस आवश्यकता पर जोर दिया कि चालू वर्ष के अन्त में राज्य सरकार के लिए कोई घाटे की स्थिति न रहे।

दिल्ली में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से फाइव-स्टार होटलों में रिक्त पदों का भरा जाना

2237. **श्री निहाल सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में 1981 के दौरान पूरे किए जा रहे सभी फाइव-स्टार होटलों में सभी रिक्त पद रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरने के लिए व्यवस्था करने का है ; और

(ख) उपरोक्त फाइव-स्टार होटलों के पूरा हो जाने पर अनुमानतः कितने व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्तप्रसाद शर्मा) :(क) दस होटल परियोजनाओं (जिनमें एक विस्तार परियोजना शामिल है) में से केवल दो होटल परियोजनाएं, यथा भारत पर्यटन विकास निगम का कौटिल्य होटल और भारतीय होटल निगम का सेन्टौर, होटल, पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत है। इन होटलों में रिक्त पदों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से या प्रेस में विज्ञापन देकर भरा जाएगा। जहां तक प्राइवेट सेक्टरों के होटलों का संबंध है, यद्यपि 25 या उससे अधिक कर्मचारियों को भर्ती करने वाले होटलों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने रिक्त पदों को रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करें, फिर भी उनके लिए यह बाध्यकर नहीं है कि वे ऐसे रिक्त पदों को केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही भरे।

(ख) एक होटल में प्रत्येक गेस्ट रूम के लिए दो कर्मचारी रखने के सामान्य मानदण्ड के आधार पर, इन होटलों के पूरा हो जाने पर 6960 व्यक्तियों के नियुक्त किए जाने की सम्भावना है।

हीरों का उत्पादन

2238. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हीरों का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत को हीरों के उत्पादन में कमी को ध्यान में सखते हुए अपरिष्कृत आयातित हीरों पर निर्भर रहना पड़ता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लन्दन स्थित डायमंड ट्रेडिंग कम्पनी भारत को केवल छोटे आकार के और सस्ते अपरिष्कृत हीरे देती है जिस से देश में उद्योग की प्रगति में बाधा पड़ती है ; और

(घ) डायमंड ट्रेडिंग कम्पनी या डीबियर्स को इस बात के लिए मनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि वह भारत को बड़े आकार के और श्रेष्ठतर किस्म के बिना तराशे हीरों की पेशकश करा करे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) वर्ष 1979-80 से भारत में हीरों का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार रहा है।

वर्ष	उत्पादन (कैरेट में)
1979-80	13,472
1980-81	13,751
1981-82	7,947

(ख) स्वदेश माल की अपर्याप्त उपलब्धा को ध्यान में रखते हुए, तराशे तथा पालिशकृत हीरों के निर्यात के लिए भारत को मुख्यतः आयातित अपरिष्कृत हीरों पर ही निर्भर करना पड़ता है।

(ग) तथा (घ) भारत को अपेक्षाकृत छोटे तथा सस्ती क्वालिटी के अपरिष्कृत हीरों को तराशने व पालिश करने में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस कार्यकलाप में मूल्यवर्धन व रोजगार संभाव्यता बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे रत्नों को पालिश करने की स्वदेशी क्षमता के अनुरूप व्यापारियों तथा हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लि०-एक संयुक्त उद्यम, द्वारा डायमंड ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ अपेक्षाकृत बड़े आकार के अपरिष्कृत हीरों की सप्लाई बढ़ाने के प्रश्न को उठाया गया है। आयात नीति को भी इस प्रकार से तैयार किया गया है जिससे ऊंचे मूल्य वाले रत्नों के निर्यात को प्रोत्साहन मिले।

नारियण के तेल का आयात

2239. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष और 1982-83 के दौरान नारियल के तेल का आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम ने, जो नारियल के तेल का मार्गीकरण अभिकरण है, चालू वर्ष के दौरान इस मद का कोई आयात नहीं किया है। इस समय इसकी कोई आयात करने की कोई प्रस्थापना भी नहीं है।

गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों का वेतन

2240. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को समान काम के लिए वहां स्थित स्टेट बैंक के उनके समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है ;

(ख) क्या ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर भी सीमित हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इस मामले को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों में भारी रोष है और यह किसी भी क्षण हड़ताल का रूप ले सकता है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त दोष को दूर करने हेतु इस मामले में हस्तक्षेप करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) छोटे/सीमांतिक किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों आदि को कम प्रचालन कीमत पर विशिष्ट रूप से ऋण प्रदान करने के लिए, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन गोरखपुर समेत देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं। जैसी कि उपर्युक्त अधिनियम में व्यवस्था की गई है, इन बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान, अधिसूचित क्षेत्रों में समतुल्य स्तर और स्थिति की राज्य सर-

कारों और स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों के वेतन ढाँचे को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर मुख्यतः उनके कारबार की मात्रा और कार्य सीमा से संबंधित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ने से, इनके कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों में भी धीरे-धीरे सुधार होगा।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी संघों द्वारा पिछले समय में की गई माँगों पर समय-समय पर विचार किया गया है और उनकी सेवा शर्तों को सुधारने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, कार्यवाही की गई है।

उड़ीसा में स्पिनिंग मिल

2241. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कुल कितनी स्पिनिंग मिलें लगाई जाएंगी ;

(ख) इस अवधि में उड़ीसा में पहले से लगाई गई ऐसी स्पिनिंग मिलों की संख्या क्या है ;

(ग) उड़ीसा में ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं, जहां अन्य स्पिनिंग मिलों के लगाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इन स्पिनिंग मिलों की स्थापना कब तक की जाएगी ;

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत सरकार का छठी योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कोई कताई मिल स्थापित करने का विचार नहीं है।

(ख) शून्य।

(ग) तथा (घ) इन मामलों के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार निर्णय करती है।

राज सहायता देकर श्रीनगर-लेह विमान किराये को कम करना

2242. **श्री पी० नामग्याल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर-लेह राजमार्ग जोजी-ला में भारी हिमपात के कारण छह से अधिक मशीनों के दौरान बन्द रहता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लद्दाख के निवासी सड़क बंद हो जाने के कारण सर्दी के महीनों के दौरान लद्दाख से बाहर की यात्रा करने के लिए पूर्णतया विमान सेवा पर निर्भर रहना पड़ता है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार इस

समय के बहुत अधिक किराये को राज-सहायता देकर कम करने का है जैसा कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया जाता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स भारतीय राष्ट्रिकों को श्रीनगर-लेह और चंडीगढ़-लेह सैक्टरों पर वापसी टिकट (राउंड ट्रिप) पर पहले ही 30 प्रतिशत की छूट दे रही है । इंडियन एयरलाइन्स विमान किरायों में और अधिक छूट नहीं दे सकती क्योंकि परिचालन-लागत राजस्व-आय से अधिक है और लेह से बाहर जाने वाली उड़ानों पर 38 प्रतिशत की "लोड पैनल्टी" है ।

चंडीगढ़-लेह साप्ताहिक सेवा बंद करना

2243. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली-चंडीगढ़ जम्मू और श्रीनगर बोइंग सेवा को चलाये जाने पर चंडीगढ़-लेह साप्ताहिक सेवा बंद करने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स द्वारा यह रवैया अपनाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के साथ किया गया करार

2244. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने 1976 में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के साथ लोनी, गाजियाबाद में गार्मेंट काम्पलेक्स की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं को वित्त पोषित करने के लिये एक करार किया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्या कारण हैं जिससे स्टेट बैंक अपनी वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर सका है और इसके परिणामस्वरूप कार्यकारी पूंजी की कमी के कारण काम्पलेक्स के 13 में से 11 यूनिट बंद हो गये हैं ; और

(ग) इन बंद एककों को पुनः चालू करने के लिये और बैंक के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (यू० पी० स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन) के साथ समझौता किया है न

कि निर्यात निगम (एक्सपोर्ट कारपोरेशन) के साथ, जिसके अधीन इसे लोनी में सिले-सिलाये कपड़ों के (गार्मेंट) एककों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। बैंक ने सभी एककों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की, तो भी काम्पलेक्स के 11 एकक बन्द हो गये किन्तु इसका कारण वित्त की कमी नहीं थी,बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ इसके कारण ये थे—विदेशी बिलों की वापसी, निर्यात- आदेशों की अनुपलब्धता, निर्मित पोशाकों (गारमैंटों) की घटिया किस्म तथा ऋण-कर्ताओं की ईमानदारी में कमी। ऐसे कुछ एककों ने पोषण के वास्ते तथा निर्माण की प्रणाली में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। बैंक इस मामले पर ऋणकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहा है तथा अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर इन प्रस्तावों की जांच करने को तैयार है।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ इण्डिया और यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा बट्टे खाते में डाली गई राशि

2245. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक आफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा कुल कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई थी ;

(ख) क्या अशोध्य ऋण के रूप में इन राशियों को बट्टे खाते में डालने के बारे में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सरकार के नोटिस में लाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अधीन तथा इसमें निर्धारित तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखे के प्रोफार्मा के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के वास्ते किये गये प्रबन्धों से सम्बन्धित सूचना को प्रकट न करने के बारे में सांविधिक सुरक्षा प्रदान की गई है। क्योंकि इन की गयी व्यवस्थाओं में से अशोध्य ऋणों की राशि को बट्टे खाते डाल दिया जाता है, इसलिये बट्टे खाते डाली गई कुल राशि से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त तीन बैंकों में अशोध्य ऋण के रूप में राशियों को बट्टे खाते डालने के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

सिक्किस सरकार को इलालची के विपणन के लिए सहायता

2246. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बड़े पैमाने पर इलायची के विपणन के लिए सिक्किम सरकार को सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सिक्किम में इलायची की क्योरिंग तथा प्रौसेसिंग पद्धतियां अपेक्षाकृत प्राचीन थीं जिससे रंग तथा क्वालिटी को नुकसान पहुंच रहा था और जिसके फलस्वरूप कम कीमत प्राप्त हुई । सिक्किम के इलायची उपजकर्ता भी इलायची के विपणन के सम्बन्ध में विनियमों तथा नियंत्रण न होने की वजह से कुछ थोड़े से व्यापारियों तथा बिचौलियों की दया पर भी थे ।

2. अमोमम इलायची का विकास जुलाई, 1979 में इलायची बोर्ड के कार्यक्षेत्र में लाया गया था । केन्द्रीय सरकार गंटोक में एक इलायची अनुसंधान तथा विकास केन्द्र स्थापित कर रही है। बोर्ड ने इलायची उपजकर्ताओं में खेती के आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीकों तथा पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से सिक्किम में विस्तार सलाह सेवायें आरम्भ की हैं । सुधरी हुई क्योरिंग तथा प्रौसेसिंग पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रचार अभियान भी आरम्भ किए गये हैं। इलायची अधिनियम, 1965 के उपबन्ध को सिक्किम में लागू करने की सिफारिश की गई है । इससे इलायची बोर्ड सिक्किम में अमोमम इलायची के विपणन को विनियमित, नियन्त्रित तथा संवर्धन करने के उपायों को कार्यान्वित कर सकेगा ।

3. अमोमम इलायची उद्योग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए गहराई से घरेलू बाजार सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि देश में इसकी खपत को बढ़ाने के लिए उपयुक्त संवर्धनात्मक नीतियों की योजना बनाई जा सके । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अमोमम इलायची की सम्भाव्यता का अनुमान लगाने के लिए आई० टी० सी० आई०/अंकटाड/गाट की सहायता से बाजार सर्वेक्षण की एक प्रस्थापना भी विचाराधीन है अमोमम इलायची के नमूने भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों तथा विशिष्ट प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किए जाते हैं। अमोमम इलायची आदि के सम्बन्ध में विज्ञापनों, साहित्य की छपाई जैसे अन्य बाजार संवर्धन कार्य किए जा रहे हैं । उपर्युक्त संवर्धनात्मक तथा विपणन कार्यों का प्रभाव एक या दो वर्षों के बाद अनुभव किया जायेगा ।

विदेशी पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा में होटल बिलों का भुगतान

2247. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि विदेशी पर्यटकों को अपने होटल के बिल विदेशी मुद्रा में चुकाने पड़ेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ देशों के राष्ट्रिकों को इस शर्त से छूट दी गई है और क्या विदेशी आगन्तुकों के कुछ वर्गों को भी छूट दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों को अपने होटल बिलों की अदायगी विदेशी मुद्रा में करने की अपेक्षाओं से छूट दी गई है :—

(1) भूटान, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, नेपाल, पोलैंड, रूमानिया और सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के राष्ट्रिक।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम अथवा निगम के निमंत्रण पर भारत की यात्रा करने वाले विदेशी राष्ट्रिक।

(3) भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के निमन्त्रण पर भारत की यात्रा करने वाले विदेशी राष्ट्रिक, यदि विदेशी राष्ट्रिकों की ओर से अदायगी निमन्त्रण देने वाले व्यक्तियों द्वारा की जानी हो, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति ने रिजर्व बैंक से यह अदायगी करने की सामान्य अथवा विशेष अनुमति प्राप्त करली हो।

(4) भारत की यात्रा करने वाले विदेशी राष्ट्रिक यदि अदायगी विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर शुदा लाइसेंस धारी हवाई कम्पनी या यात्रा एजेन्ट द्वारा की जाए और ऐसी अदायगी के साथ हवाई कम्पनी अथवा यात्रा एजेन्ट इस बात की पुष्टि करते हुए एक प्रमाणपत्र भी दें कि यह अदायगी हवाई कम्पनी या यात्रा एजेन्ट ने भारत में प्राधिकृत डीलर को विदेशी मुद्रा बेचकर प्राप्त रुपया राशियों में से की है।

(5) प्रत्यायित राजनयिक और राजनयिक मिशनों के विदेशी कर्मचारी और भारत में राजनयिक मिशनों जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, के विदेशी अधिकारिक अतिथि।

(6) भारत में नियोजित विदेशी राष्ट्रिक।

(7) जहाजी कम्पनियों और हवाई कम्पनियों के कर्मचारी, हवाई जहाज उड़ाने वाले कर्मचारी, एक जहाज से दूसरे जहाज में यात्रा करने वाले उनके यात्री (इण्टरलाइन पैसेंजर्स), मार्गस्थ यात्री जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आई० ए० टी० ए०) विनियमों के अन्तर्गत ऐसी हवाई कम्पनी के खर्च पर ठहराना पड़ता है।

(8) भारत सरकार का छात्रवृत्तियों पर भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी विद्यार्थी।

(9) रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत खुली छूट सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी निर्यातकर्ताओं के विदेशी अतिथि।

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति

2248. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगद रिजर्व अनुपात में एक प्रतिशत वृद्धि से औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उद्योगपति यह आशंका प्रकट कर रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निदेश से नकद धनराशि में कमी होगी और अतिरिक्त उत्पादन को वित्त पोषित करना असंभव हो जाएगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने आग्रह किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाना चाहिये क्योंकि देश में ऋण को उदार बनाया जाना आवश्यक है जहां गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल उत्पादन के लिए ही ऋण ही प्रयोग करता है ;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया है ; और

(ङ) यदि हां, तो वे भारतीय रिजर्व बैंक को किस सीमा तक राजी कर सके हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ङ) नकदी भंडार अनुपात में संशोधन करके उसे 7 से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने का जो निर्णय रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर 1981 में प्रभावी किया गया था, उसे सभी बैंकों द्वारा नवम्बर 1981 के अन्त से शुरू करके फरवरी 1982 के अन्त तक चार चरणों में क्रियान्वित किया जाना था। इस उपाय का उद्देश्य यह था कि बैंकिंग तंत्र के नकदी भंडार को सीमा के भीतर रखा जा सके जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण का विस्तार, अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता समेत अर्थ व्यवस्था की उचित आवश्यकताओं से अधिक न हो। इसलिये, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से इस कदम पर फिर से विचार करने के लिये कहे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

"डिवेलपमेंट चेलेंज फ्राम द थर्ड-वर्ल्ड इन एटीज" विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

2249. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल में फारेंम आफ फाइनेनशियल में राइटर्स द्वारा "डिवेलपमेंट चेलेंज फ्राम द थर्ड-वर्ल्ड इन एटीज" विषय पर चौथी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष और वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में पढ़े गये अध्यक्ष और उनके उद्घाटन भाषण में गोष्ठी के समक्ष क्या विचार रखे गये थे ; और

(ग) क्या उन्होंने एक की समस्या पर दो विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया है अथवा उनके विचारों में कुछ मतभेद है ; यदि मतभेद है तो वे क्या हैं और उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) जी, हां। गोष्ठी का विषय "डिवेलपमेंट चेलेंज्स फार द थर्ड वर्ल्ड इन द एटीज" था, न कि "फ्राम द थर्ड वर्ल्ड", जैसा कि माननीय सदस्य के प्रश्न में कहा गया है।

(ख) आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष से शिखर सम्मेलन का विवरण और मूल्यांकन देने के लिए विशेष अनुरोध किया गया था। अतः अध्यक्ष ने अपने भाषण में शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में अपने व्यक्तिगत विचारों को व्यक्त किया था।

अपने उद्घाटन भाषण में, जो उनकी अनुपस्थिति में पढ़ा गया था, वित्त मंत्री ने तृतीय विश्व में विकास की सम्भावनाओं का निरूपण किया था। उन्होंने तेल आयातक विकासशील देशों में ऊर्जा के स्रोतों का विकास करने और इस हेतु निवेश के लिए आवश्यक भारी पूंजी जुटाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार करने तथा दक्षिण-दक्षिण के बीच व्यापार वृद्धि करने के लिए विकासशील देशों द्वारा मिल-जुलकर काम करने की वांछनीयता पर भी बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तृतीय विश्व के देशों को अपनी निर्यात-आमदनी में वृद्धि करनी चाहिए और विकसित देशों द्वारा खड़े किए गये संरक्षणात्मक अवरोधों को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए।

(ग) दोनों दो अलग-अलग विषयों पर बातचीत कर रहे थे। इसलिए, उनके विचारों में मतभेद होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

"अरब इवेस्टर्स आर स्टिल अनशुअर आफ इण्डिया" शीर्षक समाचार

2250. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 1981 के टाइम्स आफ इंडिया में "अरब इवेस्टर्स आर स्टिल अनशुअर आफ इंडिया" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 5 नवम्बर, 1981 को नई दिल्ली में भारत-अरब व्यापार परिषद की दो दिवसीय बैठक समाप्त हुई थी ; यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक देश के किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया था ;

(ग) क्या इस बैठक में वाणिज्यिक आदान-प्रदान के विशेष क्षेत्रों का पता लगाया गया था यदि हां, तो इसमें प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं ; और

(घ) हमारे देश और अरब देशों के बीच "आर्थिक सम्बन्धों में तेजी लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी, हां। दोनों पक्षों का विस्तृत गठन **अनुबन्ध-1** में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) एक संक्षिप्त विवरण **अनुबन्ध-2** पर दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 3020/81**]

विकसित देशों में वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रयास

2251. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश के हित के लिए अमरीका और अन्य विकसित देशों में भारतीय समुदाय के पास वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने की क्या संभावनायें हैं ; और

(ख) इन वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किए गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) विकसित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले भारतीयों द्वारा बचत करने की गुन्जाइश काफी अच्छी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं:

(1) अनिवासी (विदेशी) खाता योजना जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय खाताधारी अपने खाते में जमा राशि को अपनी इच्छा से भारत से बाहर ले जा सकता है।

(2) विदेशी करेन्सी (अनिवासी) खाता योजना, जिसके अन्तर्गत ऊपर मद (1) में उल्लिखित लाभ के अलावा, खाताधारी को विनिमय दरों में घटबढ़ हो जाने के कारण किसी किस्म की हानि का जोखिम नहीं उठाना पड़ता।

(3) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए योजना जिसके अन्तर्गत उन्हें प्रत्यावर्तन (रीपैट्रिएशन) के विकल्प के साथ नई भारतीय कम्पनियों की नई सामान्य शेयर पूंजी में 20 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है।

(4) अनिवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए योजना जिसके अन्तर्गत उन्हें प्रत्यावर्तन के विकल्प के साथ कतिपय औद्योगिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है ;

(5) विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों से रकम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए योजना जिसके अन्तर्गत वे लागत के बराबर की रकम देकर प्राथमिकता के आधार पर ट्रैक्टर, सीमेन्ट और स्कूटरों का आयात कर सकते हैं ;

(6) अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए योजना जिसके अन्तर्गत उन्हें निवास का स्थानान्तरण करने की सूरत में उनके द्वारा बैंकों के माध्यम से भारत में भेजी गई विदेशी मुद्रा की 25 प्रतिशत राशि का विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है ।

सरकार इन सुविधाओं की बराबर समीक्षा करती रहती है और ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं देती रहती है जिन्हें देश में प्राप्त होने वाली राशियों में वृद्धि करने के लिए जरूरी समझा जाता है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे अधिकारियों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कृषि बैंक में खपाने के लिए मांग

2252. **श्री ए० नीला लोहिथादसन नाडार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया, सहयोगी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे तकनीकी अधिकारियों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कृषि बैंक के क्षेत्र में खपाने की माँग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) माननीय सदस्य, सम्भवत: राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की प्रस्तावित स्थापना का उल्लेख कर रहे हैं । जैसा कि प्रश्न में वर्णित है, ऐसा कोई आभ्यावेदन सरकार को नहीं मिला है ।

राज्य व्यापार निगम, कोचीन की कुल बिक्री

2253. **श्री ए० नीला लोहिथा दसन नाडार** :क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में राज्य व्यापार निगम, कोचीन की कुल बिक्री कितनी है ;

(ख) गत पाँच वर्षों में राज्य व्यापार निगम, कोचीन के सीधे व्यापार की कुल बिक्री कितनी है ;

(ग) गत पाँच वर्षों में व्यापारिक सहयोगियों से बुक की गई राज्य व्यापार निगम, कोचीन की राशि कितनी है ; और

(घ) राज्य व्यापार निगम, कोचीन द्वारा किए गए सीधे व्यापार को नगण्य मात्रा के लिए कौन जिम्मेदार है ।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम, कोचीन, के सीधे व्यापार के कारण और व्यवसाय सहयोगियों की सहायता से बुक किये गये व्यवसाय से संबंधित करोबार के कारण कारोबार के ब्यौरे सहित गत 5 वर्षों का राज्य व्यापार निगम, कोचीन का कुल कारोबार इस प्रकार है :

(आंकड़े लाख रु० में)

वर्ष	राज्य व्यापार निगम, कोचीन का सीधे व्यापार का कारोबार	राज्य व्यापार निगम, कोचीन के व्यापार का कारोबार जो व्यवसाय सहयोगियों की सहायता से बुक किया गया	राज्य व्यापार निगम, कोचीन का कुल कारोबार
1976-77	1,310	553	1,863
1977-78	1,301	960	2,261
1978-79	1,989	467	2,456
1979-80	2,101	968	3,069
1980-81	1,881	978	2,859

(घ) राज्य व्यापार निगम, कोचीनके सीधे निर्यात के आंकड़े व्यवसाय सहयोगियों के माध्यम से बुक किये गये व्यापार से कहीं अधिक हैं।

जोधपुर में आयकर आयुक्त (अपील) का नया कार्यालय खोलना

2255. **श्री अशोक गहलोत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोधपुर में आयकर आयुक्त (अपील) का एक नया कार्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार ने किस तारीख को निर्णय लिया था और यदि ऐसा निर्णय लिया गया था तो अब तक उपरोक्त कार्यालय न खोलने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को आयकर आयुक्त (अपील) का कार्यालय समय पर न खोलने के कारण आयकर दाताओं को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है ; और

(ग) उपरोक्त कार्यालय कब तक खोल दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) सरकार, जोधपुर में आय-

कर आयुक्त (अपील) का एक नया कार्यालय खोलने का फैसला कर चुकी है। जोधपुर में आयकर आयुक्त (अपील) की तैनति के आदेश जारी कर दिये गये हैं। जोधपुर में आवास उपलब्ध न होने के कारण अब तक कार्यालय नहीं खोला जा सका था।

(ख) जी, हां।

(ग) आयकर आयुक्त (अपील), जोधपुर का कार्यालय 1 दिसम्बर 1981 से कार्य करना शुरू कर देगा। उसके कार्यालय के लिए एक पृथक और उपयुक्त भवन की तलाश अभी तक जारी है। इस बीच उसके कार्यालय को, जोधपुर में आयकर विभाग के कब्जे में इस समय जो भवन है उस के परिसर में जो भी जगह उपलब्ध होगी उसी में रखा जाएगा।

दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

2256. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 21 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1503 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त, दिल्ली को दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ, नई दिल्ली से दिनांक 6-8-1980, 20-9-80, 20-1-81, 13-6-81 और 10-9-81 के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और क्या संघ के प्रतिनिधियों को कोई इन्टरव्यू दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या संघ को कोई उत्तर दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) आयकर आयुक्त दिल्ली-1 को दिनांक 6-8-80, 22-9-80, 20-1-81 तथा 13-6-81 के अभ्यावेदन/पत्र प्राप्त हुए हैं। आयकर आयुक्त, दिल्ली-1 को दिनांक 10-9-81 का पत्र/अभ्यादेदन प्राप्त नहीं हुआ है। संघ ने अपने दिनांक 6-8-80 के पत्र में आयकर आयुक्त, दिल्ली को सूचित किया कि दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ, आल इण्डिया इन्कम टैक्स इम्प्लाइज फैडरेशन से सम्बद्ध है। अपने 22 सितम्बर, 1980 के पत्र/अभ्यावेदन में संघ ने निम्नलिखित सूचना मांगी :—

(क) क्या आन्तरिक लेखा परीक्षा दलों में कर-निर्धारण सम्बन्धी फाइलों की लेखा-परीक्षा करने के लिए अनर्ह कर्मचारियों की तैनाती के निमित्त कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया है।

(ख) क्या उन स्थानों पर, जहां प्रधान लिपिक तैनात किये जाने होते हैं, पर्यवेक्षकों की तैनाती की बाबत कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया है।

संघ के महामंत्री ने अपने दिनांक 20 जनवरी, 1981 के पत्र में उन दो प्रश्नों के विषय में

सूचना की बाबत पूछा, जो उन्होंने अपने पूर्ववर्ती दिनांक 22-9-80 के पत्र में उठाये थे। अपने दिनांक 13-6-81 के पत्र में संघ ने उन चर्चाओं का उल्लेख किया जो 17 मई 1980 को हुई आयकर आयुक्त, दिल्ली-1 के साथ संघ के प्रतिनिधियों की बैठक में की गयी थीं और विचार-विमर्श के कार्य-वृत तथा उस पर लिए गये निर्णय की एक प्रति भेजने के लिए निवेदन किया।

ऊपर उल्लिखित चारों पत्रों में साक्षात्कार के लिए कोई प्रार्थना नहीं गई थी। इसलिए साक्षात्कार मंजूर किये जाने का प्रश्न नहीं उठता था।

(ग) तथा (घ) ऊपर स्पष्ट की गई तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, संघ को उत्तर देने का भी प्रश्न नहीं उठता था।

आयकर विभाग, दिल्ली में उच्च श्रेणी लिपिकों को विशेष वेतन देने के लिए अभ्यावेदन

2257. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर आयुक्त, दिल्ली को दिल्ली आयकर संयुक्त कर्मचारी संघ, दिल्ली से आयकर विभाग में उच्च श्रेणी लिपिकों को 35 रुपये प्रति माह का विशेष वेतन देने के बारे में दिनांक 5 फरवरी, 1981 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या उपरोक्त संघ को कोई उत्तर दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च श्रेणी लिपिकों के स्वीकृत 64 पदों में से विशेष वेतन वाले 63 पदों को तब तक पहले ही भरा जा चुका था तथा बाकी एक पद भी 6 मार्च, 1981 को भर दिया गया था। चूंकि संघ के प्रतिनिधियों को, जब उनका प्राधिकारियों से मिलना हुआ था, उपर्युक्त स्थिति से अवगत करा दिया गया था, अतः उनके अभ्यावेदन का लिखित उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा गया था।

दुबई में भारत पूंजी निवेश केन्द्र

2258. **श्री सूरज भान** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुबई में भारत पूंजी निवेश केन्द्र कब और किस उद्देश्य के लिए खोला गया था और इसकी कार्य-पद्धति क्या है और अब तक इसकी उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) इसके पदाधिकारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस केन्द्र से भारत में पूंजी निवेश के लिए नवीनतम प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) इसी वर्ष अगस्त में भारतीय निवेश

केन्द्र का एक कार्यालय आबूधाबी में खोला गया है । इस कार्यालय में केवल एक अधिकारी है, जिसके पद का नाम रेजीडेंट डाइरेक्टर है और यह कार्यालय फिलहाल हमारे राजदूतावास में ही स्थित है । यह कार्यालय संवर्द्धनात्मक अभिकरण के रूप में कार्य करेगा और भारत में तेल निर्यातक विकासशील देशों के लिए स्थापित नई सुविधा के अन्तर्गत खाड़ी के देशों से पूंजी के निवेश के संबंध में सुविधाएं प्रदान करेगा । यद्यपि यह कार्यालय स्वयं निवेश के प्रस्ताव नहीं भेजेगा तथापि वह निवेश वित्त-व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए, भारत तथा खाड़ी के देशों की पार्टियों को परस्पर मिलाने में सहायता देगा । चूंकि यह कार्यालय अभी हाल ही में खोला गया है इसलिए इसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन इतनी जल्दी करना ठीक नहीं होगा ।

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

2259. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष इस्पात के उत्पादन में हुई वृद्धि की प्रतिशतता क्या है, और

(ख) क्या हम अन्य देशों से इस्पात का आयात कर रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में वर्ष 1980-81 में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 1979-80 में हुए उत्पादन के मुकावले 3.9 प्रतिशत अधिक हुआ ।

(ख) जी हां ।

रायलसीमा में पर्यटन का विकास

2260. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पर्यटन का विकास करने के लिए रायलसीमा में किन स्थानों को लिया गया है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए गत वर्ष किन्हीं स्थानों को लिया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए अवस्थानुसार और एकीकृत ढंग से पर्यटन के विकास से संबंधित कार्यकलापों को प्लान किया जा रहा है 61 यात्रा परिपथों को, जिनमें 441 पर्यटक केन्द्र शामिल हैं, राज्यों सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श करके निर्धारित कर लिया गया है । आंध्र प्रदेश राज्य के लिए कुड्डया, तिरुपति, कालहस्ती, क्षिणकी अनन्तपुर, महानन्दी और कुरनूल को, जो रायलसीमा के अन्तर्गत आते हैं, यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर विकसित किए जाने के लिए केन्द्रों के रूप में निर्धारित कर लिया गया है । राज्य

सरकार से प्राप्त पर्यटन विकास संबंधी ब्लू प्रिंट विचाराधीन है। संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर इस कार्यक्रम पर अमल किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

निर्यात ग्रहों को व्यापारिक ग्रहों के रूप में मान्यता देना

2261. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापारिक ग्रहों के रूप में पांच निर्यात ग्रहों को मान्यता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार को एक व्यापारिक ग्रह के रूप में मान्यता मांगते हुए निर्यात ग्रहों से बहुत से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनमें से अब तक कितने आवेदन-पत्रों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई योजना के अन्तर्गत इन व्यापारिक ग्रहों को क्या सुविधाएं दी जाएंगीं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) पाँच मान्यता प्राप्त, व्यापारिक ग्रह निम्नोक्त हैं :—

(1) मे० मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्रा० लि०, बम्बई।
(2) मे० अलानासन्स प्रा० लि०, बम्बई।
(3) मे० टाटा एक्सपोर्टस लि०, बम्बई।
(4) मे० हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई ; तथा
(5) मे० ओस्वाल वूलन मिल्स लि०, लुधियाना।

(ग) तथा (घ) व्यापारिक ग्रहों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 27 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इन सभी पर विचार किया गया है।

(ङ) व्यापारिक ग्रहों की योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं 1981-82 की आयात नीति के अध्याय 18 के पैरा 195 में निहित है, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

रोमानिया को लौह अयस्क का निर्यात

2262. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के रूमानिया को 50 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और रूमानिया के बीच किसी संधि पर हस्ताभर हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और चालू वर्ष के दौरान तथा वर्ष 1982-83 के दौरान लौह-अयस्क की कुल कितनी-कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जुलाई, 81 से जून, 82 की अवधि के दौरान रूमानिया को 5 मिलियन मे० टन लौह अयस्क की सप्लाई के लिए एक करार एम० एम० टी० सी० तथा मैसर्स मिनरल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रूमानिया के बीच 31 अक्तूबर, 1981 को किया गया।

(ग) करार के अन्तर्गत गोवा/रेड्डी पत्तनों से लौह अयस्क फाइन्स की 4.2 मिलियन मे० टन मात्रा और मद्रास, पारादीप, गोवा तथा वेलेकरी पत्तनों से लौह अयस्क लम्पस की 0.8 मिलियन मे० टन मात्रा के लदान की व्यवस्था है। 1982-83 के दौरान भी उतनी ही मात्रा का निर्यात किए जाने की सम्भावना है।

अरब देशों द्वारा भारत में पूंजी लगाना

2263. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरब देशों ने भारत में अपनी पूंजी लगाने के प्रति अत्यधिक उत्सुकता और इच्छा दर्शाई है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में पूंजी लगाने के अपने इरादे से अब तक कितने देशों ने केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क), से (ग) कुछ तेल निर्यातक विकासशील देशों द्वारा दिखाई गई दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत में कतिपय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में नई कम्पनियों में पोर्टफोलियों निवेश के लिए एक सुविधा स्थापित की है। ज्ञात हुआ है कि कुछ पार्टियां इस नई सुविधा के अन्तर्गत निवेश करने की दृष्टि से बात चीत कर रही हैं लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक का निष्कर्ष

2264. **श्री तारिक अनवर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 24 अक्तूबर, 1981 को वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्टर प्रोसोशन काउन्सिल, दि आल इंडिया हैंडिक्राफ्ट एण्ड हैंडलूम बोर्ड और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की हुई बैठक का क्या निष्कर्ष रहा ; और

(ख) क्या आयात नीति के कार्यकरण के बारे में बैठक में विचारे गए विषयों पर सरकार ने कोई निष्कर्ष निकाला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) तथा (ख) 24 अक्तूबर, 1981 को हुई व्यापार संगठनों की बैठक का अभिप्राय मुख्यतः लागू आयाय नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था। बैठक में हुए विचार विमर्शों के आधार पर, आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों पर शुल्क-मुक्त आयातों की योजना के क्षेत्र को स्पष्ट करना आवश्यक हो गया और ऐसा 19 नवम्बर, 1981 को जारी एक परिपत्र द्वारा कर दिया गया है।

इस्पात के उत्पादन पर इस्पात आयात का प्रभाव

2265. **श्री तारिक अनवर : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात आयात का देश में इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि दिनांक 7 अक्तूबर, 1981 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में समाचार था ;

(ख) क्या इस आयात के कारण अकेला राउरकेला इस्पात संयंत्र में ही बिना बिक्री 32,000 टन इस्पात प्लेटों का भंडार जमा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस्पात संयंत्रों की उत्पादन और वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने के पास स्टील प्लेटों का स्टाक 31.6 हजार टन, 30-9-81 को 36.6 हजार टन और 31-10-1981 को 26.7 हजार टन था। देश में इस्पात की प्लेटों की कमी है और माँग को पूरा करने के लिए सेल पर्याप्त मात्रा में इनका आयात कर रही है। राउरकेला इस्पात कारखाने की माल-सूची की स्थिति का आयात नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादन में हुई वृद्धि के वितरण के लिए वितरण की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।

भिलाई इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

2266. **श्री तारिक अनवर : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिलाई इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है,

(ख) क्या आधुनिकीकरण, संयंत्र का उत्पादन बढ़ाने और अपर्याप्त ऊर्जा स्रोतों की बचत में सहायक होगा, और

(ग) क्या सोबियत विशेषज्ञों ने भी संयंत्र का निरीक्षण किया है और आधुनिकीकरण के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भिलाई इस्पात कारखाने की कतिपय इकाइयाँ और कर्मशालाएं काफी पुरानी हो गयी हैं। इस्पात कारखाने को तकनीकी और अन्य प्रकार से ठीक हालत में रखने के लिए आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी को अद्यतन करना, नये उपकरण लगाना, उनमें फेरबदल करना और उनको बदलना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। आशा है कि आधुनिकीकरण से इस्पात कारखाने के उत्पादन में कुछ हद तक वृद्धि होगी और इससे ऊर्जा की बचत भी होगी।

(ग) सोवियत विशेषज्ञों ने भिलाई इस्पात कारखाने का दौरा किया था और उन्होंने संबंधित संगठनों आदि के साथ विचार-विमर्श भी किया था। बाद में उन्होंने भिलाई इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण और नयी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और उपकरणों के आधुनिकीकरण द्वारा कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए "बेसिक टैक्नो-इक्नामिक कन्सीड्रेशंस" नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन इस्पात कारखाने के आदानों की क्वालिटी में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि तकनीकी प्राचलों के बारे में ठीक-ठीक निर्दिष्ट करने के लिए जिपरोमेज (रूस) के सहयोग से मेटलर्जीकल और इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड (मेकन) से एक गहन अध्ययन करवाया जाए। मेकन ने अप्रैल, 1981 में कारखाने के भावी विकास के लिए एक अप्रोच नोट प्रस्तुत किया था और अप्रोच नोट में दिए गए विकल्पों पर "जिपरोमेज" द्वारा की गई टिप्पणियां अगस्त, 1981 में मिली थीं। तत्पश्चात् अक्तूबर-नवम्बर, 1981 में रूसियों के साथ हुई बातचीत के आधार पर अप्रोच नोट को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इसके अनुसार भिलाई इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के बारे में शक्यता प्रतिवेदन का मसौदा मेकन द्वारा 'जिपरोमेज' के सहयोग से तैयार किया जाएगा।

राजस्थान में खनिज सर्वेक्षण

2267. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने अब तक राजस्थान के किन-किन जिलों का खनिज सर्वेक्षण कर लिया है और उसमें उसे कितनी सफलता मिली है ; और

(ख) क्या विभाग का विचार सीमा-क्षेत्र में तथा बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ खनिजों का भारी निक्षेप है, अपनी भू-विज्ञान संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में सर्वेक्षण किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप अनेक खनिज निक्षेपों का पता चला है। इनमें झुंजनू जिले की खेतड़ी ताम्र पट्टी के विस्तार में तांबा अयस्क, सीकर जिले में सलादीपुरा में पाइराइट/पाइरोटाइट, उदयपुर-भीलवाड़ा जिलों के दरीबा-राजपुरा और सिदेसरकलां में सीसा-जस्ता अयस्क, उदयपुर जिले के मटून में राकफास्फेट, चुरू और बीकानेर जिलों में पहाड़ी नमक, बाड़मेर जिले में वेन्टेनाइट, बीकानेर जिले में फुलरअर्थ, पाली जिले में बोले

स्टोनाइट, नागौड़ जिले में जिप्सम तथा जैसलमेर जिले में फास्फोराइट शामिल हैं। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, नागौड़, सिरोही, अजमेर और जैसलमेर जिलों में चूना-पत्थर निक्षेपों का पता चला है। सिरोही जिले में टंगस्टन तथा कोटा, झालावाड़, जोधपुर, नागौड़, जैसलमेर आदि जिलों में इमारती पत्थर निक्षेपों का पता चला है।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के पिछड़े इलाकों में दो दशकों से भी अधिक समय से कार्य कर रहा है। क्षेत्रगत सत्र 1981-82 में बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण, चतुर्धातुक (क्वाटरनरी) भूवैज्ञानिक मानचित्रण तथा खनिज एवं शोधपूर्ण खोजें करने का विचार है।

आयकर की बकाया धनराशि

2268. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर की बकाया धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार बकाया कर की बसूली के उपायों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अधिकारी-दल नियुक्त करने का है और यदि हाँ, तो कब तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) आयकर की बाकाया से सम्बन्धिक सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती है। ऐसी सूचना केवल आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध है। बकाया के विस्तृत आँकड़े प्रत्येक तिमाही के अन्त में संकलित किये जाते हैं। अव 31 मार्च 1981 को समाप्त तिमाही तक के लिए सूचना उपलब्ध है। 'कर की बकाया' तथा मांग जारी की गई, परन्तु देय नहीं बनी के सम्बन्ध में उक्त तिथि की स्थिति के अनुसार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

लोक सभा में 4 दिसम्बर, 1981 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 2268 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबन्ध

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	अधिकार क्षेत्र का नाम	31 मार्च, 81 की स्थिति के अनुसार बकाया कर	मांग जारी की गई लेकिन देय नहीं बनी
1	2	3	4
1.	आगरा	3.44	1.64
2.	इलाहाबाद	7.08	6.03
3.	अमृतसर	7.86	4.43

1	2	3	4
4.	आन्ध्र प्रदेश-1	2.72	3.84
5.	आन्ध्र प्रदेश-2	5.86	2.00
6.	विशाखापत्तनम	2.77	2.68
7.	असम	8.33	4.63
8.	बड़ौदा	7.69	4.14
9.	बिहार	9.38	1.73
10.	रांची	5.05	0.43
11.	बम्बई सिटी-1	7.48	5.26
12.	बम्बई सिटी-2	6.65	19.49
13.	बम्बई सिटी-3	14.70	20.01
14.	बम्बई सिटी-4	10.80	5.92
15.	बम्बई सिटी-5	9.19	4.19
16.	बम्बई सिटी-6	12.48	5.31
17.	बम्बई सिटी-7	5.53	5.00
18.	बम्बई सिटी-8	11.73	2.91
19.	बम्बई सिटी-9	10.72	3.45
20.	बम्बई सिटी-10	8.08	2.75
21.	बम्बई सिटी-11	4.59	0.38
22.	बम्बई सेन्ट्रल-1	7.75	8.48
23.	बम्बई सेन्ट्रल-2	8.57	13.17
24.	कलकत्ता सेन्ट्रल-1	9.64	16.19
25.	कलकत्ता सेन्ट्रल-2	7.20	2.27
26.	दिल्ली-1	24.39	1409
27.	दिल्ली-2	12.87	32.90
28.	दिल्ली-3	17.43	10.34
29.	दिल्ली-4	8.19	3.95
30.	दिल्ली-5	14.20	9.37
31.	दिल्ली-6	4.32	2.08
32.	दिल्ली सेन्ट्रल-1	2.04	14.09
33.	दिल्ली सेन्ट्रल-2	3.22	9.61
34.	गुजरात-1	1.37	14.62
35.	गुजरात-2	7.81	1.33
36.	गुजरात-3	7.34	2.27
37.	गुजरात-सेन्ट्रल	7.91	4.56

1	2	3	4
38.	हरियाणा	1.53	1.74
39.	जालंधर	3.63	1.71
40.	कर्नाटक-1	8.95	4.50
41.	कर्नाटक-2	9.51	9.18
42.	कर्नाटक सेन्ट्रल	8.70	7.77
43.	कोचीन	7.21	3.70
44.	त्रिवेन्द्रम	4.24	2.53
45.	कानपुर	9.61	5.77
46.	कानपुर सेन्ट्रल	5.76	15.41
47.	लुधियाना सेन्ट्रल	3.30	1.75
48.	भोपाल	15.34	6.68
49.	जबलपुर	9.13	2.80
50.	मद्रास सेन्ट्रल	5.55	11.10
51.	मेरठ	5.75	5.51
52.	नागपुर	6.79	9.16
53.	नासिक	1.24	0.95
54.	उड़ीसा	2.62	0.96
55.	पुणे	5.20	5.60
56.	कोल्हापुर	1.29	0.96
57.	राजकोट	3.01	2.88
58.	जयपुर	8.17	7.50
59.	जोधपुर	2.43	1.42
60.	पटियाला	5.17	1.92
61.	लखनऊ	11.20	4.11
62.	तमिलनाडु-1	4.31	4.78
63.	तमिलनाडु-2	5.61	2.55
64.	तमिलनाडु-3	8.24	3.66
65.	तमिलनाडु-4	8.73	4.71
66.	मदुरै	5.73	5.29
67.	कोयम्बतूर	12.64	4.55
68.	प० बंगाल-1	6.80	2.89
69.	प० बंगाल-2	11.82	3.74
70.	प० बंगाल-3	18.59	12.80
71.	प० बंगाल-4	13.18	6.22

1	2	3	4
72.	प० बंगाल-5	8.10	5.17
73.	प० बंगाल-6	11.03	4.09
74.	प० बंगाल-7	1.76	1.71
75.	प० बंगाल-8	8.06	1.77
76.	प० बंगाल-9	11.00	4.62
77.	प० बंगाल-10	11.55	3.07
78.	प० बंगाल-11	16.03	13.78
79.	प० बंगाल-12	7.84	2.45
80.	प० बंगाल-13	3.52	1.35
81.	प० बंगाल-14	5.57	0.72
	जोड़	641.82.	470.67

विकसित देशों की संरक्षणवादी नीति का भारत के कपड़ा निर्यात व्यापार पर प्रभाव

2269. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) विकसित देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षणवादी नीति के कारण वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान भारत के कपड़ा निर्यात व्यापार पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गये विशेष उपायों का विस्तृत ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत के वस्त्रों के निर्यात यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड के साथ द्विपक्षीय करारों द्वारा बहुरेशा प्रबन्ध (एम० एफ० ए०) के अन्तर्गत, जिससे वस्तुओं का विश्व व्यापार, नियंत्रित होता है, विनियमित किए जाते हैं । इन करारों में कई प्रतिबन्धात्मक बातें हैं । यदि ये प्रतिबन्ध न हों, तो यह सम्भव है कि कुछ वर्गों के उत्पादों के सम्बन्ध में वस्त्रों के निर्यात प्राप्त स्तर से भी अधिक हो सकते थे । तथापि, निर्यात में इस सम्भव वृद्धि का हिसाब लगाना मुमकिन नहीं है ।

2. निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित मुख्य उपाय किए हैं :

(1) 9-3-81 को घोषित वस्त्र नीति में निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय आरम्भ किए गए हैं। ये उपाय हैं :—निर्यात प्रयोजन के लिए क्षमता का विस्तार करना, अवस्थापना को मजबूत बनाना, आधुनिकीकरण, आवश्यक मशीनरी और महत्वपूर्ण संघटकों का आयात करना तथा साथ ही वस्त्र मशीनरी और वस्त्र सह-साधनों के उत्पादन आधार में वृद्धि करना।

(2) वस्त्र व्यापार में उदारीकृत व्यवस्था लाने के उद्देश्य से भारत वस्त्र निर्यातक विकासशील देशों के साथ, जो एम० एफ० ए० के सदस्य हैं, समान उद्देश्य ले करके काम करता रहा है। पगोटा, जकार्ता, हाँगकाँग और नई दिल्ली में पिछले वर्ष कई बैठकें हुई हैं जिसके बाद 1-1-1982 से एम०एफ०ए० के नवीकरण के लिए चलने वाली वार्ता के लिए विकासशील देशों ने संयुक्त वार्ताकारी नीति तैयार की है।

(3) वस्त्र निर्यात कोटा नीतियां (क) कोटों के पूरे उपयोग, (ख) इकाई मूल्य प्राप्ति में वृद्धि और (ग) व्यापार के व्यवस्थित विकास के तीन उद्देश्यों को लेकर बनायी जा रही है। नीति के विभिन्न उपबन्ध लचीले रखे गए हैं ताकि वे व्यापार की मांगों और उपभोक्ता की पसन्द के स्वरूपों के अनुसार अपनाये जा सकें।

(4) सरकार ने शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 31-12-1980 को एक योजना आरम्भ की थी। इस योजना के अनुसार औद्योगिक लाइसेंसिंग, विदेशी सहयोग, पूंजीगत और कच्चे माल के आयात के सम्बन्ध में एक ही स्थल पर क्लीरियेंस मिल सकती है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों की सूची में वस्त्रों और क्लोदिंग की सात श्रेणियां सम्मिलित हैं।

(5) 1981-82 की निर्यात नीति में कई ऐसी बातें हैं जिनसे वस्त्रों और क्लोदिंग के निर्यातकों को अधिक प्रोत्साहन मिले। कई परिधान उत्पादक मशीनों के आयात की अनुमति ओ० जी० एल० के अन्तर्गत दी गई है। वस्त्र अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात के लिए आर० ई० पी० लाइसेंसों के अन्तर्गत हकदारियों को उदार बनाया गया है। निर्यात उत्पादन के लिए ब्लैण्डेड/मिश्रित वस्त्रों, सूती डैनिम और कार्डराय वस्त्रों जैसे कच्चे माल की नई मदों की अनुमति अग्रिम लाइसेंसिंग के अन्तर्गत दी गई है।

(6) सरकार संवर्धनात्मक कार्यकलापों जैसे कि बाजार अध्ययनों, क्रेता विक्रेता सम्मेलनों के लिए प्रोत्साहन तथा सहायता देती रही है ताकि नये उत्पादों और प्रदेशों में निर्यातों का विविधीकरण किया जा सके।

कोकिंग कोल का आयात

2270. **श्री चित्त बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 5 लाख टन कोकिंग कोल के आयात का, जिसके और अधिक बढ़ने की सम्भावना है, निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विदेशी-मुद्रा की कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ग) क्या कोकिंग कोल के अनुमानित निक्षेप और इस्पात उत्पादन के लक्ष्यों को देखते हुए यह आयात उचित है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) को 23 लाख टन कोककर कोयला आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है (इसमें पिछले वर्ष आयात के लिए स्वीकृत मात्रा में से बकाया मात्रा भी शामिल है) तथापि वर्ष 1981-82 की अवधि में आयात 10 लाख टन से अधिक नहीं होगा। इस पर विदेशी मुद्रा के रूप में 104 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

(ग) राख की कम मात्रा वाले उच्च ग्रेड के कोककर कोयले का आयात मुख्य रूप से नीचे दिए गए तीन कारणों से उचित हैं :—

(1) कोक भट्टियों में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले के सम्मिश्रण की क्वालिटी में सुधार करना ।

(2) भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर देशीय कोककर कोयले के भण्डारों को सुरक्षित रखना ताकि कोककर कोयले की उपलब्धि दीर्घकाल तक बनी रहे ; और

(3) इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की वर्तमान सप्लाई में वृद्धि करना जो इस समय आवश्यकता से कम है ।

पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए संयुक्त नीति

2271. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगला देश और भारत के आपासी हित में पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में एक संयुक्त नीति बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही शुरू कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) भारत तथा बंगला देश सहित पटसन उत्पादक देशों की बैठकें अंकटाड, एफ० ए० ओ० तथा एस्केप जैसे विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिकरण के तत्वावधान में आयोजित की जाती है । पटसन के व्यापार, पटसन उत्पादनकर्ता के उपभोक्ता देशों की अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में विचार-विमर्श किए जाने वाले मसलों पर एक सामान्य स्थिति बनाने आदि से सम्बन्धित मामलों में पटसन उपजकर्ता देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करना इन बैठकों का लक्ष्य होता है । इस प्रकार की अद्यतन बैठक भी पटसन उपजकर्ता देशों द्वारा सरकारी परामर्श, जो पर बैंकाक में 18-21 अगस्त, 1981 को किया गया था और इस

परामर्श में उपजकर्ता देशों के बीच और आगे निर्णय किए जाने के लिए दुबारा बैठक बुलाने का विनिश्चय किया गया।

विकासशील कपड़ा निर्यातक देशों का सम्मेलन

2272. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में विकासशील कपड़ा-निर्यातक देशों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के निष्कर्ष क्या रहे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) एक **विवरण** संलग्न है।

विवरण

विकासशील देशों ने गाट वस्त्र समिति की जुलाई, 1981 बैठक के दौरान अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जो नई बहु-रेशा प्रबन्ध (एम० एफ० ए०) को अधिक उदार बनाने तथा विकासशील देशों से वस्त्र तथा क्लोदिंग के निर्यातों के सम्बन्ध में इसके विनियोग को युक्तिसंगत बनाने के अनुरूप तैयार किया गया था। नवम्बर, 1981 के प्रारम्भ में नई दिल्ली में आयोजित वस्त्र निर्यातक विकासशील देशों के सम्मेलन में विकासशील देशों ने इन प्रस्तावों की गहराई से समीक्षा की, कतिपय पहलुओं के सम्बन्ध में उनका प्रवर्धन किया और बहु-रेशा प्रबन्ध पर वार्ताओं के अगले दौर के लिए उनके प्रस्तावों तथा नीति को अन्तिम रूप दिया। सम्मेलन में उन प्रस्तावों पर भी विचार किया जो विकसित देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सामान्य दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। विकासशील देशों के संगठित रहने और निरन्तर तथा मुक्त अतः संचारण के आधार पर आगामी सम्पूर्ण वार्ताओं में एक दूसरे के साथ घनिष्ट सम्पर्क कायम रखने की जरूरत पर सहमति थी। विकासशील देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहु-रेशा प्रबन्ध के तत्वावधान में विकसित देशों के साथ बाद में किए जाने वाले द्विपक्षीय वस्त्र करारों के प्रति उनके दृष्टिकोण में समानता तथा समन्वयन रहें, बहु-रेशा प्रबन्ध वार्ताओं के दौरान तथा बाद में उनके बीच एक सहयोग कार्यक्रम प्रारम्भ करने की भी सहमति दी।

उड़ीसा के रायरंगपुर में फैरो-बेनेडियम संयंत्र की स्थापना

2273. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के रायरंगमपुर में फैरो-बेनेडियम संयंत्र की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त फैरो-बेनेडियम संयंत्र की नवीनतम अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) क्या छठी योजना अवधि के दौरान उपरोक्त संयंत्र की स्थापना हो जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का कार्यान्वयन करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) 480 टन फैरो-वेनेडियम और 48,000 टन फास्फोरस की कम मात्रा वाले कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए उड़ीसा में रायरंगपुर में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए 30-12-1978 को उड़ीसा के इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लि० को एक आशय-पत्र जारी किया गया था। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार इस निगम ने इस आशय-पत्र के कार्यान्वयन में कोई विशेष प्रगति नहीं की है। अत: नवीनतम अनुमानित लागत के बारे में बताने का प्रश्न नहीं उठता। इस बात में भी सन्देह है कि क्या यह परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरी हो जाएगी।

अपहरण करके पाकिस्तान ले जाए गए इण्डियन एयरलाइन्स के विमान के यात्रियों को क्षतिपूर्ति

2274. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स के उस विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धनराशि का भुगतान किया है, जिसे दिनांक 29 सितम्बर, 1981 को खालिस्तान समर्थक कुछ उग्रवादियों द्वारा अपहरण करके पाकिस्तान ले जाया गया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। यात्रियों को कोई मुआवजा दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बाद उनका कार्य निष्पादन

2275. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद के कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण किया है और यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई धनराशियों और उनके द्वारा दिए गए कारणों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

वित्तमंत्रलय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन के विभिन्न पहलुओं की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार समीक्षा की जाती है। जून, 1969 तथा दिसम्बर, 1930 के अन्त की स्थिति के अनुसार इन बैंकों के शाखा विस्तार,

जमा-संग्रह, ऋण के विस्तार तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों से सम्बन्धित तालिका नीचे दी गई है :—

	जून 1969	दिसम्बर 1980
शाखाओं की संख्या	6596	30479
		(2820)
जिनमें से ग्रामीण	1505	15165
		(1164)
जमा राशियां (करोड़ रुपये)	3871	32844
		(2452)
अग्रिम (करोड़ रुपये)	3017	21517
जिनमें से		(1480)
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए	441	7852
अग्रिम (करोड़ रुपये)		(518)

× 15 अप्रैल, 1980 को राष्ट्रीयकृत किए गए 6 बैंक शामिल हैं, जिनके आंकड़े कोष्ठकों में दिए गए हैं।

दिसम्बर 1980 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में गबन, डकैती और चोरी के मामले

2276. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1981 से अब प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में धनराशि के गबन, डकैती और चोरी की कितनी कितनी घटनाओं की सरकार को जानकारी मिली है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इन बैंकों में नियुक्त कर्मचारियों की दक्षता में कमी आई है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि पहली अप्रैल, 1981 से 31 अक्टूबर, 1981 के बीच, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैतियों/लूट-मार के 24 मामले हुए जिनमें 38.51 लाख रुपये नकद और लगभग 16 लाख रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण तथा 3.38 लाख रुपये के ड्राफ्ट अंतर्ग्रस्त थे। इसी अवधि में राशियों के गबन और चोरी से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नियुक्त कर्मचारियों की कार्य-कुशलता में भारी गिरावट का कोई संकेत नहीं मिला है। अलबत्ता, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सुचारु कार्यकरण के बारे में सजग हैं और दक्षता बढ़ाने के बारे में बैंकों को समय-समय पर बराबर सलाह दी जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

2277. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**
श्री टी० दामोदर रेड्डी :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री राम प्यारे पनिका :
श्री चतुर्भुज :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री कृष्ण प्रताप सिंह
श्री के० राममूर्ति :
श्री के० पी० सिंह देव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च को समाप्त होने वाली गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान वर्षवार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ;

(ख) क्या समयोपरि भत्ते की राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इन बैंकों में समयोपरि भत्ते की राशि में कमी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां ।

(ग) विभिन्न कारणों से इकट्ठे हुए कार्य के निपटान के लिए तथा दिन प्रतिदिन के आधार पर तात्कालिक कार्य को पूरा करने के वास्ते बैंक सामान्यतः लेखों के अर्ध-वार्षिक तथा वार्षिक समापन के समय, समयोपरि (ओवरटाईम) भत्ते की आदायगी करते हैं।

कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों आदि में संशोधन तथा स्टाफ की कतिपय अनैतिक आदतें भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समयोपरि भत्ते (ओवरटाईम एलाउंस) की अदायगी में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति में योग दान देती है।

(घ) सरकार ने इस वर्ष, मई में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समयोपरि भत्ते के व्यय को कम करने के लिये प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी है। उनसे यह भी कहा गया है कि वे समयोपरि भत्ते की अदायगी की कड़ाई से समीक्षा करें और यह भी सुनिश्चित करें कि जिस समयोपरि भत्ते का दावा किया जाए वह संबंधित मानदंडों के अनुरूप हो और तभी दिया जाए जबकि ऐसा करना अपरिहार्य हो। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कर्मचारियों को आवंटित कार्य, कार्यालय के समय के भीतर ही पूरा हो जाए।

विवरण

वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 के पहले 9 महीनों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा समयोपरि भत्ते की अदायगी

(लाख रुपये)

क्रम सं०	बैंक का नाम	1979	1980	1981
			जनवरी से सितम्बर	
1.	भारतीय स्टेट बैंक	739.24	900.00	637.69
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	51.47	61.36	39.83
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	26.67	27.00	15.99
4.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	42.09	59.46	46.78
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	17.29	21.62	14.68
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	27.99	34.00	27.67
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	40.44	48.48	23.00
8.	स्टेट बैंक आफ ट्रावणकौर	23.00	35.00	23.77
9.	इलाहाबाद बैंक	53.80	62.00	44.85
10.	बैंक आफ बड़ौदा	203.85	300.00	उपलब्ध नहीं
11.	बैंक आफ इंडिया	223.41	326.00	244.00 X
12.	बैंक आफ महाराष्ट्र	63.62	83.88	62.87
13.	केनरा बैंक	26.63	26.00	21.96
14.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	129.58	148.88	104.00)
15.	देना बैंक	80.34	96.00	66.28
16.	इण्डियन बैंक	50.26	72.09	63.55

1	2		3	4
17.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	85.38	114.10	94.02
18.	पंजाब नेशनल बैंक	107.84	130.00	90.70
19.	सिण्डीकट बैंक	21.22	36.00	39.37
20.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	69.86	95.00	60.92
21.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	108.21	132.00	109.31
22.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	104.89	140.00	86.21
23.	आन्ध्र बैंक		1.88	1.11
24.	कारपोरेशन बैंक		6.16	6.66
25.	न्यू बैंक आफ इंडिया		30.45	28·82)
26.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स		35.00	33.93
27.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक		54.00	29.70
28.	विजया बैंक		22.21 (संशोधित)	23.00

× 30-8-1981 तक

(जून 1981 तक

टिप्पणी : 1981 के आंकड़े अनन्तिम हैं ।

मुर्गी के टीकों के आयात पर प्रतिबन्ध

2278. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुर्गी के टीकों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु 'मरेक' रोग के टीकों के भारतीय निर्माणकर्ताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान और 1980-81 में अब तक इस टीके की कितनी-कितनी मात्रा का आयात किया गया है ;

(ग) ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियां हैं, जो देश में मुर्गी के टीकों का निर्माण कर रही हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(घ) क्या इस टीके के मामले में देश आत्मनिर्भर है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस टीके के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और देश में ही इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) मुर्गी के टीके के आयातों के सम्बन्ध में अलग से कोई आंकड़े संकलित नहीं किये जाते।

(ग) मुर्गी के टीके देश में विभिन्न स्थानों में स्थित राज्य जीव विज्ञान सम्बन्धी वस्तु उत्पादन केन्द्रों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, पुणे, वेन्ट्री जीव विज्ञान (वेंकटेश्वर हेचरीज), पुणे तथा बाइयोमेद, गाजियाबाद द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मुर्गी के टीकों की अलग-अलग किस्मों का वार्षिक घरेलू उत्पादन लगभग 260 मिलियन खुराक है।

(घ) तथा (ङ) मुर्गी के टीकों की घरेलू उत्पादन इस समय पर्याप्त नहीं है जिससे आवश्यकता पूरी हो सके। तथापि, इस उद्योग द्वारा अपेक्षित सीड स्ट्रेन तथा अन्य सामग्री के आयात की अनुमति देकर घरेलू उत्पादन के विकास के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है।

विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा का अर्जन

2279. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (छः महीनों में) के दौरान कितने विदेशी पर्यटक भारत आए ; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्ष-बार अनुमानतः कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) विदेशी पर्यटकों के आगमन और आय सम्बन्धी आंकड़े कैलेण्डर वर्ष के आधार पर अनुमानित किए जाते हैं।

1979, 1980 और जनवरी से सितम्बर, 1981 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 764781, 800150 और 601319 थी।

(ख) उसी अवधि के दौरान जो अनुमानित विदेशी मुद्रा अर्जित हुई वह क्रमशः 384 करोड़ रुपये, 482 करोड़ रुपये और 407 करोड़ रुपये थी।

डण्ठल वाले फूलों के निर्यात के लिए राज सहायता

2280. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत से कर्तित पुष्पों (कर फ्लावर्स) की क्षतिपूर्ति हेतु निर्यात के लिए राज-सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ढुलाई, भाड़े और कन्टेनर प्रभारों के लिए, जो कर्तित पुष्पों के निर्यात में बड़ी बाधायें हैं, राज-सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) इस समय नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) जी, हां। सरकार फूलों के बारे में विशेष वस्तु भाड़ा निर्धारित करने के सम्बन्ध में एयरलाइन्स के साथ परामर्श करके विचार कर रही है।

भारतीय काली मिर्च के निर्यात में कमी आना

2281. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काली मिर्च के निर्यात में, इसकी अधिक लागत होने के कारण और विशेष रूप से ओलियोरसिन के निर्यात के कारण, कमी आई है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय ओलियोरसिन श्री लंका और इन्डोनिशिया की सस्ती ओलियोरसिन से मंहगी है ;

(ग) क्या सरकार के इस व्यवसाय को बढ़ाने के कोई प्रस्ताव हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) संकलित किए गए प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष के पहले छः महीनों और गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान काली मिर्च और ओलियोरेसिन का निर्यात निम्नोक्त प्रकार था :—

	अप्रैल-सितम्बर, 80		अप्रैल-सितम्बर, 1981	
	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
काली मिर्च	12691	18.7	7779	10.5
काली मिर्च का ओलियोरेसिन	43.2	0.62	50.8	0.73

काली मिर्च के निर्यात में कमी मलेशिया, इन्डोनेशिया तथा ब्राजील जैसे अन्य उत्पादक देशों के साथ प्रतियोगिता के कारण हुई है।

(ख) ऐसा पता चला है कि अन्य देश अपेक्षाकृत नीची दरों पर आफर कर रहे हैं।

(ग) तथा (घ) जी हां। चूंकि इस मद में वृद्धि की सम्भाव्यता है, अतः नकद सहायता और आयात प्रतिपूर्ति देकर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के ऋण पत्रों को शेयरों में बदले जाने की संभावनाओं और व्यावहारिकता के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट

2282. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के ऋणपत्रों को शेयरों में बदले जाने की संभावनाओं और व्यावहारिकता के सम्बन्धों में रिपोर्ट देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से एक समिति नियुक्त की है ताकि और अधिक पूंजीनिवेश को आकर्षित किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट को कब अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और कब तक यह उपलब्ध कराई जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया है जो पब्लिक डिबेंचरों के लिए एक अनुपूरक मार्केट को सक्रिय करने के प्रयोजन से उचित कदम उठाने के बारे में अपने सुझाव देगा ।

(ख) कार्यकारी दल की इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण देने में बैंकों की भूमिका

2283. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने में बैंकों की भूमिका का विश्लेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विश्लेषण के क्या निष्कर्ष रहे और जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है, लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कदम, यदि कोई हैं उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उस तरह का कोई बिश्लेषण करने का है ?

वित मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों के बारे में आंकड़े पिछले समय में अलग से इकट्ठे नहीं किये जा रहे थे । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई संकलन प्रणाली शुरू की है जिससे भविष्य में ऐसे आंकड़े समीक्षा के वास्ते उपलब्ध होंगे ।

प्रत्यक्ष करों के भुगतान और एकत्र किए जाने की प्रक्रिया को सरल किया जाना

2284. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष करों के भुगतान और एकत्र किए जाने की वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है जिससे कर-दाताओं को होने वाली असुविधा से बचा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो जो सरलीकरण और व्यवस्था शुरू की जाएगी वह किस तरह की होगी तथा किस तारीख से इसे शुरू किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष करों की अदायगी और वसूली सम्बन्धी कार्यविधि को सरल बनाने के लिए उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ निम्नानुसार हैं :—

(1) 31 मार्च, 1976 तक प्रत्यक्ष करों की अदायगी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों और भारतीय स्टेट बैंक का प्राधिकृत शाखाओं तथा सरकारी कारबार करने वाली उसकी सहायक शाखाओं में की जा सकती थी । जहां इन बैंकों की कोई शाखाएं नहीं थीं । वहाँ अदायगी खजानों/उप खजानों में की जा सकती थी । 1-4-1976 से, शुरू में आठ महानगरों में, भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं तथा सरकारी कारबार करने वाली इसकी सहायक शाखाओं और 2 या 3 सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, प्रत्यक्ष करों की अदायगी स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया था । नवम्बर, 1976 से यह योजना 66 अन्य स्थानों पर लागू की गई। करदाताओं की सेवा में सुधार लाने की दृष्टि से, यह योजना 1-4-1977 से ऐसे सभी स्थानों पर लागू की गई, जहां आयकर कार्यालय स्थित थे । ऐसे स्थानों में, जहां कोई आयकर कार्यालय नहीं हैं, वहां स्टेट बैंक अथवा सरकारी कारबार करने वाले उसके सहायक बैंक अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी प्राधिकृत बैंक के जरिये अदायगी प्राप्त की जाती है । इस योजना के लागू होने से ऐसे स्थलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जहां प्रत्यक्ष कर अदा किये जा सकते हैं ।

(2) करों की अदायगी के लिए चालान जारी करने की पद्धति सरल बना दी गई है। पहले प्रत्येक चालान को सम्बन्धित आयकर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करके अथवा उसके द्वारा उसके कार्यालय की स्टाम्प लगाकर भेजना होता था । अब स्व-निर्धारण कर की अदायगी के लिए रिक्त चालान आय/धन की विवरणियों के साथ भेजे जाते हैं । अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गये कर की अदायगी के लिए चालान अब सम्बन्धित कर-दाता द्वारा आयकर अधिकारियों को सन्दर्भ किये बिना भरे जाते हैं । इसके अतिरिक्त, अग्रिम कर के चालान फार्म और अग्रिम कर के विवरण/अनुमानों के फार्म प्राधिकृत बैंकों के कान्टरों पर उपलब्ध कराये जाते हैं । इसके अलावा, विभिन्न चालानों के लिए अलग अलग रंगों की स्याही प्रयुक्त की जाती है । विभिन्न प्रत्यक्ष करों के चालान फार्मों के परस्पर मिल जाने से बचने के लिए और उपयुक्त शीर्षों के अन्तर्गत सही खाने जमा के निमित्त ऐसा किया गया है ।

(3) करदाताओं के हित में, उन्हें यह सलाह दी गई थी कि यदि प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में उनका खाता है तो उन्हें प्राधिकृत बैंक का उक्त शाखा में चैक देना चाहिए । यदि उनका कोई खाता नहीं है तो उन्हें सलाह दी गई थी कि वे उस स्थान के प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में, जहाँ उनका कर-निर्धारण किया जा रहा है, खाता खोलने की बाबत विचार करें ताकि करों की अदायगी और करों की वापस-अदायगियों का भुगतान उस खाते के जरिये किया जा

सके । इस कार्यविधि, का यह लाभ होगा कि उन्हें अपनी अदायगियों की आयकर विभाग की पुस्तकों में शीघ्र खाते जमा मिल सकेगा और किसी अदायगी अथवा चालान के मार्ग में खो जाने की सम्भावना समाप्त हो जाएगी ।

प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के आधार पर, बोर्ड ने महानगरों में करों की अदायगी के लिए वर्तमान बैंक सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने का फैसला किया है । संगठन एवं प्रबन्ध सेवा (आयकर) निदेशालय ने इस सम्बन्ध में एक अध्ययन किया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिलाभ

2285. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के तत्काल बाद श्रेणी-वार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनके अपने-अपने वेतनमानों की प्रारम्भिक स्थिति में मिलने वाले वास्तविक परिलाभों की तुलना में रुपए की क्रयशक्ति के सन्दर्भ में, उनके वर्तमान परिलाभों की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या कर्मचारी, वर्तमान परिलाभों से अपना वह जीवन यापन स्तर बनाए रखने में असमर्थ हैं जिसकी उन्होंने नौकरी के शुरू में आशा की थी, यदि हाँ, तो उनका जीवन यापन स्तर किस सीमा तक नीचे गिर गया है : और

(ग) कर्मचारियों को, कम से कम उनका 20 वर्ष पुराना जीवन यापन स्तर पुनः प्रदान करने के लिए क्या कदम सोचे गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) भिन्न-भिन्न वेतनमानों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पांच प्रतिनिधि श्रेणियों के बारे में सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वर्तमान वेतन-ढाँचा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है । आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 55 के पैरा 16 में यह सिफारिश की थी कि यदि कीमत स्तर 12 महीने के औसत 272 अंकों (1960=100) को पार कर जाए तो सरकार को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और यह निर्णय करना चाहिए कि क्या मंहगाई भत्ते की योजना को और आगे बढ़ाया जाये अथवा वेतनमानों में ही संशोधन कर दिया जाये । मूल्य स्तर उक्त सीमा से ऊपर पहुंचने पर सरकार ने स्थिति की समीक्षा की और यह निर्णय किया कि मंहगाई भत्ता तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई योजना के अनुसार स्वीकार्य होगा । इस प्रकार मासिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8 अंकों की वृद्धि होने पर सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक किस्त की मंजूरी दी जाती है । मंहगाई भत्ते की पिछली किस्त 1-6-81 से स्वीकृत की गई थी । जब कि 12 महीने का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 408 अंकों पर पहुंच गया था । तथापि, मंहगाई भत्ते की किसी किस्त की स्वीकृति स्वतः नहीं होती बल्कि इस पर सरकार द्वारा विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है ।

विवरण

क्रम संख्या	श्रेणी/वेतनमान रु०	1-1-73 को वेतनमान के न्यूनतम पर परिलब्धियां (वेतन तथा मंहगाई भत्ता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ता)	1-9-81 को वेतनमान के न्यूनतम पर वास्तविक परिलब्धियां (वेतन तथा मंहगाई भत्ता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ता)	रुपये के मूल्य में ह्रास होने से परिलब्धियों का मूल्य	परिलब्धियों के मूल्य में कमी
1	2	3	4	5	6
		रुपये	रुपये	रुपये	
1.	196.232	196	395.60	182.18	7%
2.	425.800	425	781.70	359.99	15.3%
3.	1100.1600	1100	1800.00	828.94	24.6%
4.	2250.2750	2250	2890.00	1330.90	40.8%
5.	3500 (नियत)	3500	4100.00	1888.13	46%

टिप्पणी :– जनवरी, 1973 और सितम्बर, 1981 में रुपये का पैसे में मूल्य क्रमशः 47.62 और 21.93 है (आधार 1960=100)

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय सवारी, यात्रा और दैनिक भत्तों की दरें

2286. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले सवारी, यात्रा और दैनिक भत्ते आदि की दरें पिछली बार कब निर्धारित की गई थीं ;

(ख) तब से अब तक रुपये का मूल्य, इसकी क्रयशक्ति के अर्थों में कितना नीचे गिर गया है;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों को नकली और अनुमानित भुगतानों की बजाय वास्तविक खर्चे का भुगतान किया जाए अथवा भत्तों आदि की संशोधित और यथार्थपरक दरें सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सवारी भत्ते और मील-दूरी भत्तों की दरों में पिछली बार क्रमशः 6-2-1981 और 1-10-1981 से वृद्धि की गई थी। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित दैनिक भत्ते की दरें 1-6-1974 से लागू हुई। सरलीकरण और युक्तियुक्त करण के लिये गठित टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर इन दरों में 1-2-1978 से सुधार किया गया जिसके अनुसार बम्बई/कलकत्ता में लागू दैनिक भत्ते की उच्चतर दरें सभी "क" श्रेणी के नगरों के लिए तथा दिल्ली/शिमला में लागू दरें सभी "बी"-1" श्रेणी के नगरों के लिए मंजूर कर दी गई थी। सरकार द्वारा समय-समय पर वास्तविक लागत तथा ऐसे व्यय के सम्बन्ध में किफायत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त भत्तों की दरों की समीक्षा की जाती है। वास्तविक खर्चे की अदायगी सरकार द्वारा एकरूपता सुनिश्चित करने की नीति तथा प्रशासनिक व्यय को सेवा सम्बन्धी कार्य कुशलता के अनुसार न्यूनतम रखने की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगी।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त और बोनस का भुगतान

2287. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने और बोनस का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : 1980-81 के लेखा-वर्ष के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० (एच० एस० सी० एल०) के उन सभी कर्मचारियों को बोनस की अदायगी कर दी गई है जो बोनस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

एच० एस० सी० एल० ने अपने कर्मचारियों को 1 फरवरी, 1981 से आगे देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया है क्योंकि विभिन्न श्रमिक संघों की माँग थी कि वेतन ढाँचों में पूर्वव्यापि अवधि से संशोधन किया जाए। इस प्रकार वेतन ढांचे में संशोधन करने का अभिप्राय

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए तृतीय वेतन आयोग द्वारा घोषित वेतन ढांचों से एच०एस० सी० एल०के कर्मचारियों को अलग करना होगा। जबकि एच०एस०सी०एल० ने केन्द्रीय सरकार द्वारा तृतीय वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते की अदा की गई विभिन्न किस्तों के आधार पर अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान किया है। इन माँगों के सम्बन्ध में एक सर्वोच्च स्तरीय संयुक्त मंच में विचार किया जा रहा है जिसमें इन्टक, सीटू, ऐटक, हिन्द मजदूर सभा तथा तीन स्वतंत्र श्रमिक संघों के प्रतिनिधि हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक में राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन न होना

2288. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक (उनके मंत्रालय के अंतर्गत) में राजभाषा अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रिजर्व बैंक ने अनेक बैंकों को इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का 50 प्रतिशत अनुपालन किया जाना चाहिये ;

(ग) क्या यह सच है कि सभी क्षेत्रों के कार्यालयों के लिए अनिवार्य है कि वे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधानों का पूर्ण तरह अनुपालन करे ;

(घ) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ; और

(ङ) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन की ओर उत्तररोत्तर कार्यवाई के लिए कदम उठाये हैं।

(ख) से (ङ) राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार "सामान्य आदेशों' सहित उक्त अधिनियम की धारा 3 (3) में विनिर्दिष्ट का संजातों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाना चाहिए चाहे ये किसी भी क्षेत्र में क्यों न जारी किये गए हों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये एक परिपत्र के अनुसार वर्ष 1980 के लिए वार्षिक कार्यक्रम भेजते समय क्षेत्र "ख" में "सामान्य आदेशों" को द्विभाषी रूप में जारी करने की दिशा में 50 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा करने की सलाह, बैंकों द्वारा तुरन्त ही शत-प्रतिशत अनुपालन को सुनिश्चित करने में व्यक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखकर दी गई थी। ऐसा करने में, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन का इरादा नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1981-82 के लिए वार्षिक कार्यक्रम में इस विषयक सरकारी अपेक्षाओं को स्पष्ट कर दिया है।

इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा अपने यात्रियों को हिन्दी समाचार पत्रों की सप्लाई

2289. **श्री राम विलास पासवान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चलने वाले विमानों में यात्रियों को हिन्दी के समाचारपत्र बिल्कुल सप्लाई नहीं किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी न जानने वाले यात्रियों द्वारा कठिनाई का अनुभव किया जाता है ;

(ख) जनवरी, 1981 से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान देश में चलने वाले विमानों में यात्रियों को कुल कितने समाचारपत्र सप्लाई किये गये और उनमें हिन्दी समाचारपत्र और अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की संख्या कितनी थी तथा उनमें सप्लाई किए गए अंग्रेजी समाचारपत्र कितने थे ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान दिल्ली और पटना के बीच चलने वाले विमानों में मुहैया किए गए अंग्रेजी और हिन्दी समाचारपत्रों की क्या संख्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पालम हवाई अड्डे पर पक्षियों का इन्डियन एयरलाइन्स के विमानों से टकराना

2290. **श्री राम विलास पासवान**

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी

श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे पर वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान विमानों से पक्षियों के टकराने की कितनी घटनाएं हुईं ;

(ख) उसके परिणामस्वरूप विमान को कितनी क्षति पहुंची ; और

(ग) विमान सुरक्षा के लिए बढ़ते हुए इस खतरे को समाप्त करने के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं और उनके क्या परिणाम रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2021/81)

(ग) पक्षियों के खतरे को कम करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) ऐसे कीड़ों की आबादी को कम करने के लिए, जो पक्षियों के लिए भोजन का काम करते हैं नियमित रूप से कीटनाशक दवाएं छिड़कना ;

(2) विमानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे सभी क्षेत्रों से मृत कीड़ों को हटाने के लिए नियमित रूप से झाड़ू लगाना ;

(3) ऐसी झाड़ियों को समाप्त करना जहां पक्षी सामान्यतः घोंसले बनाते हैं ;

(4) ऐसे कूड़े-कचरे तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हटाना, जिनसे पक्षी आकृष्ट होते हैं ;

(5) पक्षियों को डराने के लिए रन-वे के शील्डर स्ट्रिप्स पर रंगीन रिबनों का प्रयोग ;

(6) पक्षियों के जमघट को तितर-बितर करने के लिए पटाखों तथा तमंचों का प्रयोग;

(7) पक्षियों को डराने वाले कारतूस आयात किए जा रहे हैं।

नवम्बर, 1981 के महीने में इस प्रकार की दुर्घटनाओं में काफी कमी हुई है।

अवकाश यात्रा छूट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को रियायत देने की इण्डियन एयरलाइन्स की योजना का समाप्त किया जाना

2291. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह**

श्री कमल नाथ

श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो व्यक्ति, सरकार और सरकारी उपक्रमों से अवकाश यात्रा छूट प्राप्त करने के बाद विमान से यात्रा करना चाहते हैं, उनको छूट देने की इंडियन एयरलाइन्स की योजना थी ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अब उपर्युक्त योजना को समाप्त कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) "लीव-ट्रेवल" सुविधाओं के हकदार व्यक्तियों को इंडियन एयरलाइन्स ने किराए तथा ईधन-अधिभार में 30 प्रतिशत की रियायत पेश की थी, ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें। यह शर्त रखी गई कि व्यस्क-दर का किराया देने वाले कम से कम दो यात्रियों को इक्ट्ठे बहिर्यात्रा करनी पड़ेगी। यह एल० टी०सी० रियायत केवल 1 अप्रैल, 1981 तथा 14 नवम्बर, 81 के बीच उपलब्ध थी, और फिलहाल इस रियायत को वापिस ले लिया गया है।

(ग) जी, हां ।

(घ) यात्री किराए तथा ईंधन-अधिभार में 30 प्रतिशत रियायत देने का उद्देश्य एल०टी० सी०. के हकदार व्यक्तियों को कम किराए पर यात्रा करने की अनुमति देना था ताकि इस प्रकार अपना किराया स्वयं देकर यात्रा करने वाले अवकाश-यात्रियों की एक नई "एयर ट्रेवल मार्किट" पैदा की जा सके। 15 नवम्बर, 1981 से इस रियायत को वापिस ले लिया गया चूंकि मध्य-नवम्बर के बाद "पीक सीजन" प्रारम्भ हो जाता है तथा योजना को चालू रखने से विदेशी पर्यटकों तथा पूरा किराया देने वाले देशी यात्रियों से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी हो जाती ।

आसनसोल स्थित जे० के० एल्यूमिनियम फैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण तथा विस्तार

2292. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल स्थित जे० के० एल्यूमिनियम फैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण करने और 1 लाख टन तक इसका विस्तार करने का कोई-प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) जे० के० ग्रुप के एल्यूमिनियम कारपोरेशन इंडस्ट्रियल अन्डरटेकिंग (ए० जे० आई० यू०) के प्रबंध का अधिग्रहण केन्द्र सरकार ने औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्यत 1978 में किया था । ए० जे० आई० यू० के प्रौद्यो-आर्थिक अध्ययन से पता चला कि उपक्रम के केवल कुछ भागों को ही आर्थिक दृष्टि से पुनः चलाया जा सकता था और उन्हें पुनः चालू कर दिया गया है । उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल में ही जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों और 1978 के मध्य से उपक्रम के प्रबंध अनुभव को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार इस समय समुचित भावी कार्रवाई के बारे में अध्ययन कर रही है ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय को बम्बई से बंगलौर स्थानांतरित किया जाना

2294. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड कार्यालय को बम्बई से बंगलौर स्थानांतरित किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है ?

(ख) कर्मचारियों के परिवारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) जी, हां ।

(ख) जब भी संबंधित शक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हो जाएंगे उन पर यथा संभव सीमा तक सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल सरकार के ओवरड्राफ्ट

2295. **श्री एम० बी० चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गए ड्राफ्ट की नवीनतम स्थिति की पुनरीक्षण करने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के महालेखाकार से वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए विशेष लेखापरीक्षा करने को कहा है,

(ग) यदि हां, तो क्या उसने केन्द्रीय सरकार को अपने सुझाव दे दिए हैं,

(घ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार के ओवर ड्राफ्टों की पुनः जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए उपचारात्मक सुझाव दिए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने एक पत्र में केन्द्रीय वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के ओवरड्राफ्टों की मात्रा के संबंध में दी गई सूचना के संबंध में आशंका व्यक्त की थी । तदनुसार, इस मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि वह पहले सूचित किए गए आंकड़ों की पुनः जाँच करे और यह देखे कि ओवरड्राफ्टों का हिसाब लगाने में कोई गलती तो नहीं रह गई है ।

(ख) उपर्युक्त अभ्यावेदन के संदर्भ में राज्य सरकार को यह बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताये गये ओवरड्राफ्टों के आंकड़ों का तब ही खण्डन किया जा सकता है जबकि राज्य सरकार के पास अपनी स्वतंत्ररूप से आंकड़े रखने की कोई व्यवस्था हो । इस संबंध में राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया कि वे महालेखाकार, पश्चिम बंगाल से राज्य सरकार के खजाना कार्यालयों की लेखा परीक्षा करने के लिए विशेष लेखापरीक्षा दल भेजने का अनुरोध कर सकता है ताकि ये पता चल सके कि प्राप्तियों और व्यय की परिविष्टियों में कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने केन्द्र को अब एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें बताया गया है कि उसके द्वारा पश्चिम बंगाल के बारे में दिए गए आंकड़े सही थे । इसमें यह भी बताया गया है कि

भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केन्द्रीय लेखा अनुभाग, जो ओवरड्राफ्टों के आंकड़ों की गणना करता है, के खातों की भी बैंक के वाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिन्हें इसमें कोई अनियमितता नहीं दिखाई दी है ।

(ङ) इस संबंध में योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से दिसम्बर के पहले सप्ताह में इस विषय पर उनके साथ विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया है ।

संघ सरकार के बजट के घाटे

2296. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1981-82 के बजट के घाटे में तीव्र वृद्धि होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह घाटा 2315 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है ;

(ग) क्या इस घाटे को सरकारी बिलों के जारी किए जाने में वृद्धि तथा नकद बकाया राशि में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है ;

(घ) बजट के घाटे में कमी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) इस संबंध में वे कहां तक सफल हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) (क) से (ङ) बजटीय घाटा राजकोष हुण्डियों के निगम में हुई निवल वृद्धि और नकद शेष में हुई घटबढ़ को दर्शाता है । 1981-82 के बजट अनुमानों में 1539 करोड़ रुपए के जिस घाटे का अनुमान लगाया गया है वह वर्ष के अन्त तक का घाटा है । इस घाटे के कोई मासिक अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं । वर्ष के दौरान विभिन्न कारणों से आय और व्यय के अनुमानों में परिवर्तन होता रहता है और इन परिवर्तनों से पड़ने वाले प्रभाव का दिन प्रतिदिन का ब्यौरा रखना सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त, सरकारी आय और व्यय की गति एक समान नहीं होती और ये हमेशा एक ही समय घटित नहीं होती । वर्ष के दौरान किसी विशेष तारीख का घाटा वर्ष के अन्त तक के सम्भावित घाटे को नहीं दर्शाता । बजट के घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का पता 1981-82 के संशोधित अनुमानों में चलेगा जो संसद के बजट अधिवेशन में प्रस्तुत किए जाएंगे ।

निर्माता-निर्यातकों को आयात की सुविधाएं दिया जाना

2297. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो सुविधाएं अब निर्यात व्यापारिक ग्रहों को दी जा रही है, वे निर्माता-निर्यातकों को भी दी जाएंगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1982-83 के लिए निर्धारित आयात नीति की यह एक प्रमुख विशेषता होगी ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित आयात सुविधा की अन्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) आयात नीति में जो सुविधाएं अब केवल निर्यात सदनों/व्यापार सदनों के लिए उपलब्ध हैं उन्हें विनिर्माता-निर्यातकों को उपलब्ध कराने के लिए इस समय कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) तथा (ग) इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि 1982-83 के लिए आयात नीति क्या होगी।

समेकित इस्पात संयंत्र में कोक कोयले की कमी

2298. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया के अन्तर्गत आने वाली सभी समेकित इस्पात संयंत्र कोक आयातित कोयले के जबरदस्त संकट का सामना कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप देशीय कोयले की खपत अधिक हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस समय इन संयंत्रों के पास आयातित कोक कोयला एक भी टन नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे इस्पात संयंत्रों में गम्भीर संकट पैदा हो जाएगा ;

(घ) इन इस्पात परियोजनाओं के लिए कोयले का आयात करने में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) कौन-कौन से देश कोयले की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) आयातित कोककर कोयले का उपयोग केवल भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखानों में ही किया जा रहा है। नवम्बर, 1981 के अन्त में भिलाई इस्पात कारखाने के पास आयातित कोककर कोयले का कोई स्टाक नहीं था जबकि राउरकेला इस्पात कारखाने के पास इसका स्टाक 2,200 टन था।

(ग) जी, नहीं। राख की कम मात्रा वाले उच्च ग्रेड की किस्म के आयातित कोयले का उपयोग मुख्य रूप से कोक ओवनों में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले की क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए देशीय कोयले के साथ मिलाने और देशीय कोककर कोयले की आपूर्ति में बृद्धि करने तथा कुछ हद तक देश में धातुकार्मिक कोयले के सीमित भंडारों के संरक्षण के लिए लिया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने वर्ष 1981-82 में 23 लाख टन कोककर कोयला आयात करने की स्वीकृति दी है जिसमें सेल ने 13 लाख टन के लिए आर्डर दिए हैं। शेष मात्रा के लिए आर्डर

देने की कार्रवाई की जा रही है। इस समय कोयले का आयात आस्ट्रेलिया और अमरीका से किया जा रहा है। खान-श्रमिकों द्वारा हड़ताल कर देने के कारण कुछ समय के लिए कनाडा की खानों से सप्लाई नहीं हुई है।

सरकारी खर्च में कमी किया जाना

2299. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों के व्यय की मदों तथा व्यय की जाँच करने तथा ऐसे व्ययों पर नियन्त्रण लगाने के लिए एक समिति नियुक्त किए जाने हेतु सरकार को सिफारिश को गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्योंकि रिजर्व बैंक ने ऋण पर रोक लगाने के लिए नियम निर्धारित किए जाने तथा घाटे में कमी करने के लिए वित्तीय व्यय पर नियन्त्रण करने के लिए अधिकारियों द्वारा विभिन्न कदम उठाए जाने के बावजूद सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण में लगातार वृद्धि होती गई अतः ऐसा करना आवश्यक समझा गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है और सरकारी खर्च में कमी करने के लिए सरकार का अन्य क्या उपाय करने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) सरकार को ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है जिसका संकेत माननीय सदस्यों ने किया है। तथापि, गैर-विकासात्मक व्यय में मितव्ययिता और किफायत करने की आवश्यकता पर सरकार का लगातार ध्यान लगा हुआ है। इस संबंध में हाल में जारी किए गए अनुदेशों का एक **विवरण** संलग्न है।

विवरण

1. प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में अगस्त, 1981 में वित्तीय सलाहकारों से अनुरोध किया गया था कि वे विदेश में प्रतिनियुक्ति के प्रस्तावों की संवीक्षा करते समय अपेक्षाकृत अधिक कड़े मानदंड अपनाएं।

2. विदेशी यात्रा पर व्यय को प्रतिबंधित करने के लिए 4, जुलाई 1981 में और अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं।

(क) विदेशों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों और की जाने वाली प्रतिनियुक्तियों के सभी प्रस्तावों की बारीकी से छानबीन की जाए और उनमें कटौती करके उन्हें न्यूनतम रखा जाए।

(ख) विदेश में यात्राओं के संबंध में प्रथम श्रेणी में हवाई यात्रा करने के लिए केवल भारत सरकार के सचिव तथा उनके समकक्ष ओहदे के अधिकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जिनमें बैंक, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थान शामिल हैं) के अनुसूची 'क' के प्रधान अधिकारी ही पात्र होंगे।

(ग) इससे पहले सरकार के सचिव ओहदे के अधिकारी जब विदेशों में यात्रा करते थे तो वे किसी होटल में सूट के हकदार होते थे। किफायत के उपाय के रूप में यह निर्णय किया गया है कि सरकार के सचिवों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जिनमें बैंक, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं) के अन्य कार्यालयों के प्रधान अधिकारियों सहित सभी अधिकारीगण, जब वे विदेश में जाएंगे तो वे केवल एक कमरे में ठहरने के हकदार होंगे।

(घ) केवल मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री ही, जब वे विदेशों में यात्रा पर जाएंगे, अपने साथ एक विशेष सहायक ले जाने के हकदार होंगे बशर्ते कि विशेष सहायक का संबंध विदेश में किए जाने वाले कारोबार से हो। ऐसे दौरों पर निजी सचिवों और अन्य वैयक्तिक कर्मचारियों को मंत्री के साथ जाने का अधिकार नहीं होगा ?

3. अन्य अनुदेशों में जिन्हें सरकार लागू कर रही है निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) **टेलीफोन** : एस०टी० डी० की सुविधा को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों तक तथा उप सचिव और उससे ऊपर के ओहदे के अधिकारियों के निवास-स्थान और दूसरों के लिए विशिष्ट मामलों में कार्यात्मक आधार पर सीमित रखा गया है।

(2) **कागज के प्रयोग में किफायत** : कागज के प्रयोग में अधिक से अधिक किफायत।

(3) **नए पदों का सृजन** : नए संगठनों के मामलों को छोड़कर, आयोजना भिन्न पक्ष में अतिरिक्त पदों के सृजन पर पूरी रोक। ऐसे प्रास्तावों को जिनमें साथ-साथ समतुल्य बचत दिखाई गई हो, अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाना होता है।

(4) **सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण** : बारी बारी से किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर एक वर्ष की अवधि के लिए रोक। विनिर्दिष्ट वर्गों के पदों को छोड़कर अन्य मामलों में इस रोक को अगले आदेश होने तक लागू रखा गया है।

(5) **हवाई यात्रा पर प्रतिबंध** : सिवाय उन मामलों के जिनमें विशिष्ट अनुमति दी गई हो, गैर-हकदार श्रेणियों के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली हवाई यात्रा पर पूरी रोक।

(6) निवास-स्थानों पर लगे टेलीफोनों के मामले में निःशुल्क कालों की संख्या प्रति तिमाही 1500 से घटाकर 1000 कर दी गई है।

(7) **पेट्रोल की खपत** : स्टाफ कारों द्वारा पैट्रोल की खपत, 1978-79 के दौरान गैर-परिचालनात्मक वाहनों के मामले में हुई खपत की मात्रा के 66.2/3 प्रतिशत और परिचालनात्मक वाहनों के मामलों में खपत के 85 प्रतिशत तक प्रतिबंधित।

मंत्रियों के मामले में, 22-5-1979 से प्रति तिमाही 900 लिटर की अधिकतम सीमा को घटाकर 750 लिटर कर दिया गया है।

(8) **यात्रा पर व्यय** : जहां अनुदान में अन्य उप-शीर्षों के अन्तर्गत बचत उपलब्ध हों वहां भी यात्रा संबंधी बजट व्यवस्था की वृद्धि पर प्रतिबध।

हीरा उद्योग के लिए अपर्याप्त वित्तीय सुविधाएं

2300. **श्री भोकूराम जैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में हीरा उद्योग और उसका निर्यात वित्तीय सुविधाएं न होने के कारण संकट में हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस उद्योग की दिक्कतों को दूर करने और इसके संवर्धन के लिए क्या विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) हीरा व्यापारी वर्ग अपनी निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक ऋण सुविधाओं के लिए जोर देता रहा है। वाणिज्य मंत्रालय समग्र संसाधन प्रतिबंधों, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की आवश्यकताओं और मौजूदा बैंकिंग मानदण्डों के अन्तर्गत यथा संभव सीमा तक हीरा उद्योग की माँगों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों से निरन्तर बातचीत कर रहा है।

निर्माण परियोजनाओं की लागत बढ़ाने के लिए एक उच्चस्तरीय दल की बगदाद यात्रा

2301. **श्री अमर राय प्रधान** :
श्री हरिनाथ मिश्र :
श्री चित्त बसु : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चस्तरीय दल ने, ईराक की सरकार के साथ, उस देश में भारतीय कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही निर्माण परियोजनाओं की लागत बढ़ाने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए बगदाद की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी नहीं। भारतीय कम्पनियों द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजना की लागत में वृद्धि के लिए उन कम्पनियों की क्षतिपूर्ति करने के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए अनन्य रूप से कोई उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि-मण्डल ईराक नहीं गया है। तथापि, पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल अक्तूबर में भारत-ईराक संयुक्त आयोग के 7 वें अधिवेशन में भाग लेने बगदाद गया। आयोग की बैठक के दौरान ईराकी प्राधिकारियों के साथ इस विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया ईराकी पक्ष ने सुझाव दिया कि दावे सम्बन्धित संगठनों के यहां फाइल किए जायें। ईराकी पक्ष ने वचन दिया कि इस विषय पर विचार किया जाएगा और निविदाओं की सामान्य शर्तों और भारतीय फर्मों के अनुरोध के अनुसरण के इस क्षेत्र में जारी की जाने वाली हिदायतों के अनुसार हल निकालने के लिए सक्षम संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। पहले भारत सरकार के निर्माण तथा आवास मंत्री ने बगदाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने के लिए 30 सितम्बर से 4 अक्तूबर, 1981 तक ईराक का दौरा किया। ईराकी आवास तथा पुनर्निर्माण मंत्री तथा अन्य उच्चाधिकारियों के साथ, अपनी बैठकों के दौरान उन्होंने भी लागत

तथा साथ ही समय वृद्धि दोनों के भारत-ईराक में निर्माण संविदाओं में अन्तर्ग्रस्त भारतीय कम्पनियों की क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न उठाया ।

धातु और खनिजों के विदेश व्यापार में घाटा

2302. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत धातु और खनिजों के विदेश व्यापार में, जो गत दशाब्दी के दौरान तेजी से बढ़ा था, की भारी कमी हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक ओर तो भारत को अत्यावश्यक धातुओं और खनिजों का आयात करने के लिए उत्तरोत्तर ऊंची दरों का भुगतान करना पड़ा तथा दूसरी ओर भारत को निर्यात की मदों से तदनुरूप मूल्य नहीं मिल पाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश के निर्यात और आयात व्यापार के कुल मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) खनिज तथा धातु के क्षेत्र में भारत के निर्यात मुख्य रूप से अयस्क, खनिज तथा स्क्रैप तथा कुछ मात्रा में लोहे तथा इस्पात के होते हैं जब कि आयात अधिकतर लोहे तथा इस्पात तथा अलौह धातुओं के होते हैं। 1970-71 तथा 1979-80 दशक के दौरान अयस्क खनिज तथा स्क्रैप और लोहे तथा इस्पात के भारत के निर्यातों का मूल्य लगभग 231 करोड़ रुपये से बढ़कर 426 करोड़ तक हो गया । इसकी तुलना में लोहे तथा इस्पात और अलौह धातुओं के आयातों का मूल्य जो 1971 में 266 करोड़ रुपये थी। 1979-80 में बढ़कर 1171 करोड़ रुपये हो गया । इस्पात तथा अलौह धातुओं के आयातों के मूल्य में तुलनात्मक अधिक वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा इन उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होने के कारण हुई ।

(ख) हालांकि भारतीय अयस्कों तथा खनिजों की कीमतों में वृद्धि हुई है किन्तु आयातित इस्पात तथा अलौह धातुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में यह वृद्धि अधिक हुई है ।

(ग) खनिज तथा धातु क्षेत्र के निर्यातों तथा आयातों के 3 वर्षों के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपये)

भारत से निर्यात	1977-78	1978-79	1979-80
अयस्क खनिज तथा स्क्रैप	315	329	393
लोहा तथा इस्पात (प्राइम)	185	118	33
भारत में आयात			
अलौह धातुओं तथा लोहा तथा	192	245	336
इस्पात	260	462	834

पटना के नजदीक गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए धन का आबंटन

2303. **श्री बागुन सुन्दरूई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार छठी योजना के दौरान पटना के नजदीक गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए बिहार को 18 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) भारत सरकार की छठी योजना अवधि के दौरान बिहार सरकार को विशेष सहायता प्रदान करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 18 करोड़ रुपये होगी और उसमें से पथ-कर से होने वाली आय, जो कम से कम 3 करोड़ रुपये होनी चाहिए, कम कर दी जाएगी । तथापि, यह सहायता केवल तभी उपलब्ध होगी जब राज्य सरकार की छठी योजना का कुल व्यय 3225 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से अधिक होगा और यह अतिरिक्त व्यय परियोजना पर किया जाएगा । यदि कुल व्यय 3225 करोड़ रुपये या उससे कम होता है तो बिहार सरकार को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इस राशि तक की योजना परिव्यय के लिए वित्त पोषण स्कीम की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है । चूंकि छठी योजना की अवधि के दौरान सम्भावित व्यय 15 करोड़ रुपये से अधिक होने की सम्भावना नहीं है, इसलिए उपर्युक्त शर्तों के अधीन बिहार सरकार को छठी योजना अवधि के दौरान लगभग 12 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं । 1984-85 के बाद किसी भी अन्तरित व्यय के लिए केन्द्र से कोई सहायता नहीं दी जाएगी और उसकी पूरी व्यवस्था राज्य की अपनी योजना में से ही की जानी होगी ।

केन्द्रीय लेखों का विभागीकरण

2304. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग केन्द्रीय लेखे का विभागीकरण करने के विरुद्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों की उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) हालांकि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सामान्य नीति के रूप में लेखा परीक्षा से लेखाओं को अलग करने के सम्बन्ध में कोई अविलम्बनीय अथवा बाध्य आवश्यकता को महसूस नहीं किया, लेकिन उन्होने इस बात को स्वीकार किया कि जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना न्यायसंगत हो, वहां सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय को लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व अन्तरित करने के प्रश्न पर गुणावगुणों के आधार पर जांच की जा सकती है ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए अपेक्षित परिवर्तन सुझाने के लिए सरकार द्वारा जनवरी, 1973 में

मंत्रियों के एक ग्रुप की स्थापना की गई थी। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में सहायता और परामर्श देने के लिए ग्रुप ने फरवरी, 1973 में एक उप-ग्रुप स्थापित किया। संसदीय अनुदानों और विनियोगों के सम्बन्ध में व्यय पर उचित नियन्त्रण में सुधार लाने की दृष्टि से सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और अधीनस्थ संगठनों में आरम्भिक लेखों और सम्बन्धित रिपोर्टों के अनुरक्षण की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए लेखा और लेखा परीक्षा विषयक प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की सिफारिशों पर विचार करते हुए प्रबन्ध में लेखाकरण प्रणाली के बाह्यपन को समाप्त करने के लिए, उपग्रुप ने 1973 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में लेखा-परीक्षा से लेखाओं को अलग करने का सुझाव दिया था। उप-ग्रुप के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और सरकार ने 1-4-76 से चरणों में संघीय मंत्रालयों/विभागों के लेखाओं को विभागीयकृत करने का निर्णय किया।

स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुस्तकों पर स्वामिस्व आय

2305. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आयकर निर्धारण वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के लिये स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुस्तकों पर स्वामिस्व आय को सम्पदा शुल्क और चालू धन प्रयोजन हेतु पैतृक आय के आंकलन के लिये लेखों में लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका आंकलन करते समय पैतृक आय में सम्पदा कर आय कर कटने से पूर्व काटा जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) तथा (ख) प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा आयकर निर्धारण वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के लिये दर्शायी गयी स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू की पुस्तकों पर रायलटी से प्राप्त हुई आय, उनके धन कर के प्रयोजनार्थ मूल्यांकन के निमित्त हिसाब में ली गई है। किसी कर-निर्धारिती के जीवन-काल के दौरान सम्पदा-शुल्क का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर पूर्व राज्यों में टसर सिल्क धागे की घबराहटपूर्ण बिक्री

2306. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में टसर सिल्क धागे की घबराहट पूर्ण बिक्री हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(ग) उनके मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी राज्यों के टसर उत्पादकों को समर्थन मूल्य दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) टसर रेशम यार्न की आयात बिक्री की सरकार को अभी तक कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड उत्तर-पूर्व राज्यों में भी ओक टसर कोयों को शामिल करने के लिए टसर कच्चा माल बैंक, चाइबासा (बिहार) के कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की संभाव्यता पर विचार कर रहा है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आरक्षित विद्युत संयंत्र लगाना

2307. **श्री अनादिचरण दास** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र राउरकेला में एक और आरक्षित विद्युत संयंत्र लगाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आरक्षित विद्युत संयंत्र की अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(ग) यह कब तक कार्यान्वित होगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां, ।

(ख) 60-60 मेगावाट के दो रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्वीकृत अनुमानित लागत 79.92 करोड़ रुपये है ।

(ग) आशा है कि 60 मेगावाट की पहली इकाई स्वीकृत दिए जाने की तारीख से 48 महीनों में और दूसरी इकाई उसके छः महीने बाद चालू हो जाएगी ।

भारत चीन व्यापार

2308. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन भारत से व्यापार के लिए उत्सुक है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चीन से व्यापार के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ;

(घ) क्या चीन ने किसी क्षेत्र में सहयोग करने के लिए पहल की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) चीन के साथ व्यापार 1977 में पुनः आरम्भ किया गया । तब से दोनों पक्षों के बीच कई प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान हुआ है । भारत तथा चीन व्यापार सहित बहुत से क्षेत्रों में सहयोग तथा विनिमय पर बात-चीत कर रहे हैं । जून 1981 में चीन के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान विचार-विमर्श है द्विपक्षीय व्यापार को शामिल किया गया था ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोयले की आवश्यकता से अधिक मांग

2309. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कोल इण्डिया लिमिटेड के मार्किट अनुसंधान विभाग द्वारा किये गये गहन अध्ययन के अनुसार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) अपनी वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक कोयले की मांग करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कोल इन्डिया लिमिटेड ने सरकार को इस प्रकार के किसी निष्कर्ष के बारे में सूचित नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, देवली के हरिजनों की कोई रिलीफ···

अध्यक्ष महोदय : मैंने करवा तो दिया ।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : वहां के हरिजन धर्म परिवर्तन···

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि आप दोनों एक साथ बोलते हैं, दूसरे यह कि बिला वजह बोलते हैं और तीसरे यह कि बिना रूल्स के बोलते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, आप इसके लिये कुछ तो बता दो ?

अध्यक्ष महोदय : करवा तो दिया और क्या चाहिये । पहले काल अटेंशन करवा दिया, होम मिनिस्टर भी वहां हो आये । और क्या चाहिये ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप तरीके के मुताविक कुछ करवा दीजिये ।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस हाउस में अगर आप चिल्लायेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।

(तत्पश्चात् सर्वश्री मनीराम बागड़ी, श्री राजनाथ सोनकर, आर० एन० राकेश सदन का त्याग कर चले गये।)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, आज के सामार पत्र···

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस मिल गया है।···

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे बताने दीजिए। यह खनन क्षेत्र में सुरक्षा की व्यवस्था न होने के संबंध में है; एक खनन इंजीनियर और एक ठेकेदार···

अध्यक्ष महोदय : मैं भी तो यही कह रहा हूं। आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैंने इसे पढ़ा है। मुझे पता है कि यह बहुत गम्भीर मामला है परन्तु राज्य का विषय होने के नाते मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। परन्तु मैं इसी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दूंगा, हालांकि यह केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं है···

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मेरा तर्क सुनिए। यदि आप कहते हैं कि धनबाद खनन क्षेत्र में सुरक्षा की व्यवस्था न होने के कारण यह, एक खनन इंजीनियर की मृत्यु तथा उसकी पत्नी पर आक्रमण का यह विषय राज्य के विचाराधीन होने के कारण, राज्य का विषय है तो ऐसी स्थिति में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। परन्तु चूंकि खनन केन्द्रीय विषय है···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। फिर भी आप मुझे रोकना चाहते हैं?

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको इसकी जटिलता बताऊंगा। सर्वप्रथम, आप यह विनिर्णय मत दीजिए कि यह राज्य का विषय है। यह कोयला क्षेत्रों में प्रबन्ध के विषय में है जो केन्द्रीय विषय है। केन्द्र उचित व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। वे सहायता ले सकते हैं। जहां तक खनन के विभिन्न पहलुओं का संबंध है, केन्द्र इनके लिए उत्तरदायी है। उदाहरणार्थ, ठेकेदार। महोदय, यह मात्र कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी गम्भीरता को समझ गया। क्योंकि यह बहुत गम्भीर बात है, क्योंकि एक अधिकारी को मारा गया है अतः मैं तथ्य प्राप्त करने के बाद इसे अनुमति दूंगा। मैंने तथ्य मंगाए हैं। ये तथ्य मुझे सोमवार की सुबह मिल जाएंगे।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु अपना यह विनिर्णय मत दीजिए कि यह राज्य का विषय है क्योंकि यह मामला ठेकेदारों के दुर्व्यवहार का मामला है जो उन इंजीनियरों पर हमला कर रहे हैं जिन्होंने उनके बढ़ा-चढ़ा कर बनाये गये बिलों को स्वीकार नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। आप मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसके अन्य पहलू भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने विचार बता दिए हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने तथ्य मंगाए हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आप इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि तथ्यों में इसके लिये उचित कारण दिखाई देंगे, तो मैं अनुमति दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैंने तारापुर के मामले पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तारापुर को विदेश नीति से कुछ लेना-देना नहीं है। यह परमाणु ऊर्जा के अन्तर्गत आता है।

अमरीकी अधिकारियों ने, जो 'नहीं, नहीं' कहते हैं। प्रधान मंत्री का विरोध किया था हम उन्हें फिर से विचार नहीं करने देंगे।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): महोदय, यह क्या है ? कल आप कहेंगे कि एक क्लर्क ने वित्त मंत्री की बात का खण्डन किया है, और आप इसी तरह कहते रहेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न यह है : मैं तथ्य जानना चाहता हूं। हमें पिछले महीने आश्वासन दिया गया था कि इस पर अन्तिम निर्णय किया जाएगा। यह कब होगा ? यदि अन्तिम निर्णय शीघ्र नहीं किया जाएगा तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैंने समाचार-पत्र उद्योग में पैदा हो रही गम्भीर स्थिति के विषय में एक नोटिस दिया था—जहां पर कर्मचारियों में यह चिन्ता व्याप्त है कि वहां पर कम्प्यूटर लगाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई नोटिस दिया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कालिंग अटैंशन नोटिस दिया है। बड़े-बड़े न्यूजपेपर में हैकि कम्प्यूटर लगाए जाएंगे, लोग रिट्रैन्च होंगे, इसके बारे में कुछ करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : हम चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है। वे सरकार की अनुमति के

बिना आयातित कम्प्यूटर नहीं लगा सकते हैं। सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए कि उसकी नीति क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकृत नहीं किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु आप किसी भी बात को अनुमति नहीं देते हैं। गोआ के मामले में क्या हुआ ? आपने उसे अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन में एक ही आता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके चैम्बर में अगर मैं रोज आऊं तो एक न एक रोज आप एलाऊ करेंगे। यदि आप चाहें तो मैं ऐसा कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा चैम्बर कहां है ? वह आपका चैम्बर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपके चैम्बर में आता नहीं, हूं, मैं रोज आकर तंग करूं तो एक न एक रोज आप एलाऊ करेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने नियम 222 के अन्तर्गत श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध एक नोटिस दिया है जिन्होंने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को सी० आई० ए० का एजेंट कहा है। उन्होंने अपने विदेश मंत्री होने के नाते प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसा कहा था। 'प्रोब' में श्री वाजपेयी की एक भेंटवार्ता प्रकाशित हुई है जिसमें श्री वाजपेयी ने डा०सुब्रह्मण्यम् स्वामी को सी० आई० ए० का एक एजेंट बताया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। यह मेरे विचाराधीन है।

प्रो० के० के० तिवारी : वह कहते हैं कि उन्हें यह जानकारी···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मैं इसे देखूंगा। (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको तथ्य प्राप्त करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं दखूंगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा): महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है। ग्वालियर में 11 आदमी मर गए।

अध्यक्ष महोदय : यह तो हो गई है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : हमने भी एडजार्नमेंट मोशन दिया है, अभी कहां हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था की एक समस्या है। मैं कैसे इसकी अनुमति दे सकता हूं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : ग्यारह आदमी उसमें मरे हैं, ग्वालियर में ब्लास्ट हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

डा० वसन्तकुमार पंडित (राजगढ़): मैंने स्थगन प्रस्ताव का एक प्रस्ताव दिया है। मैं सभा के ध्यान में एक महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूं कि हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पर विमान पट्टी पर रोशनी का प्रबन्ध नहीं है जिससे यात्रियों का जीवन खतरे में रहता है। उड़ान कमांडरों ने शिकायत की है···

अध्यक्ष महोदय : इस बात को उठाने का यह कोई तरीका नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने आपको पाकिस्तान द्वारा भारतीयों के निष्कासन के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण तथा एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां उस पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप इस पर वाद-विवाद नहीं चाहते ?

अध्यक्ष महोदय : यहां पर इस बात पर वाद-विवाद नहीं किया जाना है कि इसेअनुमति दी जाये या नहीं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपने इसकी अनुमति नहीं दी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पर चर्चा कैसे की जा सकती है ? मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। यह भारतीयों के निष्कासन के बारे में एक समाचार है। इस मामले पर चर्चा कैसे की जा सकती है ? क्या आप इसको महत्वपूर्ण समझते हैं। यदि आप 'हां' कहते हैं, तो इसको कैसे उठाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रोफेसर हैं। मैं आपको कुछ बातें मानने के लिए कैसे समझा सकता हूं ? हम विदेश संबंधी मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं, तब आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : विदेश सम्बन्धी मामलों में बहुत सी बातें आ जाती हैं। यह हमारी सुरक्षा से सम्बन्धित एक विशेष मामला है भारत सरकार कहती है कि यह एक तोड़-फोड़ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह इस पर वाद-विवाद नहीं करूंगा। इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं नहीं समझता कि इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसका कोई कारण नहीं बताने जा रहा हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आप इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं आपके विनिर्णय का पालन करूंगा। आप केवल मेरे निवेदन पर विचार कीजिए।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्रों के लिए यह जिन्दगी और मौत का प्रश्न है। मैंने इस पर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : आपने कहा था कि आप इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु इसमें समय लगेगा। मेरे पास बहुत से विषय हैं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैंने हरिजनों के कनवर्शन्ज के मामले पर एक एजर्नमेंट मोशन दिया है। लास्ट सेशन में भी मैंने इस विषय पर डिसकशन के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय : आप बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के अपने मेम्बर से पूछिए। आप उनसे राब्ता कायम नहीं रखते।

श्री जगपाल सिंह : केवल कनवर्शन्ज का ही प्रश्न नहीं है। जो उनका दमन और कत्ल हो रहा है, जिसके रिवेंज में उनका कनवर्शन हो रहा है। आपने वादा किया था कि इस बारे में डिसकशन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : जिस मेम्बर को आप बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में भेजते हैं, उससे पूछिए। फिर मुझसे बात कीजिए।

श्री जगपाल सिंह : अगर वह कुछ नहीं करते हैं, अगर कमेटी में सब एन्टी-हरिजन हैं, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर डिसकशन न किया जाए। आपने इस बारे में वादा किया था।

अध्यक्ष महोदय : यदि कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा मेरा पथ-प्रदर्शन किया जाता है, फिर भी मुझे ही दोष दिया जाना है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हमने एक एजर्नमेंट मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति नहीं दी।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आपके लिए, मेरे लिए और सारे हिन्दुस्तान के लिए यह बहुत शर्म की बात है कि देवली में जो हरिजन मारे गए हैं, उनके आश्रितों को पांच-पांच हजार रुपये दिए गए हैं। इसके मुकाबले में बेहमई में जो सवर्ण मारे गए थे, उनके परिवारों को पचास-पचास हजार रुपये दिए गए थे। सरकार द्वारा जाति के आधार पर भेद-भाव किया जा रहा है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आपने सबको सुना है। मेरा क्या कुसूर है?

अध्यक्ष महोदय : आप फरमाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय धर्म परिवर्तन के विषय में बतायी गयी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के समय से ही मैंने 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ तथ्य मंगाये हैं । यह अभी भी विचाराधीन है । यह मेरे पास है । मैंने मंत्रालय से कुछ तथ्य माँगे हैं और उसके पश्चात् मैं आपसे बात करूंगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र । श्री० ए० पी० शर्मा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2999/81]

निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 26 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2496 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद, पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि नियम, 1981 जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2922 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 3000/81]

सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 कम्पनी (लाभ) अतिकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 आयकर (नौवां संशोधन) नियम 1981 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिक्का निर्माण ("विश्व खाद्य दिवस" के लिए बनाये गए 100 रुपये और 10 रुपये तथा 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का वजन तथा वजन में स्वीकार्य अन्तर) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 742 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3001/81]

(2) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (लाभ) अतिकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 823 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3002/81]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तगंत आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 नवम्बर 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 824 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3003/81]

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-प्रक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 521 (ङ) जो दिनांक 22 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 182-सीमाशुल्क का अधिलंघन किया गया है तथा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट जीवनदायी औषध तथा उपस्करों को मूल तथा अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट दी गई है।

(दो) सा० सां० नि० 522 (ङ) जो दिनांक 22 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो दिनांक 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचन संख्या सा० सां० नि० 521 (ङ) में उल्लिखित माल को उपसंगी सीमा शुल्क के छूट देने क बारे में है।

(तीन) सा० सां० नि० 523 (ङ) जो दिनांक 22 सितम्बर 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 45-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) सा० सां० नि० 592 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो पोलिविनाइल क्लोराइड पर अब तक लागू मूल्यानुसार 40 प्रतिशत की शुल्क दर (मूल) को वापस लेने के बारे में है।

(पांच) सा० सां० नि० 593 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो पोलीविनाइल क्लोराइड पर अब तक लागू उपसंगी शुल्क का 5 प्रतिशत की दर को वापस लेने के बारे में है।

(छः) सा० सां० नि० 594 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो पोलिप्रोपिलीन पर अब तक लागू उपसंगी सीमाशुल्क की 15 प्रतिशत की दर को वापस लेने के बारे में है।

(सात) सा० सां० नि० 595 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो पोलिप्रोपिलीन पर मूल सीमा-शुल्क की मूल्यानुसार 90 प्रतिशत की दर को घटा कर 65 प्रतिशत करने के बारे में है।

(आठ) सा० सां० नि० 596 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो पोलिविनाइल क्लोराइड को उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है।

(नौ) सा० सां० नि० 615 (ङ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो निर्यात वाले उत्पादन के लिए अग्रिम लाइसेंसों पर मुफ्त आयात के लिए अनुमत्य सामान की सूची का विस्तार करने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3004/81]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधि-सूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) सा० सां० नि० 575 (ङ) जो दिनां 4 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जिसके द्वारा ताम्बे के पाइपों और ट्यूबों और शैलों और ब्लेंकों पर उतने उत्पादन शुल्क में कमी करने की व्यवस्था की गई है जो रद्दी और अपशिष्ट पर देय शुल्क के बराबर हो और जिसका निर्माण 1-3-81 को अथवा उसके बाद बाजार से खरीदी गई ताम्बे की रद्दी और अपशिष्ट से किया गया हो।

(दो) सा० सां० नि० 576 (ङ) जो दिनांक 4 नबम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जिसके द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि दिनांक 1 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 33-81 के० उ० शु० में उल्लिखित अलौह धातुओं की रद्दी और अपशिष्ट पर उत्पाद शुल्क की वसूली से छूट आयातित रद्दी और अपशिष्ट पर प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगी।

(तीन) सा० सां० नि० 589 (ङ) जो दिनांक 13 नबम्वर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो नेफ्था पर आधारित कतिपय प्लास्टिक के सामान के लिए निर्धारित उत्पाद शुल्क की रियायत दर को वापस लेने के बारे में है।

(चार) सा० सां० नि० 590 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्वर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जिसके द्वारा मूल उत्पाद शुल्क की दर पोलिविनाइल क्लोराइड के लिए मूल्यानुसार 35 प्रतिशत और पोलिप्रोपिलीन के लिए मूल्यानुसार 27 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

(पांच) सा० सां० नि० 591 (ङ) जो दिनांक 13 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जिसके द्वारा अल्पघनत्व वाली पोलिथिलीन के लिए शुल्क दर नियत की गई है।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3005/81)

विधेयक पर अनुमति

सचिव : महोदय, 24 नवम्बर, 1981 को सभा को सूचित करने के बाद, चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1981 को मैं सभा पटल पर रखता हूं।

सदस्य की गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे आज जिला मजिस्ट्रेट, इन्दौर (मध्य प्रदेश) का दिनांक 2 दिसम्बर, 1931 का निम्नलिखित बेतार संदेश प्राप्त हुआ है :

"श्री फूलचन्द वर्मा, लोक सभा सदस्य ने गिरफ्तारी दी और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 (3) के अन्तर्गत इन्दौर जिला (मध्य प्रदेश) में मालवा सहकारी शक्कर कारखाना, बारलाई में गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए आन्दोलन करने पर गिरफ्तार किया गया। श्री वर्मा को 2-12-81 को मध्याह्न पश्चात 5 बजे गिरफ्तार किया गया तथा शान्ति बनाये रखने के लिए जमानत न देने पर उन्हें जिला जेल, इन्दौर में रखा गया है। उनके मामले की सुनवाई इन्दौर (मध्य प्रदेश) में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सावेर के समक्ष 5-12-1981 के लिए निश्चित की गई है।"

विधि आयोग के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : अध्यक्ष महोदय, विधि आयोग के कार्यकलापों और उसके पुनर्गठन के बारे में माननीय सदस्य समय-समय पर पूछ-ताछ करते रहे हैं। सरकार उनकी इस उत्सुकता से सहमत है कि विधि आयोग विधि में सुधार का और न्यायिक प्रशासन में उन्नति का प्रभावशाली माध्यम होना चाहिए।

2. इस उद्देश्य से सरकार ने विधि आयोग का पुनर्गठन किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

2.1 श्री के० के० मेथ्यू, उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश ने आयोग का अध्यक्ष होने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

2.2 निम्नलिखित व्यक्ति सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए सहमत हो गए हैं ?

(1) श्री नसीरुल्लाह बेग, सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ; और

(2) श्री जे० पी० चतुर्वेदी, सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ;

2.3 श्री वी० वी० बजे को विधि आयोग के सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

3. आयोग को विशिष्ट समस्याओं के बारे में, जब आवश्यक हो, प्रभावशाली कार्यवाही करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से आयोग में, उन विषयों की प्रकृति के आधार पर जो आयोग

ने अपने विचार के लिए लिया हो, एक या अधिक अंशकालिक सदस्य भी नियुक्त किए जा सकेंगे।

4. आयोग 14 दिसम्बर, 1981 से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

5. आयोग को सौंपे गए कृत्यों का भी विस्तार किया गया है जिसमें अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों या उनके भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है, निरसित करके कानून को अद्यतन बनाने का उपाय करने के लिए सरकार को सिफारिश करना आयोग का एक कृत्य बना दिया गया है।

6. मैं पुनर्गठित विधि आयोग को सौंपे गए कृत्यों की एक प्रति सदन के समक्ष पृथक से रख रहा हूं।

विधि आयोग के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

14-12-1981 से 13-12-1984 तक के लिए पुनर्गठित विधि आयोग के विचारार्थ विषय

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(क) इस आधार भूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए,

(ख) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिसके कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे,

(ग) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए, न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

2. राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विधियों की जांच करना तथा उनमें सुधार के उपायों के सुझाव देना और ऐसे विधानों का भी सुझाव देना जो निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों तथा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करना।

3. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

4. अप्रचलित विधियों और अधिनियमों या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून-पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

5. विधि और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी अन्य विषय पर जो उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और उस पर अपने विचार सरकार को बताना ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, बिजली की कमी

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित महत्व के विषण की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस पर एक
"देश के विभिन्न भागों में विशेषकर महाराष्ट्र में, बिजली की व

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ऊर्जा संत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : महोदय, देश की ३ के लिए विद्युत एक ऐसा महत्वपूर्ण निवेश है और देश के कुछ भागों में चल रहं के बारे में माननीय सदस्यों की उद्विग्नता को मैं भली-भाँति समझता हूं । जैस कई बार आश्वासन दे चुका हूं, मेरा मंत्रालय बिजली की स्थिति के बारे में पू और विद्युत सेक्टर के कार्य-निष्पादन में निरन्तर सुधार लाने की दिशा में ह रहा है ।

2. प्रारंभ में, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि अर्थ-व क्षेत्रों की बढ़ती हुई विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा वृद्धि बनाए रखने के लिए, छठी योजना अवधि के दौरान 20,000 मेगवाट की नई अविवृद्धि करने का एक व्यापक कार्यक्रम हमने बनाया है । देश में प्रतिष्ठापित क्ष करने के अनुसार ही हमारी आशाएं यह थीं कि पश्चिमी, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्व विद्युत की कोई कमी नहीं रहेगी जबकि दक्षिणी क्षेत्र में ऊर्जा की सीमान्त व उत्तरी क्षेत्र में ही ऐसा है कि यहां क्षमता में कमी कुछ समय और चलती रहेगी ३ के मध्य तक यह कमी समाप्त हो जाएगी । मैं यह स्वीकार करता हूं कि वर्ष 19 नई क्षमता की अभिवृद्धि सम्बन्धी वास्तविक कार्य-निष्पादन समुचित नहीं रहा है । 2687 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में, पिछले वर्ष 1643 मेगावाट नई क्षमता चालू की गई और 180 मेगावाट क्षमता रोल की गई । यह कमी लगभग 32% थी । चालू वर्ष के दौरान, 3212 मेगावाट के लक्ष्य

की तुलान में संभवतः 2300 मेगावाट क्षमता चालू हो जाने से स्थिति में कुछ सुधार होगा। यह स्पष्ट है कि योजना अवधि के बाकी तीन वर्षों के दौरान बहुत बड़ा कार्य करना बाकी रहेगा। इसमें संदेह, नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में विद्युत की कमी परियोजनाओं को चालू करने के कार्यक्रम में पिछड़ जाने से हुई है।

3. कुछ क्षेत्रों में विद्युत की कमी क्यों बनी हुई है इसका दूसरा मुख्य कारण ताप-विद्युत संयंत्रों का क्षमता का कम समुपयोजन होना है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, वर्ष 1976-77 में संयंत्र भार अनुपात लगभग 56% हो गया था। इसके पश्चात् पिछले तीन वर्षों में इसमें धीरे-धीरे कमी हुई और यह 44-45% रह गया। चूंकि समग्र विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप-विद्युत उत्पादन क्षमता का अनुपात बढ़ रहा है, अतः विद्युत सप्लाई का उपयुक्त स्तर बनाए रखने में ताप विद्युत उत्पादन संयंत्रों की कार्य-निष्पादन की भूमिका इसमें निर्णायक हो जाती है।

4. यह पूछना न्यायसंगत होगा कि नई क्षमता को चालू करने में इतना भारी विलम्ब क्यों हो रहा है और ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन इतना असंतोषप्रद क्यों है और इन कमियों पर काबू पाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जहां तक विद्युत परियोजनाओं का संबंध है मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इनकी गहनता से मानीटरिंग की जा रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग, के कार्यकारी दल द्वारा वार्षिक योजना संबंधी विचार-विमर्शों के दौरान प्रत्येक परियोजना की समीक्षा की जाती है। इसके बाद; फरवरी-मार्च में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मुख्य उपस्कर के निर्माताओं और परियोजना प्राधिकारियों के साथ कई बार विचार-विमर्श करता है ताकि आगामी वर्ष में परियोजनाओं को चालू करने की सुनिश्चित समय-सूची बनाई जा सके। मैंने, समय-समय पर, विद्युत मन्त्रियों के क्षेत्रीय और अखिल भारतीय सम्मेलन किए हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के स्तर पर मेरा मंत्रालय प्रत्येक राज्य के साथ विस्तृत समीक्षा करता है ताकि वर्ष के मध्य तक हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। योजना आयोग में भी तिमाही समीक्षा बैठकें हुई हैं। इस प्रकार विद्युत परियोजनाओं की मानीटरिंग करने में किसी प्रकार की कमी नहीं है। किन्तु इस पर भी नए विद्युत संयंत्रों के चालू करने में होने वाले विलम्ब को रोक सकना संभव नहीं हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मैंने अन्य अवसरों पर भी बताया है, निर्माताओं द्वारा संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब होने, परियोजना प्रबंध सम्बन्धी कमजोरियां और इसके फलस्वरूप विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों में जो तालमेल और क्रम-व्यवस्था आवश्यक है उसका अभाव होना तथा कुछ राज्यों में राज्य बिजली बोर्डों और परियोजना की आवश्यकताओं के लिए निधियों का प्रवाह बेमेल होना ही कार्यक्रम का पालन न होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण है। इन समस्याओं का काफी समय पहले पता लगा लिया गया था और स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से मेरे मंत्रालय ने मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जिसमें यह बताया गया है कि समुचित प्रबन्ध सूचना प्रणाली, ठेके की आयोजना आदि के साथ-साथ परियोजना का प्रबन्ध किस प्रकार सुदृढ़ और व्यवस्थित किया जा सकता है। हाल ही के कुछ महीने में कुछ सुधार दिखाई दिया है परन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना है।

5. इससे पहले मुझे यह अवसर भी मिला था कि माननीय सदस्यों को यह बताऊं कि ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए हमने क्या-क्या उपाय किए हैं। कोयले की कमी से विद्युत के उत्पादन में बाधा होती है और इस स्थिति से बचने के लिए हम बिजली घरों को कोयले की सप्लाई की मात्रा में काफी सुधार ला सके हैं। पिछले अप्रैल और अक्तूबर, 1981 के बीच ताप विद्युत केन्द्रों को 25 मिलियन टन कोयला सप्लाई किया गया। इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान केवल 20 मिलियन टन कोयला सप्लाई किया गया था। संयुक्त सैम्पल व्यवस्था शुरू करके और कोयला क्रशर प्रतिष्ठापित करके कोयले की गुणवत्ता की ओर भी ध्यान दिया गया है। हमने विशिष्ट रूप से 200 मेगावाट के यूनिटों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। 100-120 मेगावाट के यूनिटों के लिए भी इसी प्रकार की टास्क फोर्स बनाई जा रही है। हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप फुटकर पुर्जों की उपलब्धता में कुछ सुधार हुआ है। इन उपायों के परिणामस्वरूप ताप विद्युत उत्पादन में सुधार दृष्टिगोचर हुआ है अप्रैल और नवम्बर, 1981 के बीच हमारे ताप विद्युत संयंत्रों ने 45.17 बिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 38.24 बिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ था। यह 18.1 प्रतिशत की वृद्धि है। संयंत्र भार अनुपात के रूप में यह वृद्धि 3.4 प्रतिशत है। ताप विद्युत संयंत्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार होने के परिणामस्वरूप और, उत्तर-प्रदेश में रिहन्द और उड़ीसा में बलिमेला जलाशयों को छोड़कर, देश के जल विद्युत जलाशयों में जल संचय की स्थिति अच्छी होने के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में विद्युत की समग्र स्थिति वर्ष 1980-81 के पहले छः महीनों की स्थिति की अपेक्षा निश्चित रूप से उत्तम रही है। यह इस तथ्य से स्पष्टतः देखा जा सकता है कि अप्रैल और नवम्बर, 1981 के बीच देश में 80.99 बिलियन यूनिट का कुल उत्पादन हुआ है जो कि वास्तव में हमारे लक्ष्य से थोड़ा अधिक ही है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में यह उत्पादन 11.8 प्रतिशत अधिक है। समूचे वर्ष के लिए युटिलिटीज से 122 बिलियन यूनिट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हैं।

6. चारों दक्षिणी राज्यों में इस समय किसी भी प्रकार के विद्युत प्रतिबंध नहीं हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन में 29.1% की अभिवृद्धि होने के परिणामस्वरूप केवल कुछ व्यस्त-तमकालीन प्रतिबंध होने के अतिरिक्त स्थिति संतोषजनक है। एक अन्य क्षेत्र, जिसने इस वर्ष विद्युत उत्पादन में काफी वृद्धि की है, पूर्वी क्षेत्र है। 1981 के बीच इस क्षेत्र में, पिछले वर्ष की अप्रैल से अक्तूबर की अवधि में हुए उत्पादन की तुलना में अप्रैल से अक्तूबर, 1981 के दौरान उत्पादन में 21.4% की वृद्धि हुई है। इस उत्साहपूर्वक कार्य-निष्पादन का मुख्य श्रेय दामोदर घाटी निगम को दिया जाना चाहिए। अप्रैल से अक्तूबर, 1981 के बीच दामोदर घाटी निगम ने 3522 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन से 45.4% अधिक था। इस बेहतर कार्य निष्पादन का सीधा प्रभाव स्टील तथा कोयला क्षेत्रों के बेहतर उत्पादन कार्य-निष्पादन में स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को अधिकांशतः पूर्णतः पूरा किया गया है।

मुझे भय है कि पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में विद्युत की स्थिति सुखद नहीं है। उत्तरी क्षेत्र में उत्तरप्रदेश में विद्युत की बहुत अधिक कमी है,पंजाब और हरियाणा में यद्यपि इस समय स्थिति अच्छी है तथापि कृषि संबंधी व्यस्ततम माँग की अवधि के दौरान वे कुछ कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों में केवल उद्योगों पर कुछ प्रतिबंध हैं। राजस्थान में विद्युत सप्लाई की स्थिति अधिकतर परमाणु विद्युत केन्द्र के कार्यकरण से प्रभावित होती रहती है। कभी-कभी जब एक या दोनों यूनिटें बन्द हो जाती हैं तो इस राज्य को भी विद्युत की बहुत अधिक कमी का सामना करना पड़ता है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि दिल्ली में विद्युत उपलब्धता में निरन्तर सुधार हुआ है। बदरपुर तथा इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र उत्पादन का एक ऊंचा स्तर रखने में सफल हुए हैं और जब कभी संभव हुआ हमने उत्तरी क्षेत्र की पड़ोसी प्रणालियों को 200 मेगावाट तक की सहायता दी है। जहां तक पश्चिमी क्षेत्र का संबंध है, गुजरात में स्थिति संतोषजनक है। परन्तु मध्य प्रदेश ऊर्जा और क्षमता दोनों की ही कमी का सामना कर रहा है। अगले वर्ष नई क्षमता के चालू होने से यह कमी घट जानी चाहिए।

जब मुझे महाराष्ट्र की विद्युत की स्थिति के बारे में विचार करना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं अधीनस्थ इंजीनियर 20 नवम्बर, 1981 से हड़ताल पर हैं। तथापि सभी संबंधितों द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्बरूप 2400-2500 मेगावाट का उत्पादन स्तर बनाए रख सकना संभव हुआ है। इसकी तुलना में सामान्य उत्पादन स्तर 2800-2900 मेगावाट का है। पड़ौसी राज्यों द्वारा भी कुछ सहायता दी गई है। अब केवल वृहत्तर बम्बई में उद्योगों पर ही विद्युत प्रतिबन्ध लागू है। माननीय सदस्यों को यह विदित है विद्यमान स्थिति के समाधान का मामला मुख्यत: राज्य बिजली बोर्ड और राज्य सरकार से संबंधित है तथा किस दिशा में कार्रवाई की जाए यह सुझाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मेरा सदैव ही यह दृष्टिकोण रहा है कि राज्य बिजली बोर्डों को जो एक बड़ी श्रमशक्ति के नियोक्ता हैं, औद्योगिक संबंधों की ओर निरन्तर ध्यान देना चाहिए। ताकि बाधाओं आदि से बचा जा सके। विद्युत सप्लाई प्रणाली का संतोषप्रद प्रचालन तकनीकी तथा अन्य कार्मिकों की बिभिन्न श्रेणियों पर निर्भर करता है। अत: प्रणाली के लिए स्पष्टत: यह आवश्यक है कि वहां औद्योगिक शान्ति बनी रहे। यह तभी हो सकता है जब कि प्रबंधक तथा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी एक-दूसरे के दृष्टिकोणों को समझ लें। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार स्थिति के बारे में पूर्ण तरह से जागरूक हैं तथा यथा आवश्यक उपाय कर रही होगी। अपनी ओर से मैंने मुख्य मंत्री को सुझाव दिया है कि जहाँ तक संभव हो सके विद्युत सप्लाई में पड़ोसी प्रणालियों से सहायता प्राप्त करें।

अपना कथन समाप्त करने से पूर्व मैं विद्युत समिति (राजाध्यक्ष समिति) के बारे में संक्षिप्त रूप में कहना चाहूंगा। विद्युत के कार्य-संचालन में समूचे रूप में सुधार लाने के लिए कई सिफारिशें इस समिति ने की थीं। इस क्षेत्र में हम जो भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं उसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्य सरकारें एकजुट हो जाएं और अपने-अपने तकनीकी तथा वित्तीय उपाय शुरू करें जिससे इस उद्योग की जीवनक्षमता में वृद्धि होगी। राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के उत्तर अभी तक पूरी तरह आने शुरू नहीं हुए हैं। मुझे अब भी विश्वास है कि

विद्युत सहयोग का गठन सुस्थिर और आत्मनिर्भर आधार पर करने के लिए आवश्यक उपायों पर हम शीघ्र ही ठोस निर्णय लेने की स्थिति में हो जाएंगे।

माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा कि जीवनक्षमता में सुधार लाने तथा देश में विद्युत की कमी को समाप्त करने के लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गनी खान चौधरी ने एक रिकार्ड कायम किया है क्योंकि उन्होंने पन्द्रह मिनट में उत्तर दे दिया। उन्होंने पूरे तथ्य दे दिए हैं। मेरे विचार से श्री चित्त बसु भ्रमित हैं कि अब वह कौन सा प्रश्न पूछें।

श्री चित्त बसु : महोदय, जैसा कि आपने स्वयं कहा है कि वक्तव्य काफी लम्बा था मुझे इससे कोई ईर्ष्या नहीं है। वास्तव में, यह वक्तव्य देश के विभिन्न भागों में बिजली की स्थिति का वास्तविक चित्रण करता है। बहरहाल, चित्रण करने का उनका यह अपना ढंग है। मैं यह स्वीकार नहीं करता कि उनका चित्रण सही है। आखिरकार, यह उनके विचारों और बातों की अपने ढंग से व्याख्या करने वाला एक लम्बा वक्तव्य है।

परन्तु उन्होंने जो निष्कर्ष देना चाहा है वह बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है। उन्होंने सभा में यह धारणा बनाने का प्रयास किया है कि स्थिति सुधर गई है और निकट भविष्य में यह और भी सुधर जाएगी। महोदय, यह आत्मसंतुष्टि करने वाला वक्तव्य है और मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है और सरकार को अधिक ठोस और विशिष्ट कदम उठाने चाहिए, जो सरकार बिजली के मामले में चुनौतियों से निबटने के लिए उठाना चाहती है।

अब, वक्तव्य के अनुसार, आज बिजली की आपूर्ति सन्तोषप्रद है और केवल 10 प्रतिशत की कमी है। महोदय, मैं अपने तर्क देकर उन्हें उत्तर नहीं देना चाहता हूं। आरम्भ में मैं उनके मंत्रि-मंडल के मंत्री, उद्योग मंत्री, श्री चानना के कुछ वक्तव्यों का उल्लेख करना चाहता हूं।

श्री चानना ने 7 नवम्बर, 1981 को एक वक्तव्य में यह कहा था और मैं उसे "इंडियन एक्सप्रेस" के एक समाचार से उद्धृत करता हूं:

> "देशव्यापी आधार पर बिजली की कमी लगभग 15 प्रतिशत है। यह प्रतिदिन 1·5 मिलियन युनिट बैठती है।"

जबकि विद्युत मंत्री कहते हैं कि हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए कमी 10 प्रतिशत है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य किस तारीख को दिया गया था।

श्री चित्त बसु : तारीख है 7 नवम्बर।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय तक यह नीचे आ गयी होगी।

श्री चित्त बसु : यह नीचे आ गयी होगी मेरे विचार से, आप उस स्थान पर क्यों नहीं जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल आपकी सहायता कर रहा हूं।

श्री चित्त बसु : फिर वह 7 नवम्बर को वक्तव्य देते हैं कि बिजली की 15 प्र० कमी है और यह मंत्री सभा में कहते हैं कि यह कमी 10 प्रतिशत है। अब आप समझ सकते हैं कि विद्युत मंत्री देश में विद्युत संकट से किस प्रकार निबट रहे हैं। वह कमी का कम अनुमान लगा रहे हैं, वह उस चुनौती को कम महत्वपूर्ण समझ रहे हैं जिसका हम आज सामना कर रहे हैं।

साथ ही मेरे मित्र श्री महाजन ने एक बड़ा दावा किया था उन्होंने 1 सितम्बर, 1981 को सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था :

> "अगले चार वर्षों में भारत चालू बिजली संकट से मुक्त हो जाएगा। वास्तव में, 1984-85 के अन्त तक हम 3,485 मिलियन यूनिट का अतिरिक्त उत्पादन करने की आशा कहते हैं।"

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : 1985 अभी नहीं आया है।

श्री चित्त बसु : ठीक है। यह एक वक्तव्य है। मेरे पास श्री डी० आर० अहुजा का विश्लेषण या प्रतिवेदन है। यह 4 नवम्बर, 1981 का है। वह कहते हैं कि 1984-85 तक देश में लगभग 6,593 मेगावाट बिजली की कमी होने की सम्भावना है।

श्री विक्रम महाजन : श्री अहुजा कौन हैं ?

श्री चित्त बसु : वह पत्रकार हैं। उन्होंने एक विश्लेषण किया है और यह निष्कर्ष निकाला है। कुछ संगणनाओं के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपेक्षित 19,000 मेगावाट की वृद्धि के बावजूद 1984-85 तक 6,593 मेगावाट बिजली की कमी होगी यदि आप चाहें तो इस सम्बन्ध में जो कारण दिये गये हैं मैं उन्हें उद्धृत कर सकता हूं। विश्लेषण और निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने यह वक्तव्य दिया था। अब मंत्री महोदय श्री अहुजा से बहुत ज्यादा नाराज हैं।

अब हम स्वयं उनके विभाग पर आते हैं। परियोजनाओ को चालू करने में हुई प्रगति के संबंध में ऊर्जा अधिकारियों द्वारा की गई अद्यतन समीक्षा से पता चलता है कि मार्च 1982 तक चालू वर्ष के दौरान 3,212 की क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य का केवल 50 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सकेगा।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ठीक है, मैंने अपने वक्तव्य में ऐसा ही कहा था।

श्री चित्त बसु : यह मंत्रालय की सूचना है। आपके वक्तव्य में यह विश्लेषण दिया गया है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने अपने वक्तव्य में यह कहा है।

श्री चित्त बसु : इसलिए, मेरा तर्क यह है कि निर्धारित लक्ष्य से कम उत्पादन इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने कहा है कि यह 22 प्रतिशत कम हो गया है परन्तु उनका

मन्त्रालय कहता है कि यह 40 प्रतिशत है। जैसा कि मैंने कहा उन्होंने आपका कार्य निष्पादन देखा है और कार्य निष्पादन और विश्लेषण के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कमी 40 प्रतिशत है और आप दावा करते हैं कि यह 20 प्रतिशत है। पहले आपने 10 प्रतिशत कमी का दावा किया था और दूसरे मंत्री इसे 15 प्रतिशत बताते हैं। आप 22 प्रतिशत की कमी का दावा करते हैं और विभाग कहता है कि यह कमी 40 प्रतिशत है।

अब मैं श्री महाजन की बात को लेता हूं। इस कमी की इस दर से छठी योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो पायेंगे। छठी पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने में केवल दो वर्ष या केवल तीन वर्ष रह गए हैं।

श्री विक्रम महाजन : $3\frac{1}{2}$ वर्ष रह गये हैं।

श्री चित्त बसु : $3\frac{1}{2}$ वर्ष ? धन्यवाद। क्या इस 40 प्रतिशत कटौती को इस धीमी की दर से छठी योजना के लक्ष्यों को पूरा करना सम्भव होगा ? यह लोगों तथा इस सभा के साथ धोखा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि आप मुझे गलत न समझें तो मैं यह कहूंगा कि बह देश को झांसा दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गनी खान चौधरी ऐसा नहीं कर सकते।

श्री चित्त बसु : यदि कोई व्यक्ति इसके हिसाब किताब को जानता है, तो वह इस बात को समझ जायेगा। क्या इन तीन वर्षों में इस 40 प्रतिशत कटौती की कमी को दूर करना सम्भव होगा? आप कहते हैं कि छठी योजना के पश्चात स्थिति पर्याप्त रूप से संतोषजनक होगी। यह केवल इस सभा को धोखे में रखना है। यदि आप नाराज न हों; तो मैं यह कहूंगा कि यह केवल सभा को झांसा देना ही है।

लक्ष्य में कमी का केबल बिजली की कमी से ही सम्बन्ध नहीं है। इससे केवल उद्योग और उपभोक्ता के लिए ही कठिनाई पैदा नहीं होती अपितु, इसके व्यापक परिणाम भी हो सकते हैं। यह कमी के कारण लागत बढ़ती है और यदि लागत की वृद्धि को रोका नहीं जाता है, तो समस्त अर्थव्यवस्था ही विफल हो जाती है। मेरे विचार में आप मेरे साथ सहमत होंगे। अतः उनकी निष्क्रियता से बेकार की जा रही है उनके अच्छा कार्य न करने से तथा ऊर्जा क्षेत्र में अच्छा कार्य करने में उनकी असफलता के कारण छठी योजना और सारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था नष्ट हो रही है। अतः इस लागत वृद्धि को ध्यान में रखना होगा। मैं तो यह कहूंगा कि छठी योजना में भी आयोजन खराब है···

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह मंत्री महोदय पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं है।

श्री चित्त बसु : जी नहीं, मुझे बड़ा ही खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल सरकार की ही आलोचना करनी चाहिए।

श्री चित्त बसु : जब मैं श्री गनी खान चौधरी कहता हूं, तो मेरा अभिप्राय केवल ऊर्जा मन्त्री से ही होता है । मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि वह मेरे राज्य के हैं ।

(व्यवधान)

उन्हें हमारी भावनाओं को समझना चाहिए । कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं है । कोई भी क्रोध व्यक्तिगत स्वरूप का नहीं है । यदि कोई क्रोध है भी, तो वह क्रोध देश के हितों की रक्षा करने हेतु ही है। यदि उन्हें कोई आघात पहुंचा हो, तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं ।

जो भी हो, मैं कह रहा था कि खराब आयोजन भी एक कारण है । मैंने यह प्रश्न इसलिए उठाया है कि आप छठी योजना तक इन समस्याओं को हल करना चाहते हैं । बिजली के सम्बन्ध खराब आयोजन किया गया है । क्षेत्रीय असंतुलन भी है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि हर व्यक्ति बहुत ही चिन्तित है···

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : वे किसी उद्देश्य से ही चिन्तित हैं ।

श्री चित्त बसु : ···पश्चिम बंगाल की बिजली की स्थिति के बारे में किसी उद्देश्य से चिन्तित हैं । यह समझना इस सभा का काम है कि खराब आयोजन का क्या परिणाम होता है । पश्चिम बंगाल में 1970-71 और 1978-79 के बीच बिजली उत्पादन की विकास दर केवल 1.6 प्रतिशत थी । 1970-71 से 1974-75 के बीच पश्चिम बंगाल में बिजली की उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है । यह वह समय है जब वह राज्य में ऊर्जा मंत्री थे और उस समय पश्चिम बंगाल बिजली की उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई थी । 1965-66 से 1979-80 की अवधि के दौरान वहां बिजली की खपत 114 किलोवाट से कम होकर 113 किलोवाट हो गई थी जबकि इस अवधि के दौरान गुजरात में इसकी खपत 83 किलोवाट से बढ़कर 240 किलोवाट हो गई । इसकी खपत महाराष्ट्र में 106 किलोवाट से बढ़ कर 223 किलोवाट और कर्नाटक में 55 किलोवाट से बढ़ कर 153 किलोवाट तथा तमिलनाडु में 89 किलोवाट से बढ़कर 181 किलोवाट हो गई है । किन्तु पश्चिम बंगाल में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 114 किलोवाट से कम होकर 113 किलोवाट हो गई है । हम चाहते हैं कि आयोजन के इस संतुलन में सुधार किया जाना चाहिए ।

छठी पंचवर्षीय योजना के नियतन से भी हम निरुत्साहित हुए हैं । पूर्वी क्षेत्र की ओर देखिए । इसकी आबादी देश की आबादी का 33 प्रतिशत होते हुए भी इसका हिस्सा 29,000 मेगावाट की कुल क्षमता का 17 प्रतिशत है । छठी योजना अवधि के दौरान 17,000 मेगावाट

की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में से पूर्वी क्षेत्र को केवल 3400 मेगावाट ही मिलेगी जब कि पश्चिम क्षेत्र को 5000 मेगावाट बिजली मिलेगी और उत्तरी क्षेत्र को 4800 मेगावाट और दक्षिणी क्षेत्र को 4200 मेगावाट बिजली दी जाएगी। पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादन क्षमता में केवल 1788 मेगावाट तक की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। अतः सरकारी पक्ष के मेरे मित्र समस्त पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य में खराब विद्युत आयोजन के प्रभाव को समझ जायेंगे। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

मैं पुनः कहता हूं कि लक्ष्य की तुलना में कमी से मुख्य समस्या है। सरकार इस कमी की पूर्ति तथा आखिरकार इसे समाप्त करने के लिए कौन कौन से पग उठाना चाहती है? उन्होंने राज्य सरकार की शक्ति को छीनने का रास्ता अपनाया है। उनका समूचा ध्यान राज्यसरकारों को बिजली उत्पादत के प्रशासन से संबंधित शक्तियों से वंचित कर देने की ओर तथा दिल्ली में सरकार और सी०ई०सी०में केन्द्रित कर देने की ओर रहा है। केन्द्रीय सरकार राज्य के अधिकारियों में हस्तक्षेप करना चाहती है। केवल राज्यों से शक्तियों को छीन लेने से ही इस कमी की पूर्ति अथवा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस दिशा में कुछ और कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार और कौन कौन से दूसरे पग उठाना चाहती है।

बिजली उत्पादत क्षेत्र के सम्बन्ध में एक बड़ा नीतिपरक निर्णय किया जाने वाला है। यह बहुत ही हताश करने वाली बात है। हमें इस बारे में भारी आशंका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी हाल में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में गैर-सरकारी क्षेत्र को वाणिज्यिक बिजली उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने के क्षेत्र में प्रवेश करने के हेतु अनुमति देने का निर्णय किया है और उसने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में अनुमति मांगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कहते हैं कि बिरला, टाटा तथा इंडियन एक्सपलोसिव लिमिटेड जैसी कम्पनियों ने राज्य में वाणिज्यिक बिजली संयंत्रों को स्थापित करने के बारे में बहुत अच्छे प्रस्ताव भेजे हैं। मेरे विचार में सभा के इस पक्ष की ओर से मेरे लिये यह कहना जरूरी है कि हम बिजली उत्पादन को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने के विरुद्ध हैं। यह इस सभा द्वारा पारित औद्योगिक नीति संकल्प के विपरीत होगा। अतः क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे और इसे सर्वथा सरकारी क्षेत्र के ही अन्तर्गत रखा जायेगा।

अब मैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : आखिरी बात कहिये।

श्री चित्त बसु : एक दो बातें और कहनी हैं।

महोदय, उन्होंने बिजली संयंत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों का प्रश्न उठाया है। मैं इससे सहमत हूं और महाराष्ट्र की स्थिति, राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल का प्रश्न, अर्थात जूनियर इंजीनियरों के मामले की ओर भी हमारा ध्यान जाता है। कहा जाता है कि जिम्मेदारी राज्य बिजली बोर्ड की है न कि जूनियर इंजीनियरों की। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र के राज्य बिजली बोर्ड तथा जूनियर इंजीनियरों के बीच 18 मार्च, 1979 को एक समझौता हुआ था। 1981 में, यहां तक कि आज के दिन तक, इस समझौते को कार्यान्वित नहीं किया गया है और राज्य बिजली बोर्ड इसे कार्यान्वित करने के लिए इनकार करता है। अतः, यद्यपि हर व्यक्ति बिजली उत्पादन उद्योग में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने की आवश्यकता को अनुभव करता है फिर भी वे बिजली के क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों में असामान्य स्थिति, एक अशान्तिपूर्ण स्थिति पैदा करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भी बिजली कर्मचारियों सम्बन्धी समझौते को कार्यान्वित नहीं किया गया है और यदि विचार-विमर्श करने के पश्चात् किए गए इस समझौते को कार्यान्वित न किया जाये, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि बिजली के क्षेत्र में शान्तिपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बने रहेंगे।

महाराष्ट्र के सम्बन्ध में, यह समाचार मिला है कि राज्य बिजली बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है जो मुश्किल से किलोवाट और किलोग्राम के अंतर को समझता है। वह बिजली तथा प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। उसे इस कारण से मनोनीत किया गया है—क्योंकि इसमें पुनः व्यक्तिगत बात आ जाएगी···कोई व्यक्ति उसे वहां मनोनीत कराना चाहता था। अतः, इस प्रकार के गैर-योग्यता प्राप्त गैर-तकनीकी व्यक्तियों को राज्य बिजली बोर्डों में रखा जा रहा है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

आखिर में मैं यह कहूंगा कि मैं यह महसूस करता हूं और मुझे आशंका है कि उनके मंत्रालय की ओर से प्रौद्योगिकी और उपकरण का बड़े पैमाने पर आयात करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि देश में बिजली उपकरणों के उत्पादन में देशीय क्षमता पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। ऐसा इस तथ्य के कारण से किया जा रहा है कि विश्व बैंक काफी समय से इसकी मांग करता चला आ रहा है। अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त किया जा चुका है और यह ऋण सरकार द्वारा कुछ विशेष आश्वासन दिये जाने पर मिला है कि बिजली क्षेत्र बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों, साम्राज्यवादियों और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खोला जा सकता है। क्या मंत्री महोदय सभा के समक्ष इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे और उसे यह आश्वासन देंगे कि बिजली क्षेत्र बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खुला नहीं है और पहले से उपलब्ध देशीय क्षमता को और सुदृढ़ किया जायेगा ताकि हम अपने देश में आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था को प्राप्त कर सकें? मेरे विचार में आप यथा सम्भव इन बातों का उत्तर देंगे।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने अलंकार युक्त भाषण में यह व्यक्त करने का प्रयास किया है कि हम कुछ भी नहीं करते रहे हैं । इसके विपरीत हम इस विषय में व्यस्त हैं और भरसक प्रयास कर रहे हैं । बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत रहे हैं । हमारा अपना मत यह रहा है, अर्थात् कि योजना आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अपना मत रहा है । उनकी योजनाओं से ही हमारा मार्गदर्शन होता है । कुछ लोग कहते हैं···मैं इस बारे में कोई सन्देह व्यक्त नहीं कर रहा हूं—मेरे पास उनकी धारणाओं के विपरीत आंकड़े नहीं हैं कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की योजना तथा योजना आयोग की योजना अवास्तविक हैं । योजना आयोग की योजना में प्रतिवर्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य है । इस 11 प्रतिशत वृद्धि पर मैंने अपने भाषण में कहा है यदि हम 20,000 मेगावाट के लक्ष्य को उत्तरी क्षेत्र को छोड़ कर प्राप्त कर सकें, तो हम बिजली की कमी को समाप्त करने में समर्थ हो जायेंगे । बिजली की कमी के बारे में मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को अच्छी तरह समझता हूं । स्पष्ट रूप से यह हम सब के लिए चिन्ता का मामला है । अब लक्ष्यों की प्राप्ति कहां नहीं हो रही है ? क्या केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है । उच्च तापीय बिजली क्षेत्र में कोई यह कमी नहीं हो रही है । कमी राज्य क्षेत्र में है । तब हमें राज्य क्षेत्र के साथ क्या करना चाहिए । यदि हम अपने विचारों को थोपते हैं, तो उस मामले में उस क्षेत्र से हमें कहा जाता है कि हम राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन रहे हैं । जब देश को हानि होती है, तो वे ऊंची आवाज में ये कहते हैं कि हम केवल मूक दर्शक हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं । हम असमंजस में पड़े हुए हैं । हम यह नहीं जानते हैं कि हम क्या करें और क्या न करें । पश्चिम बंगाल का ही मामला लें । पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है । बन्देल की पांचवे कारखाने के बारे में क्या हुआ । यह ठीक है इसे स्थापित किया जाना चाहिए था । यह स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है ? मैं किसी सरकार पर दोष नहीं लगा रहा हूं । किन्तु मैं वास्तविक स्थिति के बारे में बता रहा हूं । कोलाघाट के बारे में क्या हुआ है ? कुछ भी नहीं हुआ है ।

कोलाघाट में कुछ प्रगति हुई है, किन्तु निर्धारित समय के अनुसार···(**व्यवधान**) ।

आपने जो कहा है, मैंने उस पर आपत्ति नहीं की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए ।

श्री विक्रम महाजन : वह यह कह रहे कि···में अधिक कमी हो रही हैं ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं । यही कुछ मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूं । हमें लक्ष्यों की पूर्ति के विषय में सभी का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना है । मैं महाराष्ट्र के पक्ष में अथवा पश्चिम बंगाल के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि केन्द्रीय क्षेत्र की अपेक्षा राज्य क्षेत्र में अधिक कमी होती है ।

श्री विक्रम महाजन : उनका कहना है कि केन्द्रीय क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। यह केवल राज्य क्षेत्र में है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, केवल राज्य क्षेत्र में।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कमी है। कई बार मैंने उनसे बैठकर बात की है। योजना आयोग वालों ने बैठकर उनसे बात की है। कुछ राज्य विद्युत बोर्डों के पास पैसा नहीं है। विद्युत के मामले में उनका योजना परिव्यय सन्तोषजनक नहीं है। कभी-कभी हमारी यह आलोचना की जाती है कि हम उनको प्रौद्योगिक वित्तीय स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। यदि आप संसाधन नहीं जुटा सकते तो प्रौद्योगिक-वित्तीय स्वीकृति का आप क्या करेंगे ?

संसाधनों को जुटाना होगा और उन्हें विद्युत पर खर्च करना पड़ेगा। परन्तु और भी अनेक उदाहरण हैं। मैं उद्धरण दे सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि धन का निर्धारित काम की बजाए अन्य कामों पर कैसे उपयोग किया गया है ? धन का निर्धारित काम की बजाए अन्य काम पर कैसे उपयोग किया जाता है। मैं इस बारे में और विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं विपक्षी सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम कमी से अत्यन्त चिन्तित हैं और इस संबंध में निश्चय ही हमें कुछ करना होगा और हम सोच रहे हैं। मैंने इस बारे में सोचा है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम लगभग 17,000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे न कि 20,000 मेगावाट का। यदि छठी पंचवर्षीय योजना के तत्काल बाद सम्भव न हुआ तो हम उसके एक वर्ष बाद 20,000 मेगावाट का लाभ प्राप्त करना आरम्भ कर देंगे। उदाहरण के लिए जापानी सहायता से अन्नपाड़ा को 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की अनुमति दे दी है। हमें लक्ष्य से कम उत्पादन की समस्या का मुकाबला इस प्रकार से करना होगा। परन्तु इस सब के बावजूद मैं पूर्ण नम्रता के साथ यह अवश्य कहूंगा कि राज्य सरकारों को विद्युत क्षेत्र को इतना धन अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए जितने का उन्होंने वायदा किया है। उन्हें ठेकेदारों और अन्य संभरणकर्त्ताओं से उचित व्यवहार करना चाहिए ताकि वे यथा समय उपकरण उपलब्ध करा सकें।

उपकरणों के सम्बन्ध में मैं इस सभा में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम देशी सेटों और उपकरणों की सप्लाई पर अत्यधिक जोर दे रहे हैं। इनसे हम बच नहीं रहे हैं। इसके साथ ही हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स या अन्य कोई उपक्रम सुपुर्दगी की निर्धारित तारीख का पालन करे और गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करे ताकि राज्य विद्युत बोर्डों को किसी प्रकार की कोई शिकायत न हो। इस सम्बन्ध में स्पष्टतः कोई कठोर नियम नहीं है। परन्तु मैं राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों से आग्रह कर रहा हूं कि वे आयातित सेटों की मांग न करें और उन्हें भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर निर्भर रहना चाहिए। हम ऐसा कर रहे हैं और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमने कुछ राज्य विद्युत बोर्डों को आयातित सेट प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया है। परन्तु हमारा जोर भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित देशी सेटों पर रहा है। इससे हम बच नहीं रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि चाहे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या अन्य कोई एजेन्सी हो, उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अब मैं निजी क्षेत्र को लेता हूं। हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैंने ऐसा कहा था। यदि कोई विद्युत संयन्त्र लगाने के लिए पूंजी-निवेश करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। परन्तु इसका सम्बन्ध केवल उत्पादन से रहेगा। जहां तक विवरण का संबंध है इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी जाएगी। न इससे अधिक न कम। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से निजी क्षेत्र के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता हूं। माननीय सदस्य ठीक हो सकते हैं। परन्तु जहां तक मेरा संबंध है मुझे उनसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री चित्त बसु : यदि आपको प्रस्ताव प्राप्त होता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने आपको सिद्धान्त बता दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सिद्धान्त बता दिया है कि केवल उत्पादन करने की अनुमति है वितरण की नहीं। यह बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ये आधारभूत सिद्धान्त हैं जिनका अनुसरण करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। यह कहना अनुचित होगा कि हमने विद्युत क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं की है। यह गलत वक्तव्य है और मैं इस सभा में इसे चुनौती देता हूं।

महाराष्ट्र की हड़ताल के बारे में मेरे पास पूर्ण तथ्य हैं। परन्तु राज्य के हित में मैं इस समय इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपने ढंग से, इस बात का पूरा प्रयास, कर रहा हूं कि समस्या हल हो जाए। इस समय मैं इस बारे में इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। यह न तो राज्य के हित में है और न ही हड़ताली इंजीनियरों के हित में हम जिस प्रकार सहायता कर सकते हैं, महाराष्ट्र की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार से मुझे यही बातें कहनी थीं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हम अब मध्यान्ह भोजन के पश्चात् फिर मिल सकते हैं।

श्री विक्रम महाजन : यदि केवल तीन या चार सदस्य रह गए हैं तो हम यहीं खतम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभी माननीय सदस्य अपने भाषण बिल्कुल संक्षिप्त रखें तो हम इसे 1-15 बजे तक पूरा कर सकते हैं। नियम तो यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को केवल आधा घंटा दिया जाए। आपको इसके बाद अधिक समय नहीं मिलेगा। इसलिए हम जारी रखेंगे श्री जैनल बशर।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : हम मध्यान्ह भोजन के पश्चात् जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। सभा 2-05 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए
2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए
स्थगित हुई

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बजकर 7 मिनट पर
पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में बिजली की कमी—जारी

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : माननीय मंत्री महोदय, का हमने लम्बा वक्तव्य सुना। ऐसा प्रतीत होता है कि समस्या की उन्हें पूरी जानकारी है। मेरे मित्र श्री चित्त बसु बड़े ही रूखे ढंग से बोल रहे थे मैं उनके तर्क बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहा था···।

उपाध्यक्ष महोदय : आपसे एक अनुरोध है। हम 3-00 बजे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार आरम्भ करेंगे। अतः आप संक्षेप में कहिए।

श्री जैनल बशर : मैं यथासम्भव संक्षेप में कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्यथा मैं आपको भी श्री चित्त बसु के बराबर समय देता।

श्री जैनल बशर : मैं नहीं जानता कि जब माननीय ऊर्जा मंत्री श्री गनी खान चौधरी बोलना आरम्भ करते हैं तो दूसरी ओर बैठे पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र भावुक क्यों हो उठते हैं।···

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रान्तीयता की भावना है।

श्री जैनल बशर : इससे माननीय मंत्री महोदय की क्षमता और कार्य कुशलता का पता चलता है···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : वे उनसे डरते हैं।

श्री जैनल बशर : जहां तक इस मंत्रालय के कार्यकरण का संबंध है, मेरी कोई छच्छी राय नहीं है···।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या कमाल की निन्दा है।

श्री जैनल बशर : परन्तु महोदय पिछले दो वर्षों से मैं उन्हें परिश्रम करते देख रहा हूं और मैं समस्या पर उनकी पकड़ और उसे हल करने की उनकी क्षमता भी देख रहा हूं। मैं उनका प्रशंसक बन रहा हूं। जहां तक विभाग का संबंध है यह सरकार के कठिन विभागों में से एक है और उन्होंने इसे संभाला है। इसका कार्य उन्हें जाता है और मुझे अवश्य ही उन्हें बधाई देनी चाहिए।

महोदय, उन्हें एक अड़चन भरी स्थिति में काम करना पड़ता है। राज्य विद्युत बोर्डों पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं है। अधिकांश राज्य बोर्ड रुग्ण हैं। उनके लिए हम मंत्री महोदय को जबावदेह कैसे मान सकते हैं? श्री चित्त बसु ने बोलते हुए···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बैठकर जो कुछ भी बोला जाएगा, कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री जैनल बशर : महोदय, श्री चित्त बसु ने बोलते हुए कहा था कि बिजली उत्पादन में 15प्रतिशत गिरावट आई है। माननीय मंत्री महोदय के मत में कमी 10 प्रतिशत है।

परन्तु हमारे देश में विद्युत स्थिति में प्रतिदिन उतार-चढ़ाब आता रहता है। आज बिजली उपलब्धता अधिक हो सकती है या कल अधिक हो सकती है और यह कल कम भी हो सकती है या यह आज की तरह भी हो सकती है। हम बहुत ही अनिश्चित स्थिति में रह रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं। हमारी प्रगति के लिए, चाहे यह कृषि सम्बन्धी प्रगति हो या औद्योगिक प्रगति, विद्युत आवश्यक है। मैं श्री बसु की इस बात से सहमत हूं कि यदि विद्युत पर हमारा नियन्त्रण नहीं है तो हमारा छठी योजना का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र में प्रगति बनाये रखने से ही हम छठी योजना का विद्युत लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ होंगे। हमने कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में विद्युत का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। जहां तक विद्युत के महत्व का सम्बन्ध है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। आज तो मंत्री महोदय ने यह स्वीकार करके कि कुछ राज्य विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं अत्यधिक ईमानदारी का परिचय दिया है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि उत्तर प्रदेश विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। हमें प्रतिदिन दो से तीन घंटे बिजली मिलती है और हमारी कृषि को नुकसान हो रहा है, हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को उद्योगों की एक महीने में लगभग 20 दिन बिजली काटनी पड़ी। यह स्थिति हो गई थी। ऊर्जा मंत्री को उत्तर प्रदेश विशेष रूप से मिर्जापुर जाना पड़ा जहां ताप विद्युत संयंत्र लगा हुआ है। उन्होंने समस्याओं का अध्ययन किया है। समस्या का अध्ययन करने के लिए केन्द्र से एक विशेष दल भेजा गया। मुझे इसकी सूचना नहीं दी गई है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की निराशाजनक विद्युत स्थिति का हल निकालने के लिए वे कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं। हमें

वक्तव्य से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की स्थिति ऐसी है, कि मेरे विचार में, वे सातवीं योजना के मध्य तक इसका हल नहीं निकाल सकते। विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में यह प्रगति हुई है।

हमें लगता है कि सातवीं योजना अवधि के पश्चात् भी यह सम्भव नहीं होगा। मैंने समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ी है कि अधिकांश विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है। यह विद्युत उपकरणों की अनुपलब्धता अथवा इन उपकरणों के निर्माताओं की ट्रान्सफार्मर और विद्युत परियोजना के अन्य उपकरणों की सप्लाई करने में असफलता के कारण है। यह जानकर बहुत दुख होता है। यदि हम विद्युत क्षेत्र में प्रगति नहीं करते तो छठी पंचवर्षीय योजना के लिए हमने जो योजना लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। परन्तु मंत्री महोदय असमर्थ हैं। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, वह अच्छी प्रगति कर रहे हैं। परन्तु जहां तक राज्य क्षेत्र का सम्बन्ध है अधिकांश बिजलीघर खराब पड़े हैं। उनमें स्थापित क्षमता के केवल 40 प्रतिशत का उपयोग हो रहा है।

अतः महोदय, हमें इस समस्या को इस दृष्टिकोण से देखना होगा। कई सक्षम जल-विद्युत परियोजनायें राज्यों के नदी जल सम्बन्धी विवादों के कारण आरम्भ नहीं की जा सकीं। महोदय, हम जानते हैं कि देश के कुछ भागों में कोयला पाया जाता है और जहां तक कोयले की ढुलाई का सम्बन्ध है, परिवहन सम्बन्धी कई कठिनाइयां हैं। दूसरा हमारे कोयले में राख का अंश अधिक होने के कारण यह घटिया किस्म का है। इसके परिणामस्वरूप हम केवल राख की ढुलाई करते हैं, परिणामतः विद्युत उत्पादन हमें मंहगा पड़ता है।

महोदय, मंत्रीजी से लक्ष्य पूर्ति की अपेक्षा कैसे की जा सकती है जबकि राज्य कोई प्रगति न कर रहे हों और राष्ट्रीय ग्रिड से अधिकाधिक विद्युत सप्लाई के लिए केन्द्र की ओर देख रहे हों? यह समय की मांग है कि विद्युत को राष्ट्रीय क्षेत्र में लाया जाए और इसके लिए यदि हमें संविधान में संशोधन करना पड़े तो उसमें भी संशोधन किया जाए। विद्युत का महत्व रेलवे और संचार के बराबर है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम विद्युत के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और वितरण का भार राज्यों के पास ही रहे। इस सम्बन्ध में उचित संविधान संशोधन पेश किया जाना चाहिए।

महोदय, ऊर्जा सम्बन्धी राज्याध्यक्ष समिति ने यह सिफारिश की है और मेरे विचार से राज्य सरकारों की राय ली गयी थी, परन्तु मैंने पाया है कि राज्य सरकारें हिचक रही हैं और राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों को मानने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। राज्यों को इस दिशा में प्रोत्साहित, प्रेरित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को काफी साहसी बनाना पड़ेगा और उन्हें आश्वस्त करना पड़ेगा कि जहां तक इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का सम्बन्ध है इस देश की प्रगति इस क्षेत्र पर निर्भर है और केन्द्र इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। इसे अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करना है। यदि संविधान में भी संशोधन करना पड़े तो संशोधन किया जाए और ऊर्जा अनुभाग को

संघ-सूची में शामिल किया जाए तभी हम समस्याओं को हल कर सकेंगे। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तो मुझे डर है कि हम आठवीं, नौंवी और दसवीं योजना के बाद भी उस ऊर्जा संकट पर काबू नहीं पा सकेंगे जिसका कि इस देश में हमें सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मैं प्राक्कलन समिति का सदस्य रहा हूं और गत वर्ष हमने विद्युतोत्पादन समस्या का परीक्षण किया था। हमने कुछ राज्यों का दौरा किया और हमें उपस्कर न उपलब्ध होने के सम्बन्ध में, विशेषकर 'भेल' (भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड) से न उपलब्ध होने के बारे में शिकायतें मिलीं। 'भेल' ने भी इन बिजली बोर्डों को जो उपस्कर सप्लाई किया था वह अच्छी कोटि का नहीं था। हमें बहुत सी शिकायतें मिली हैं क्योंकि बिजली बोर्ड अभियन्ताओं को माल की सुपुर्दगी देने से पूर्व जांच नहीं करने दी जाती है। ऐसी शिकायतें कई राज्यों से मिलती हैं। जहां तक जल-विद्युत क्षमताओं का सम्बन्ध है हमें ऐसे कई मामले मिले हैं जहां अन्तरर्राज्यीय विवाद खड़े हुए हैं। इन परियोजनाओं को लगातार कई कई वर्षों तक स्थगित रखा जा रहा है। राज्यों के बीच विवादों के कारण इन्हें पूर्ण नहीं किया जा सका है। जल-विद्युत उत्पादन सस्ता पड़ता है और होता भी शीघ्रता से है। परन्तु हम इन सबका उपयोग नहीं कर सके क्योंकि ऊर्जा राज्य क्षेत्र के अधीन है और ऐसे विवाद खड़े हुए हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछता हूं कि ऊर्जा क्षेत्रकों और कम से कम विद्युतोत्पादन के काम को केन्द्रीय-क्षेत्र के अधीन लेने के लिए वह क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? जैसी कि इस मामले में आवश्यकता है क्या वह संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लेकर आगे आयेंगे?

फिर मेरा द्वितीय प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय हमसे इस बात पर सहमत थे कि क्षमता का उपयोग 40% से अधिक नहीं हो रहा है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि विद्युत बोर्डों के अधीन ऊर्जा संयन्त्रों की स्थापित क्षमता के अधिकाधिक उपयोग हेतु मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं? महोदय, ये सफेद हाथी बन गये हैं। रेलवे के बाद, उत्तर प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। अधीनस्थ अभियन्ता हड़ताल पर चले गये हैं। उत्तर-प्रदेश में भी हम इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रति वर्ष इसी समस्या का अनुभव किया जाता है, चाहे यह अधीनस्थ अभियन्ताओं के बारे में हो या कनिष्ठ अभियन्ताओं के अथवा कामगारों के बारे में हो। परिणाम यह होता है कि औद्योगीकरण पर इन कारणों से बुरा असर पड़ता है। ये विद्युत-बोर्ड सफेद हाथी बनकर रह गये हैं और सार्थक कुछ भी करने योग्य नहीं है मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्थापित क्षमता के अधिकाधिक उपयोग हेतु आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? विद्युत-बोर्डों में अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि उत्तर-प्रदेश एक गम्भीर विद्युत संकट से गुजर रहा है। मंत्री महोदय यह स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें केवल 2 या 3 घंटे ही बिजली मिलती है। केन्द्रीय दल उत्तर-प्रदेश गया था। वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए और यह जानने के लिए वहां गये थे कि कृषि उत्पादन को सहायता पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। मैंने यह आशा की थी कि केन्द्रीय दल के वहां पहुंचने के बाद विद्युत सप्लाई स्थिति बहुत कुशल हो जायेगी, बहुत सुधर जायेगी। अभी भी 5 या 6 घण्टे ही बिजली दी जाती है और

पूर्वी उत्तर-प्रदेश में तो 2 या 3 घंटे ही पूर्ति की जाती है। उत्तर-प्रदेश में विद्युत सप्लाई स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : मैं यह स्वीकार करता हूं कि उत्तर-प्रदेश में विद्युत की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। 44.7 प्रतिशत की अखिल भारतीय औसत के मुकाबले इस वर्ष की प्रथम छमाही में उत्तर-प्रदेश के बिजली घरों में केवल 36 प्रतिशत उत्पादन हुआ। कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाने और ताप-बिजली घरों की कार्य-निष्पत्ति में सुधार के उपाय सुझाने के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्य-बल को उत्तर-प्रदेश के ताप बिजली घरों में भेजा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमने केवल कार्यबल ही नहीं भेजा, बल्कि उत्तर-प्रदेश के मुख्य-मंत्री महोदय को यह सलाह भी दी थी कि यदि स्थिति मांग करती है तो कमी का पता लगाने और संयन्त्र क्षमता (प्लान्ट लोड) में वृद्धि हेतु हम विदेशों से विशेषज्ञ बुला सकते हैं। प्लान्ट लोड एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें 1966-67 की अखिल भारतीय औसत पर अर्थात 55 प्रतिशत पर पहुंचना होगा। यदि हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो मुझे डर है कि यह कमी चलती रहेगी। उत्तर-प्रदेश की स्थापित क्षमता 31.62 मे गावाट की है। छठी योजना की अवधि के दौरान यदि कोई गड़बड़ नहीं होती है तो हम इसमें 1728 मेगावाट और जोड़ देंगे। यदि हम इतना जोड़ देते हैं तो यह 5340 मेगावाट हो जाता है। यहाँ तक कि छठी योजना की अवधि के बाद भी हमें कुछ कमी की आशंका है और उसके लिए हमने 1000 मेगावाट की क्षमता वाली आनपारा (बी) परियोजना की अनुमति दे दी है और मेरे विचार से सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में स्थिति में सुधार हो जायेगा। यह उत्तर-प्रदेश के लिए है।

ऐसी बात नहीं है कि हम अपने उत्तरदायित्व को दूसरों पर डालना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि राज्य बिजली-बोर्डों को सक्रिय करना होगा। राज्य बिजली-बोर्डों का गठन राजाध्यक्ष समिति की शिफारिशों के आधार पर ही करना होगा। यह एक बहुत ही विशेषज्ञ समिति थी और इसने कुछ सिफारिशें की थीं। दुर्भाग्य से हमें किसी भी बोर्ड से व्यावहारिक रूप में कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है। कोई भी बोर्ड इसमें रुचि नहीं ले रहा है। वे सोचते हैं कि यदि वे इन सिफारिशों को स्वीकार कर लेते हैं तो सम्भवतः वे बहुत सी उन शक्तियों को खो बैठेंगे जिनका वे प्रयोग कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रीय हित में हमें क्षेत्रीय आधार पर नहीं चलना चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि इस उलझी हुई समस्या का हल हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। यहां पर संकीर्णता, प्रान्तीयता का प्रश्न और किसी राज्य-विशेष का प्रश्न बाधा नहीं बनना चाहिये। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि अभी तक तो राष्ट्रीय ग्रिड लाइन को ही स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है हम जिस भार-पारेषण प्रणाली को लागू करना चाहते हैं वह अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली ले जाना चाहते हैं तो ये बातें अवश्य होनी चाहिये। दुर्भाग्य से हमें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। ये तो मुख्य मूल-तत्व हैं।

इन समास्याओं को हल करने के लिए हम राज्यों के बीच मतैक्य लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक वर्ष बीत चुका है। मैं मामले को आगे बढ़ा रहा हूं। यह मेरे लिए निराशा की बात है परन्तु मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं मामले को शीघ्रता से आगे बढ़ाऊंगा और मुख्य-मंत्रियों को अपनी विचारधारा से सहमत कराने का प्रयास करूंगा। हम तो उन्हें द्विपक्षीप समझौते का भी सुझाव देंगे। यदि वे राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों में संशोधन करना चाहते हैं तो हम उसे भी स्वीकार करने को तैयार हैं परन्तु इस उलझी हुई विकट समस्या को हल करने के लिए किसी मतैक्य पर पहुंचाना होगा।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि यू० पी० की पावर पोजीशन बड़ी खराब है। कोटा के एटामिक पावर प्लांट से जितनी पावर जेनीरेशन होती है, वह राजस्थान के काम में आती है। उसी तरीके से हमारे यू० पी० में जैसे नरोरा का एटामिक पावर प्लान्ट है उस से जो पावर जनरेट होती है वह क्यों नहीं आप यू० पी० को ही देते हैं?

श्री विक्रम महाजन : अभी शुरू कहां हुआ है?

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : सिद्धांततः देने की बात तो तय करने की है क्यों कि यू० पी० की पावर पोजीशन अभी तो सुधरने वाली है नहीं। ऐसे ही सिंगरौली का विद्युत केन्द्र है उस में हमारा शेयर बढ़ाइए। उस की पावर को शेयर करने के बारे में यू० पी० गवर्नमेंट ने आप के पास प्रोपोजल भेजा है। नाफ्था झखड़ी की जल-विद्युत परियोजना है, उसकी पावर को भी शेयर करने का प्रोपोजल आप के पास भेजा है लेकिन आपकी तरफ से इन का कोई क्लीअरेंस नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप का मंत्रालय इन की पावर जनरेशन को शेयर करने के बारे में भेजे गए प्रोपोजल्स को स्वीकार करेगा?

दूसरा प्वाइन्ट यह है कि यू० पी० की थर्मल और हाइड्रो-एलेक्ट्रिक की कई परियोजनायें आपके मंत्रालय के पास पड़ी हैं जैसे ऊंचाहार की 152 करोड़ की परियोजना है, आनपारा (बी) की 472 करोड़ की परियोजना है, देहरीघाट 229 करोड़ की परियोजना है, रोजा परियोजना 319 करोड़ की है, जवाहरपुर परियोजना 324 करोड़ की है, परिच्छा 212 करोड़ की, आनपारा (सी) 643 करोड़ की परियोजना है। ऐसे ही मनेरी भाली जलविद्युत योजना है, खारा परियोजना है, पाला मनेरी और इस तरह से एक लम्बी लिस्ट है इन परियोजानओं की जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके पास प्रस्ताविक की है जिनको आपके मंत्रालय की स्वीकृति मिलनी है। इनमें से कई परियोजनायें ऐसी हैं जो 1977-78 से प्रस्तावित हैं। माना कि पहले की गवर्नमेंन्ट तो कोई काम करने वाली थी नहीं, वह ऐक्शन लेने वाली गवर्नमेन्ट नहीं थी लेकिन आपने जिस मुस्तैदी के साथ पावर फ्रन्ट पर कार्य किया है उससे हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी मुस्तैदी और आपके अन्दर जो कैपेसिटी है काम करने की उसका लाभ उत्तर प्रदेश को तो मिलेगा और आप इन परि-योजनाओं को क्लियर करके जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेंगे।

आपने अभी राजाध्यक्ष कमेटी की बात कही है। अभी विद्युत मंत्रियों की बैठक में भी आपने यह बात कही थी और उसमें कुछ गाइडलाइन्स भी उनको दी थीं कि किस तरीके से स्टेट एलेक्ट्रिसिटी

बोर्ड या राज्यों के विद्युत मंत्रालयों को काम करना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे प्रान्त हैं जहां के लोग राजाध्यक्ष कमेटी की सिफारिशों को मानने से इनकार कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि कई दफा स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्डस् को जो आप फंड्स देते हैं, कई उनमें से उसको डाइवर्ट कर देते हैं और ठीक प्रकार से उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो इसको चेक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? जब सेन्ट्रल पूल से पैसा जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी चेकिंग होनी चाहिए।

इनमें से कौन-कौन से ऐसे विद्युत बोर्ड हैं जिनकी फंग्शनिंग के बारे में आपको असंतोष है और आपने उनको सुधारने के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर कहां तक अमल किया गया है— यह मैं जानना चाहता हूं।

आपने थर्मल पावर जेनरेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम किया है जो प्रशंसनीय है। लेकिन थर्मल जैनरेशन की एक सीमा है क्योंकि हमारे भूगर्भ में जो कोयला है, एक सीमा पर आ कर वह चुक जाएगा। लेकिन जो हाइड्रो-जैनरेशन है वह लम्बे समय तक चलने वाला है। मैं स्टामिक और सोरल एनर्जी पर नहीं जाऊंगा लेकिन इसका कुछ इस तरीके से सर्वे होना चाहिये कि कितनी इसकी कैपेसिटी है और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां इनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। क्या इस विषय में कोई ऐसा सर्वे आपने कन्डक्ट किया है और यदि किया है तो उस पर किस तरीके से काम करने के लिए आप का मंत्रालय सोच रहा है।

एक प्वाइन्ट में यह जानना चाहता हूं 1978 और 1979 में जो हाइड्रो-जैनरेशन हुआ या थर्मल जैनरेशन हुआ, वह क्या था और आज क्या है ? कितने मेगावाट जैनरेशन आज है ? 1979 में कितना पावर शार्टेज था और आज कितना पावर शार्टेज है ?

एक बात पश्चिमी बंगाल के बारे में जानना चाहता हूं वहां तो आप बड़ी मुस्तैदी से उनका मुकाबला कर ही रहे हैं। जो मार्क्ससिस्ट लोग हैं वे आप पर बहुत छींटाकसी करने की कोशिश कर रहे थे। जब उनका वक्त था तो वह कुछ-न-कुछ कहते जा रहे थे। पश्चिमी बंगाल में 1977 तक जब कांग्रेस गवर्नमेन्ट थी तब वहाँ क्या पावर पोजीशन थी और आज वहां पावर-पोजीशन क्या है ? कितना उसमें इजाफा हुआ है, यह बतलाने की कृपा करें।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सिंगरौली बिजली घर से उत्तर प्रदेश को 850 मेगावाट का शेयर मिलेगा। यह आवंटित कर दिया गया है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जैसे ही सुपर पावर स्टेशन बिजली उत्पादन शुरू कर देता है, उन्हें उनका अंश मिलेगा।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : उपाध्यक्ष जी मैंने एक स्पेसिफिक प्रश्न किया है कि सेन्ट्रल पूल के जो प्लान्ट हैं जैसे कि कोटा का एटामिक पावर प्लान्ट है, इस समय उसकी पोजीशन बहुत खराब है। सभी तरह से उसमें लीकेज हो रहा है जिसको आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सुधारने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, या नहीं उठा रहे हैं—यह प्वाइन्ट तो हैं ही परन्तु

उसके साथ-साथ जो वहां पर जेनरेशन होगा उसको किस तरह से आप यू० पी० के साथ शेयर करेंगे—यह मैं जानना चाहूंगा ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : राजस्थान के लिए आर० ए० पी० पी० यूनिट नं. 1 तो उस राज्य को आवंटित कर दिया गया है और नं. 2 के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । वास्तव में, मैं यही कहना चाहता था । और नरोरा के बारे में...

(व्यवधान)

मैं केवल एक व्यक्ति को उत्तर दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री रावत को उत्तर दीजिए ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : जहां तक नरोरा की बात है उसमें 470 मेगावाट का उत्पादन होगा जिसे केन्द्रीय सूत्र के अनुसार वितरित किया जाएगा । इसमें नई बात कोई नहीं है । हमारे सामने जो परियोजनाएं स्थगित पड़ी हैं उनके बारे में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि बड़ी संख्या में योजनाओं को तकनीकी-आर्थिक अनुमति दी गई थी । यदि आप चाहते हैं तो मैं और अधिक दे सकता हूं परन्तु इससे समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि इनके लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता है । यदि उन्हें संसाधन न मिलते हैं तो वे उन स्वीकृतियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं जो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है । यह कहानी का एक पहलू है ।

केवल स्वीकृति देने मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं होगा । हमें संसाधन जुटाने हैं और संसाधन जुटाने में, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता करने को तैयार हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अन्तर्राष्ट्रीय कोष के बारे में...

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी को उत्तर न दें ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : क्या मैं नियम 355 के अन्तर्गत प्रश्न पूछ सकता हूं ? इस नियम के अन्तर्गत मैं प्रश्न पूछ सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका सहयोग चाहता हूं, डा० स्वामी ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : पश्चिम बंगाल के बारे में फार्वर्ड ब्लाक के एक माननीय सदस्य ने जिक्र करते हुये कहा कि 1972 से 1977 तक एक भी एकक स्थापित नहीं किया गया । मेरे विचार में यह स्थिति ठीक नहीं है ।

श्री चित्त बसु : 1974-75 के दौरान ।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं 1972 के बारे कुछ नहीं जानता । मैं जानता हूं कि 1974, 1975 तथा 1976 में हमने संतालडिह में वे एकक जिनमें प्रत्येक 110 मेगावाट है, स्थापित किये हैं । तीसरा एकक आपके सत्ता में आने के समय तैयार था । तीसरे एकक के

बाद केवल एक ही एकक लगाया गया । यह आपकी उपलब्धि है। मुझे दोषी ठहराने से कोई लाभ नहीं है। आप इस मामले को अपने मुख्य मंत्री ज़ी एक सक्रिय व्यक्ति हैं, के साथ क्यों नहीं उठाते और इस समस्या का समाधान करने के लिए क्यों नहीं कहते ? हम उनकी सहायता करने के लिए यहां हैं ; मैंने स्वयं पहल की है और उनके पास कई बार जाकर कहा कि उन्हें किस प्रकार के विशेषज्ञ चाहिये । उन्होंने यह धारणा व्यक्त की है कि उनके अपने ही लोग समस्या का समाधान करने योग्य हैं । फिर आप मुझे दोषी क्यों ठहराते हैं । केन्द्र कैसे इसमें आता है । जब कि आप कहें हम सहायता करने को तैयार हैं । जब कि वे किसी बात के लिये कहते हैं, हम उन्हें देते हैं । पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री केन्द्रीय सेक्टर से चेयरमैन चाहते थे मैंने उन्हें चेयरमैन दे दिया है। मैंने उन्हें कुछ कर्मचारी भी दिये हैं । मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हम सहायता मांगने वाले हर राज्य के साथ एक ही जैसा व्यवहार करेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : कितने प्रस्तावों को समाप्त किया गया है (**व्यवधान**)

श्री० ए० बी० एन० गनी खान चौधरी : मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं ।

(**व्यवधान**)

श्री चित्त बसु : जरा एक मिनट सुनिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये श्री रावत को उत्तर दे रहे हैं ।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : : जी हां,

उपाध्यक्ष महोदय : अब अगली मद ली जायेगी । श्री भीष्म नारायण सिंह :

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 7 दिसम्बर, 1981 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा ।

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1981

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1981

(ग) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में चिट फण्ड विधेयक 1980

(घ) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980

3. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान ।

(क) वर्ष 1981-82 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

(ख) बर्ष 1979-80 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

4. अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृति प्रसुविधाएं) संशोधन नियम, 1981 को रद्द करने के लिए सर्व श्री एन० के० शेजवलकर और फूल चन्द वर्मा द्वारा सूचित किए गए प्रस्ताव पर बुधवार, 9 दिसम्बर, 1981 को सायं 5-00 बजे चर्चा ।

5. गुरूवार, 10 दिसम्बर, 1981 को प्रश्न काल की समाप्ति के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर आगे चर्चा ।

उपाध्यक्ष महोदय : लगभग 9 माननीय सदस्यों ने कार्य सूची में कुछ विषय शामिल करने के लिए दिए हैं । श्री हरिकेश बहादुर ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कार्यसूची में दो विषय शामिल करने का सुझाव देना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल पढ़िए ।

श्री हरिकेश बहादुर : पहला प्रश्न यह है आसाम सहित समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की स्थिति बहुत नाजुक तथा गम्भीर है । सरकार पूर्णतः असफल हुई है...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : 3 बजे मैं अगले मद लूंगा । आप केवल पढ़िए ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं पढ़ रहा हूं सरकार आसाम में विदेशी नागरिकों की समस्या हल करने में पूर्णतः असफल रही है । उस क्षेत्र के अन्य भागों में उग्रवादी बहुत सक्रिय हैं । इस संकट की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है । अतः अगले सप्ताह सभा में इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए । दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान से लोग सूखे से पीड़ित हैं । यह चिंता का विषय है । अतः अगले सप्ताह के दौरान इस मामले पर सभा में चर्चा होनी चाहिए ।

श्री जी० एम० बनातवाला (घेन्नाती) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, पर जिसे बहुत पहले पेश किया गया था, अविलम्ब चर्चा होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल सिंह कश्यप ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय आगामी सप्ताह की सूची में विचार के लिए शामिल करना चाहता हूं :

(1) बरेली-बदायूं जिले के मध्य स्थित चापट नामक स्थान पर रसायनिक खाद का कारखाना स्थापित करने और आंवला लोकसभा क्षेत्र में सूती कताई कारखाना, डिग्री कालेज, मैडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज और प्रत्येक ब्लाक में एक कारखाना खुलना चाहिए, जिसको आगामी सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए ।

(2) बरेली-कासगंज रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए और गोहाटी एक्सप्रैस करके मथुरा तक ले जाना चाहिए ताकि उत्तरी भारत का सम्बन्ध मध्य भारत व दक्षिण से हो सके और समस्त बंद ट्रेनें तुरन्त चलाई जायें व समय का विशेष ध्यान रखा जाए व बरेली से दिल्ली को नयी एक्सप्रैस ट्रेन चलाने की जनता द्वारा काफी दिन से मांग चलर ही है । इस पर भी आगामी सप्ताह में चर्चा आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनीराम बागड़ी । श्री मनीराम बागड़ी को बुलाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय द्वारा नेताओं के साथ हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य मंत्री के अगले सप्ताह के कार्य सम्बन्धी वक्तव्य दिये जाने के बाद कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य साथ में कोई सुझाव नहीं रखते हैं । श्री मनीराम बागड़ी ने जिन्हें 1 दिसम्बर, 1981 को कार्य मंत्रणा समिति के लिये नामजद किया गया है, अगले सप्ताह के कार्य के सम्बन्ध में कहने के लिए अनुमति मांगी है, मैं श्री बागड़ी से विशेष रूप से अपने विचार रखने की अनुमति देता हूं क्योंकि इन्हें कुछ ही दिन पहले समिति के लिये नामजद किया गया है और अभी तक उन्होंने समिति की बैठक में भाग नहीं लिया है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले हफ्ते की कार्यवाही की सूची में नीचे लिखे प्रश्नों को जोड़ा जाए, क्योंकि निम्नांकित प्रश्न बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं :—

1. किसानों की जो जमीन सरकारी या सरकारी विधान द्वारा अधिग्रहीत की जा रही है और उसके दाम उन्हें "ना" के बराबर दिए जा रहे हैं । जब कि वही जमीन आगे चलकर सैकड़ों और हजारों रुपये की दर पर बेची जा रही है । सरकार के सहयोग से गरीब किसानों का जो शोषण हो रहा है इस पर अविलम्ब चर्चा की जाए और इसे रोकने का उपाय किया जाए ।

2. देश भर की जेलों में जो जुल्म जैसे—कानपुर जेल में बच्चों के साथ (लड़कों के साथ) बलात्कार, बिहार में तीस वर्ष से किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बन्द रखना तथा दिल्ली की जेलों में किए जा रहे अत्याचार एवं बलात्कार और बदचलनी के बारे में सोच-विचार के लिए इस विषय को जरूर रखा जाना चाहिए ।

श्री विजयकुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 4-12-81 की पुनरीक्षित कार्य सूची के मद सं० 8 में निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह में विचारार्थ रखने का निवेदन करता हूं :—

(1) लम्बे अरसे से सरकार द्वारा राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारण का आश्वासन दिया जा

रहा है। पर इसके कार्यान्वयन में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में उद्योगपतियों द्वारा मजदूरों खासकर असंगठित मजदूरों का भीषण शोषण हो रहा है। उदाहरणार्थ देश में लगभग 50 लाख बीड़ी मजदूर हैं। कई राज्यों में इनकी मजदूरी काफी कम है। जहां इस वर्ष न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण भी हुआ है वहां उसे लागू नहीं कराया जा रहा है। जैसे बिहार में। यहां उल्टे मजदूरों द्वारा कानूनी मजदूरी लागू करने की मांग करने पर उन्हें और उनके नेताओं को सरकारी अधिकारियों और पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अतः राष्ट्रीय वेतन निर्धारण की नीति का कार्यान्वयन और इसे लागू करने के लिए सक्षम एजेन्सी का गठन आवश्यक है, जिसको अगले सप्ताह की कार्य सूची में रखा जाए।

(2) देश के कृषि योग्य भूमि का वड़ा भाग असिंचित है। राज्य सरकारें सिंचाई की बड़ी योजनाओं को लेने में आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं हैं। इसका असर देश की आर्थिक स्थिति पर काफी गहरा पड़ रहा है। विहार में ठाठर-तिलैया जलाशय योजना और गंगा नदी से नहर निकालकर नालंदा, नवादा, मुंगेर, वारिसअलीगंज, गया आदि दक्षिण की ओर सिंचाई की व्यवस्था तथा मोकामा टाल योजना आदि के द्वारा हजारों-हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा ही संभव है। अतः इसे विचारार्थ अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दो प्रश्न हैं। पहला राष्ट्रीयकृत वैंक की भूमिका तथा कार्यकरण के बारे में है। हम देखते हैं कि राष्ट्रीयकरण का सारा उद्देश्य ही विफल हो रहा हैं। दूसरी ओर, वैंकों का रुख सचमुच ही संकटग्रस्त उद्योगों को पुनर्जीवित करने में वाधा डाल रहा है जिससे औद्योगिक उत्पादन में रुकावट पड़ रही है, मैं इस प्रश्च पर अगले सप्ताह चर्चा करना चाहता हूं।

दूसरा प्रश्न उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों के न भरे जाने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के बारे में है जिससे अनिर्णीत मामलों की संख्या में और भी वृद्धि हो रही है। समूची प्रणाली डांवाडोल स्थिति में है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

आपने हमें संक्षेप में कहने को कहा है लेकिन मंत्री महोदय सुन नहीं रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : वे बिल्कुल सुन रहे हैं।

प्रो० अजितकुमार मेहता (समस्तीपुर) : विहार के संथाल परगना जिले के अन्तर्गत ईस्टर्न कोल फील्ड के चित्रा कोलियरी के निकट स्थित सहजोरी में बेरोजगार हरिजन और आदिवासियों ने कोयला खान विकसित किया था। राष्ट्रहित में यह उचित होगा कि उस खान का तत्काल अधिग्रहण कर वहां काम करने वाले मजदूरों का नियोजन उस खान में कर लिया जाए। उल्टे सरकार ने ढाई सौ मजदूरों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया हैं। उन्हें जेल से निकाल कर वहां नियोजित कर दिया जाना चाहिए।

वर्तमान उद्देश्यविहीन शिक्षा पद्धति में सुधार और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि को

रोकने के लिए विश्वविद्यालय की उपाधि को सरकारी सेवापूर्ति से असम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए। सरकारी सेवा, बैंक सेवा और अन्य सेवाओं में दस जमा दो पास किए नवयुवकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हो।

मैं चाहता हूं कि इन दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं सुझाव देता हूं कि निम्नलिखित दो मदों को आगामी सप्ताह के सरकारी कार्य में सम्मिलित किया जाए।

एक गांधी जी की जेल की कोठरी को तोड़े जाने के बारे में है। यह समाचार मिला है कि दक्षिण अफ्रीका की उस छोटी सी जेल की कोठरी को, जिसमें गांधी जी ने अपना सत्याग्रह सम्बन्धी दर्शन बनाया था, वहां के अधिकारी यह बहाना बना कर तोड़ने जा रहे हैं कि यह उनके लिए मुसीबत बन रही है।

सरकार को जेल की इस कोठरी को, जिसमें से गांधी जी ने सत्याग्रह सम्बन्धी विश्वव्यापक सन्देश दिया था, तोड़े जाने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। मैं सरकार से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

दूसरी मद बादली तथा अन्य गांवों में किसानों की भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में है। बादली और दिल्ली के आसपास के अन्य गांवों के किसानों ने 30 नवम्बर, 1981 को संसद के बाहर शान्तिपूर्वक एक प्रदर्शन किया और मांग की कि इन गांवों के किसानों की उपजाऊ भूमि का 1.25 रुपये से 2.40 रुपये प्रति वर्ग गज के कम मूल्य पर अधिग्रहण आगे के लिए रोका जाना चाहिए और जब तक वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन नहीं किया जाता तब तक किसानों के हितों की रक्षा हेतु भूमि का अधिग्रहण न किया जाए।

19 मार्च, 1981 को सरकार ने इन ग्रामीणों के हितों की रक्षा के लिए, जिनकी भूमि का कम कीमत पर अधिग्रहण किया जा रहा है, लोकसभा में एक आश्वासन दिया था।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन किसानों को दिए गए अपने पूर्व आश्वासन को दोहराते हुए इस विषय पर एक वक्तव्य दे।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : मैं माननीय सदस्यों को उनके मूल्यवान सुझावों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कार्यवाही वृत्तान्त का अध्ययन करूंगा। यदि मुझे कोई ऐसी आवश्यक बात मिली, जिसे कार्य मंत्रणा समिति के सामने लाना हो तो ऐसा ही किया जाएगा।

दंड विधि (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा के एक सदस्य को संयुक्त समिति में नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग के राज्य सभा से सेवा निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य के नाम की सूचना इस सभा को दे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति में श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग के राज्य सभा से सेवा निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य के नाम की सूचना इस सभा को दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

इकतीस वां प्रतिवेदन

श्री डूमरलाल बैठा (अररिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन से, जो 2 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : डा सुब्रह्मण्यम स्वामी ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन को स्वीकृत करने के प्रस्ताव में संशोधन करने का एक नोटिस

दिया है कि प्रतिवेदन समिति को वापस भेज दिया जाए क्योंकि वह भारतीय तार (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए समय नियत करने में असफल रही।

मैं सभा को सूचना दे दूं कि समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य सम्बन्धी आज की कार्य-सूची में सम्मिलित संकल्पों के लिए समय आबंटित करने से ही सम्बद्ध है इसलिए यह संशोधन इकतीसवें प्रतिवेदन को स्वीकृत करने के वर्तमान प्रस्ताव से सम्बद्ध नहीं है।

जहां तक भारतीय तार (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के लिए समय नियत करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं बता दूं कि ऐसे चार विधेयक हैं जिनमें से तीन को समिति ने श्रेणी 'क' में रखा है और उन पर चर्चा के लिए समय नियत कर दिया है। देखिए 29 वां और 30 वां प्रतिवेदन श्री भोगेन्द्र झा द्वारा 27 नवम्बर, 1981 को जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। उसकी श्रेणी निर्धारित की जाएगी और समिति की 7 दिसम्बर, 1981 को होने वाली अगली बैठक में उसके लिए समय आबंटित किया जाएगा।

उन चार विधेयकों में से किसी पर सभा में चर्चा होने का अवसर मिलता है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि 14 दिसम्बर, 1981 को किये जाने वाले विधेयकों के आगामी बैलट में उन्हें कौन सी प्राथमिकता मिलती है। इसलिए डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का वर्तमान संशोधन संगत नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : **

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं किया जाएगा। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन से, जो 2 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के बारे में संकल्प—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री चित्त बसु द्वारा 11 सितम्बर, 1981 को पेश किए गए निम्नलिखित, संकल्प पर आगे और चर्चा करेंगे :-

"यह सभा सिफारिश करती है कि पश्चिम बंगाल के व्यापक औद्योगिक विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन हल्दिया स्थित पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह जैसी कतिपय औद्योगिक परियोजनायें अविलम्ब स्थापित करने के लिये, जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव किया है, तुरन्त कदम उठाये जाएं।"

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चित्त बसु अब बोल सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, पिछली बार मैं केवल संकल्प पढ़ सका था, परन्तु अब मैं समय बचाने के लिए इसे दोबारा नहीं पढ़ूंगा। परन्तु सभा को यह सूचित करना मेरे लिए आवश्यक है कि यह संकल्प पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन कतिपय औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कदम उठाने से सम्बद्ध है। यह संकल्प इस बात पर बल देता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन अधिक पूंजी निवेश किया जाना चाहिए।

आरम्भ में, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसके पीछे मेरा केवल पश्चिम बंगाल राज्य के लिए ही कोई संकीर्ण या सीमित हित नहीं है। और मैं आपसे और सभा से आग्रह करूंगा कि आप इस संकल्प को इसी भावना से देखें, न कि रूखाई की भावना से, न किसी पर दोषारोपण की भावना से और न ही इस भावना से कि यह केवल किसी एक राज्य से सम्बद्ध है। वास्तव में; मैं उद्योग मंत्रालय से इस मूल समस्या के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करूंगा जिसका पश्चिम बंगाल राज्य इस समय सामना कर रहा है।

महोदय, मैं घोर व्यथा की भावना से बोल रहा हूं और घोर व्यथा की यह भावना केवल मेरी ही नहीं है बल्कि यह मेरे राज्य पश्चिम बंगाल की सारी जनसंख्या की घोर व्यथाओं की अभिव्यक्ति है। और स्वभावतः, पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण इकाई होने के कारण यह कार्यवाही और कुछ नहीं, बल्कि हमारे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की पूरी जनसंख्या की घोर व्यथाओं की अभिव्यक्ति है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, सभा को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि देश में हमारे समग्र विकास की कतिपय स्थितियों में पश्चिम बंगाल औद्योगिकीकरण के मामले में अग्रणी रहा है, अब वह प्रगतिरोध के गहरे दल-दल में फंस गया है और कुछ वर्षों से औद्योगिक विकास में निरन्तर कमी होती जा रही है। स्वभावतः इस औद्योगिक प्रगतिरोध ह्रास फलस्वरूप वहां पर बेरोजगारी की विस्फोटक स्थिति और अन्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगतिरोध की इस खास बात को स्पष्ट करने के लिए मैं सभा के समक्ष कुछ सम्बद्ध तथ्य रखना चाहता हूं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, 1961-65 की तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य की प्रगति दर देश में सबसे अधिक थी। यह सब रिकार्ड में है। परन्तु तृतीय योजना के बाद, प्रगति रोध और ह्रास की प्रक्रिया आरम्भ हो गई और दुर्भाग्यवश चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रगतिरोध और ह्रास की प्रक्रिया को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा सके। इसलिए, प्रक्रिया चलती रही। इस सम्बन्ध में सम्बद्ध तथ्यों से आप भी समझ जायेंगे। अब हम देखें कि पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना के अधीन पूंजी-निवेश की कुल राशि कितनी रही है? चौथी योजना के दौरान देश में केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक और खनिज उत्पादों के लिए कुल परिव्यय 3750 करोड़ रुपये का था। देश के कुल पूंजी-निवेश का केवल 4 प्रतिशत ही पश्चिम बंगाल में निवेश किया गया।

अब आप पांचवीं योजना पर आइए। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय 9033 करोड़ रुपये का था जो चौथी पंचवर्षीय योजना के आवंटन से लगभग तीन गुना था। दुर्भाग्यवश मेरी घोर व्यथा यह है कि पश्चिम बंगाल में फिर 4 प्रतिशत ही पूंजी-निवेश किया गया। पहले 4 प्रतिशत और पुनः पांचवीं योजना में भी इतना ही, जबकि ह्रास और प्रगति रोध की इस प्रक्रिया को रोकना आवश्यक था, अधिक पूँजी-निवेश करना आवश्यक था और जिसके लिए अनुरोध भी किया गया था, परन्तु पुनः राष्ट्रीय आवंटन का केवल 4 प्रतिशत ही वहाँ पर पूंजी-निवेश किया गया। मैं इस सम्बन्ध में कुछ दृष्टांत भी देना चाहता हूं। मैं कुछ उद्योगों का उल्लेख करना चाहता हूं और फिर मैं सम्पूर्ण चित्र आपके सामने रखूंगा। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग उद्योग को लें। किसी समय पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग बहुत समृद्ध था। जब कि 1963 में देश के कुल इंजीनियरिंग उत्पादन के 1/3 भाग का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1968 में यह गिरकर 21.70% रह गया और यह ह्रास यहीं नहीं रुका। यह जारी रहा। एक वर्ष में ही देश के इंजीनियरिंग वस्तुओं के उत्पादन में पश्चिम बङ्गाल का भाग तेजी से कम होता गया और अब यह केवल 9.2% है। क्यों ? यह मैं किसी संकीर्ण मानसिकता या ईर्ष्या या सीमित हित से उल्लेख नहीं कर रहा हूं कि आज कुल इंजीनियरिंग उत्पाद में महाराष्ट्र ने अपनी स्थिति सुधार ली है और अब वह इसके कुल इंजीनियरी उत्पादन का 13.9% उत्पादन कर रहा है। याद कीजिए, पश्चिम बङ्गाल इंजीनियरिंग उद्योग में अगुआ था।

यदि मैं औद्योगिक ह्रास पर समग्र रूप से दृष्टिपात करूं तो मैं आपको एक दूसरा तथ्य बताता हूं। 1960-61 में भारत में जितने मूल्य इस राज्य के निर्माण में वृद्धि हुई का भाग उसमें 13% था जब कि 1977-78 में यह केवल 9.6% ही रहा। इसका कुल मिलाकर परिणाम यह निकला कि औद्योगिक राज्यों में बङ्गाल की गणना महाराष्ट्र और गुजरात के बाद होने लगी। हम महाराष्ट्र की समृद्धि से प्रसन्न हैं। हम गुजरात की समृद्धि से प्रसन्न हैं। हम उनकी प्रगति की कामना करेंगे परन्तु दुःख की बात तो यह है कि हमारा उत्पादन 13·/. से घटकर 9.6·/. रह गया मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके परिणाम स्वरूप आज राज्य में बेरोजगारी ने विस्फोटिक स्थिति धारण कर ली है। 1961-65 की अवधि के दौरान पश्चिम बङ्गाल में फैक्टरियों में दैनिक रोजगार की स्थिति में कुल मिलाकर 26.27 वृद्धि हुई जब कि और महाराष्ट्र में 21.92 और गुजरात में 19.39 रही। पश्चिम बङ्गाल में संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दर महाराष्ट्र की अपेक्षा कम थी। इसका अर्थ है कि पश्चिम बङ्गाल में संगठित क्षेत्र में रोजगार कम रहा, यद्यपि पश्चिम बङ्गाल के आर्थिक विकास में संगठित उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। पश्चिमी बङ्गाल संगठित क्षेत्र में बेरोजगार की दर 34.12 थी जब कि महाराष्ट्र में 44.45 थी इसको पश्चिमी बङ्गाल की कुछ भौगोलिक व आर्थिक दशाओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पश्चिम बङ्गाल में देश की पृष्ठ प्रदेश की भूमि का 3·/. हिस्सा है। इसकी जनसंख्या देश की कुल जन संख्या का 8·/. है। हमें देश के कुल क्षेत्र का तीन प्रतिशत मिला है। इतनी भूमि से हमें देश की 8·/. जन संख्या का भरण पोषण करना है वास्तविकता यह है। यह वास्तविकता न तो मैंने बनायी और न ही जनता ने आपको याद होगा कि आज का पश्चिमी बङ्गाल, बङ्गाल का एक हिस्सा

है। इसका विच्छेद कर दिया गया था। इसका विभाजन किया गया था, तथा यह विभाजन पश्चिमी बङ्गाल या पूरे बङ्गाल की सहमति से नहीं किया गया था। मैं इसके बारे में कोई उग्रता नहीं दिखा रहा हूं। कुछ विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों के अन्तर्गत देश का विभाजन किया गया तथा उस विभाजन के फलस्वरूप हमें देश की भूमि क्षेत्र का 3'/. ही मिला जिससे हमें देश की 8'/. जनसंख्या का पोषण करना है।

मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री राज्य की समस्या को समझने में सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनायेंगे। वहां फिलहाल पंजीकृत बेरोजगार लगभग 27 लाख हैं जो कि देश के कुल पंजीकृत बेरोजगारों का 22'/. है। कृपया समस्या की विशालता को समझिये तथा हमारी वेदना को महसूस करिये तथा समझिये। 3'/. भूमि से हमें 8'/. जनसंख्या का पालन करना है, हमें देश के 20'/. बेरोजगारों का भार वहन करना है। महोदय मैंने सभा को यह वेदना महसूस कराने का प्रयत्न किया है। मैं आशा करता हूं कि यह सभा इस गहन वेदना को जिसमें पश्चिमी बङ्गाल के लोग रह रहे हैं, समझने में संकीर्णता नहीं बरतेगी।

इसका विकल्प क्या है ? इस संदर्भ में, मैंने अपनी पूरी योग्यता से चित्र प्रस्तुत किया है। यह पश्चिमी बङ्गाल की अर्थ व्यवस्था की वास्तविकता है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इसका समाधान क्या है ? जहां तक मैं समझता हू इसका समाधान औद्योगीकरण है। राज्य में बढ़ते हुए बेरोजगार की चुनौती का सामना करने तथा भारत के औद्योगिक मानचित्र में राज्य को उचित स्थान दिलाने के लिए औद्योगीकरण ही एकमात्र रास्ता है। औद्योगीकरण केन्द्रीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता और पूंजी निवेश के बिना आगे नही बढ़ सकता यह समस्या का सारतत्व है। समस्या का सारतत्व औद्योगीकरण है। संविधान के अन्तर्गत देश में वर्तमान वित्तीय प्रणाली के अनुसार, औद्योगिक विकास केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा पहल करने तथा सहायता देने से ही हो सकता है। अतः प्रश्न औद्योगीकरण का है और यह औद्योगीकरण केवल केन्द्रीय पूंजी निवेश की सहायता से ही हो सकता है, क्योंकि अन्यथा यह औद्योगीकरण पश्चिमी बङ्गाल के लोगों के लिए सहायक नहीं हो सकता। वहां पर एकाधिकारों द्वारा शोषण किया जा सकता है या पुनः मुनाफा खोरों द्वारा लूट की जा सकती है तथा हो सकता है वे पश्चिमी बङ्गाल को बहुराष्ट्रीय तथा एकाधिकार गृहों का शिकार बनाने का प्रयत्न करे। इससे पश्चिमी बङ्गाल के लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। अतः मै पुनः दोहरा रहा हूं कि मेरे संकल्प का विवादास्पद विषय केन्द्रीय सरकार द्वारा पहल कराकर औद्योगीकरण किया जाना है। केन्द्रीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक पूंजीनिवेश ही सारतत्व है तथा यही मेरी भारत सरकार से अपील है।

मैं ऐसा क्यों कहता हूं ? मुझे बहुत दुख है—मैं शिकायत या दोषारोपण के उद्देश्य से नहीं कहता बल्कि विषय का गहन अध्ययन करने के बाद कहता हूं कि भारत सरकार द्वारा इस मूल बात को महत्व नहीं दिया गया है। दूसरी ओर मुझे यह कहते हूए खेद होता है कि भारत सरकार ने पश्चिम बङ्गाल सरकार के साथ बहुत से पहलुओं पर भेदभाव पूर्ण नीति अपनायी है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं उन नीतियों की सूची सभा की जानकारी के लिए प्रस्तुत करता हूं जो कि

पश्चिमी बङ्गाल के औद्योगिक विकास में बाधा रही हैं, तथा जो न केवल पश्चिमी बङ्गाल के लोगों के लिए हानिकारिक रही हैं बल्कि पूरे देश की अर्थ व्यवस्था के लिए हानिकारी रही हैं। भारत सरकार को इस बात को भी समझना चाहिए, महत्व देना चाहिए तथा महसूस करना चाहिए।

1951 से 1979 की अवधि के दौरान पश्चिमी बङ्गाल में प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय 586 करोड़ रु० रहा। जब कि पंजाब में यह 1660 करोड़ रु०, गुजरात में 1032 करोड़ रु०, महाराष्ट्र में 996 करोड़ रु०, कर्नाटक में 768 करोड़ रु० तथा तमिलनाडु में 660 करोड़ रु० था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, आपका भी कम है परन्तु हमारे से अच्छा है।

श्री चित्त बसु : मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। जैसा कि मैंने कहा है पश्चिम बंगाल के लिए योजना परिव्यय दूसरे राज्यों की तुलना में कम था।

31 मार्च 1979 को विद्यमान स्थिति के अनुसार पूरे देश में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कुल 15,000 करोड़ रु० का पूंजी निवेश था, जिसमें से पश्चिमी बङ्गाल में 1083 करोड़ रु० का पूंजी निवेश था, जो कि 6.9 प्रतिशत है। 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में उद्योग खान तथा पेट्रोलियम क्षेत्र के अन्तर्गत, केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं के लिए 19,18,007 करोड़ रु० के व्यय का प्रावधान किया गया है। क्या आपको मालूम है कि इस खर्च में से पश्चिमी बङ्गाल के हिस्से में कितना आता है ? पश्चिमी बङ्गाल के हिस्से में 1,098 करोड़ रु० आते हैं जो कि कुल परिव्यय का 5.77% है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के लिए आबंटन कभी भी 5% से 6% तक से आगे नहीं बढ़ा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे पास भूमि का 3% भाग है तथा उससे हमें 8% जन संख्या का पोषण करना है तथा देश में कुल पंजीकृत बेरोजगारों के 20% रोजगार देना है। यह विरोधाभास है मैं समझता हूं कि इस विषय पर अधिक बोलना आवश्यक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही शुरू कर रहे हैं। पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाओं के विषय में क्या स्थिति है ?

श्री चित्त बसु : तीसरी पंचवर्षीय योजना तक मेरी पकड़ के बाहर है, वह इस अर्थ में कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तक पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक विकास में बढ़ोत्तरी हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है, श्री बी० सी० राय के सत्ता में होने की वजह से ऐसा हुआ हो।

श्री चित्त बसु : वह पश्चिमी बंगाल के एक महान पुत्र थे। वह भारत माता के महान पुत्र थे। हमें उन पर गर्व है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (जादवपुर) प्रधान मंत्री नेहरु का रुख इस तरह का नहीं था। वह सहयोग के पक्ष में थे।

श्री चित्त बसु : उनकी राजनैतिक विचारधारा कुछ भी रही हो वह बंगाल के महान पुत्र थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हमारी ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। परन्तु पतन की प्रक्रिया तथा अवरोध की प्रक्रिया तीसरी पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ होती है इसके लिए श्री चटर्जी द्वारा बतलाये गये कारणों से सहमत हूं, उनको दोबारा स्पष्ट करना मैं आवश्यक नहीं समझता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संयुक्त मोर्चे की सरकार बना रहे हैं।

श्री चित्त बसु : केवल एक मोर्चा। संयुक्त मोर्चा नहीं, कोई संयुक्त कार्य नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी को इससे बाहर जाने तथा इसमें सम्मिलित होने की अनुमति मत दो। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : यदि आपकी पार्टी वहां होती तो आप इसका स्वागत करते। मैं चाहता हूं कि आपकी पार्टी वहां भी स्थापित हो जाये ताकि हमें एक अच्छा साथी मिल सके।

(व्यवधान)

श्री चित बसु : मैंने छठी पंच वर्षीय योजना के विषय में बात की है।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर हमारा दल पश्चिमी बंगाल में राज्य दल बन जायेगा। यदि आप तैयार हैं तो आपको इसकी एक नकल मिल जायेगी।

श्री चित्त बसु : हां हां, वशर्ते कि तिरुपत्तूर जैसी हालत फिर न हो। इस तरफ आपका स्वागत किया जाता है तथा हम मद्रास या तमिलनाडू को उसका उचित हिस्सा दिलाने के लिए द्रु० मु० क० दल का भी स्वागत करते हैं।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : अतः पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय क्षेत्र का पूंजी-निवेश कभी भी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रहा। पंचवर्षीय योजना आवंटन करते समय, पश्चिमी बंगाल में उद्योगों को रुग्ण बनाने वाले विभिन्न कारणों को ध्यान में नहीं रखा गया।

अब मैं वित्तीय सहायता के पहलू पर आता हूं । मार्च 1980 के अन्त तक पश्चिमी बंगाल के उद्योगों को दी गयी सारे भारत की वित्तीय सहायता केवल 91.21 थी ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री ।

कुतुब मीनार में दुःखद घटना के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों की मृत्यु और कई लोगों के घायल हो जाने के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : महोदय, मैं गहरे दुख के साथ इस सभा को सूचित कर रहा हूं कि आज साढे ग्यारह बजे म०पू० तथा 12 बजे दोपहर के बीच कुतुब मीनार में एक बहुत ही भयानक दुःखद घटना घट गई है ।

कुतुब मीनार के अन्दर भारी संख्या में लोग थे जिनमें से अधिकांश देश के विभिन्न भागों से आए विद्यार्थी थे । अचानक बिजली फेल हो जाने के कारण गलतफहमी हो गयी तथा भगदड़ मच गयी । पुलिस, दमकल तथा एम्बुलैंस की सेवायें तुरन्त उपलब्ध करायी गयीं घायल लोगों को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया । परीक्षण करने पर उनमें से 45 मृतक घोषित किये गये तथा 21 घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया जिनको आवश्यक चिकित्सा प्रदान की जा रही है ।

प्रधान मंत्री, मैं, दिल्ली के उपराज्यपाल तथा दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल गये । प्रत्येक मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री सहायता कोष से 5000 रु० दिये जा रहे हैं तथा घायलो में से प्रत्येक को 2000 रु० दिए जा रहे हैं । इतनी ही राशि दिल्ली प्रशासन द्वारा भी दी जा रही है ।

इस दुर्घटना की न्यायिक जाँच का आदेश दे दिया गया है ।

इस दुखद घड़ी में हम शोकसन्तप्त परिवारों को अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं । हम इस सभा की मनोव्यथा उनको पहुंचा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह एक दुखद दिन है । हम सभी को गहरा धक्का लगा है तथा इस दुखद घटना को जानकर हमें बहुत अधिक दुख हुआ है । हम शोक सन्तप्त परिवारों को सभा की हार्दिक संवेदनायें भेजेंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभी दलों की ।

अध्यक्ष महोदय : सभी दलों की । यह एक ऐसी घटना है जिस पर पत्थर भी पिघल जायेगा ।

इस संदर्भ में मेरी राय है कि मृतकों की स्मृति में कुछ समय के लिये मौन खड़े होने के बाद, सभा को स्थगित किया जाये ।

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब सोमवार 7 दिसम्बर, 1981 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

3.33 म० प० तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 7 दिसम्बर 1981 / 16 अग्रहायण 1903 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

मुद्रक—एस० सी० सागर, बंगाल प्रिंटिंग प्रेस, ईस्ट पार्क रोड, दिल्ली